खण्ड-425, अंक-7
मंगलवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1920
(14 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 425 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–97
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	97
— जनपद देहरादून की तहसील विकास नगर में सम्मिलित कुछ गाँवों को पूर्व की भांति तहसील सदर (देहरादून) में रखने की मांग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
— आगरा नगर में पेयजल की गम्भीर समस्या के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	98
— जनपद सुल्तानपुर के जामों ब्लाक में लघु सिंचाई के अन्तर्गत फ्री बोरिंग में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
— जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
— निदेशालय महिला कल्याण में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
— जनपद उन्नाव के भगवन्त नगर क्षेत्रान्तर्गत नील गाय एवं बन्दरों से फसलों के बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
— पद्मा चतुर्वेदी सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका छिबरामऊ फर्रुखाबाद को अवशेष वेतन आदि लाभ दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100–101
— औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	101
— तृतीय सत्र 1998 के चौथे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के अनुसार सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	101–102
— अमरावती (महाराष्ट्र) से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102–103
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	103–130
— श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में गोवर्धन मार्ग में पड़ने वाले गांवों के लिये आवागमन कर को समाप्त करने संबंधी, जनपद सिद्धार्थ नगर के सिकरा ग्राम में दलित वर्गों के घर जलाये जाने सम्बन्धी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की, प्रदेश मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में पांच गुनी वृद्धि किये जाने	

विषयक, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि की तथा प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक, श्री अवधेश प्रसाद आदि की सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन। 130–132

— वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) 132–198

— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें– 198–199

मथुरा जनपद में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ईंट भट्ठा उद्योग एवं अन्य छोटे-छोटे उद्योगों के बन्द किये जाने से लाखों व्यक्तियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य। 199–201

— जनपद सुल्तानपुर के समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन तथा छात्रवृत्ति वितरण में कथित रूप से की जा रही धांधली भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री तेजभान सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य। 202–203

— जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर की तहसील कर्बी के ग्राम छेछरिया में सार्वजनिक उपयोग की भूमि का नियम विरुद्ध पट्टा किये जाने के संबंध में श्री ददू प्रसाद द्वारा दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य। 203–204

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	रघुराज प्रताप सिंह	प्रतापगढ़
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	"राजा भइया", कुंवर	
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
उबैदुर्रमान, श्री	गोण्डा	राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रामनाथ श्री,	प्रतापगढ़
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	लाल जी टण्डन, श्री	लखनऊ
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी	विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
धर्मज्ञ मिश्र, डा०	हरदोई	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेश चन्द्र, अग्रवाल, श्री	हरदोई	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
नारायण राम दास, श्री	अल्मोड़ा	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 14 जुलाई, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री कैशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष –

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय जगदम्बिका पाल जी और माननीय अम्बिका चौधरी जी से अनुरोध कर लिया है कि माननीय सदस्य का आमरण अनशन समाप्त करा दें। कल ही उनसे बात हो गई थी।

प्रदेश में वर्ष 1998 में कोहरा तथा असामयिक वर्षा से हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुये किसानों को गेहूं व अन्य उपजों का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने की मांग

**1—श्री राम औतार शाक्य –

क्या सरकार प्रदेश में वर्ष 1998 में कोहरा तथा असामयिक वर्षा से हुई क्षति को देखते हुये किसानों को गेहूं व अन्य उपजों का लाभकारी मूल्य दिलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

प्रदेश सरकार द्वारा फसलवार अपनी संस्तुति भारत सरकार को पूर्व में ही भेजी गयी थी।

भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 455.00 रुपये प्रति कुन्टल घोषित किया गया जिस पर बाद में 55.00 रुपये प्रति कुन्टल बोनस अनुमन्य किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री राम औतार शाक्य –

मान्यवर, किसानों का कार्य घाटे का कार्य है किसानों को अपने खेतों में खाद देनी पड़ती है बिजली देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, तो उसका तो घाटे का सौदा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सिद्धान्ततः लाभकारी मूल्य किसानों को मिलना चाहिए? क्या इससे यह सरकार सहमत है?

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह –

मान्यवर, लाभकारी मूल्यों के विषय में इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है तारांकित प्रश्न संख्या के माध्यम से माननीय शाक्य जी पुनः इसको उठा रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि लाभकारी मूल्य जो सरकार संस्तुत करती है और जो भारत सरकार घोषणा करती है वह लाभकारी मूल्य होता है, न्यूनतम मूल्य घोषित किया जाता है। मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में पूरा उल्लेख कर दिया था कि लाभकारी मूल्य जो घोषित किया जाता है वही न्यूनतम मूल्य होता है सरकार यह मानती है कि जो न्यूनतम मूल्य घोषित किया गया है उससे नीचे किसानों को मूल्य मिलेगा तो किसानों को लाभ नहीं होगा उससे ऊपर चाहे जितना मिल जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल–(श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि सरकार लाभकारी मूल्य देती है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या गेहूं का लाभकारी मूल्य 448/- रुपया कुन्तल किया है ?

श्री दिवाकर सिंह–

448/- रुपया नहीं 455/- रुपया प्रति कुन्टल किया है 55 रुपया अलग से बोनस दिया गया है। न्यूनतम लाभकारी मूल्य 510/- रुपया प्रति कुन्तल दिया गया है।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए जो संस्तुति होती है तो उसमें क्या किसानों की ओपिनियन ली जाती है यदि ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश स्तर पर किसानों के कितने प्रतिनिधि हैं जिनकी मूल्य निर्धारण में हिस्सेदारी होती है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, लाभकारी मूल्य घोषित करने का अधिकार भारत सरकार का है । कृषि मूल्य लागत आयोग द्वारा यह घोषित होता है । आज मैं इसका उत्तर नहीं लाया हूँ क्योंकि जो प्रश्न पूंछा गया था वह वर्षा से सम्बन्धित है । पिछली बार जब यह प्रश्न उठा था तो मैंने बताया था । कमेटी की संरचना कैसी होती है उसमें दो किसानो के प्रतिनिधि होते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारें जो संस्तुति करती हैं उसमें एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में दो माननीय सांसद होते हैं और तीन किसानों को भी नामित करने का प्राविधान है । उसकी प्रक्रिया चल रही है प्रति वर्ष कमेटी नयी बनती है और जो किसानों के प्रतिनिधि रखे जाते हैं वह किसान ही होते हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय ने जो खाद, बिजली पानी इत्यादि लगाकर किसानों के लिए जो मानक तैयार किया है उसके हिसाब से किसानों को कितना पैसा मिलना चाहिए ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, किसी विश्वविद्यालय से कितनी संस्तुति की गयी है इसकी सूचना लेनी पड़ेगी । लेकिन जो आंकड़े लिये जाते हैं कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चरल इकोनोमिक एक्स्पर्ट के होते हैं वह बैठते हैं और जो संस्तुति है उसमें वह लोग भी बैठते हैं ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने उत्तर प्रदेश में यह स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन मूल्यों का निर्धारण होता है । परन्तु प्रदेश की स्थिति इस बार काफ़ी भिन्न रही है । मान्यवर, गेहूँ की उपज लगातार घना कोहरा होने के कारण और वर्षा होने के कारण जो यील्ड होना चाहिए वह कम हो गया है । इस प्रकार से राष्ट्रीय उत्पादन बहुत से हिस्सों में कम हुआ है। मान्यवर, मंत्री जी ने 55 रुपये गेहूँ में बोनस के रूप में देने की बात कही तो दैवी आपदा होने के कारण जो बिचौलियों को दो प्रतिशत दिया जा रहा है उसे किसानों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह गेहूँ की खरीद से सम्बन्धित है। जो बिचौलियों को दो प्रतिशत दिया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने और कुछ अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भारत के प्रधान मंत्री जी से मिलकर इसके समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए मांग की थी ? यदि हाँ तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कितनी मूल्य वृद्धि की संस्तुति की थी ? तो क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को उस संस्तुति के अनुसार बोनस देने पर विचार करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, 455 रु० भारत सरकार ने मूल्य घोषित किया था उसके बाद कुछ प्रदेशों में मांग उठी उत्तर प्रदेश से भी मांग उठी थी कि मूल्य कम है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की मांग को देखते हुए ही भारत सरकार ने रु० 55 बोनस घोषित किया था।

*डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, जो पिछली वर्षा हुई उसमें बहुत जगह हमारे यहां बिल्कुल फसल नष्ट हो गयी। आपने हर एक किसान के लिए एक मूल्य घोषित कर दिया है तो जिनकी फसल नष्ट हो गयी उनके लिए अलग से क्या प्राविधान किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से आप का अनुपूरक नहीं आता है।

*श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कोहरे तथा आसामयिक वर्षा से बड़ी लागत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बोनस, लागत मूल्य को देखते हुए, देने पर विचार करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कोहरे और बाढ़ से नुकसान जो हुआ था किसानों का उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी समय 25 प्रतिशत गेहूँ के बीज पर सब्सिडी दे दी थी। उसके अतिरिक्त कोई बोनस देने का प्रश्न नहीं उठता।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य क्या दोनों एक ही चीज हैं। जब तक आप लागत मूल्य अलग से नहीं बतायेंगे तब तक लाभकारी मूल्य आप कैसे निकालेंगे तो क्या औसत लागत है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, भारत सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करती है वह लाभ को देखते हुए घोषित करती है। न्यूनतम लाभकारी मूल्य ही न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, सरकार समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य दोनों एक ही समझ कर उत्तर दे रही है किसानों के प्रति यह सरकार पूरी तरह से उदासीन है। किसानों के शोषण पर उतारू है। इस लिए इस सरकार को निर्देशित किया जाए कि गेहूँ का जो लागत मूल्य है वह रु० 625 पड़ता है उसको मानकर पिछली बिक्री का बोनस दें और भविष्य में जो धान की फसल है उस पर सरकार को भारत सरकार में संस्तुति देनी चाहिए कि कम से कम धान का मूल्य 500 रू० घोषित किया जाए। क्योंकि यह सरकार किसानों के प्रति उदासीन है अतः मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है।

(नेता विरोधी दल, अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में मैं भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति उदासीन है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर तथा श्री बालेश्वर त्यागी द्वारा उसका उत्तर पढ़ने पर अनेक माननीय सदस्य बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, मैं सरकार की इस किसान विरोधी नीति के कारण अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राम स्वरूप अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग स्थान ग्रहण करें। मैंने तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकार लिया है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर पढ़ दिया है। श्री जगदम्बिका पाल जी अनुपूरक पूँछे।

उ० प्र० सरकार पर पचास हजार करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाये जाने हेतु कार्य योजना की जानकारी

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश पर पचास हजार करोड़ रुपये का कर्ज है ? क्या यह सही है कि प्रदेश को इस कर्जे के ब्याज चुकता करने हेतु 47 सौ करोड़ रूपये प्रतिवर्ष देना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ब्याज को चुकता करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है ? क्या सरकार ने इस कर्ज को चुकाने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह) –

विगत वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में प्रदर्शित स्थिति के अनुसार राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता लगभग 50 हजार करोड़ रुपये है तथा ऋण पर देय ब्याज की देनदारी लगभग 48 सौ करोड़ रुपये अनुमानित है।

राजस्व व्यय (जिसमें ब्याज की देनदारी भी सम्मिलित है) राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से वर्ष 1997-98 के अनुमानों के अनुसार 7696.34 करोड़ रुपये अधिक है। इस घाटे को पूरा करने हेतु पूंजीगत मद में उपलब्ध ऋण की राशि एवं लोक लेखे की धनराशि का उपयोग किया जा रहा है।

राज्य सरकार अपने संसाधन बढ़ाने एवं अनुत्पादक व्यय कम करने का निरन्तर प्रयास कर रही है।

श्री जगदम्बिका पाल –

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था उत्तर प्रदेश पर वर्तमान समय में क्या 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और उसके ब्याज को चुकता करने के लिए 4700 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ रहा है तो माननीय मंत्री जी ने इसके उत्तर में स्वीकार किया है कि 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और ऋण पर देय ब्याज की देनदारी लगभग 4800 करोड़ रुपये अनुमानित है यानि 100 करोड़ ज्यादा ही है। मान्यवर, मैने स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस कर्ज को चुकाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ? इसका उत्तर आया है कि राज्य सरकार अपने संसाधन बढ़ाने एवं अनुत्पादक व्यय कम करने का निरन्तर प्रयास कर रही है।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि किन-किन चीजों में अनुत्पादक व्यय को कम करने का सरकार विचार कर रही है और संशाधन बढ़ाने के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं वह कम से कम इस सदन में जरूर आ जाने चाहिए कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयासं कर रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी) –

मान्यवर, किसी भी गतिशील राज्य के लिए ऋण लेने की आवश्यकता होती है। जो प्रदेश अच्छी आर्थिक स्थिति में होते हैं वह भी ऋण लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता दें कि किन-किन संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और किन-किन अनुत्पादक व्यय को कम करने का प्रस्ताव है?

श्री बालेश्वर त्यागी

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है जो अनुत्पादक व्यय को घटाने पर विचार कर रही है। उस समिति की रिपोर्ट आने पर सरकार विचार करेगी।

दूसरा जो अभी बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें कर राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, कर राजस्व में 79 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इस प्रकार राजस्व व्यय में 9 प्रतिशत की वृद्धि जबकि वेतन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार संसाधन बढ़ाने की कोशिश हो रही है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से पूछा था कि संसाधन बढ़ाने और अनुत्पादक व्यय घटाने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं तो जवाब दिया कि मंत्रि-परिषद् की एक उप समिति का गठन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह उप समिति कब बनाई गई, इसकी कितनी बैठकें हुई हैं, उस बैठक में क्या एजेन्डा था, इन नौ महीनों में इस तरह के कोई उपाय किये गये हों तो वह बता दें, क्योंकि सारी जगहों पर लगातार अनुत्पादक व्यय बढ़ रहा है?

श्री अध्यक्ष–

कितनी बैठकें हुई हैं, यह तो बहुत विस्तीर्ण हो जायेगा।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, कोई भी चीज बैठक में निर्णय होने के बाद ही लागू होगी। माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करने के लिये बताना चाहता हूं कि वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया है कि कोई भी विभाग किसी भी मद में पुनर्विनियोग विभागीय सचिव द्वारा नहीं किया जायेगा, बल्कि इसके लिये वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह कोई बात तो नहीं है, यह तो सदन को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह के निर्देश तो पहले से हैं कि यदि कोई वित्त विभाग की अनुमति नहीं लेता है तो वह इर्रेगुलरटी माना जायेगा, यह तो फाइनेन्शियल हैन्ड बुक में दिया हुआ है। मैं जानना यह चाहता हूं कि अनुत्पादक व्यय इस सरकार द्वारा क्या-क्या कम किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय राज्य मंत्री ने बताया कि समिति विचार रही है कि किस तरह संसाधन बढ़ाये जायें और अनुत्पादक व्यय घटाया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हर रोज अधिकारियों को लेकर हवाई जहाज दिल्ली जाता है, यह कह दें कि अब जहाज नहीं जायेगा, रेल से सब लोग जायेंगे। यदि आप वाकई में खर्च कम करना चाहते हैं तो कुछ तो सदन को बतायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तीर्ण हो जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस प्रदेश पर 50 हजार करोड़ का कर्जा है, इस कर्जे की अदायगी प्रदेश सरकार कब तक कर देगी और इन महीनों के अन्दर प्रदेश सरकार द्वारा कितना कर्जा अदा किया गया है?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, मूल प्रश्न कार्य-योजना के बारे में है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, यह तो सतत् प्रक्रिया है। यह 50,000 करोड़ रुपये, इसी सरकार ने नहीं लिए हैं। ऐसा नहीं है कोई कट-आफ डेट हो।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

उ० प्र० में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रचलित नीति अथवा नियमों को सरल बनाये जाने की मांग

*1—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रचलित नीति, प्रक्रिया तथा नियमों को सरल बनाने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

यह एक सतत प्रक्रिया है तथा औद्योगिक संगठनों के साथ नियमित बैठकों में जो समस्याएं उभर कर सामने आती हैं उनका समय-समय पर निराकरण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रचलित **नियम सरल बनाने के** संबंध में प्रश्न किया था लेकिन मा० मंत्री जी ने कह दिया कि यह एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी मा० मंत्री ने कहा कि सतत् प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले शुक्रवार को भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी से मैं मिला था और उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण के लिए बस्ती में किसी उद्योग की स्थापना में सहायता करें। उन्होंने मुझसे यह कहा कि कोई भी उद्यमी नोएडा या ग्रेटर नोएडा भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो यह स्थिति तो उत्तर प्रदेश की है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से नये उद्योग की स्थापना में लेटर आफ इण्डेंट जारी किया है और कितनी पूँजी निवेश हुई है?

सहकारी मंत्री (पटेल श्री राम कुमार वर्मा) –

मान्यवर, सरकार ने इस संबंध में प्रयास किया है और मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मासिक बैठक होती है और जनपद स्तर पर भी बैठकें होती है हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि एक मास में निश्चित रूप से बैठक होगी। उद्योग बन्धुओं के साथ प्रमुख सचिव की बैठक होगी, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उद्योग का और माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहें हैं सहकारिता का। आप उद्योग का उत्तर दिलवा दें। आप स्वयं चाहे जितनी अपनी प्रशंसा कर लें लेकिन उद्योग बन्धु का गठन तो पहले हो चुका है और बैठकें भी होती रहती है लेकिन वह रिचुवल हो गई हैं। आप अपने कार्यकाल का बता दें, नौ महीने के कार्यकाल में बता दें कि किस नियम के सरलीकरण से और उनकी अध्यक्षता की बैठक से उत्तर प्रदेश में कितने नये उद्योगों के गठन के प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं और कितने करोड़ रुपये की पूँजी निवेश हुई है?

"पटेल" श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश के औद्योगिक माहौल में सुधार हुआ है एवं वर्ष 1997-98 में 417 इच्छा-पत्र, 27 आशय पत्र, 51 विदेशी पूँजी निवेश के प्रस्ताव तथा दो अप्रवासी भरतीयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इन सबमें लगभग 8-30 हजार करोड़ रुपये का पूँजी निवेश सन्निहित है।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ प्रस्ताव आये हैं। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि कितने उद्योगों की स्थापना हो चुकी है और कितनी पूँजी निवेश हुआ है?

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा कि इतने प्रस्ताव आये हैं और इतना पूँजी निवेश होना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि कितना पूँजी निवेश कितने करोड़ का कितने अरब का हुआ है?

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है कि पूँजी निवेश के कितने प्रस्ताव आये हैं?

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो औद्योगीकरण की नीति है उसके तहत नियमों को सरल बनाने के लिए ताकि प्रदेश में अधिक लोग उद्योग लगाने के लिए आये और उसका कुछ ऐसा स्वरूप ढूढ़े तो उसके तहत सरकार ने क्या नीति बनायी है उसके लिए कोई नया स्वरूप तैयार किया है?

"पटेल" श्री राम कुमार वर्मा

जी हाँ। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि औद्योगिक नीति में कुछ मौलिक परिवर्तन किये गये है।

नवीं औद्योगिक नीति का गठन किया जा रहा है जिसके लिए उद्योगों के साथ सघन विचार-विमर्श की प्रक्रिया प्रचलित है। बड़ी परियोजनाओं जिनमें रु० 50 करोड़ से अधिक का निवेश निहित है के प्रवर्तकों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक किए जाने की प्रणाली आरम्भ की गयी है।

दिल्ली से विस्थापित होने वाले उद्योगों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की छूट/सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

निर्यात मूलक इकाइयों को पब्लिक यूटीलिटी सर्विश घोषित किया गया है ताकि आकस्मिक हड़तालों से उनका उत्पादन प्रभावित न हो।

कैपटिव पावर प्लांट से जनित विद्युत के स्व उपयोग को विद्युत डियूटी से मुक्त किया गया है। कई वस्तुओं के व्यापार कर में उद्योगों की इच्छानुसार कमी की गयी है।

स्टील/लोहा तथा इस्पात को मॉडवेट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

रु० 50 करोड़ से ऊपर की इकाइयों को सामान्य तौर पर 15 वर्ष की व्यापार कर मुक्ति की सुविधा दी गयी है।

किसी न्यायालय के आदेश से स्थानान्तरित औद्योगिक इकाई को नए उद्योगों की समस्त व्यापार कर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी व्यापार कर के अन्तर्गत वादों के निस्तारण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गयी है।

रुग्ण इकाइयों को बिक्री के अलावा अन्य विधियों से लिये जाने पर उत्तराधिकारी इकाई को अवशेष अवधि की व्यापार कर से छूट उपलब्ध करा दी गयी है। पहले यह छूट केवल क्रय करने की दशा में ही उपलब्ध थी।

विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत पड़ने वाली इकाइयों के भवन मानचित्रों को स्वीकृत करने का अधिकार उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रतिनिधानित किया गया। औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के रुप में नामित किया गया है।

मेरठ तथा मुरादाबाद की इनलैण्ड कन्टेनर डिपो को आयात की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। सहारनपुर तथा उधमसिंह नगर में कागज मिलों के कच्चे माल की समस्या के निराकरण हेतु ट्राजिट पास जारी करने की व्यवस्था समय बद्ध तथा सरल बनायी गयी है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र को नियमित करने हेतु एवं बेहतर परिणामों हेतु कार्य-योजना

*2–श्री राजधारी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सत्र के नियमित एवं बेहतर परिणामों हेतु कोई विशेष कार्य योजना लागू करने के लिये सरकार ने कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है एवं यह कब से लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

शासनादेश संख्या 2183/सत्तर–1–15(3)/97, दिनांक 12 नवम्बर, 1997 एवं 2072/सत्तर–1-97-15(2)/97, दिनांक 8 अक्टूबर, 1997 द्वारा विश्वविद्यालयों को शैक्षिक सत्र नियमित करने हेतु निदेश दिये गये हैं।

श्री राजधारी–

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री विद्वान हैं, प्रोफेसर भी हैं। आपने 8 अक्टूबर और 12 नवम्बर के शासनादेशों का उल्लेख किया मैं जानना चाहता हूँ कि जो शासनादेश आपने जारी किये हैं उसका महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में कितना प्रभाव रहा और यदि उक्त निर्देशों के बावजूद भी सत्र नियमित नहीं हुये तो शासन सत्र नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, आपके माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के सत्र नियमित करने की दृष्टि से कई कदम उठाये हैं जब मैं पिछली बार मंत्री बना उसी समय कई विश्वविद्यालयों के सत्र अनियमित थे उसको नियमित करने के लिए एक महीने के अन्दर सभी कुलपतियों से सत्र नियमित करने के लिए अनुरोध किया गया था। शासन स्तर से एकेडमिक कलेन्डर बनाकर सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि 31 अगस्त तक सारे प्रवेश हो जायें 20 अप्रैल तक परीक्षायें हो जायं, 15 जून तक परीक्षाफल निकल जाय। उसके बाद 15 जून को प्रदेश सरकार ने कुलपतियों को बुलाया उसमें महामहिम कुलाधिपति ने मार्ग निर्देशन किया था और माण्डल एकेडेमिक कलेन्डर को सारे विश्वविद्यालयों ने स्वीकार किया था। मान्यवर, 14 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में आते हैं जिसमें से 10

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालयों में सत्र पूरी तरह नियमित है। 4 विश्वविद्यालयों में कुछ पीछे हैं इन चारों में स्नातक स्तर तक सत्र ठीक है स्नातकोत्तर स्तर का सत्र पीछे चल रहा है। प्रदेश सरकार का प्रयास है विश्वविद्यालयों के सत्र पूरी तरह से नियमित कर दिये जायं।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम बिन्दुओं पर चर्चा की सत्र नियमित होने का तात्पर्य यह है कि समय के अन्दर प्रवेश हो जायं और परीक्षाफल घोषित हो जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जिन 14 विश्वविद्यालयों की बात कही और उनमें से जो चार विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित नहीं है। वह कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं और आपके निर्देश के बावजूद भी यदि इनमें सत्र नियमित नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत हैं कि विश्वविद्यालय आटोनामस, स्वायत्त शासी संस्थायें है फिर भी शासन का कर्त्तव्य है कि जो छात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं उनके समय की बर्बादी न हो मान्यवर, इसीलिए सरकार ने अनेक विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित करने का प्रयास किया है और सत्र नियमित हुये। यह जो चार विश्वविद्यालय हैं उनमें से लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर तक नियमित है। स्नातकोत्तर अभी नियमित नहीं है, कुमाऊं विश्वविद्यालय एक माह पीछे है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी० एड० और ला एक वर्ष पीछे है। विश्वविद्यालयों में परीक्षायें हो रही है। विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद सभी कुलपतियों के साथ बैठक करके आगामी सत्र को सरकार नियमित करने के लिए प्रयास करेगी।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह प्रश्न दो भाग में था पहला सत्र नियमित करने के बारे में और दूसरा बेहतर परिणामों के लिए विशेष कार्य योजना लागू करने के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि विशेष कार्य योजना लागू करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? अध्यापक उपस्थित हों महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता न हो, इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए कोई विशेष कार्य योजना है। यदि हां तो वह क्या है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सत्र नियमित करने के साथ गुणवत्ता भी जुड़ी है। गुणवत्ता के लिए कई कदम उठाये गये हैं सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे, छात्रों की उपस्थिति होगी तब वह परीक्षा में बैठेगें। प्रतिशत तय कर दिया है। पहले जीरो प्रतिशत पर परीक्षा में बैठ जाया करते थे इसलिए शासन स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया है कि 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है विशेष परिस्थिति में इसमें 15 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।

दूसरे गुणवत्ता की दृष्टि से उच्चतर मेरिट वाले छात्रों का हर विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन-पाठन तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक शिक्षकों की कमी दूर नहीं होगी। पिछले सवा साल के अन्दर राजकीय महाविद्यालयों के अन्दर काफी शिक्षकों के पद रिक्त थे। प्रारम्भ में हमने 135 पद शिक्षकों के भरे, पुनः 267 पदों पर तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति राजकीय महाविद्यालयों में करायी गयी। राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पद नियमित ढंग से नहीं भरे गये थे, एक्टिंग प्रिंसिपल काम कर रहे थे, मैंने डी० पी० सी० करायी और 75 प्रवक्ताओं को प्राचार्य के पद पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रमोट किया गया। अब स्थिति यह है कि कुछ महाविद्यालयों को छोड़कर सारे राजकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हो गयी है। अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, सम्भवतः हमारे माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या भाषण कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर के परिपेक्ष्य में ही माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कही है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि मंत्री जी प्रोफेसर थे अब मंत्री हो गये हैं तो क्या इनका पद भर गया है?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सत्र नियमित करने के लिए एकेडमिक कलेण्डर जारी कर दिया गया है। जिन विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं है उसमें मेरठ विश्वविद्यालय भी है। मेरठ विश्वविद्यालय में एम० एस० सी० की प्रवेश परीक्षा के लिए फार्म दाखिल करने की अन्तिम तिथि 9 अगस्त रखी है, उसके बाद फार्मों की स्कूटनी होगी, प्रवेश पत्र प्रेषित किये जायेंगे जिसमें काफी समय लगेगा तो क्या ऐसी स्थिति में वह सत्र नियमित करने की तरफ है या सरकार उस पर विचार कर रही है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने उत्तर में पहले ही कह दिया कि स्नातकोत्तर स्तर में अभी सत्र नियमित नहीं हो पाया है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी डा० डंग जी ने जो प्रश्न किया था उसके बारे में बता दूँ कि युनिवर्सिटी, आटोनॉमस बॉडी है शासन का उसमें कोई रोल नहीं है, हमने पद सृजित कर दिया है उस पर नियुक्ति करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

*श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन महाविद्यालयों में शिक्षक, प्राचार्य एवं पूरा स्टाफ है इसके बावजूद वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या ऐसे महाविद्यालयों में पढ़ाई के लिए कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे? हमारे बलिया के महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सरकार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में सत्र नियमित हो, उसमें बलिया भी सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा में गौरवशाली इतिहास रहा है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। अब मैं तारांकित प्रश्न-3 ले रहा हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 1999 की परीक्षा के लिये कक्षा 9 व 10 (हाईस्कूल) का पाठ्यक्रम

*3—श्री केशो मेहरा—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 की परीक्षा के लिये कक्षा–9 का पाठ्यक्रम कक्षा–10 की हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा से पृथक कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या संगत अधिनियम, विनियमों में तत्सम्बन्धी संशोधन कर उनका गजट में प्रकाशन हो गया है? यदि हां, तो किस तिथि को? यदि नहीं, तो कक्षा–9 के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किये जाने की वैधानिकता क्या है?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)—

जी हां।

जी, हां।

दिनांक 20 जून, 1998 में प्रकाशित।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशो मेहरा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 15 के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा परिषद का है और धारा 16 के अन्तर्गत विनियम केवल पूर्व स्वीकृति से बनाए जाएगें और तदुपरान्त गजट में प्रकाशित किए जाएगें। संशोधनों के विनियम गजट में प्रकाशित करने कें सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा कि 20 जून, 1998 को प्रकाशित हुए हैं। अब कक्षा 9 व कक्षा–10, 20 जून, 1998 से अलग-अलग हो गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दि० 20-6-98 से पूर्व कक्षा–9 व कक्षा–10 अलग नहीं हुई थी लेकिन पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए गए थे पुस्तकें निर्धारित कर दी गई थीं, प्रकाशन के लिए निविदाएं मांगी गई थीं। तो मंत्री जी इस सब कार्यवाही को निरस्त करेंगे?

डा० नैपाल सिंह—

मान्यवर, परिषद् के विनियमन अध्याय–5 में निम्न व्यवस्था है। परिषद द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे जिसको सचिव द्वारा उस परीक्षा को जिसके लिए वह पाठ्यक्रम विहित हैं के दो वर्ष पूर्व जारी किए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न अलग है। मेहरा जी अपने प्रश्न को दुबारा रिपीट कर दें।

श्री केशो मेहरा—

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि 20 जून, 1998 वह तिथि है जिस दिन इन्होंने कक्षा–9 व कक्षा–10 के पाठ्क्रमों को अलग किया था। इसके लिए इन्होंने अध्याय13 में संशोधन किया है। उसके अनुसार कक्षा–9, कक्षा–10 से अलग हो गई। अलग होने के पूर्व जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए गए थे, पुस्तकें निर्धारित कर दी गई थीं व प्रकाशन के लिए निविदाएं मांगी गई तो क्या यह समस्त कार्यवाही अवैध थी? उस कार्यवाही को निरस्त करेंगे?

डा० नैपाल सिंह—

यह कार्यवाही अवैध नहीं है। धारा 7 में मात्र हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा का उल्लेख है। इसमें कही नहीं लिखा कि कक्षा–9 व कक्षा–10 अलग-अलग परीक्षा है। यह आन्तरिक व्यवस्था है। यह दो वर्ष पूर्व ही हो गई थी। इसलिए पूरी जो प्रक्रिया है। वह वैध है।

श्री केशो मेहरा—

पहले आन्तरिक व्यवस्था थी लेकिन जब पाठ्य पुस्तकें अलग-अलग निर्धारित कर दी गई हैं, विषय अलग-अलग हैं फिर भी मंत्री जी कर रहे हैं कि एक है।

डा० नैपाल सिंह—

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के अधीन हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा का उल्लेख है। इसमें कक्षा–9 व कक्षा–10 के लिए अलग-अलग उल्लेख नहीं है। यह एक आन्तरिक व्यवस्था है। इसमें आन्तरिक निर्णय लिया गया।

*श्री केशो मेहरा–

मान्यवर 20 जून, 1998 से उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अध्याय 13 के विनियमन में संशोधन किया गया और उसे गजट में प्रकाशित भी कर दिया गया और परीक्षा के संचालन का अधिकार विद्यालय को दे दिया गया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि तत्सम्बन्धी विनियमों में संशोधन कर दिया गया है। अध्याय 5 के बिन्दु 5 जो विनियमों से संबंधित है, मैं यह स्पष्ट लिखा है कि उक्त परीक्षा को जिसके लिये पाठयक्रम विहित किये गये हैं, तिथि से लगभग 2 वर्ष पूर्व जारी किये जायेंगे क्या माननीय मंत्री जी 20 जून, 1998 को कक्षा 9 का पाठ्यक्रम गजट किये जाने के कारण अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार लगभग 2 वर्ष समय सीमा के कारण कक्षा 9 की परीक्षा नये पाठ्यक्रम 2000 में लेंगे, यदि नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष–माननीय मंत्री जी इस विषंगति को स्पष्ट कर दें।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का उत्तर तो आने दीजिये। आप लोग कृपा करके बैठ जायें।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, हाईस्कूल की परीक्षा 2000 में होगी। अभी हम 9वीं की परीक्षा ले रहे हैं। नियम 5 को मैं पढ़कर सुना रहा हूँ "चूँकि हाईस्कूल की नवीन परीक्षा प्रणाली वर्ष 2000 की परीक्षा से लागू होगी अतः उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत 23 जून, 1998 से पाठ्यक्रम प्रकाशित हो जाने चाहिए। इस प्रकार 9वीं कक्षा का पाठ्यक्रम 4 अप्रैल, 1998 से तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम 27 जून को तथा विनियमन संशोधन दिनांक 20 जून 1998 को प्रकाशित कर दिया गया है। दो वर्ष से पहले किया गया है। इसमें एक शब्द और है "लगभग" इसलिये दो वर्ष से पूर्व भी हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशो मेहरा–

4 अप्रैल, 1998 को विज्ञाप्ति हुई है..

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न संख्या–।

तारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के आई० ए० एस० अधिकारियों के निजी आवासों की लागत की जाँच तथा उनके नाम आवंटित सरकारी आवासों के निरस्तीकरण की मांग

*।–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कितने ऐसे आई०ए० एस० अधिकारी हैं जिनके अपने मकान लखनऊ में हैं और वे सरकारी आवासों में रहते हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के मकानों की लागत की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी और उन्हें आवंटित सरकारी आवास निरस्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह प्रश्न पहले चार बार लैप्स हो चुका है। अबकी यह शासन को 22-5-98 को भेजा गया था। मान्यवर, सरकार लखनऊ में बैठी है लखनऊ के आई०ए०एस० अधिकारियों से संबंधित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मंत्री जी जरा इसको दिखवा लीजियेगा यह केवल लखनऊ का मामला है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपसे एक निवेदन है कि आज 14 तारीख है और 23 तारीख तक सदन है। सात दिन का समय इनके पास है। मान्यवर 7 दिन में उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको अगले सप्ताह तक करवा दीजिये। केवल लखनऊ से संबंधित है।

*लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)

मान्यवर, इतनी जल्दी नहीं हो पायेगा। जितने लोग हैं उनको ढूँढ़ना पड़ेगा, जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी उनकी आय के बारे में। फिर कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है इस कारण से समय लग जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह सरकार को 22 जून को गया और आज 14 तारीख हो गयी। जो आई०ए०एस० अधिकारी इस प्रश्न से संबंधित हैं उनके पास कोई पत्र शासन की ओर से गया है यह जानकारी प्राप्त करने के लिये कि आप लखनऊ में तैनात हैं, आपके पास मकान है कि नहीं?

श्री कलराज मिश्र–

इस सम्बन्ध में जानकारी करा कर बता देंगें।

श्री अध्यक्ष–

इसको अगले मंगलवार तक के लिये स्थगित कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, 1998 के लागू होने के बाद पकड़े गये छात्र एवं अध्यापकों का विवरण

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 के लागू होने के बाद कितने छात्र एवं अध्यापक पकड़े गये और उनमें कितने-कितने जेल भेजे गये? क्या सरकार ने ऐसे पकड़े गये छात्रों के विरुद्ध न्यायालयों में केसों की परीक्षण की अवधि तय की है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक पकड़े गये छात्रों/अध्यापकों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालयों में दाखिल कर दिया गया है? कितने मामलों की विवेचना लम्बित है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से संबंधित है इसलिये सूचना एकत्र करने में समय लगेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप विधिवेत्ता हैं। जब एरेस्ट होता है उसके पास जो चीज होती है वह सब्जेक्ट मैटर आफ द प्रापर्टी माना जाता है। जब ट्रायल होता है तो उसके कोई समय नहीं होता है। हमारे यहाँ तो छात्र अध्यापक पकड़े गये हैं उनके लिये कोई समय समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर 4/6 साल तक ट्रायल होता रहेगा तो उनका भविष्य खतरे में हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें कितने छात्र और छात्राएं इस उद्देश्य के अन्तर्गत पकड़े गये और उन्होंने स्वीकार कर लिया? जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो यह भी अवश्य बता दें।

श्री अध्यक्ष–

इसको अगले मंगलवार के लिये स्थगित कर देते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि विभिन्न जनपदों में कोई पत्र इस आशय का गया है कि नहीं। मंत्री जी इसकी सूचना एकत्र करके बता देगें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि यह पूरे प्रदेश के विद्यालयों, डिग्री कालेजों, टेक्नीकल कालेजों से संबंधित है। इतना व्यापक प्रश्न है कि इसमें समय लगेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप अनुमति दें तो एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि अनुचित साधन में जब कोई लड़का पकड़ा जाता है तो डी० आई० ओ० एस० के यहाँ सूचना चली जाती है कि इतने लड़के पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपके यहाँ कोई मानिटरिंग तो होगी जिससे पता चलता होगा कि इतने लड़के पकड़े गये। ऐसी सूचना तो होगी। अगले मंगलवार तक प्रयास कर लीजियेगा।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त हजारों पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जानकारी

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों के हजारो पद रिक्त हैं जिससे शिक्षा पर विपरीत असर पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

डा० नैपाल सिंह–

अशासकीय तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:–

(क) स्नातक वेतनक्रम में विज्ञान के रिक्त पदों पर अर्ह सेवा निवृत्त अध्यापकों को सीमित अवधि के लिए कान्ट्रेक्ट के आधार पर शिक्षण कार्य कराने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया है जिसके द्वारा रिक्तियों के प्रति चयन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने पद अलग-अलग रिक्त हैं। उत्तर के "क" भाग में मंत्री जी ने बताया है कि "स्नातक वेतनक्रम में विज्ञान के रिक्त पदों पर अर्ह सेवा निवृत्त अध्यापकों को सीमित अवधि के लिए कान्ट्रेक्ट के आधार पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

शिक्षण कार्य कराने के लिए आदेश जारी किये गए हैं।'' मैं जानना चाहता हूँ कि विज्ञान विषय के लिए कान्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्तियां देने की बात कही गई है अन्य विषयों के लिए क्यों नहीं ?

डा० नैपाल सिंह–

हाई स्कूल तक विज्ञान कम्पलसरी कर दिया गया है। इसलिए विज्ञान के अध्यापकों की आवश्यकता अधिक है। प्रदेश में कान्ट्रेक्ट बेसिस पर अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। मान्यवर जिनकी नियुक्ति की जानी है कुल 981 है पहली तारीख को आदेश लागू हो गया है स्ट्राइक की वजह से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैने प्रश्न क्या किया और मंत्री जी ने उत्तर क्या दिया ?

श्री अध्यक्ष–

आपने कार्यवाही के बारे में पूछा तो उन्होंने संक्षिप्त रूप से बता दिया।

श्री मुन्ना चौहान–

विज्ञान विषय की आवश्यकता को देखते हुए कान्ट्रेक्ट बेसिस पर अध्यापकों को रखने की व्यवस्था सरकार ने की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कान्ट्रेक्ट बेसिस पर अध्यापकों को रखा जाना है तो इसके लिए नियुक्ति के लिए कौन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है? कौन नियुक्ति करेगा, क्या इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं या नहीं? या यह सिर्फ नीतिगत फैसला है।

डा० नैपाल सिंह–

नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गये हैं जिला विद्यालय प्रबन्ध तंत्र से उन नियुक्तियों को कराया जाएगा।

श्री लालमणि–

माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के कितने पद हैं? उनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों का कोटा भरने के लिए कोई कार्यक्रम चलायेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिला विद्यालय प्रबन्धतन्त्र से उन नियुक्तियों को कराया जायगा।

श्री लाल मणि–

माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के कितने पद हैं? इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों का कोटा करने के लिए कोई कार्यक्रम चलायेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश में 5,000 प्रधानाचार्य के पद हैं। 600 रिक्तियां हैं इसमें आरक्षण लागू होगा।

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि काफी प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया है इसलिए भर्ती नहीं हो रही है और शिक्षा में बाधा हो रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अध्यापक के पद रिक्त हैं उन रिक्तियों को भरने के लिए क्या सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करेगी?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, चयन बोर्ड का गठन हो गया है और इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है और जो टोटल रिक्तियां हैं प्रदेश में वह सात हजार नौ सौ पंचानबे हैं। अधियाचन जितने हैं उनकी विज्ञप्ति निकल जायेगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर के खण्ड "क" और "ख" में बताया है कि चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है और रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इन रिक्तियों को भरने के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जा रही है क्या कोई समय सीमा उसके लिए निर्धारित की गयी है?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसमें दस नम्बर का इन्टरव्यू भी है इसलिए कोई समय सीमा का उल्लेख करना कठिन होगा हम शीघ्रातिशीघ्र इसे कर देंगे।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षकों को महंगाई भत्ता देने की योजना

*4–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षकों को डी० ए० (महंगाई भत्ता) न देकर सरकार प्रयोगात्मक परीक्षकों को विद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों के ऊपर निर्भर कर देती है? क्या सरकार इन परीक्षकों को डी० ए० (महंगाई भत्ता) देने की योजना पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

जी, नहीं।

ऐसे पारिश्रमिक कार्यों के लिये महंगाई भत्ता देय नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, जो मेरा मूल प्रश्न है कि इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के समय जो अध्यापक प्रेक्टिकल इग्जाम कन्डक्ट कराने के लिए जाते हैं उनको डी० ए० न मिलकर, वे क्या विद्यार्थियों के अभिभावकों के रहमों करम पर छोड़ दिये जाते हैं? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "जी नहीं" इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। जब माध्यमिक स्तर के छात्रों से पूरी फीस ली जाती है।

और कोई अध्यापक फैजाबाद से लखनऊ आया और कोई भोजन या जलपान करे तो उसके लिए उसे महंगाई भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उनको विद्यार्थियों के अभिभावकों के रहमों करम पर छोड़ दिया जाता है?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य महोदय से क्षमा मांगते हुए कहना चाहूँगा कि महंगाई भत्ता और डी० ए० में फर्क है। डी० ए० रुकने पर दिया जाता है। वैसे जो आपने कहा है कि डी० ए० की व्यवस्था होनी चाहिए तो इसमें हम विचार कर लेंगे।

लोहाघाट, जिला चम्पावत के लिये रज्जु मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

*5–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोहाघाट, जिला–चम्पावत के लिए रज्जु मार्ग बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से यह मार्ग बनना आरम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

रज्जु मार्ग का निर्माण तकनीकी रूप से जटिल, अधिक लागत वाला होने व अर्धक्षम न होने के कारण सम्प्रति विचार योग्य नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, भविष्य में जो योजनाएं बना रहे हैं उसके आधार पर क्या रज्जु मार्ग बनाने की योजना पर्वतीय क्षेत्र में होगी?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, जिस तरह से आर्थिक संसाधन की आवश्यकता उसके लिए है उतने नहीं उपलब्ध हो सकेंगे जिसके कारण वह सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके पहले जिन पर सर्वेक्षण कराया क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऐसा है जिसमें पर्यटन को ज्यादा विकसित किया जा सकता है। उसी दृष्टि से हमने कुछ क्षेत्रों में कोशिश की, कि रज्जु मार्ग की दृष्टि से उसके अध्ययन के कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। उसकी लागत जो सारी आयी है और जो आय है दोनों के बीच इतना घाटा है कि वह कर सकने में अर्थक्षम है। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

जनपद हरिद्वार में कुम्भ मेला 1998 में नव-निर्मित सेतुओं का लोकार्पण

*6–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा 30-4-98 को हरिद्वार में कुम्भ मेला, 1998 के कार्यों के अन्तर्गत नव-निर्मित सेतुओं का लोकार्पण किया गया था? यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम हेतु जनपद के विधायकों को आमंत्रित किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी हाँ।

श्री अम्बरीश कुमार–

मान्यवर, सूचना देने की विधि क्या थी और उसके लिए जिम्मेदार कौन है?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, वह दो दिन पहले ही कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ जो सामान्य तौर पर प्रशासन द्वारा जन-प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है वह दी गयी होगी। विभाग की तरफ से निमंत्रण-पत्र छपवाकर समूहिक भिजवा दिए जाएं यह निर्देश दिए गये। यह पता लगा कि आपके यहाँ निमंत्रण पत्र भिजवा दिया गया था। मैंने वहां लोगों से पूछा था, अम्बरीश जी और हमारे सांसद भी नहीं आये थे उन्होंने बताया कि सूचना तो मिली लेकिन लेट मिली। समय की कमी के कारण ऐसा हो सकता है कि तत्काल आपको नहीं मिल पायी हो।

श्री अम्बरीश कुमार–

मान्यवर, वहां के 3 विधायकों को सूचना नहीं थी जबकि 3 भूतपूर्व विधायक कार्यक्रम में मौजूद थे। जो जिम्मेदार लोग हैं मंत्री जी को उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री कलराज मिश्र–

भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी हम स्वयं चिन्ता करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, विशेष वाहक या फैक्स द्वारा सूचना दी जा सकती थी। जन-प्रतिनिधियों की आज लगातार उपेक्षा हो रही है, मंत्री जी इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इस पद्धति में सुधार करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में अगर कोई सार्वजनिक कार्यों का लोकार्पण कोई माननीय मंत्री जी करते हैं तो उस समारोह की अध्यक्षता उस विधायक से तथा पत्थर के शिलालेख में उनका भी नाम अंकित करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय टिहरी में प्रवक्ता रीडर व प्रोफेसर के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

*7–श्री लाखीराम जोशी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, टिहरी में किन-किन विषयों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत पदों पर नियुक्त प्रवक्ता/रीडर/प्रोफेसर टिहरी परिसर में ही तैनात हैं? यदि नहीं, तो वे वर्तमान में कहां नियुक्त/समायोजित हैं? क्या टिहरी परिसर के लिए नियुक्त अध्यापकों/कर्मचारियों को नियुक्ति के स्थान पर कार्य करने हेतु सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर में विभिन्न विषयों में निम्न पद स्वीकृत हैं :–

क्र० सं०	विषय	स्वीकृत पद
1	भौतिकी	5
2	रसायन	3
3	गणित	5
4	जन्तु विज्ञान	4
5	वनस्पति	2
6	भूविज्ञान	...
7	भूगोल	4
8	सांख्यिकी	1
9	अर्थशास्त्र	3
10	अंग्रेजी	4
11	हिन्दी	2
12	इतिहास	1
13	समाजशास्त्र	2
14	संस्कृत	1
15	गृह विज्ञान	...
16	राजनीतिशास्त्र	1
17	वाणिज्य	6
18	शिक्षा	7
19	विधि	3
	कुल	54

जी हां। केवल भौतिकी विभाग के एक उपाचार्य पौड़ी परिसर में, रसायन विभाग के एक प्रवक्ता श्री नगर परिसर में, भूगोल विभाग के एक प्रवक्ता श्रीनगर परिसर में, तथा वाणिज्य विभाग के दो रीडर श्रीनगर परिसर में कार्यरत हैं।

टिहरी परिसर के उक्त कथित पद विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरुप अन्य स्थान पर कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*श्री लाखी राम जोशी—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या टिहरी परिसर के लिए नियुक्त अध्यापकों/कर्मचारियों को नियुक्ति के स्थान पर कार्य करने हेतु सुनिश्चित किया जायेगा तो उत्तर आया है कि टिहरी परिसर के उक्त कथित पद विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप अन्य स्थान पर कार्यरत है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर टिहरी परिसर में आवश्यकता नहीं थी तो वहां पद क्यों सृजित किये गये और अगर स्वीकृत किये गये हैं तो उनको दूसरे परिसरों में क्यों समायोजित किया गया है अगर दूसरे परिसरों में आवश्यकता थी तो वहां पर क्यों पद स्वीकृत नहीं किये गये? दूसरे परिसरों में समायोजित करने का क्या औचित्य है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है शिक्षकों के समायोजन की वहां पर आवश्यकता होगी। मात्र कुछ ही शिक्षकों को दूसरे परिसर में रखा गया है। माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि टिहरी परिसर में जो पद रिक्त हैं उन पर विश्वविद्यालय ने बताया है कि टिहरी परिसर से ही उनको भरा जायेगा।

श्री लाखी राम जोशी—

मान्यवर, जो टिहरी परिसर के लिए पद स्वीकृत हुए हैं उनकी वहां पर आवश्यकता थी, अगर उनकी आवश्यकता नहीं थी तो पद स्वीकृत क्यों किये गये और जब स्वीकृत किये गये तो उन पदों पर जो अध्यापक कार्यरत हैं उनको सुनिश्चित किया जायेगा कि वह टिहरी परिसर में ही पढ़ायें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, विश्वविद्यालय एक इकाई है उसके 3 परिसर हैं। विश्वविद्यालय ने आवश्यकता अनुसार कुछ लोगों को टिहरी परिसर में दूसरी जगह पर कर रखा है। मैं परीक्षण करा लूँगा अगर वहां आवश्यकता नहीं होगी तो वहां के विश्वविद्यालय से इस सम्बन्ध में वार्ता हो जायेगी।

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि विश्वविद्यालय में अपनी जरूरत के मुताबिक टिहरी परिसर के अध्यापकों को श्रीनगर में, पौड़ी परिसर में वहां की आवश्यकता के अनुरूप तैनात कर दिया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार यदि टिहरी परिसर से बाहर दूसरी जगह तैनात किया गया है तो क्या टिहरी परिसर में अध्यापकों की आवश्यकता नहीं थी और यदि आवश्यकता नहीं थी तो उन पदों का सृजन क्यों किया गया और यदि वहां पर आवश्यकता है तो क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि उनको टिहरी परिसर में ही तैनात किया जाय?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, मैं इसका परीक्षण करा लूँगा।

---

* नोटः-वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, जो पद टिहरी परिसर के लिए स्वीकृत किये गये थे अगर वहां पर आवश्यकता नहीं थी तो पदों का सृजन क्यों किया गया, किस व्यक्ति की गलती से किया गया? जब टिहरी परिसर में आवश्यकता नहीं थी तो वहां पर पदों का सृजन क्यों किया गया?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, पदों का सृजन आवश्यकता के अनुरूप किया गया था। विश्वविद्यालय पूरी एक इकाई है, इसलिए वहां आवश्यकता ज्यादा होगी इसलिए कर दिया गया होगा कि कुछ समय के लिए समायोजित कर लिया जाय अब जैसा कि मैंने कहा है कि परीक्षण कर लूँगा।

श्री लाखीराम जोशी—

मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि वहां पर हर साल छात्रों द्वारा आन्दोलन किया जाता है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनको लिखित में दे दिया जाता है कि अन्य परिसरों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनको वापस भेज दिया जायेगा, लेकिन इस आश्वासन का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है। मैं जानना यह चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को दिये गये लिखित आश्वासन का पालन सुनिश्चित कराने का सरकार प्रयास करेगी?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, 54 अध्यापकों में मात्र कुछ अध्यापकों को अन्यत्र किया गया है। मैंने पहले ही कहा कि पूरे मामले का परीक्षण करा लूँगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

ग्रामीण पत्रकारों की मांग के संदर्भ में गठित चार सदस्यीय समिति की रिपोर्ट

*8–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 मई, 1993 में ग्रामीण पत्रकारों की मांग के संदर्भ में गठित चार सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु क्या थे? क्या सरकार ने उन सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार पत्रकारों के मान्यता संबंधी शासनादेश संख्या–683/उन्नीस–1-94-38/95, दिनांक 14 मार्च, 1995 में संशोधन कर उन स्थानों के सभी पत्रकारों को मान्यता प्रदान कर सुविधा देगी जो जनपद से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्रों के संवाददाता हैं?

श्री कल्याण सिंह–

ग्रामीण पत्रकारों की मांग के संदर्भ में गठित चार सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु–1 से 4 निम्नवत हैं :–

1—बिन्दु 1 और 2 के संबंध में समिति ने यह बताया कि अभी तक चूँकि अखिल भारतीय स्तर के ही संगठनों को प्रेस तथा विज्ञापन मान्यता समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है, लेकिन एक प्रान्तीय संगठन, "उत्तर प्रदेश हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन" को किन परिस्थितियों में प्रेस तथा विज्ञापन मान्यता समितियों में प्रतिनिधित्व दिया गया, इसके बारे में समिति को शासन द्वारा कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति ने यह संस्तुति की कि इस प्रश्न पर शासन स्वयं कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

---

*नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

2—तहसील अथवा समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के पत्र-प्रतिनिधियों को मान्यता देने पर समिति ने सहमति व्यक्त की और यह संस्तुति की कि इस प्रश्न को पूर्ण प्रेस मान्यता समिति के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

3—तहसील, ब्लाक स्तर अथवा समाचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त समाचारपत्रों के संवाददाताओं की सूची जिला सूचना कार्यालय में रखी जाय एवं इसकी प्रति जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को भी दी जाय। इसके अतिरिक्त जिला सूचना कार्यालय इस सूची की एक-एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्र के परगना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी देंगे।

इस सूची में वर्णित पत्रकारों के खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही करने के पूर्व इसकी सूचना जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाय।

परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश के वनों में शेरों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों की जानकारी

*9—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के वनों में शेरों का अस्तित्व खतरे में है? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी शेरों की संख्या में एक तिहाई की कमी हुई है? यदि हां, तो सरकार शेरों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कोई उपाय कर रही है? यदि हां तो क्या? इस कार्य योजना का क्या प्रारूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा) —

जी नहीं, प्रदेश के वनों में शेरों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।

जी नहीं। गत वर्षों की गणना के निम्नलिखित आँकड़ों के अनुसार शेरों की संख्या में कथित कमी नहीं हुई है:—

वर्ष	शेरों की संख्या
1993	465
1995	424
1997	475

शेरों को संरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत कार्बेट एवं दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सहयोग से इको-डेवलपमेन्ट योजना को और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रों की सीमा पर बसे स्थानीय निवासियों के आर्थिक विकास के कार्यों यथा वैकल्पिक ऊर्जा के साधन जैसे धूम्ररहित चूल्हा, सोलर कुकर वितरित करना, ईधन चारे की प्रजातियों के निजी भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ाना, कृषि भूमि में भू-क्षरण रोकना, जल संरक्षण एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि में सहायता, पालतू पशुओं के नस्ल सुधार, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना आदि है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न राज मार्गों पर बढ़ते यातायात की वजह से दुर्घटनाओं को देखते हुये मार्गों को चौड़ा करने की योजना

*10–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राज मार्गों पर बढ़ते यातायात तथा दुर्घटनाओं को देखते हुए उक्त मार्गों को चौड़ा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? उस पर कुल कितना व्यय अनुमानित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी, हाँ।

प्रदेश के कम से कम 500 कि० मी० राज्य मार्गों के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव एवं आगणन बनवाये जा रहे हैं। लगभग 35.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय लखनऊ का स्थानान्तरण

*11–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ का स्थानान्तरण रामपुर करने के लिए शासन को अपनी प्रबल संस्तुति दी गयी है जबकि रामपुर में संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी हाँ।

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर में उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक की तैनाती न होने के कारण उत्पादन/कार्य प्रभावित हो रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य मे निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के रूप में संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ का स्थानान्तरण रामपुर किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके लिए किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद गोण्डा के मनकापुर में स्थित वन निगम डिपो (रामगढ़–टिकरी) में क्षेत्रीय जनता को आवश्यकतानुसार राशनकार्ड पर लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग

*12–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपा बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर में स्थित वन निगम डिपो (रामगढ़-टिकरी) में क्षेत्रीय जनता को आवश्यकतानुसार लकड़ी, राशनकार्ड पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था को कब तक लागू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? वर्ष 1995 से 1998 मार्च तक कितने व्यक्तियों को वन निगम द्वारा लाभ दिया गया?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

रामगढ़ टिकरी डिपों से लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रीय जनता को निर्धारित मात्रा में राशनकार्ड पर लकड़ी उपलब्ध करायी जाती है।

लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर यह व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1995 से 1998 मार्च तक कुल 1688 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

जनपद सीतापुर में चहलारी घाट पर सेतु निर्माण

*13—डा० अम्मार रिज़वी—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1979 में चहलारी घाट, सीतापुर पर एक सेतु बनने की स्वीकृति दी गयी थी, जिसे वर्ष 1992 में वापस ले लिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल के निर्माण की स्वीकृति पुनः जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

स्वीकृति 1989 में दी गई थी, जिसे वर्ष 1992 में निरस्त किया गया।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के भूतपूर्व विधायकों अथवा सांसदों से दिल्ली स्थित उ०प्र० भवन तथा लखनऊ स्थित सरकारी अतिथि गृहों में 450 रु० प्रतिदिन किराया लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*14—डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश भवन में अब भूतपूर्व विधायकों, सांसदों के लिए ठहरने का किराया रुपया 450 प्रतिदिन कर दिया गया है और लखनऊ स्थित सरकारी अतिथि गृहों में वर्तमान विधायकों के लिए भी ठहरने का किराया रुपया 450 प्रतिदिन कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या यह सही है कि शासकीय अधिकारियों के लिए इन्हीं दोनों स्थानों पर किराया मात्र रुपया 25 प्रतिदिन लिया जाता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

शासनादेश संख्या एम–9362/32-3-98, दि० 31-3-98 के साथ पठित शासनादेश संख्या एम–6051/32-3-98, दि० 4-6-98 द्वारा दिल्ली स्थित उ०प्र० भवन में भूतपूर्व विधायकों, सांसदों के लिये ए/सी सिंगल कक्ष का किराया 60/- रु०, तथा ए/सी डबल कक्ष का किराया 75/- रु० प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार लखनऊ स्थित राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग तथा विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग में मा० वर्तमान विधायकों के लिये नान ए/सी सिंगल कक्ष का किराया 20/- रु०, नान ए/सी डबल कक्ष का किराया 25/- रु०, ए/सी सिंगल कक्ष का किराया 25/- रु० तथा ए/सी डबल कक्ष का किराया 30/- रु० निर्धारित है।

शासनादेश दि० 31-3-98 के अनुसार लखनऊ/दिल्ली स्थित अतिथि गृहों में प्रवास हेतु उन महानुभावों को पात्र नहीं माना गया है, जिन्हें क्रमशः लखनऊ/दिल्ली में शासकीय आवास आबंटित है। तथापि यदि सम्बन्धित महानुभाव के अनुराध पर अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्हें लखनऊ/दिल्ली स्थित किसी अतिथि गृह में कोई कक्ष आबंटित किया जाता है, तो उनसे कक्ष का किराया उसी दर पर चार्ज करने की व्यवस्था है जो "अन्य व्यक्तियों" के लिये देय है।

उपर्युक्त व्यवस्था शासकीय अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू है।

प्रदेश में ऋण अदायगी न कर पाने के कारण अधिगृहीत की गयी मिनी सीमेन्ट प्लान्ट इकाइयों को बेचे जाने के कारण हुयी हानि की जानकारी तथा बन्द पड़ी इकाइयों को चालू करने की मांग

*15—श्री बालचन्द्र मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत दो वर्षों में ऋण अदायगी न कर पाने के कारण अधिग्रहीत की गयी मिनी सीमेन्ट प्लान्ट इकाइयों में से कितनी बेच दी गयी हैं? क्या सरकार बतायेगी कि इन इकाइयों के बन्द पड़े रहने से शासन को प्रति वर्ष कितने धन की हानि हो रही है? विगत दो वर्षों में सीमेन्ट प्लान्ट की कितनी इकाइयों को फाइनेन्स किया गया? उक्त प्रोजेक्ट करते समय क्या पूर्व में स्थापित मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की इकाइयों की वायविलिटी के परिपेक्ष्य में नई स्थापित की जाने वाली इकाइयों की वायविलिटी का परीक्षण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

अधिग्रहीत की गयी 8 इकाइयों में से केवल एक इकाई का विक्रय किया गया है।

कोई हानि नहीं हुई है।

43 इकाइयों को।

जी, हां।

*16—श्री श्रीराम पाल—

[6ठे शुक्रवार में ता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव में वर्ष 1997-98 में राज्य योजना के अन्तर्गत भगवन्त नगर बारा मार्ग, चमयानी-त्रिपुरारपुर मार्ग व बीघापुर कटाव मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

*17—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में राज्य योजना के अन्तर्गत उन्नाव जनपद के भगवन्त नगर बारा मार्ग हेतु रुपया 20 लाख, चमयानी-त्रिपुरारपुर मार्ग हेतु रुपया 20 लाख एवं बीघापुर कटाव मार्ग के निर्माण हेतु रुपया 8 लाख का प्राविधान किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हां।

पूर्ण धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी।

मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा

*18—श्री राम नक्षत्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी, नहीं।

इसका कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश की सड़कों के निर्माण हेतु सरकार की नीति की जानकारी

*19—श्री बी० आर० वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु कोई नीति बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्या कोई नीति बनायी जायेगी? क्या उस नीति के अनुसार अधूरी सड़कों (जिस पर पत्थर की गिट्टी पड़ी हो) को पूरा करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में किया गया है? यदि हां, तो किन-किन सड़कों पर? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इन विगत कई वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कों हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रदेश में सड़कों के निर्माण हेतु नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग को असुरक्षित घोषित किये जाने के उपरान्त उनके अध्यासियों को अन्यत्र भवन आबंटित किये जाने की मांग

*20—श्री राजेश अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या उसके अध्यासियों को कहीं अन्यत्र भवन आबंटित किये जाने की योजना है? यदि हां, तो कहां? क्या अध्यासियों को नये आवास का

कब्जा दिये जाने के बाद ही आवास खाली कराया जायेगा? यदि नहीं, तो हटाये जाने वाले अध्यासियों को आवास आबंटन के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह—

मोतीझील कालोनी के 40 आवासों को असुरक्षित घोषित किया गया है।

उपरोक्त में से 4 लोगों को सुरक्षित भवन आबंटित किये गये हैं। उनके असुरक्षित आवासों को मरम्मत कराकर 4 अन्य असुरक्षित आवासों के अध्यासियों को भवन आबंटित करते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी असुरक्षित आवासों की मरम्मत कराने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

"अतारांकित प्रश्न"

जनपद आगरा राष्ट्रीय राज मार्ग पर नियुक्त विनोद (बेलदार) के मरणोपरान्त फर्जी रूप से विनोद बन कर गम्भीर नामक व्यक्ति के कार्य करने व तनख्वाह लेने की जांच का मामला

1—डा० राम बाबू हरित—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा, राष्ट्रीय राज मार्ग पर नियुक्त विनोद (बेलदार) कुछ वर्ष पूर्व मर चुका है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसके स्थान पर फर्जी रूप से गम्भीर नामक व्यक्ति विनोद बनकर कार्य कर रहा है? क्या गत चार वर्षों से विनोद के नाम से फर्जी तनख्वाह निकाली जा रही है? यदि हां, तो संबंधित अभियन्ताओं के खिलाफ जांचोपरान्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा के पूर्व लिपिक व वर्तमान प्रवक्ता श्री प्रभुनाथ सिंह के द्वारा फर्जी डिग्री लेने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

2—श्रीमती गौरी देवी—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर के पूर्व लिपिक व वर्तमान प्रवक्ता श्री प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध लिपिक रहकर फर्जी अध्यापक बनकर बी०ए० व एम०ए० (समाज शास्त्र, हिन्दी) परीक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से देने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर को सम्बोधित माह जून, 1997 से माह अक्टूबर, 1997 तक श्री दीप लाल भारती विधायक के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं। उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

डा० नैपाल सिंह—

प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित माह जून, 1997 से माह अक्टूबर, 1997 तक श्री दीपलाल भारती, मा० विधायक का मात्र एक पत्र दिनांक 21-10-97 रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ था।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से आख्या मांगी गयी है।

3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

[दिनांक 7/7/98 को अता० प्र० सं०-30 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से कार्य लिये जाने के स्थान पर शासनादेश निरस्त कर बेरोजगार योग्य युवकों के हित में नया शासनादेश निर्गत करने की मांग

4—श्री परवेज हलीम खां—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से सौ रुपये प्रति लेक्चर तथा अधिकतम पांच हजार रुपया प्रतिमाह अनुबन्ध पर नियुक्ति का शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश को निरस्त कर योग्य बेरोजगार युवको के हित में नया शासनादेश निर्गत करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी, हां।

अब शासनादेश संख्या 467/सत्तर-2-98-3(9)/93 टी० सी०, दिनांक 7-4-98 द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापकों के अलावा उल्लिखित मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु उन सभी व्यक्तियों को रखे जाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करते हैं?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के दूवाबा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा छपरा के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाये के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

5—श्री भरत सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 1998 जो जनपद बलिया के दूवाबा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम दया छपरा के पास गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाने के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हां।

क्षेत्रीय अधिकारियों से परीक्षणोपरान्त आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के दूवाबा विधान सभा क्षेत्र में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग।

6—श्री भरत सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 1998 जो जनपद बलिया के दूवाबा विधान सभा क्षेत्र में मार्ग निर्माण के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से परीक्षणोपरान्त आख्या मांगी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

7—श्री श्रीराम पाल—

[4 थे बुधवार में अता० प्र० सं०–165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन में वर्ष 1997–98 में स्वीकृत सरकारी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अपूर्ण भवनों को पूर्ण किये जाने की मांग

8—श्री श्रीराम पाल—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 1997–98 में स्वीकृत सरकारी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण दिनांक 31–3–98 तक पूर्ण हो चुका है? क्या यह सच है कि जनपद में उक्त वित्तीय वर्ष में निर्मित विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है? क्या फर्श तथा दीवालों पर प्लास्टर एवं दरवाजे खिड़कियों का कार्य अभी नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय जांच दल गठित करके सभी विद्यालय भवनों की जांच करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)—

जनपद में वर्ष 1997–98 में किसी भी राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर कोठी नसीरपुर रोड से तेरिया भवानीपुर तक रोड का निर्माण एवं डामरीकरण कराये जाने की मांग।

9–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर कोठी से नसीरपुर रोड से तेरिया भवानीपुर तक रोड का निर्माण खड़ण्जा लगवाकर 17-18 वर्ष पूर्व कराया गया था? क्या उक्त रोड डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेरिया नजीरपुर रोड से शाहपुर पवार रोड का डामरीकरण कराये जाने की मांग

10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेरिया नजीरपुर रोड से शाहपुर पवार रोड का निर्माण 15-16 वर्ष पूर्व खड़ञ्जा लगवाकर कराया गया था? क्या उक्त रोड डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत नया गांव से दारूकुइयां तक की रोड के डामरीकरण की मांग

11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नया गांव से दारूकुइयां तक 17-18 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ञ्जा लगवाया गया था? यदि हां, तो क्या उसका डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राधोपुर सड़क से ग्राम ठठिया तक की रोड के डामरीकरण की मांग

12–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राधोपुर सड़क से ग्राम ठठिया तक 13-14 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ञ्जा लगवाया गया था? क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर से ग्राम सराय सुल्तानपुर तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

13–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर से ग्राम सराय सुल्तानपुर तक 12-13 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ञ्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां–उन्नाव सड़क से ग्राम सरायगौरी तक की सड़क का डामरीकरण कराये जाने की मांग

14–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मल्लावां-उन्नाव सड़क से ग्राम सरायगौरी तक 10-11 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ञ्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखरीपुर नसीरपुर सड़क से ग्राम तेरया भवानीपुर तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

15–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखरीपुर नसीरपुर सड़क से ग्राम तेरया भवानीपुर तक 9-10 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ञ्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम बढ़नापुर फत्ते मार्ग को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

16—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम बढ़नापुर फत्ते की आबादी एक हजार तीन सौ बीस है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? कब तक उसे मुख्य मार्ग से जोड़ दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत् सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लांवा के ग्राम अकबरपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

17–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम अकबरपुर अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सका है जबकि उक्त ग्राम की आबादी लगभग 2500 है? क्या सरकार उक्त अकबरपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद लखनऊ के लोक निर्माण विभाग को भेजे गये शिकायती-पत्र दिनांक 22-4-98 पर की गयी अनुशासनिक कार्यवाही

18–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 22-4-98 (संलग्नकों सहित) जिसमें श्री वीरेन्द्र कुमार अधि० अभि० क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग किये जाने की जांच वर्तमान पद से हटाकर कराते हुए दोषी अधिकारी को दण्डित करने का अनुरोध किया गया था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

शिकायती-पत्र पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को जाँच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं।

19–श्री राम विशुन आजाद–

[3रे बुधवार में अता० प्र० सं० 122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्डों के प्राइमरी पाठशाला/जू० हाई स्कूल/कन्या जू०हाई स्कूल के अपूर्ण भवनों को पूर्ण किये जाने की मांग

20–श्री उबैदुर्हमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्डों में 1-1-96 से 15-5-98 के बीच में कौन-कौन प्राइमरी पाठशाला/कन्या प्राइमरी पाठशाला/जू० हा० स्कूल/कन्या जू०हा० स्कूल के भवन का निर्माण कराया गया है? क्या भवन के निर्माण की सभी किश्तें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवमुक्त कर दी गयी हैं? यदि हां, तो अवमुक्त धनराशि के विरुद्ध कौन-कौन से भवन के निर्माण का कार्य पूरा करा लिया गया है? कितने भवन का निर्माण कार्य शेष है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद बलरामपुर में 1-1-96 से 15-5-98 के बीच 24 प्राथमिक विद्यालय, 07 जूनियर हाई स्कूल तथा 04 कन्या जूनियर हाई स्कूलों का निर्माण प्रारम्भ है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जी हाँ।

24 प्राथमिक विद्यालय तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 04 कन्या जूनियर हाईस्कूल। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। चार उच्च प्राथमिक विद्यालय। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित सभी अध्यापकों को सेवा में लिये जाने की मांग

21–श्री छोटे लाल गंगवार, मास्टर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित सभी अध्यापकों को सेवा में ले लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक सेवा में ले लिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय भौआ बाजार विकास खण्ड भदपुरा जनपद बरेली के अपूर्ण भवन को पूर्ण किये जाने की मांग

22–श्री छोटे लाल गंगवार, मास्टर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय भौआ बाजार विकास खण्ड भदपुरा जनपद बरेली का भवन निर्माण संयुक्त खाता ग्राम प्रधान व स०अ० सियाराम ने बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बरखन में खोलने के आदेश दिनांक 5–8–97 को बेसिक

शिक्षा अधिकारी, बरेली ने दिये हैं? यदि हां तो अब तक विद्यालय भवन निर्माण क्यों नहीं किया गया? सरकार कब तक उसका निर्माण करा देगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हाँ।

ग्राम बरसिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में ग्राम बरसिया के प्रधान द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं० 30977/97 में दिनांक 16–9–97 को दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भौआ बाजार में उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं किया जा सका। ग्राम बरसिया में भवन निर्माण प्रारम्भ कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में प्राथमिक विद्यालय, नगर क्षेत्र बरौनी सण्डीला में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में बी० एस० ए० को दिनांक 11 मई, 1998 को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

23—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उनको सम्बोधित एवं बी० एस० ए० हरदोई को पृष्ठांकित प्रार्थी क विद्यालय, नगर क्षेत्र बरौनी सण्डीला जनपद हरदोई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 मई, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

यद्यपि जांच आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये तथापि जनहित में प्राथमिक विद्यालय बरौनी नगर क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई के समस्त अध्यापकों का स्थानान्तरण नगर क्षेत्र के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में कर दिया गया है तथा शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र सण्डीला का प्रभार उप बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त इस्लामिया जूनियर हाई स्कूलों को जनपदवार इस वित्तीय वर्ष में अनुदान सूची में लिये जाने की योजना

24—श्री अफजाल अहमद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल, जनपदवार कितने हैं? इस वित्तीय वर्ष में कितने इस्लामिया जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिए जाने की योजना बनायी गयी है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुसुम कुमारी पुत्री सुभाष यादव का हाई स्कूल परीक्षाफल न घोषित किये जाने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को सम्बोधित पत्र पर की गयी कार्यवाही

25—श्री तेजभान सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को सम्बोधित कुसुम कुमारी पुत्री सुभाष यादव अनुक्रमांक 920848

सन् 1993 की हाई स्कूल परीक्षार्थी,जो दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनिका बाजार में सम्मिलित थी, का दिनांक 17–11–97 तथा 21–7–97 का ट्रेजरी चालान सहित प्रार्थना-पत्र जिसमें हिन्दी द्वितीय प्रश्न-पत्र की अंक तालिका में अंक अंकित न होने के कारण परीक्षाफल घोषित न होने की शिकायत कर परीक्षाफल घोषित करने की मांग है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या इसका अंक जोड़ कर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

दिनांक 21–7–97 को प्रार्थना-पत्र सहित ट्रेजरी चालान प्राप्त हुआ किन्तु संदर्भित द्वितीय प्रार्थना-पत्र दिनांक 17–11–97 क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि संदर्भित प्रकरण परीक्षा वर्ष के तीन कैलेण्डर वर्ष के पश्चात् प्रेषित किया गया। अतः नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

मुख्य अभियन्ता फैजाबाद (लो० नि०) के विरुद्ध जनपद सुल्तानपुर को बजट आवंटन में किये गये गम्भीर भ्रष्टाचारों की जांच एवं कार्यवाही की जानकारी

26—श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 26–11–97 का पत्र जिसमें मुख्य अभियन्ता फैजाबाद (लो० नि०) के विरुद्ध जनपद सुल्तानपुर को बजट आवंटन को एक पक्षीय आवंटन करने का गम्भीर आरोप के साथ उक्त मुख्य अभियन्ता के पूर्व में भी भ्रष्टाचार कदाचार में लिप्त रहने के कारण उनको कभी किसी कार्यकारी जोन पर न रखने के स्पष्ट निर्देश दिये जाने की जानकारी दी गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो फैजाबाद ऐसे प्रमुख जोन में उन्हें मुख्य अभियन्ता बनाये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कलराज मिश्र–

जी, हाँ।

संदर्भगत मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शिकायत-पत्र प्रमुख अभियन्ता को जांच हेतु भेजा गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

27—श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 23/6/98 को अता० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

आगरा मण्डल विकास निगम, आगरा द्वारा संचालित कस्बा-कुसमरा, ब्लाक किशनी जनपद मैनपुरी में स्थित राइस प्लान्ट के बन्द होने तथा नीलाम किये जाने के कारणों की जानकारी।

28—श्री राम औतार शाक्य–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल विकास निगम, आगरा द्वारा संचालित कस्बा-कुसमरा, ब्लाक-किशनी जनपद मैनपुरी में स्थित राइस प्लान्ट बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्यों और कब से? क्या यह सच है कि उक्त राइस प्लान्ट की नीलामी की कार्यवाही हेतु

टेण्डर डाले जा चुके हैं और इस हेतु धन भी जमा कराया जा चुका है? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा और कितना? इस मामले में अब तक नीलामी की कार्यवाही को अन्तिम रूप न दिये जाने का क्या कारण है?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी, हां।

घाटे के कारण 1984 से बंद है।

जी हां। दिनांक 29 सितम्बर, 1997 को पिछली बार टेण्डर डाले गये थे। क्रेता द्वारा बोली के सापेक्ष रुपया 2,08,000 की धनराशि ड्राफ्ट द्वारा जमा की गई थी जिसे कालातीत हो जाने के कारण वापस कर दिया गया।

दिनांक 29 सितम्बर, 1997 को श्री जय कुमार गुप्ता निवासी-कुसमरा द्वारा रुपये 2,08,000 की धनराशि ड्राफ्ट द्वारा जमा की गई थी।

नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली रु० 8.51 लाख का प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1998 को स्वीकृत किया गया। तद्नुसार धनराशि क्रेता पक्षकार से जमा कराने हेतु जिलाधिकारी, मैनपुरी को पत्र लिखा गया परन्तु क्रेता पक्षकार द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गई। सम्पूर्ण धनराशि जमा न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही पूर्ण न हो सकी।

जनपद मैनपुरी के ग्राम नगला मिरकर तोड़तपुर, तहसील भोगांव स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पेन्टिंग स्तर तक पक्की सड़कों से जोड़े जाने की मांग

29–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1997-98 में पक्की सड़कों से जोड़ा गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार वर्ष 1998 में ग्राम नगला मिरकर व तोडतपुर, तहसील–भोगांव जनपद मैनपुरी स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को पेन्टिंग स्तर तक पक्की सड़कों से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर प्रबन्ध समिति/जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर/संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम् मण्डल, गोरखपुर/शिक्षा मंत्री के स्तर पर लम्बित प्रकरण

30–श्रीमती गौरी देवी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित किन-किन हाई स्कूलों व इण्टर कालेजों से संबंधित प्रधानाचार्य पद, प्रवक्ता, एल० टी० ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये वरिष्ठता क्रमों का विवाद प्रबन्धक समिति, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर, संयुक्त निदेशक, सप्तम् मण्डल गोरखपुर, शिक्षा मंत्री (मा०) व न्यायालय स्तर (जिला जज व उच्च न्यायालय) पर विचारर्थ या निर्णयार्थ वर्तमान समय में प्रस्तुत है? न्यायालय के अतिरिक्त विवादों का निपटारा कब तक होने की संभावना है?

डा० नैपाल सिंह–

प्रबन्ध समिति/जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर/संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर/शिक्षा मंत्री (मा०) स्तर पर लम्बित प्रकरणों की संख्या–10 है। (सूची संलग्न है) न्यायालय से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

न्यायालय के अतिरिक्त विवादों का निपटारा शीघ्र किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ .205 पर)

जनपद प्रतापगढ़ में आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में कार्यरत स्थाई, अस्थाई तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विवरण

31–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ में कितने स्थायी/अस्थाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कार्यरत स्थाई अधिकारी/कर्मचारी को राजकीय सेवक मानने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह––

आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ में स्थायी-147, अस्थायी–23 तथा दैनिक वेतन भोगी 25 कर्मचारी कार्यरत हैं।

वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण न्यूनतम् वेतन वर्तमान में भुगतान नहीं किया जा रहा है।

यह संयुक्त क्षेत्र की इकाई है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मुख्य राज मार्गों को लेनयुक्त बनाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

32–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य राज मार्गों को कई लेन का बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जाने वाला जी० टी० रोड को भी प्रदेश में छः लेन का बनाने पर विचार किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित रेन्जों के वनों में अवैध कटान तथा वृक्षारोपण में आवंटित धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

33–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का 1 अप्रैल, 1998 से 30-4-98 के मध्य माननीय मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, वन, प्रमुख वन संरक्षक को इस आशय के शिकायती पत्र के दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित रेन्जों के वनों में अवैध कटान तथा वृक्षारोपण में आवंटित धनराशि का दुरुपयोग के संबंध दिया गया पत्र प्राप्त हुआ?

यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने उक्त पत्र पर प्रमुख सचिव, वन को दिनांक 13-4-98 को आदेशित भी किया था? शिकायती-पत्र में आरोप क्या-क्या थे? क्या उसकी जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? क्या उसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 1-4-98 से 30-4-98 के मध्य का विषयगत शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि दिनांक 26-3-1998 का विषयांकित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

जी हाँ।

शिकायती पत्र में मुख्य रूप से जनपद-गोण्डा के विभिन्न रेन्जों के आरक्षित वनों में अवैध कटान, वृक्षारोपण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का दुरुपयोग, मजदूरों के भुगतान में अनियमितता, वृक्षारोपण में असफलता, अवैध रुप से आरा मशीनें चलाये जाने तथा पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पातन परमिट देने में अनियमितता आदि आरोप लगाये गये हैं।

जाँच करायी जा रही है। जाँचोपरान्त अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर/गोण्डा में वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में जिला योजना के अन्तर्गत डामरीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति की जानकारी

34—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर/गोण्डा में जिला योजना के अन्तर्गत डामरीकरण स्तर तक किन-किन मार्गों हेतु वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी थी? क्या उक्त मार्गों का डामरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अधूरे पड़े कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर/गोण्डा में जिला योजना के अन्तर्गत डामरीकरण स्तर तक प्राप्त वित्तीय स्वीकृत मार्गों का विवरण निम्नवत् है :–

जिला योजना 1995-96

दासूपुर अम्बेडकर ग्राम

जिला योजना 1996-97

(क) बदलूपुर भैरमपुर मानापार बहेरिया मार्ग।

(ख) महिलीग्राम सम्पर्क मार्ग।

(ग) बौड़िहार ग्राम से निस्वा स्कूल होते हुए नदी तक सम्पर्क मार्ग।

(घ) बंजरिया ग्राम सम्पर्क मार्ग।

जिला योजना 1997-98

(क) इटाई रामपुर मार्ग।

(ख) बिलरिया ग्राम सम्पर्क मार्ग।

(ग) देवरिया मुबारकपुर मार्ग।

(घ) प्रेमनगर सम्पर्क मार्ग।

बासूपुर अम्बेदकर ग्राम तथा बदलपुर भैरवपुर मानापार बहेरिया मार्ग का डामरीकरण का कार्य पूर्ण है। शेष मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 1992-93 जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का विवरण

35–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 की जिला योजना के अर्न्तगत जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में कुल कितने सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये थे? उनके नाम क्या हैं? उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? क्या यह भी सही है कि उसमें खड़न्जा से लेकर लेपन स्तर तक जिसकी अनुमानित लम्बाई 4 कि० मी० थी कोई सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किया गया था? क्या स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 1992-93 में जिला योजना के अतंर्गत 6 मार्ग स्वीकृत किये गये।

(1) शमशाबाद फतेहाबाद मार्ग से सलेमपुर मुड़िया।

(2) सावेद से देवी मन्दिर धनौला मार्ग।

(3) शमशाबाद मार्ग से लखरानी मार्ग।

(4) भानपुर मार्ग से इरादतनगर माइनर मार्ग।

(5) फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग से रुवारा मार्ग।

(6) शमशाबाद राजाखेड़ा मार्ग से हिमायूँपुर मार्ग।

कुल रु० 33.98 लाख की धनराशि व्यय की गई।

जी हाँ।

स्वीकृत स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण में स्वीकृत आड़ाखेड़ा खरौली मार्ग में मौराही नदी पर लघु सेतु के निर्माण की मांग

36–श्री हरदेव सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण में स्वीकृत आड़ाखेड़ा खरौली मार्ग में मौराही नदी पर लघु सेतु के निर्माण हेतु राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा डा० गंगा बक्श सिंह का पत्र दिनांक 6-4-98 सचिव लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो क्या उक्त लघु सेतु स्वीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र माधौगंज बघौली से फिरोजपुर तक की सड़क का डामरीकरण

37—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के अन्तर्गत माधौगंज बघौली सड़क से फिरोजपुर तक 13-14 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हैं।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत कस्बा मल्लावां में किनोर स्थित झील पर बनी जनाब मखदूम मिस्बाहुल आशकीन चिस्ती रहमत उल्लाह की दरगाह का सुन्दरीकरण

38—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र हरदोई के अन्तर्गत कस्बा मल्लावां में किनोर स्थित झील पर बनी जनाब मखदूम मिस्बाहुल आशकीन चिस्ती रहमत उल्लाह की दरगाह पर हर वर्ष हिन्दू-मुसलमान बड़ी धूमधाम से उर्स मनाते हैं और जिसके लिये सुन्दरीकरण कराते हुये पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु लम्बे अर्से से जनता मांग करती आ रही है? क्या उसे सुन्दरीकरण करवाने के साथ पर्यटन स्थल घोषित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

प्रश्नगत दरगाह को पर्यटन स्थल के रुप में विकास के लिए वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में जिला योजना के माध्यम से प्रस्ताव जिला अनुश्रवण समिति के समक्ष रखा गया था लेकिन अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है बल्कि स्थल का पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किया जाता है।

जनपद मैनपुरी में जिला योजना 1997-98 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के निर्माण कराये जाने की मांग

39–श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जनपद के सम्बन्ध में अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुभाग–1 के अर्द्ध० शा० पत्रांक संख्या 3802/23-1-97-17 सी/(2)91 दिनांक 18-10-97 के क्रम में कतिपय पेंटिंग स्तर तक पक्की सड़कें बनवाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मैनपुरी का पत्रांक–2220/19, एम० जी०, दिनांक 17-12-97 का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें अब तक कौन-कौन सी सड़कें किस योजना में स्वीकृत हो चुकी हैं? क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रस्ताव के क्रम संख्या–2,4,6 व 7 की पूरी सड़कें राज्य योजना अथवा किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

जिला योजना 1997-98 के अतंर्गत निम्न तीन मार्ग स्वीकृत हो गये हैं:–

1—हन्नुखेड़ा से लेहरा वाया मरहरी नगला हिम्मत सहपुरा तक मार्ग।

2—जी० टी० मार्ग से अम्हेरा तक मार्ग।

3—भानपुर हारी मार्ग से बागपुर वाया बिलसडा मार्ग। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया को बिहार से जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर मांझी में सेतु निगम द्वारा बनने वाले सेतु का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की मांग

40–श्री भरत सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया को बिहार से जोड़ने हेतु घाघरा नदी पर मांझी में सेतु निगम द्वारा बनने वाला सेतु कब तक पूरा होगा? क्या एक वर्ष में यह सेतु पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

भारत सरकार से अवशेष निर्माण कार्य के लिए धनराशि की माँग की गई है। धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण पूरा कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के मनकापुर स्थित वन निगम डिपो मनकापुर में जनहित को देखते हुये चिरान कार्य चालू किये जाने की मांग

41–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के मनकापुर में स्थित वन निगम डिपो मनकापुर में जनहित को देखते हुए चिरान की व्यवस्था पूर्व में थी? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन परिस्थितियों में उक्त चिरान वर्ष 1995 में बन्द कर दिया गया? क्या सरकार पुनः चिरान की व्यवस्था को लागू करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हाँ।

मनकापुर डिपो में चिरान का कार्य, चिरान योग्य प्रकाष्ठ के अभाव में वर्ष 1997-98 में बन्द कर दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकोष्ठ की पर्याप्त अनुपलब्धता तथा वन निगम के वित्तीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए मनकापुर डिपो में पुनः चिरान की व्यवस्था लागू करना सम्भव नहीं है।

जिला इटावा के ग्राम खरगूपुरा व गोपियापुर तहसील व ब्लाक भर्थना को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की कार्यवाही

42–श्रीमती सुखदेवी वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खरगूपुरा व गोपियापुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा के ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार इन ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जुड़वाने के लिए कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री गुलाब सिंह सेवानिवृत स०अ०ई०का० खालिसपुर गाजीपुर के पेन्शन निर्धारण संबंधी प्रकरण के निस्तारण की जानकारी

43–श्री राजेन्द्र—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री गुलाब चन्द्र सिंह, सेवा निवृत्त स०अ०इ०का० खालिसपुर, गाजीपुर के पेंशन निर्धारण के प्रकरण के सम्बन्ध में लोक शिकायत अनुभाग -5 का पत्र संख्या-4717/लो०शि०-5/96-9/188/96, दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

विषयगत प्रकरण से संबंधित लोक शिकायत अनुभाग-5 का प्रश्नगत पत्र विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि इसी विषय पर पत्र संख्या-4718/लो०शि०-5/96-9/188/96, दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में ओ० सी० आर० (अ तथा ब) भवन में शीतल जल प्रदान किये जाने वाली मशीन की व्यवस्था किये जाने की मांग

44-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा कर करेंगे कि ओ० सी० आर०, लखनऊ (अ तथा ब) जहां विधायक तथा विधान परिषद् के माननीय सदस्य रहते हैं, में क्या शीलत जल प्रदान करने वाली मशीन की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोनो भवनों के लिये शीतल जल की मशीन लगवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

इस पर विचार किया जायेगा।

यथाशीघ्र व्यवस्था करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर की सीमा में आने वाला झांसी मिर्जापुर राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य

45-श्री आर० के सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद छत्रपति साहूजी महराजनगर की सीमा में आने वाला झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग का चौड़ा व सुदृढ़ीकरण कार्य अभी तक नहीं कराया गया जबकि शेष सीमा में चौड़ीकरण कार्य हो चुका है? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य होगा? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र-

जी हाँ।

जी हाँ। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर के अर्की-भदेदू सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य

46-श्री आर० के० सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद छत्रपति साहूजी महराजनगर के अर्की-सम्पर्क मार्ग के लिए विगत वित्तीय वर्ष में धन आवंटित हुआ था? यदि हां, तो

उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जायेगा? कब तक निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

निर्माण कार्य चालू है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा जी० टी० रोड पर बिजौली से दुर्गापुर तक का रास्ता पक्का कराकर सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

47–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि इटावा जी० टी० रोड पर बिजौली से दुर्गापुर तक का रास्ता पक्का कराकर जी० टी० रोड से नहीं जोड़ा गया है जबकि शासन की यह नीति है कि प्रत्येक गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों का रास्ता पक्का कराकर सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ। नहीं जुड़ा है।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है।

जी नहीं।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद इटावा के लखना क्षेत्र में नील गाय व जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिये सरकार द्वारा उपाय किये जाने की मांग

48–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र लखना जिला इटावा में नीलगाय व जंगली जानवरों से फसलें नष्ट हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार नीलगायों व जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिये क्या कोई उपाय करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

प्रदेश में वनरोज (नीलगायों) एवं जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान पहुँचाने की सम्भावना सभी जनपदों में पायी जाती है।

कृषि हेतु हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जिलाधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार प्रभावित कृषक जिलाधिकारी से अनुमति लेकर संबंधित वनरोज को नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य जंगली जानवर यदि मानव जीवन अथवा उसकी सम्पत्ति के लिए हानिकारक बन जाते है तब सूचना प्राप्त होने पर जॉचोपरान्त वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के अर्न्तगत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ० प्र० उसे नष्ट करने के लिए अनुमति दे सकते हैं।

जिला इटावा के चकरनगर रोड से चीते की मडैया को सम्पर्क मार्ग से जोड़े की मांग

49–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि चकर नगर रोड से चीते की मड़ैया जिला इटावा को अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है जबकि यह क्षेत्र बीहड़ में होने के कारण अधिक पिछड़ा हुआ है? यदि हां? तो क्या सरकार चकर नगर रोड से चीते की मडैया को सम्पर्क मार्ग से जुड़वायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

शासन की सम्पर्क मार्गों में संबंधित वर्तमान नीति के अनुसार फिलहाल यह कार्य स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में 1000 व उससे अधिक जनसंख्या के गांवों को प्राथमिकता दी गई है।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम द्वारा इलाहाबाद में लालापुर में सिलिका सैण्ड अभिशोधन संयंत्र की स्थापना में हुये खर्च की जानकारी तथा की गई अनियमितताओं की जाँच की मांग

50–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम द्वारा इलाहाबाद में लालापुर में सिलिका सैण्ड अभिशोधन संयंत्र (बेनीफिसिएशन) प्लांट अप्रैल, 1984 में स्थापित किया गया था? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना पर 24 करोड़ की लागत आयी है? यदि हां, तो उक्त परियोजना को अब तक चालू न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार बतायेगी कि 50 लाख से अधिक प्रयोगशाला का क्रय किया गया सामान कहां है? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना पर 27 करोड़ रुपये अनियमित रूप से व्यय किया गया है? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए कौन दोषी है? क्या सरकार उक्त दोषी व्यक्ति के खिलाफ सी० बी० सी० आई० डी०/सतर्कता विभाग से जांच कराकर दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं। पी० आई० वी० द्वारा परियोजना की स्वीकृत अगस्त, 1990 में प्रदान की गयी।

परियोजना पर 2057 लाख रू० व्यय अब तक किये गये हैं। वास्तविक लागत परियोजना के पूर्ण कमीशनिंग के उपरान्त ही ऑकलित की जा सकेगी।

धनाभाव के कारण परियोजना की पूर्ण कमीशनिंग अभी तक नहीं हो सकी है।

समस्त प्रयोगशाला के उपकरण परियोजना स्थल स्थित प्रयोगशाला भवन में प्रति स्थापित किये गये हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ख्वाजगीपुर ब्लाक सिकन्दरपुर सरोसी में कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन का पुनः निर्माण कराने की मांग

51–श्री दीपक कुमार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, ख्वाजगीपुर ब्लाक सिकन्दरपुर सरोसी जनपद उन्नाव के भवन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने से निर्माण कार्य के दौरान वर्ष 1997 में ही छत क्रेक हो गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माणकर्ता से धन वसूल करके पुनः भवन निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उन्नाव से तकनीकी जाँच एवं मूल्यांकन आख्या प्राप्त होने पर यथेष्ट कार्यवाही की जायेगी।

उक्तवत् जाँच /मूल्यांकन आख्या प्राप्त होने के बाद।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला रायबरेली प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा, विकास क्षेत्र राही के कक्षा–5 का वर्ष 1994 के परीक्षाफल संबंधी प्रकरण की जांच एवं कृत कार्यवाही

52–श्री सन्त तथा श्री गोपाल कृष्ण —

क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालय, सूरजकुण्डा, विकास क्षेत्र राही, जिला-रायबरेली का कक्षा –5 का वर्ष 1994 का वार्षिक मूल परीक्षाफल रजिस्टर व अंक तालिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अभी तक नहीं भेजी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस संबंध में श्री सदाशिव पाण्डेय तत्कालीन सहायक अध्यापक जो कि तत्समय परीक्षा प्रभारी थे, की शिकायत पर जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से जांच करायी थी? यदि हां, तो जांच का विवरण क्या है और उसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

प्राथमिक विद्यालय सूरजकुण्डा विकास क्षेत्र राही जिला रायबरेली कक्षा–5 का वर्ष 1994 का परीक्षाफल उपलब्ध करा दिया गया है तथा प्रधान अध्यापक द्वारा अंक पत्र वितरित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपनी जांच मे भी हीरालाल यादव, सहायक अध्यापक व श्री शिव दुलारे मौर्य, सहायक अध्यापक को दोषी पाया। दोषी शिक्षकों को विद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

53—श्री नरेन्द्र सिंह—

[6ठे शुक्रवार में अता०प्र०सं० 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मानिकपुर मार कुण्डी बांदा रेल मार्ग पर फाटक निर्माण हेतु रेलवे विभाग को धन दिया जाना।

54—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानिकपुर-मार कुण्डी बांदा रेल मार्ग को पार करने हेतु एक फाटक निर्माण कराये जाने की मांग जनहित में की गयी है? क्या रेलवे विभाग ने फाटक की अब स्थापना हेतु धन की मांग की है? यदि हां, तो कितना धन मांगा गया है? यह धन कब तक रेलवे विभाग को दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी हां।

रु० 9.77 लाख।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत निर्माण खण्ड एक, लोक निर्माण खण्ड गोण्डा द्वारा बस्ती मार्ग से टेढ़वा/नवाबाद इत्यादि मार्गों के निर्माण में की गयी धांधली की टी०ए०सी० से जांच की मांग

55—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1996-97 के अन्तर्गत निर्माण खण्ड एक लोक निर्माण खण्ड गोण्डा द्वारा बस्ती मार्ग से टेढ़वा नवाबाद मार्ग/नगवा-नन्दौरी मार्ग/नरायनपुर सम्पर्क मार्ग/बन्जरिया-हुसैनाबाद मार्ग/उतरौला हुसैनाबाद मार्ग पर मिट्टी/पत्थर सोलिंग/सेतु/लेपन का कार्य कराया गया है। यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं कराया गया है तथा कार्य अपूर्ण है एवं फर्जी कार्य दिखा कर भुगतान ले लिया गया है? क्या सरकार शासन से टी०ए०सी० भेजकर जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत मार्गों पर मिट्टी/पत्थर सोलिंग एवं पुलिया निर्माण का कार्य कराया गया है।

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार कार्य मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कराया गया है। अपूर्ण कार्य धनाभाव के कारण लम्बित है एवं कोई फर्जी भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

56—श्री कृपाशंकर सिंह—

[4थे शुक्रवार के अता०प्र०सं० 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-3-1998 के अनुसार जनपद रायबरेली के इन्हौना कस्बा में छात्र/छात्राओं के लिये विद्यालय खोले जाने विषयक कार्यवाही की मांग

57—डा० मुस्लिम-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र तिलोई, रायबरेली में स्थित सिंहपुर ब्लाक के इन्हौंना कस्बा में छात्रों के लिए एक इण्टरमीडिएट कालेज व बालिकाओं के लिए हाई स्कूल की स्थापना किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-3-1998 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में विद्यालयों को खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा०. नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

• प्रदेश में भर्थना व इटावा मार्ग से नगला हतनौली के आम रास्ते को पक्का कराकर सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

58—श्रीमती सुखदेवी वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भर्थना व इटावा मार्ग से नगला हतनौली का आम रास्ता अभी तक पक्का कराकर सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार इस नगला के आम रास्ते को पक्का कराकर सम्पर्क मार्ग से जुड़वाने के लिए कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

सम्पर्क मार्गों से सम्बन्धित शासन को वर्तमान नीति के अनुसार फिलहाल यह कार्य स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में 1000 व उससे अधिक जनसंख्या के गांवों को प्राथमिकता दी गई है।

आगरा के ताजमहल, किला एत्मादउद्दौला तथा सिकन्दरा आदि पर्यटक पुरातत्व स्थलों पर पर्यटकों से पथकर वसूली से आय का लेखा-जोखा

59—श्री विजय पाल सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ताज किला एत्मादउद्दौला तथा सिकन्दरा आदि पर्यटक पुरातत्व स्थलों पर पर्यटकों से पथकर वसूल किया जाता है? यदि हां, तो उक्त स्थलों से वार्षिक वसूली की आय क्या है तथा वसूला गया धन किन-किन कार्यों पर खर्च किया जाता है? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी।

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

आगरा नगर में ताजमहल, किला, एत्मादउद्दौला तथा सिकन्दरा ऐतिहासिक इमारतों पर पर्यटकों से पथकर की धनराशि वसूल की जाती है।

वर्ष 1995-96 में 322.85 लाख।

वर्ष 1996-97 में 285.91 लाख।

वर्ष 1997-98 में 315.81 लाख।

पथकर से प्राप्त धन को व्यय करने के लिए शासनादेश संख्या—4055/9-आ-1-95-33 सी, ए,/83 दिनांक 5-1-96 में गठित समीक्षा समिति द्वारा निर्धारित विकास कार्यों पर किया जाता है। इस मद में ताजमहल आगरा जिला के आसपास की सड़कों, फुटपाथों, मुख्य मार्गों पर सूचनापट, पार्किंग स्थल के निर्माण, प्रदूषण नियंत्रक बैटरी चालित बसों का संचालन, मुख्य मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, उपरोक्त इमारतों पर दर्शनार्थियों के पेयजल हेतु वाटर कूलर की मशीनों आदि पर व्यय किया जाता है।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रवक्ता, रीडर व प्रोफेसर पद पर की गयी कथित अनियमित पदोन्नति

60—श्री विजय पाल सिंह—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में स्थाई रूप से फील्ड सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ अधिकारियों को प्रवक्ता रीडर तथा प्रोफेसर तक पदोन्नति की गयी है? क्या यह भी सही है कि प्रोफेसर के पद पर शोधकार्य कराये जाने पर ही उक्त पद के योग्य होता है? यदि हां, तो उक्त पद पर अनियमित रूप से कितने लोगों की पदोन्नति की गयी है और क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी हां। तत्कालीन आगरा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा संकल्प संख्या–267 दिनांक 25–11–1965 के अन्तर्गत फील्ड सुपरवाइजर के पदों को प्रवक्ता के पदों में परिवर्तित किया गया है। चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर कार्यपरिषद ने संकल्प संख्या–136 दिनांक 18–2–1985 द्वारा ऐसे दो प्रवक्ताओं की प्रोन्नति रीडर के पद पर की है। विश्वविद्यालय में समस्त प्रोफेसर गणों की नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां विधि सम्मत गठित चयन समितियों की संस्तुति के आधार पर ही की गई हैं। इसलिए कोई भी नियुक्ति अनियमित नहीं है।

जनपद आगरा के पुरातत्व स्थल सिकन्दरा में रह रहे बन्दर व हिरन की वहां के विभागीय कर्मचारियों द्वारा शिकार किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

61—श्री विजय पाल सिंह—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में पुरातत्व स्थल सिकन्दरा में बन्दर व हिरन आदि समूह के रूप में रहते हैं? यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1997 को उनकी संख्या क्या थी और 1 अप्रैल, 1998 को उनकी संख्या क्या है? क्या यह भी सही है कि वहां विभागीय कर्मचारियों द्वारा हिरनों का शिकार किया जाता है? यदि हां, तो प्रतिबंध होने के बावजूद उक्त पुरातत्व स्थल पर शिकार क्यों हो रहा है? क्या सरकार पुरातत्व विभाग में कार्यरत अधिकारियो एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जी, हां।

उक्त स्थल पर मुख्यतया बन्दर एवं हिरन रहते हैं। माह अप्रैल, 97 में लगभग 55 बन्दर व 68 हिरन थे तथा अप्रैल, 98 को लगभग 66 बन्दर व 71 हिरन थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में स्थित इण्टर कालेज माल्हनपार में रिक्त कला अध्यापक पद (एल० टी० ग्रेड) की पूर्ति हेतु सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

62—श्रीमती गौरी देवी—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में स्थित इण्टर कालेज माल्हनपार में रिक्त कला अध्यापक पद (एल० टी० ग्रेड) की पूर्ति हेतु स्वावलम्बी इण्टर कालेज विशुनपुरा गोरखपुर से आने वाले कला अध्यापक (एल० टी० ग्रेड) के पक्ष में दोनों विद्यालयों से वर्ष 1997 से अब तक की अवधि में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर को भेज दिया गया है? क्या यह भी सत्य है कि इसी क्रम में श्री फतेह बहादुर सिंह राज्य मंत्री माननीय मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उ० प्र० लखनऊ ने अपने पत्रांक मेमो,—दिनांक..... लखनऊ 2-3-98 को जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर को तत्काल कार्यवाही हेतु लिखा है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या शिक्षा से संबंधित इस मामले में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

डा० नैपाल सिंह—

इण्टर कालेज, माल्हनपार में कला अध्यापक पद पर स्थानान्तरण हेतु प्रकरण दोनों प्रश्नगत विद्यालयों के प्रस्ताव सहित दिनांक 6-11-97 को प्राप्त हुआ। प्रबंधक, इण्टर कालेज, माल्हनपार ने अपने पत्र दिनांक 15-11-97 द्वारा अवगत कराया कि उक्त विद्यालय को हाईस्कूल में कला की मान्यता प्राप्त नहीं है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 4-7-98 द्वारा विद्यालय में कला विषय की मान्यता न होने के कारण स्थानान्तरण आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्नगत-पत्र प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के दारापुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

63—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम दारापुर की आबादी एक हजार से ऊपर होते हुये भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त दारापुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद बिजनौर के राजकीय इण्टर कालेज नजीवाबाद से प्रधानाचार्य श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनका अवशेष यात्रा भत्ता व अन्य देयों के भुगतान की मांग

64—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर के राजकीय इण्टर कालेज नजीवाबाद से प्रधानाचार्य के पद से श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी वर्ष जून, 1991 में सेवानिवृत्त हुये थे? यदि हां, तो क्या उनका अवशेष यात्रा भत्ता तथा अन्य देयकों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

अवशेष कालातीत यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान हेतु पूर्व सम्परीक्षण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। पेंशन ग्रेच्युटी, राशिकरण तथा 90 प्रतिशत जी० पी० एफ० का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत वि०ख० माधोगंज के ग्राम करवा को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

65—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत वि०ख० माधोगंज के ग्राम करवा की आबादी एक हजार एक सौ चौवन है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्या अब उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत वि०ख० माधोगंज के ग्राम सेसवापुर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

56—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि०क्षे० के अन्तर्गत वि०ख० माधोगंज के ग्राम सेसवापुर पूर्वी की आबादी एक हजार तीन सौ सत्रह है और

उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? उक्त ग्राम को कब तक मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र कर कृत कार्यवाही

67—श्री राम औतार शाक्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र एम०–3/8126/मैनपुरी/98 व एम०–3/8127/मैनपुरी/98, दिनांक 17-3-98 जो सड़कें निर्माण हेतु था, प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार उक्त सन्दर्भित सड़कें बनवायेगी? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए प्रतीत नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के यू० पी० एल० आई० एल०, ऐशबाग रोड के कर्मचारियों के वेतन एवं बोनस आदि का भुगतान

68—श्री राजेन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी०एल०आई०एल०, ऐशबाग रोड, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों को 8 माह का वेतन, 3 वर्षों का बोनस एवं लगभग 55 सेवा निवृत्त कर्मचारियों के फण्ड, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के सम्बन्ध में महामंत्री, यू०पी०एल०आई०एल० इम्पलाइज यूनियन का पत्र दिनांक 21-4-98 एवं दिनांक 15-5-98 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उपरोक्त भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी, हाँ।

शासन द्वारा यू०पी०एल०आई०एल० को सुचारु रूप से चलाने के लिए वर्ष 1996-97 में रु० 40.00 लाख व वर्ष 1997-98 में रु० 84.00 लाख कार्यशील पूंजी हेतु तथा वर्ष 1997-98 में ही रु० 1.31 करोड़ वेतन भुगतान हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। यू०पी०एल०आई०एल० के सुचारु रूप से चलने एवं स्वावलम्बी होने के उपरान्त ही कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान नियमानुसार किया जाना संभव हो सकेगा।

महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय, डालीगंज, लखनऊ की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध संसद सदस्य श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा मुख्य सचिव उ०प्र० शासन को प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

69—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय, डालीगंज, लखनऊ की जुलाई, 1995 में उजागर वित्तीय अनियमितताओं में अप्रैल, 1997 में निलम्बित प्रधानाध्यापिका द्वारा अभी तक चार्ज न दिये जाने व वर्ष 1996-97 तक भी अवैध फीस की वसूली किये जाने के संबंध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य, लोक सभा के शिकायती-पत्र दिनांक 6-5-97, 9-6-97 व 17-10-97 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी, हाँ।

दिनांक 17-10-97 के स्थान पर दिनांक 7-10-97 का पत्र प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच के संबंध में पूर्व में ही वित्तीय वर्ष 84-85 से 96-97 को जांच हेतु लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, लखनऊ को दिनांक 18-9-97 को आदेश देकर जांच करायी गयी। लेखाधिकारी की जांच दिनांक 23-1-98 के अनुसार विद्यालय की वित्तीय प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति स्पष्ट हो जाने एवं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के ऊपर गबन न सिद्ध होने पर उन्हें दिनांक 2-3-98 के आदेश से सवेतन बहाल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में तथा स्वाधीनता सैनिकों के सम्मान देने के उद्देश्य से रा०इ० कालेज, खेतीखान जिला चम्पावत का नाम पं० हर्ष देवा ओली रा०इ० कालेज रखे जाने का प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

70—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में और स्वाधीनता सैनिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से रा०इ० कालेज, खेतीखान जिला चम्पावत का नाम पं० हर्ष देवा ओली रा०इ० कालेज, खेतीखान रखे जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी, हाँ। नाम परिवर्तन की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय राज मार्ग, झांसी-मिर्जापुर को कर्वी से मऊ तक के चौड़ीकरण का प्रस्ताव

71—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय राजमार्ग झांसी-मिर्जापुर को कर्वी से मऊ तक चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो इसे कब तक चौड़ा करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर मुरादाबाद जनपद में सड़क के किनारे अवैध रूप से बने होटल व ढाबों को बन्द किये जाने की मांग

72—मेजर जगत पाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर मुरादाबाद जनपद में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कब्जा करके सड़क के किनारे अनेक होटल (ढाबा) चल रहे हैं? क्या यह सही है कि उन ढाबों में अनियमित शराब की बिक्री की जा रही है तथा रोड पर आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ऐसे होटल (ढाबों) को बन्द करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

लोक निर्माण विभाग की भूमि पर कोई होटल (ढाबा) नहीं है।

जांच करायी जा रही है।

जांच आख्या पर निर्भर करता है।

जिला इटावा के ब्लाक व तहसील भर्थना के ग्राम कुतुबपुर, रामपुर व खुशहालपुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

73—श्रीमती सुखदेवी वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भर्थना तहसील भर्थना जिला इटावा में ग्राम कुतुबपुर व रामपुर व खुशालपुर का जो आम रास्ता है, को अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो इन ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से कब तक जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हां।

सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित शासन को वर्तमान नीति के अनुसार फिलहाल यह कार्य स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में 1000 व उससे अधिक जनसंख्या के गांवों को प्राथमिकता दी गई है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 1992-93 में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों की जानकारी

74—श्री विजय पाल सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 की जिला योजना के जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में कुल कितने सम्पर्क मार्ग स्वीकृत किये गये? उनके नाम क्या हैं तथा उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? क्या यह सही है कि खड़न्जा से लेकर सेपन स्तर तक जिसकी अनुमानित लम्बाई 4 कि० मी० सम्पर्क मार्ग भी स्वीकृत किया गया था? क्या स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं?

श्री कलराज मिश्र—

वर्ष 1992–93 में जिला योजना के अन्तर्गत 6 मार्ग स्वीकृत किये गये।

(1) शमशाबाद फतेहाबाद मार्ग से सलेमपुर मुड़िया मार्ग।

(2) साबेद से देवी मन्दिर थमौला मार्ग।

(3) शमशाबाद मार्ग से लखरानी मार्ग।

(4) भानपुर मार्ग से इरादतनगर माइनर मार्ग।

(5) फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग से स्वारा मार्ग।

(6) शमशाबाद राजाखेड़ा मार्ग से हिमायुँपुर मार्ग।

कुल रु० 33.98 लाख की धनराशि व्यय की गई।

जी, हां।

स्वीकृत स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिक संवर्ग में अधिशासी अभियन्ताओं का आरक्षण कोटा

75—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के विद्युत/यांत्रिक संवर्ग में अधिशासी अभियन्ता के कितने पद हैं? कितने अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं? उनमें से कितने अधिशासी अभियन्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के हैं? क्या अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्या सरकार आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि आरक्षित कोटे के अधिशासी अभियन्ता के कुछ पद उत्तराखण्ड के लिए आरक्षित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक इन पदों पर पदोन्नति करके उत्तराखण्ड में नियुक्ति कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के कुल 46 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 37 पद मैदानी संवर्ग में तथा 9 पद पर्वतीय उपसंवर्ग में अधिसूचित किये गये हैं। सामान्य (मैदानी) संवर्ग के अन्तर्गत वर्तमान में 34 अधिकारी नियमित रूप से तथा 14 अधिकारी तदर्थरूप से कार्यरत हैं। पर्वतीय उपसंवर्ग में केवल एक अधिशासी अभियन्ता (वि/याँ) कार्यरत हैं, शेष पद रिक्त हैं।

इनमें से 9 अधिशासी अभियन्ता अनुसूचित जाति के हैं।

वर्तमान में मैदानी संवर्ग में कोटा पूर्ण है। पर्वतीय उपसंवर्ग के पद रिक्त हैं।

पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही सदैव की जाती है।

पर्वतीय उपसंवर्ग में उपलब्ध 8 रिक्तियों के सापेक्ष रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत दो रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

पर्वतीय उपसंवर्ग में अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई स्थित ग्राम मोहम्मदपुर के सामने से ग्राम गिरन्ट तक 1000 मीटर लंबी लिंक रोड के निर्माण संबंधी जानकारी

76—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गिरन्ट रहीमाबाद तहसील जनपद हरदोई स्थित ग्राम मोहम्मदपुर के सामने से ग्राम गिरन्ट तक 1000 मीटर लम्बी लिंक रोड का निर्माण कराने हेतु श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 6–8–97 पर तत्कालीन सचिव, मुख्य मंत्री ने पत्र संख्या–सी० एम०/सम—3/767–50/इटावा 97, दिनांक 6–8–97 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में राजकीय कन्या विद्यालय के नामकरण के संबंध में जांच तथा कार्यवाही

77—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में राजकीय कन्या विद्यालय का नाम जिस व्यक्ति के नाम है, उसका सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में क्या योगदान है? क्या इस संबंध में दिनांक 24–2–96 को जनपद–अम्बेडकर नगर व फैजाबाद के पूर्व सांसदों, बिधायकों व विधान परिषद् के सदस्यों ने सरकार को कोई प्रत्यावेदन दिया था जिसकी जांच जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर ने की है? यदि हां, तो जिलाधिकारी की अपनी जांच क्या है? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है वह आज भी आलापुर में प्राइमरी पाठशाला, जिला परिषदीय में सहायक अध्यापिका है? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह—

प्रकरण में सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला छत्रपति साहू जी नगर में मानिकपुर ऊंचाडीह मार्ग के निर्माण तथा पुलियों के निर्माण में लगाये गये मसाले का अनुपात मजदूरी की दर की जानकारी

78—श्री दद्दू प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति साहू जी महराज नगर में मानिकपुर–ऊंचाडीह मार्ग के निर्माण में पुलियों के निर्माण में किस अनुपात का मसाला लगाया जा रहा है तथा मजदूरों को किस दर की मजदूरी दी जा रही है? क्या सड़क निर्माण की टी० ए० सी० से जांच करवायेंगे? क्या मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

पुलियों के निर्माण में 1: 4 के अनुपात में मसाला लगाया गया है तथा रु० 47.00 प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

79—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[दिनांक 30-6-98 को ता० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के वंचित अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

80—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 23 अगस्त 1994 को माध्य० मंत्री जी अंशकालिक शिक्षकों को समायोजित करने की घोषणा के फलस्वरूप अपर शिक्षा निदेशक (उ०) के अर्द्ध शा० पत्र सं० (प्रा) यो/3933/96-94-95, दिनाक 12 मार्च, 1995 द्वारा क्या वंचित अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती के किसान इण्टर कालेज परशुरामपुर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य स्व० श्री शेष नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती गुलायची देवी की स्वीकृत पेंशन का विवरण

81—डा० वकार अहमद शाह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती गुलायची देवी पत्नी स्व० श्री शेष नारायण सिंह, भूतपूर्व प्रधानाचार्य किसान इण्टर कालेज परशुरामपुर, बस्ती की पारिवारिक पेंशन उप निदेशक, शिक्षा गोरखपुर मण्डल द्वारा कब और कितनी स्वीकृत की गयी है? क्या सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि परिवार को हस्तगत करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या स्व० श्री सिंह को वित्तीय मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है? यदि नहीं, तो स्वीकृत पेंशन से कम क्यों दी गयी? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी? क्या श्री सिंह के रिटायरमेंट की तिथि तक पूर्ण पेंशन दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

उपशिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर के आदेश दिनांक 3-8-95 द्वारा श्रीमती गुलायची देवी को नियमानुसार देय पेंशन रु० 1200.00 दिनांक 4-6-88 से दिनांक 3-6-95 तक एवं रु० 600.00 दिनांक 4-6-95 से पुनर्विवाह अथवा मृत्यु होने तक स्वीकृत किया गया है।

सूचना प्राप्त की जा रही है।

स्व० श्री शेष नारायण सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में रु० 42409.40 अवैधानिक ढंग से निकाल लिया गया था जिसका समायोजन करके देय पेंशन स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

82—डा० वकार अहमद शाह—

[4 थे गुरूवार में अता० प्र० सं० 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० ख० माधौगंज के ग्राम पड़रालखनपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

83—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम पड़रालखनपुर की आबादी एक हजार आठ सौ उन्वास है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण कार्य सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० ख० माधौगंज के ग्राम जालियापुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग।

84—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० ख० माधौगंज के ग्राम जालियापुर की आबादी दो हजार एक सौ छियालिस है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० ख० माधौगंज के ग्राम मिठाई को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

85—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम मिठाई की आबादी एक हजार नौ सौ नौ है और उक्त ग्राम

को मुख्य सड़क से जोड़ा नहीं गया है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० ख० माधौगंज के ग्राम पिपरावां को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

86—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम पिपरावां की आबादी दो हजार पांच सौ सात है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा नहीं गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम खंदेरिया खंजानपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग।

87—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम खंदेरिया खंजानपुर की आबादी एक हजार चार सौ पच्चासी है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा नहीं गया है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी, हाँ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हैं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती विद्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायं थोक परिश्चमी हरदोई द्वारा फर्जी छात्र संख्या दिखाकर अनियमित तरीके से छात्रवृत्ति आहरित किये जाने का मामला

88—श्री तेजभान सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती विद्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायं थोक पश्चिमी हरदोई में वर्तमान में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? वर्ष 1996–97 तथा वर्ष 1997–98 में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के बच्चों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गयी? क्या यह सही है कि उपस्थिति छात्र संख्या अंकित छात्र संख्या से कम है और उस संस्था द्वारा फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर छात्रवृत्ति आहरित की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने पर उक्त संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

श्रीमती विद्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायं थोक पश्चिमी हरदोई में वर्तमान में छात्रों की संख्या निम्नवत् है :–

कक्षा	छात्र संख्या
कक्षा–9	26
कक्षा–10	14

वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में निम्नवत् छात्रवृत्ति दी गयी :–

वर्ष	अनु० जाति के बच्चों को दी गयी छात्रवृत्ति	पिछड़ी जाति के बच्चों को दी गयी छात्रवृत्ति
	रु०	रु०
1996–97	...	1080
1997–98	3232	1800

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वली उल्लाह, सेवानिवृत्त उपाचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रवक्ता पद की निर्गत पुनरीक्षित पेन्शन आदेश

89—श्री तेजभान सिंह—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०-2389/15(5)/96-3(47)/96, दिनांक 24-12-96 के द्वारा वली उल्लाह, सेवानिवृत्त उपाचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रवक्ता पद की सेवा अवधि 8-4-74 से दिनांक 23-12-78 की

गणना नियमित सेवा के साथ पेंशन आदि के लाभ हेतु किये जाने के आदेश निर्गत किये जाने तथा तद्नुसार वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित सूचना दिनांक 10-3-97 को निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक पेंशन पुनरीक्षित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ? उक्त पेंशन के रिवीजन के आदेश कब तक निर्गत करा दिये जायेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

पुनरीक्षित पेंशन आदेश दिनांक 25-10-97 को निर्गत हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विधायक श्री अजय कुमार पोइया का शासन को प्रेषित दिनांक 21-4-97 के पत्र के बिन्दुओं की जानकारी तथा उल्लखित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही

90—श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि श्री अजय कुमार पोइया, विधायक का दिनांक 21-4-97 का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें निर्माण निगम के प्रबंध तन्त्र द्वारा वहा के सहायक लेखाकारों के शोषण का विषय उठाया गया है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दु क्या हैं ? उक्त सहायक लेखाकारों को न्याय दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । पत्र में निम्नलिखित बिन्दु उठाये गये हैं :–

(1) सहायक लेखाकारों को अब तक रुपये 1400 से 2600 का उच्च वेतनमान न दिया जाना ।

(2) लगभग 19 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी तकनीकी कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान का न दिया जाना ।

(3) लगभग 19 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी एक भी पदोन्नति का न दिया जाना ।

सहायक लेखाकारों की पदोन्नति लेखाकार के पद पर होती है । विगत वर्षों में लेखाकार के 29 पदों पर सहायक लेखाकारों की पदोन्नति की गयी है । वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव निगम के पत्र दिनांक 23-12-97 द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग को भेजा गया है ।

91—श्री तेजभान सिंह–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

92— श्री अजय भट्ट–

(5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अर्डीग, मथुरा के प्रधानाचार्य श्री साहब सिंह व हरिशचन्द्र यादव द्वारा कथित भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की मांग

93—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अर्डीग, मथुरा के प्रधानाचार्य श्री साहब सिंह व श्री हरिशचन्द्र यादव द्वारा विद्यालय में किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम-3/8217/मथुरा/98, दिनांक 25-3-98 सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ० प्र० को मामले की जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

94—श्री समर पाल सिंह–

(4थे बुधवार में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

95—श्री समर पाल सिंह–

(4थे बुधवार में अता० प्र० सं० 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला घाटी क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

96—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला घाटी सामरिक दृष्टि से विशेष अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर जौलजीवी नामक स्थान से आगे प्रवेश हेतु पास की जरूरत पड़ती है ? क्या यह सही है कि प्रवेश के लिए पास व्यवस्था के कारण पर्यटकों एवं क्षेत्रीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भारत तिब्बत व्यापार केन्द्र के प्रशासनिक मुख्यालय गुंजी-गुर्बांग तक पास मुक्त व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला घाटी क्षेत्र सामरिक क्षेत्र दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अधिसूचित क्षेत्र घोषित है। इस अधिसूचित क्षेत्र में विदेशी नागरिकों को प्रवेश/संचरण पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, परन्तु उक्त क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के प्रवेश/संचरण पर प्रतिबन्ध है।

इस प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

लखनऊ की ओ०सी०आर० बिल्डिंग की कैन्टीन के कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा कैन्टीन से होने वाली प्रतिदिन की आय की जानाकारी

97—श्री सुशील शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओ०सी०आर० बिल्डिंग में कैन्टीन में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इन सभी के वेतन आदि पर प्रतिमाह सरकार को कितना भुगतान करना पड़ता है ? कैन्टीन बिक्री से प्रतिदिन औसतन विक्रय एवं लाभ क्या है ।

श्री कल्याण सिंह–

ओ०सी०आर० बिल्डिंग में कैन्टीन में कुल तीन कर्मचारी कार्यरत् हैं । इनके वेतन आदि पर प्रतिमाह रु० 8,606 का भुगतान करना पड़ता है । कैन्टीन बिक्री से माह जून, 98 में प्रतिदिन औसतन विक्रय की धनराशि लगभग रु० 30.00 है तथा लाभ शून्य है ।

98—श्री अजय भट्ट–

(5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद जौनपुर के इण्टर कालेज मीठेपार के प्रधानाचार्य श्री शीतला प्रसाद तिवारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति का गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की जांच एवं दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

99—श्री श्रीराम यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इण्टर कालेज मीठेपार, जौनपुर के प्रधानाचार्य श्री शीतला प्रसाद तिवारी के विरुद्ध छात्रवृत्ति का गबन निधियों का दुरुपयोग की जांच की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर प्रधानाचार्य के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच की मांग

100—श्रीमती गौरी देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में शासन को मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ०प्र० को अप्रैल, 1997 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या इनकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जी हां ।

एक प्रकरण में प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ की जांच के आदेश दिये गये हैं। दो शिकायतें जांचोपरान्त गलत पाई गई तथा शेष दो प्रकरणों में जांच आख्या शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही की मांग

101—श्रीमती गौरी देवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कान्ट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसियेशन, सीतापुर ने दि० 4–12–97 को अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित करके शासन से जनवरी, 1998 में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की थीं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

शिकायती-पत्र पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लो० नि० वि०, लखनऊ को जांच कराने के आदेश दिये गये हैं।

श्री राम औतार तत्कालीन सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो० नि० वि०, सीतापुर के विरुद्ध की गयी जांच के परिणामों की जानकारी

102—श्रीमती गौरी देवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो० नि० वि०, सीतापुर के विरुद्ध दिनांक 11–9–91 को तत्कालीन राज्य लो० निर्माण मंत्री श्री रामकुमार वर्मा ने सतर्कता विभाग से जांच कराने का आदेश प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिया था? यदि हां, तो क्या सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी गयी? जांच परिणाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

शिकायती-पत्र पर सतर्कता विभाग को जांच कराने के लिए लिखा गया था परन्तु सतर्कता विभाग द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि शिकायतों को प्रशासकीय विभाग के स्तर पर देख लिया जाय और सतर्कता जांच का औचित्य पाये जाने पर प्रस्ताव राज्य सतर्कता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय तद्नुसार शिकायती-पत्र पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को जांच कराने के आदेश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

सीतापुर बाई-पास में सड़क निर्माण में प्रयुक्त की गयी सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच की मांग

103—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर बाई-पास के निर्माण में सड़क निर्माण में स्टोन बैलास्ट के बाइड्स भरने हेतु 6 एम० एम० स्क्रिनिंग मैटिरियल से भरने का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या उक्त बाई-पास में स्टोन के स्थान पर मिट्टी प्रयुक्त की गयी है?

इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या शासन बाई-पास में प्रयुक्त की गयी सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस कार्य की जांच तकनीकी कोष्ठ द्वारा की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में बझेरा से जल्लापुर खद्दइया तक वाया गंगरवाला की सड़क के अधूरे कार्य को पूरा किये जाने की कार्यवाही की जानकारी

104—श्री राम औतार शाक्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी में बझेरा से जल्लापुर खद्दइया तक वाया गंगरवाला की सड़क में गिट्टी स्तर तक का कार्य कब हुआ था और कितना अधूरा भाग पेन्टिंग स्तर तक का शेष है? क्या सरकार उक्त सड़क को पेन्टिंग स्तर तक का कार्य वित्तीय वर्ष 1998-99 में करायेगी? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? क्या इस संबंध में प्रमुख सचिव, लो० नि० वि० को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-98 तथा 22-5-98 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत् कार्य गिट्टी स्तर तक फरवरी, 1989 से पूर्ण किया गया तथा 7.10 कि० मी० में लेपन कार्य अवशेष हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 21-5-98 शासन को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र के कार्य को शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत नियमानुसार परीक्षणोंपरान्त जिला सेक्टर में कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां वि०स०क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व बनाई गयी डामर सड़क की मरम्मत किये जाने की मांग

105—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व डामर सड़क बनवाई गयी थी जिनकी संख्या 18 है ? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्ग की मरम्मत क्यों नहीं कराई गयी है ? कब तक मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

लेपित स्तर तक निर्मित सड़कों की संख्या 16 है ।

सामान्य अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य कराया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत छिबरामऊ परसौला सड़क से रामेश्वरपुरवा तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

106—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91-मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत छिबरामऊ परसौला सड़क से रामेश्वरपुरवा तक 8-9 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ंजा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर जनहित में डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज से रूकनापुर तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

107—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91 मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज उन्नाव सड़क पर रूकनापुर तक 9-10 वर्ष पूर्व खड़ंजा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम से ग्राम पंचायत दीवाली तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

108—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91 मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत बिलग्राम से ग्राम पंचायत दीवाली तक 8-9 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़ंजा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर डामरीकरण करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां नि० क्षेत्र अट्ठारह सड़कों को ठीक कराकर डामरीकरण किये जाने की मांग

109—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में अट्ठारह सड़कों पर सन् 1974 से क्रमशः खड़ंजा लगाया जा चुका है ? क्या उक्त मार्गों को अभी तक डामरीकरण नहीं कराया गया है ? क्या मार्ग के खड़न्जा की हालत खराब हो गयी है? यदि हां, तो खड़न्जा को ठीक कराकर डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मार्गों की सूची न दिये जाने के कारण उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

110—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन परिपथ (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मायावती, चम्पावत, पूर्णागिरी तथा नानकमत्ता) बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–2904/41-94-232/89, दिनांक 23 सितम्बर, 1994 द्वारा चिन्हित पर्वतीय क्षेत्र के दो बल क्षेत्रों

(1) साहसिक क्रीड़ा क्षेत्र एवम् पिथौरागढ़, रानीखेत, कौडियाला, औली, चम्बा आदि तथा

(2) परम्परागत यात्रा परिपथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री हेतु आवश्यक पर्यटक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम कुतुबापुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

111—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। यदि हां, तो जनहित में उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कुतुबापुर की आबादी एक हजार दो सौ सोलह है किन्तु उक्त ग्राम कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर नहर कोडी से ग्राम नसीरपुर तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

112—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कटिया भिखारीपुर नहर कोडी से ग्राम नसीरपुर तक 15-16 वर्ष पूर्व सड़क का निर्माण खड़ंजा लगवाकर करवाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड का डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत गंज जलालाबाद से फुलई तक की रोड का डामरीकरण किये जाने की मांग

113—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गंजजलालबाद से फुलई तक 14-15 वर्ष पूर्व खड़न्जा लगाकर रोड का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त रोड का डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत गुजरई से ग्राम बिरौरी तक की सड़क का डामरीकरण किये जाने की मांग

114—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गुजरई से ग्राम बिरौरी तक 13-14 वर्ष पूर्व सड़क पर खड़न्जा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस सड़क पर डामरीकरण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि०खं० माधौगंज के ग्राम बघौड़ा को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

115—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम बघौड़ा की आबादी 1286 है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत वर्मा नदी पर ग्राम खेड़ा से ग्राम गोहानी के मध्य पुल बनाये जाने की मांग

116—श्री रामाधार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत वर्मा नदी पर ग्राम खेड़ा से ग्राम गोहानी के मध्य पुल के निर्माण की घोषणा कर शिलान्यास किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त पुल का निर्माण आज तक नहीं कराया गया ? यदि हां, तो कब तक उक्त पुल का निर्माण जनपद हमीरपुर की विधान सभा क्षेत्र राठ की जनता के हित में कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

जी हां।

वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1997-98 में योजनाओं के अन्तर्गत लो०नि०वि० द्वारा स्वीकृत की गयी सड़कों का विवरण

117—श्री राम औतार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1997-98 में किन-किन योजनाओं में लो०नि०वि० द्वारा सड़कें स्वीकृत की गयी और उनमें से कितनी विधायकों के प्रस्ताव पर और कितनी बिना विधायकों के प्रस्ताव पर स्वीकृत हुईं ? उनमें से किस-किस सड़क पर कितना-कितना धन निर्गत कर दिया गया है ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1997-98 में जनपद मैनपुरी में निम्न योजनाओं में मार्ग कार्य स्वीकृत हुये :—

1—जिला योजना सामान्य

2—जिला योजना (एस० सी० पी०)

3—जिला योजना (अम्बेडकर)

4—राज्य योजना (सामान्य)

5—पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना (रा० यो० आर० आई० डी० एफ०-3)

जिला योजना (सामान्य) एवं जिला योजना (एस०सी०पी०) के अन्तर्गत मार्ग विधायकों के प्रस्तावों पर स्वीकृत हुए अवशेष बिना विधायकों के प्रस्ताव पर।

संलग्न सूची के अनुसार धन का आवंटन कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 206 पर)

जनपद सीतापुर के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड के निर्माण में की गयी लोक निर्माण विभाग के नियमों के उल्लंघन का मामला

118—श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार नगर परिषद् एवं नगर पालिका सीमा के आठ किलोमीटर परिधि के अन्दर वर्क आर्डर नहीं बनाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सीतापुर के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में इन नियमों का उल्लंघन विभाग द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जाँच कराई जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

राज्य मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल के पत्रांक 157/वी०आई० पी०/98, दिनांक 20 मई, 1998 पर जांच के परिणामों की जानकारी

119—श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० राज्य मंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल का पत्रांक 157/वी०आइ०पी०/98, दिनांक 20 मई, 1998 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर जांच के परिणाम क्या रहे ? यदि जांच नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच अभी चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय पालीटेक्निक केन्द्र, बस्ती के अधीक्षक के विरुद्ध जांच पर कार्यवाही की मांग

120—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ की वार्षिक परीक्षा 1995 के राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती केन्द्र के अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जांच परिषद् द्वारा की गयी थी और जांच सही पाये जाने पर उसके विपरीत अधीक्षक द्वारा झूठा शपथ-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी प्राथिमिकी भी दर्ज करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

परिषद् स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा शिकायतों की जांच की गयी और शिकायत सही पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी । केन्द्र अधीक्षक द्वारा इसके विरुद्ध कोई शपथ-पत्र नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

121—डा० अम्मार रिजवी–

(दिनांक 13-7-98 को अता०प्र०सं० 42 द्वारा उत्तरित)

122—श्री अजय कुमार पोइया–

(दिनांक 13-7-98 को अता०प्र०सं० 41 द्वारा उत्तरित)

जनपद जौनपुर में लो० नि० वि० के कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

123—श्री अफजाल अहमद—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०—6398/23–7–97–55 सा० 96, दिनांक 15–10–97 द्वारा उन कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी किये गये हैं, जो 31–3–97 को पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में लो० नि० वि० जौनपुर में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ। नियमित पदों की उपलब्धता के अनुसार कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु उक्त शासनादेश जारी किया गया है।

जी नहीं। उपलब्ध पदों के अनुसार स्क्रीनिग/चयन समिति की बैठक दिनांक 23–6–98 की संस्तुतियों के आधार पर आदेश दिनांक 24–6–98 द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है।

जनपद गोण्डा के उत्तर व दक्षिण वन प्रभागों के रेंज रेहरा/सादुल्लानगर/कुंआना टिकरी/मांभर/तुलसीपुर (जनकपुर) में अवैध कब्जेदारों को बेदखल किये जाने की मांग

124—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 97 से 30–4–98 के बीच में दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज रेहरा/सादुल्लानगर/कुंआना/टिकरी/भांभर/तुलसीपुर (जनकपुर) में कितने हेक्टेयर वन भूमि धारा–20 के अन्दर है जिस पर विगत 10 वर्षों से भू-माफिया एवं भट्ठा मालिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है? क्या सरकार वन सीमांकन कराकर अवैध कब्जेदारों को बेदखल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग/उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के रेंज रेहरा/ सादुल्लानगर/ कुंआना/टिकरी/भांभर/तुलसीपुर (जनकपुर) में कुल 30567.28 हे० भूमि धारा–20 के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि घोषित है, जिसमें से विगत दस वर्षों में 162.698 हे० वनभूमि पर अवैध कब्ज़ा है।

अवैध कब्जेदारों से वनभूमि खाली कराये जाने की कार्यवाही पूर्व से की जा रही है। अब तक 121.815 हे० वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी है। शेष के बारे में कार्यवाही चल रही है।

125—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

[4 थे बुधवार में अता० प्र० सं० 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

126—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

[4 थे बुधवार में अता० प्र० सं० 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी में प्राइमरी शिक्षकों की फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

127—श्री भारत सिंह रावत—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल द्वारा वर्ष 1997–98 में प्राइमरी शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां करने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ, जनपद पौड़ी में 22 अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त हुए थे जिनकी सेवाएं समाप्त करके उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

प्रकरण में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है।

जांच में दोषी पायें जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के विद्यालयों के अनुदान के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रसाद एम० एल० सी० के पत्र पर कार्यवाही की मांग

128—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के तीन विद्यालयों को 25,000-25,000—भवन अनुदान देने हेतु आदेश संख्या वि० को०/एम–6/371–207, दिनांक 8–10–93 का अनुपालन कर लिया गया है? क्या उक्त के संबंध में राजेन्द्र प्रसाद एम० एल० सी० का पत्र, सं०–943, दिनांक 7–9–93 उनको प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

जी हाँ।

दो अर्ह विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। एक विद्यालय अनुदान पाने हेतु अर्ह नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ (पट्टी) के उतरास ग्राम सभा में स्व० प्रो० वासुदेव सिंह की जन्म भूमि पर बालिका इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

129—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के उतरास ग्राम में स्व० प्रो० वासुदेव सिंह की जन्म भूमि पर एक बालिका इण्टर कालेज खोलने के आदेश सं०—विक० का० एम०—6/377–207,, दिनांक 8–10–93 का पालन कर लिया गया है? क्या इसी संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं०—1065/स० स० मे० स० वि० व०/93, दिनांक 8–9–93 भी प्राप्त हुआ है? क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं। जिला योजनान्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने की योजना न होने के कारण विद्यालय वर्तमान में खोला नहीं जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के 5 विद्यालयों को श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह एम० एल० सी० के पत्र पर दिये गये अनुदान का विवरण

130—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के 5 विद्यालयों का राजेन्द्र प्रताप सिंह एम० एल० सी० के अनुरोध पर वि० को० एम०—6/276–132/93, दिनांक 3–9–93 द्वारा शिक्षा मद से प्रत्येक को 25–25 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? उक्त पत्र के आदेश का अनुपालन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

पांच में से 2 विद्यालयों को एक-एक लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। तीसरे को रु० 25,000—स्वीकृत किया गया है। एक विद्यालय अनुदान पाने हेतु अर्ह नहीं था। पांचवें विद्यालय को अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

अनुपालन हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के वर्ष 1994–95 के आन्तरिक लेखा परीक्षण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

131—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के वर्ष 1994–95 के आन्तरिक लेखा परीक्षण में तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट की गयी थी? यदि हां, तो सरकार ने इन दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जी हाँ। दिनांक 23–4–1997 को आन्तरिक लेखा परीक्षण की अनुपालन आख्या प्राप्त करने एवं अनुपालन आख्या के परीक्षणोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लोक निर्माण विभाग में कई वर्षों से कार्यरत मस्टर रोल (गैंग मेटों) की नियमित नियुक्ति के संबंध में जानकारी

132—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत 10–15 वर्षों से विभाग में मस्टर रोल के रूप में (दैनिक मजदूरी) कार्य करने वाले गैंग मेटों को नियमित नियुक्ति देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग के 29-6-91 से पूर्व से कार्यरत समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिनकी दिनांक 31-3-97 तक 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूरी हो गई हो, को रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रभारित अधिष्ठान में समायोजित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधे नियमित नियुक्ति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लोक निर्माण विभाग, गोण्डा/बलरामपुर के निर्माण कार्यों का विवरण

133—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड-1/3, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा/बलरामपुर को वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98 में किन-किन मार्गों का लेपन कार्य तथा गड्ढा मुक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा उससे क्या-क्या कार्य कराये गये? क्या सरकार टी० ए० सी० भेजकर कराये गये कार्यों की जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

लेपन कार्यों की सूची संलग्न है।† गड्ढा मुक्त कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के निर्माण खण्ड-1/3 लोक० नि० वि० में कार्यरत सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

134—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड-1/3 लोक० नि० वि०, गोण्डा के अन्तर्गत वर्तमान समय में पांच वर्षों से अधिक कौन-कौन सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता कार्यरत हैं? उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार पांच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

केवल एक अवर अभियन्ता श्री जवाहर लाल निर्माण खण्ड-1 में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति में जनपद में 7 वर्ष से अधिक समय से तैनात अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद बलरामपुर में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरौला के लिए भवन की व्यवस्था

135—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 1, अप्रैल, 1998 से 31 मई, 98 के बीच मा० मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा तथा जिलाधिकारी, बलरामपुर को इस आशय का पत्र दिया था कि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उतरौला भवन विहीन है और उसके सुचारु रूप से चलाने हेतु व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

दिनांक 16-4-98 का पत्र प्राप्त हुआ है। उतरौला जनपद बलरामपुर में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित है जो भवन विहीन है। उक्त विद्यालय किराये के भवन में चलाया जा रहा है। मा० विधायक जी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

उत्तरांचल के कुमायूं एवं पश्चिमी वृत्त के वन प्रभागों के क्षेत्राधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक कार्यवाही की मांग

136—श्री राजधारी—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के कुमायूं एवं पश्चिमी वृत्त के वन प्रभागों में कितने अधिकारी विशेषतः वन क्षेत्राधिकारी (रेंजर) ऐसे हैं, जो पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही वन प्रभाग में कार्यरत हैं? विभागीय स्थानान्तरण नीति क्या है? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रभाग से बाहर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

उत्तरांचल के कुमायूं एवं पश्चिमी वृत्त के वन प्रभागों के 119 वन क्षेत्राधिकारियों में से मात्र 6 वन क्षेत्राधिकारी ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही वन प्रभाग में कार्यरत हैं।

विभागीय स्थानान्तरण नीति कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 14-4-98 के अनुरूप है जिसके अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण यथासंभव कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे तथा उत्तराखण्ड क्षेत्र में तैनाती की सामान्य अवधि पांच वर्ष एवं अपवाद स्वरूप सात वर्ष होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में रामपुर-मथुरा चौका नदी पर बने अधूरे पुल को पूर्ण किये जाने की मांग

137—डा० अम्मार रिजवी—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर में रामपुर-मथुरा चौका नदी पर जिस पुल का निर्माण हुआ है, जो दोनों तरफ से अधूरा है और अप्रोच रोड नहीं बनी है? क्या इस त्रिशंकु पुल को प्रयोग में लाने के लिये सरकार सक्रिय कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग उन्नाव/हरदोई के श्री सी०बी० द्विवेदी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

138—श्री बाबू लाल कुरील—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 24-4-98 जो श्री सी० बी० द्विवेदी, खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड-2, लो० नि० वि०, उन्नाव के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संबंध में था, पर अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव/हरदोई वृत्त लो०नि०वि०, उन्नाव के जांच आदेश के पत्रांक 1375शि/332 शि०-उ०/ह० वृत्त/98, दिनांक 1-5-98 में क्या तथ्य प्रकाश में आये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों? जांच कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव/हरदोई वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा जांच करायी जा रही है।

जांच की जा रही है।

शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में 91-मल्लावां नि० क्षे० के वि०ख० मल्लावां के ग्राम मेंहदीपुर को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने की मांग

139—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग 1800 की आबादी वाला ग्राम मेंहदीपुर अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त मेंहदीपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में वि०ख० मल्लावां के ग्राम सराँय सुल्तान के मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

140—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का ग्राम सराँय सुल्तान लगभग 1400 की आबादी होते हुए भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त सराँय सुल्तान ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में वि०ख० मल्लावां के ग्राम भड़वल सलेमपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

141—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग 1600 की आबादी वाला भड़वल सलेमपुर ग्राम मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त भड़वल सलेमपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

सीमित संसाधनों के दृष्टिगत सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई में वि०ख० मल्लावां के ग्राम शहाबुद्दीनपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

142—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग दो हजार की आबादी वाला शहाबुद्दीनपुर ग्राम अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त शहाबुद्दीनपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद हरदोई में वि०ख्र० मल्लावां के ग्राम सुमेरपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

143—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग 1600 की आबादी वाला ग्राम सुमेरपुर आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार उक्त सुमेरपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद मैनपुरी ग्राम बड़ाहार मौजा सकन बेवर व ग्राम नगला केहरी मौजा बझेरा ब्लाक बेवर में क्रमशः प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण का मामला

144—श्री राम औतार शाक्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बड़ाहार मौजा सकन बेवर व ग्राम नगला केहरी मौजा बझेरा ब्लाक बेवर में क्रमशः प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के नवीन भवनों के निर्माण में मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी ने प्रधानों के स्थान पर खाता अन्य सरकारी कर्मचारियों के नाम खोले जाने के आदेश दिसम्बर, 1997 में कर दिया था और एक चेक बाबत एक किश्त बी०डी०ओ० के नाम भी जारी कर दिया था? यदि हां, तो विद्यालय भवनों के निर्माण में अब विलम्ब का क्या कारण है? क्या यह सच है कि पुनः आदेश बदलकर प्रधानों के नाम खाता खोले जाने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पूर्व आदेश बहाल करेगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

जी नहीं।

जिला शिक्षा समिति के निर्णयानुसार प्राथमिक विद्यालय बड़ाहार के भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया, किन्तु निर्धारित मानक के विपरीत होने की शिकायत की जांच में ग्राम बड़ाहार के निर्धारित मानक के आधार पर प्राथमिक विद्यालय गजियापुर एवं झण्डेपुर से सेवित पाये जाने पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला केहरी के निर्माण कार्य में विलम्ब ग्राम विकास अधिकारी की निष्क्रियता के फलस्वरूप हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च प्राथमिक विद्यालय, नगला केहरी के भवन का कार्य प्रगति में होने के कारण सम्प्रति इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-5-98 बावत विश्राम गृह, बांगरमऊ एवं फतेहपुर जिला उन्नाव की जांच तथा कार्यवाही की मांग

145—श्री राम शंकर पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-5-98 का पत्र बावत विश्राम गृह, बांगरमऊ एवं फतेहपुर जिला उन्नाव की जांच के संबंध में उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के रिक्त पदों पर पूर्व की भांति बी० एड० अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विचाराधीन प्रस्ताव

146—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों के रिक्त पदों पर पूर्व की भांति बी० एड० अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में निर्माण निगम यूनिट नं० 1 के अधिकारियों का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर किये जाने की मांग

147—श्री मुरलीधर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निर्माण निगम लखनऊ की यूनिट नं०-1 में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कि विगत 5 वर्षों या उससे अधिक समय से लखनऊ में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी अधिकारियों का स्थानान्तरण जनपद लखनऊ के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

पूर्व यूनिट नं०-1 का विलय निर्माण निगम के कार्यालय आदेश संख्या 872/विविध-30—रा० नि० नि०/98–8, दिनांक 27-3-98 द्वारा यूनिट-19, लखनऊ में कर दिया गया है। पूर्व

यूनिट नं०-1, लखनऊ के तीन अधिकारी विगत 5 वर्षों या उससे अधिक समय से लखनऊ में ही कार्यरत हैं।

निर्माण निगम में लखनऊ में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करने का कोई बाध्यकारी नियम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर विसवां में निर्माण निगम के यूनिट नं०-1 द्वारा वर्ष 1997 में कराये गये कार्यों में मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग न किये जाने की शिकायत

148—श्री मुरलीधर—

क्या सरकार को जानकारी है कि निर्माण निगम के यूनिट नं०-1 लखनऊ द्वारा बिसवां, सीतापुर में विगत वर्ष 1997 में कराये गये कार्यों में निर्धारित मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग न करके घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी जाँच करवाकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में माध्यमिक शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने की मांग

149—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में माध्यमिक शिक्षा हेतु कोई राजकीय इण्टर कालेज नहीं खोला गया है ? यदि नहीं, तो क्या कोई राजकीय इण्टर कालेज खोलने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? कालेज की स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद के जिला प्लान में परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद गोण्डा के टिकरी रेन्ज में वन पार्क बनाये जाने की मांग

150—श्री राम औतार शाक्य–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के टिकरी रेंज में वन पार्क बनाने की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

151—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

(4थे बुधवार में अता०प्र०सं० 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम मडौली खुर्द में प्राइमरी विद्यालय के ध्वस्त भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

152—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा अन्तर्गत ग्राम मडौली खुर्द को प्राइमरी विद्यालय भवन निर्म्माण हेतु वर्ष 1995-96 में जिला शिक्षा अधिकारी, बांदा को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी थी ? क्या निम्न स्तर की निर्माण सामग्री प्रयुक्त किये जाने के कारण उक्त भवन एक वर्ष में ध्वस्त हो गया है ? क्या निर्माण में की गयी अनियमितताओं की तकनीकी जांच कराकर धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

विद्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 के स्थान पर वर्ष 1993-94 में धनराशि रु० 1,55,000 स्वीकृत की गयी है ।

जी नहीं ।

निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं अनियमितताओं के संबंध में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के तकनीकी जांच कराये जाने के निर्देश दे दिये गये है । तकनीकी जांचोपरान्त अनियमितता की पुष्टि की दशा में संबंधित के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के लोक निर्माण विभाग द्वारा पी०एल०ए० से निकाले गये धन की जानकारी देने की मांग

153—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा के पी०एल०ए० एकाउन्ट में 31-3-1997 तक कुल कितनी धनराशि जमा थी ? उक्त धनराशि के कितने रुपये ब्याज के रूप में बैंक से प्राप्त किये गये तथा उक्त धनराशि का व्यय किस मद में किया गया ? क्या पी०एल०ए० एकाउन्ट से प्राप्त ब्याज की धनराशि का उपयोग अधिशासी अभियन्ता द्वारा निजी व्यय में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी से वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पी०एल०ए० में कोई धनराशि नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं के लिए दी गई धनराशि का विवरण एवं जांच

154—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों हेतु वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या यह सही है कि भवनों के निर्माण में निर्धारित माप-दण्डों का पालन नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ग्राम पारपा, ब्लाक धौलाना (गाजियाबाद) फूलपुर-तहसील मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम कोहरौली एवं ग्राम इकलैडी ब्लाक धौलाना में निर्माणाधीन विद्यालय भवन में निर्धारित मापदण्डों का पालन न करके भवन निर्माण सामग्री कम मात्रा में प्रयोग कर वांछित धनराशि बचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या मा० मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त विद्यालय भवन में वास्तविक रुप से कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या मा० मंत्री जी उक्त कार्यों की जांच करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेंवायें समाप्त किये जाने का औचित्य

155—श्री आर० के० सिंह पटेल–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम सोमवार के अता०प्र०सं० 105 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि 3 जून, 1994 को किसी भी लिपिक की सेवायें समाप्त नहीं की गयी तो क्या 4 जून, 1994 को कतिपय दैनिक वेतनभोगी लिपिकों की सेवायें समाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वरिष्ठ दैनिक वेतन भोगी श्री सीताराम अनु० जाति की सेवायें समाप्त कर सबसे कनिष्ठ लिपिक श्री धर्मदास अनु० जाति की सेवाएं समाप्त नहीं की गयी और उन्हें नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? श्री सीताराम को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

परिषद् में फसली आधार पर कुछ अवधि हेतु मस्टर रोल पर लिपिकीय तथा चतुर्थ श्रेणी कार्यों के निस्तारण हेतु मजदूर रखे जाते हैं अतः इनकी कोई पारस्परिक ज्येष्ठता नहीं होती है । श्री सीताराम (अनु० जाति) भी फसली कार्य के लिए रखे गये थे, जिनकी सेवाओं को आवश्यकता न रह जाने पर इन्हें 4-6-94 से हटा दिया गया । श्री धर्मदास (अनु०जाति) की निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय सेवा योजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची मंगाकर चयन समिति की संस्तुति पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर रु० 950-1500 में नियुक्त किया गया है । इस नियुक्ति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम बलछट, ब्लाक हरख के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को आहार वितरित न किये जाने का मामला

156—श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बलछट, ब्लाक हरख, जनपद बाराबंकी स्थित प्राथमिक विद्यालय में छात्रों का वर्ष 1997-98 से वितरित किया जा रहा आहार लगभग 4 माह से वितरित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अप्रैल-जुलाई 97 तथा फरवरी, मार्च, 98 का खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ है ।

अप्रैल, जुलाई, 97 तथा मार्च, 98 का खाद्यान्न कोटेदार के स्तर से नहीं बांटा गया है ? फरवरी, 98 का खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त नहीं हुआ है । कोटेदार को बदल दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम बलछट ब्लाक, हरख के प्राथमिक विद्यालय में छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग

157—श्री फरीद महफूद किदवई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलछट ब्लाक हरख जनपद बाराबंकी स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा वर्ष 1997-98 में अल्पसंख्यक समुदाय के 85 छात्र अंकित हैं परन्तु केवल 30 छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांचोपरान्त कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल –

विद्यालय में कुल 81 छात्र अंकित हैं, जिसमें से 30 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

शिक्षा विभाग द्वारा संस्तुत कुल 81 अल्पसंख्यक छात्रों के सापेक्ष अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 30 छात्रों के लिए ही धन आवंटित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के विकास नगर स्थित मार्गों को खड़ञ्जायुक्त करने की मांग

158—श्री राजधारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास नगर, लखनऊ स्थित भवन संख्या–5/866 से संख्या–5/889 तक तथा भवन संख्या–5/821 से 5/816 तक खड़ञ्जायुक्त मार्गों का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विजय कुमार वैश्वार 5/819, विकास नगर, लखनऊ तथा अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र मा० कृषि मंत्री की संस्तुति पत्र सहित मार्च, 1998 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों मार्गों

का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इन दोनों मार्गों का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के वि० ख० मल्लावां के ग्राम पूरनपुर नेकपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

159—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का ग्राम पूरनपुर नेकपुर जिसकी आबादी लगभग दो हजार होते हुए भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हैं।

जनपद हरदोई के वि० ख० माधौगंज के ग्राम सुआपुर काजोपुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

160—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम सुआपुर काजोपुर जिसकी आबादी एक हजार एक सौ सोलह होते हुए भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चंदौली के चकिया तहसील, मिर्जापुर एवं सोनभद्र की नंगी पहाड़ियों का अवैध खनन एवं रोजगार मुहैया कराने की मांग

161—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चंदौली, जनपद के चकिया तहसील, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में वृक्ष रहित अनेक नंगी पहाड़ियां हैं जिसमें अवैध खनन हो रहा है? क्या कमजोर वर्गों

को रोजगार मुहैया कराने एवं सरकारी राजस्व में वृद्धि की दृष्टिगत रखते हुए सरकार उक्त नंगी पहाड़ियों का उच्च स्तरीय सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार पट्टा आवंटित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

कुछ स्थानों पर अवैध खनन के मामले प्रकाश में आये हैं।

ऐसी भूमि जहां पर खनिज उपलब्ध है तथा वन की परिभाषा में नहीं आती है, वहां पर नियमानुसार पट्टा देने की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

162—श्री मोहन सिंह रावत गाँववासी—

[5वें शुक्रवार में अता०प्र०सं० 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिए मैरिट निर्धारण

163–श्री छब्बू पटेल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की व्यवस्था के संदर्भ में बी० एड०/एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे? क्या बी० एड०/एल० टी० एवं एम० एड० के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा में एन० एस० एस० सर्टिफिकेट धारकों के लिये बोनस अंक मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये मैरिट निर्धारण करते वक्त एन० एस० एस० पर भी एन० सी० सी० की तरह निर्धारित बोनस अंक देगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हाँ।

एल० टी० और बी० एड० में बोनस अंक प्रदान करने की व्यवस्था है।

जी हाँ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की दशा में जनहित में सी० पी० एड०, बी० एड०, एल० टी० डी० पी० एड० एवं बी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर छः माह का बी० टी० सी० प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 9 जनवरी, 1998 द्वारा की गई है। उक्त तिथि को बी० टी० सी० प्रवेश प्रशिक्षण हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित थी। अतः एन० एस०एस० को बोनस अंक प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं है।

गढ़वाल मण्डल के सी० टी० संवर्ग के अध्यापकों को एल० टी० संवर्ग में संविलीन करने की मांग

164–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापकों की सी० टी० संवर्ग में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत 50 प्रतिशत कोटे में पदोन्नति की गई? क्या वर्ष 1989 में सी० टी० संवर्ग समाप्त होने पर गढ़वाल मण्डल के दीक्षा विद्यालयों से संबंधित अध्यापकों की 10 वर्ष की सेवा पर बी० टी० सी० से एल० टी० में संविलीन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि कुमायूं मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालयों के समस्त अध्यापक सी० टी० से 10 वर्ष की नियमित व सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त एल० टी० में संविलीन हो गये हैं? यदि हां, तो गढ़वाल मण्डल में ऐसे पदधारी व इसी प्रकृति के शिक्षकों को उक्त लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया? उक्त लाभ कब तक दे दिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा के आदर्श कामिनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स हाई स्कूल के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1997 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

165—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श कामिनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स हाई स्कूल, गोवर्धन, मथुरा के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1997 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

डा० नैपाल सिंह—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-2-98 प्राप्त हुआ है, जिसमें आदर्श कामिनी शिक्षा निकेतन गर्ल्स हाईस्कूल गोवर्धन मथुरा को व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

व्यवसायिक शिक्षा योजना पूर्णतया केन्द्र पुरोनिधानित है। भारत सरकार से इस हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण संदर्भगत विद्यालय को सम्प्रति योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

आर० वी० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहिंजरी कानपुर देहात के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार निर्गत की गयी नोटिस

166—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–108 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत कार्यवाही करने के लिये दिये गये आदेशों के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

आर० बी० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कहिंजरी, कानपुर देहात के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अधिनियम की धारा 16 डी (3) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है जिस पर क्षेत्रीय अधिकारियों की आख्या प्राप्त हुई। निदेशालय स्तर पर आख्या के परीक्षणोपरान्त कतिपय तथ्य अस्पष्ट पाये गये। निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट एवं पुष्ट आख्या संस्तुति सहित भेजने के निर्देश दिये गये हैं। निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को स्मरण कराया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों से वांछित आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कन्या पाठशाला सं० 2 सरसावां जनपद सहारनपुर परगना अधिकारी/किराया नियंत्रण अधिकारी नकुड़ जनपद सहारनपुर के निर्णयानुसार बढ़े हुये किराये के भुगतान का मामला

167—श्री संजय गर्ग—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या पाठशाला सं०–2 सरसावां जनपद सहारनपुर का परगना अधिकारी/किराया नियंत्रण अधिकारी नकुड़ जनपद सहारनपुर के निर्णयानुसार दिनांक 1-6-89 से बढ़े हुये किराये का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी नहीं।

शिक्षा निदेशक (बे०) को प्रकरण में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

एटा जिले के अध्यापकों को नियमित वेतन का भुगतान

168—श्री नेतराम सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक (एटा) अपने पत्र संख्या–24-9-97 को प्रबन्धक/प्रधानाचार्य आजाद गांधी इण्टर कालेज, कासगंज (एटा) को अध्याप़कों के वेतन भुगतान के आदेश दिये थे? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने हेतु कौन दोषी है। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं। अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये गये थे बल्कि प्रधानाचार्य के वेतन बिल पारण हेतु लेखाधिकारी को जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा द्वारा आदेश दिये गये थे। विद्यालय के अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बांदा के खैरी रैपुरा मार्ग के निर्माण कार्य की तकनीकी जांच एवं सन्तोषजनक कार्य

169—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खैरी रैपुरा सम्पर्क मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-98 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां, जिलाधिकारी बांदा द्वारा खैरी रैपुरा सम्पर्क मार्ग के कार्य की तकनीकी जांच सहायक अभियंता तृतीय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बांदा से कराई गई। कार्य व्यय के अनुरूप एवं संतोषजनक पाया गया।

जनपद फतेहपुर में संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, छात्र आदि का विवरण

170—श्री मुरलीधर—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने संस्कृत विद्यालय हैं? उनमें कितने छात्र अध्ययन करते हैं? कितने शिक्षक सेवारत हैं? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं? क्या इन संस्थाओं की जांच सरकार करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जनपद फतेहपुर में 17 संस्कृत विद्यालय है जिसमें कुल मिलाकर 103 छात्र अध्ययन करते हैं तथा 74 शिक्षक सेवारत है। जांच कराकर यथावश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद मैनपुरी के कुसमरा कस्बे में महाकवि देव की पाण्डुलिपियों के रख-रखाव हेतु किए गए उपायों की जानकारी

171—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हिन्दी के महाकवि देव की स्मृति में "महाकवि देव स्मारक समिति कुसमरा, जनपद मैनपुरी" के तत्वावधान में "महाकवि देव स्मारक" का विशाल भवन कुसमरा में बनवाया गया था? क्या यह सच है कि श्री देव कवि की कृतियों की पाण्डुलिपियां भी मौजूद रही हैं? यदि हां, तो सरकार ने उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की है? क्या उक्त संस्था का जिलाधिकारी पदेन अध्यक्ष है? यदि हां, तो उक्त भवन के रख-रखाव, पुस्तकालय की व्यवस्था एवं समिति के रजिस्ट्रेशन आदि के विषय में जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी ने विगत तीन वर्षों में व उससे पूर्व क्या कारगर कदम उठाये? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

मैनपुरी जनपद के कुसमरा कस्बे में महाकवि देव की स्मारक के रूप में एक लघु भवन निर्मित किया गया था।

पाण्डुलिपियां उपलब्ध होने के बिन्दु का परीक्षण कराया जा रहा है।

जी नहीं।

जी हां।

समिति के रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय, आगरा से आवश्यक कार्यवाही कराई जा रही है।

जनपद–जालौन को वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि का विवरण

172—श्री श्रीराम पाल —

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि को डी० आर० डी० ए० उरई जालौन द्वारा कौन-कौन कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किया गया है? प्रत्येक परियोजना पर स्वीकृत व अवमुक्त की गयी धनराशि कितनी-कितनी है। क्या 31-3-98 तक प्रत्येक परियोजना कार्य पूर्ण हो गया है? क्या कार्य पूर्ण होने या न होने की स्थिति में कार्यों का मूल्यांकन मापन तथा भौतिक सत्यापन प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मण्डलेश्वर सिंह —

वर्ष 1997-98 में डी० पी० ए० पी० योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मु० 20.00 लाख रुपया तथा राज्य सरकार द्वारा मु० 20.00 लाख रुपया कुल मु० 40.00 लाख रुपये की धनराशि को डी० आर० डी० ए० द्वारा निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किया गया है :–

1—भूमि संरक्षण अधिकारी, डी० पी० ए० पी० उरई।

2—भूमि संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय जलागम, उरई।

3—भूमि संरक्षण अधिकारी, डी० पी० ए० पी०, रामगंगा कमाण्ड परि०, उरई।

4—समग्र विकास संस्थान, उरई।

5—वीरांगना झलकारी बाई महिला बाल विकास शिक्षा समिति, उरई।

6—परमार्थ सामाजिक विकास संस्थान, ग्राम मिर्जापुर, उरई।

7—हितकारिणी समाज सेवा संस्थान, उरई।

8—पी० के० लोक विकास संस्थान, काशीरामपुर।

9—डा० भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास समिति, जोल्हूपुर (जालौन)।

10—सेवा विकास संस्थान, उरई।

11—आदर्श रचनात्मक कार्य सेवा संस्थान, कालपी।

प्रत्येक परियोजना पर स्वीकृत व अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

परियोजना का नाम	स्वीकृत व अवमुक्त की गयी धनराशि (लाख रुपये)	
ऐर बी–49	3.609	3.159
ददरी बी–58	3.156	2.926
दीकर बी–45	4.540	—

परियोजना का नाम	स्वीकृत व अवमुक्त की गयी धनराशि (लाख रुपये)	
ददरी बी–55	3.950	—
ददरी बी–56	3.900	—
ददरी बी–57	3.500	—
ददरी बी–59	5.889	—
बबीना	7.358	—
सौधी	7.112	6.127
कठपुरवा	3.179	2.882
ताहरपुर	4.845	—
सुजानपुर	1.774	1.342
जलालपुर चुर्खी	3.856	3.360
सरसई "ए"	3.856	3.360
धामिनी	5.206	4.501
रिनिया बेदेपुर	4.742	4.142
न्यामतपुर	5.672	4.844
सरसई "बी"	3.856	3.360

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की नवीनतम गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रभावी व्यवस्था है। अतः कार्यों के पूर्ण होने या न होने की स्थिति में कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में कराये जाने का अवसर नहीं बनता है।

जनपद बागपत के बडौत बुढ़ाना मार्ग के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन का मुआवजा दिलाने के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

173–श्री समरपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि 30 वर्षों के बाद भी अभी तक जनपद बागपत के बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग में अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा अभी बाकी है? इन किसानों को मुआवजा दिलवाने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी? यदि हां, तो कब तक मुआवजा किसानों को मिल जायेगा? क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

केवल ग्राम बामनौली के किसानों का आंशिक भुगतान शेष है।

जी हाँ।

वास्तविक भू-स्वामियों की पहचान के उपरान्त आपसी समझौते के आधार पर रजिस्ट्री कराने के बाद चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में भुगतान प्रस्तावित है।

जी नहीं, कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ (पौड़ी) को रीजनल कालेज बनाने की मांग

174–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ (पौड़ी) चार ट्रेडों से चल रहा है? क्या गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ (पौड़ी) का जनहित में रीजनल कालेज शासन बनायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हाँ।

जी नहीं।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज भारत सरकार की सहमति से प्रायः राज्य में एक से अधिक नहीं खोले जाते जिसका 50 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है? चूंकि प्रदेश में मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज स्थापित है, अतः गोविन्द बल्लभ पंत इजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी) को रीजनल कालेज बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता?

होटल त्रिशूल ब्रिज (रमोला टूरिस्ट लाज) को चम्बा टिहरी गढ़वाल के श्री रमोला को वापस दिये जाने विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

175–श्री लाखी राम जोशी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने होटल त्रिशूल ब्रिज (रमोला टूरिस्ट लाज) चम्बा टिहरी गढ़वाल को वापस श्री रमोला को किये जाने विषयक पत्र संख्या सी० एम० /वि०को० /एम–1/8676/टिहरी गढ़वाल /98 दिनांक 3-4-98 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० वित्तीय निगम कानपुर को निर्देशित किया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही में विलम्ब के कारण क्या हैं?

श्री कल्याण सिंह–

जी हाँ।

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार धारा–29 के अन्तर्गत ही श्री रमोला को दिनांक 20-1-96 के पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित किया गया कि वे विक्रय के शर्तों के अनुसार धनराशि जमा करके होटल स्वयं खरीद सकते हैं। किन्तु श्री रमोला द्वारा होटल स्वयं खरीदने में रूचि नहीं दिखायी गयी। उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा होटल का विक्रय वर्ष जनवरी, 1996 में रु० 29.50

लाख में किया गया। होटल के विक्रय के विरूद्ध इकाई के स्वामी श्री रमोला द्वारा मा० उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिस पर मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 8-11-96 को यह आदेश दिया गया कि वे दिनांक 16-11-96 तक रु० 30.00 लाख निगम में जमा कर दें। लेकिन इकाई के स्वामी द्वारा धनराशि निगम में जमा नहीं करायी गयी। बिक्री का बैनामा भी इकाई के क्रेता के पक्ष में निगम द्वारा मार्च, 96 में किया जा चुका है। अतः श्री रमोला को, इकाई वापस करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित नौगढ़ ब्लाक वन विभाग के विकास हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

176–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार को ज्ञात है कि चकिया विधान सभा में स्थित नौगढ़ ब्लाक, वन विभाग का आरक्षित क्षेत्र घोषित होने के कारण विकास कार्य अन्य एजेन्सी द्वारा कराये जाने पर प्रतिबन्धित है। क्या इस प्रतिबन्ध के चलते उक्त क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तौर पर अवरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासी बहुल उक्त अति पिछड़े क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये एक कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

चकिया विधान सभा क्षेत्र में स्थित नौगढ़ विकास खण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र में से 58108.16 हेक्टेयर क्षेत्र को ही भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित किया गया है। दिनांक 25-10-1980 से लागू वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में कोई भी गैर वानिकी कार्य बिना भारत सरकार की स्वीकृति के नहीं कराया जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि पर गैरवानिकी विकास कार्यों को भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्ताव भेजने पर अनुमति मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। नौगढ़ विकास खण्ड में वन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में वनेत्तर कार्य किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के प्रा० पा० वनिहार के अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति बांटने में की गई हजारों रुपये की धांधली का मामला

177–श्री रमेश राही–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के प्रा० पा० वनिहार में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटने में हजारों रुपये की अनियमितितायें की गयी है? क्या उक्त मामले की जांच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिगेडियर विद्याधर संस्कृत विद्यालय, भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ सितोनस्यूं पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय अनुदान

178–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी'' ––

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्रिगेडियर विद्याधर संस्कृत विद्यालय, भ्वनेश्वरी सिद्ध पीठ सितोनस्यूं पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय अनुदान सूची में लेने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या ब्रिगेडियर विद्याधर संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी सिद्धपीठ सितोन्स्यूं पौड़ी गढ़वाल को कब तक वित्तीय अनुदान प्राप्त होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर स्थित कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़ को सरकार द्वारा बेचे जाने के कारणों की जानकारी

179–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांटीनेंटल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री, बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को सरकार ने बेच दिया है? यदि हां, तो इसे कितने रुपये में बेंच दिया और इसे बेचने के क्या कारण थे?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० गणेश कृष्ण जेतली इन्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेदकर नगर परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक द्वारा संस्थागत प्रबन्धक के विरुद्ध जांच की मांग

180–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० गणेश कृष्ण जेतली इन्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा कोई पत्र अर्चन सहायक अध्यापक पत्रांक 01/98-99, दिनांक 3-4-98 को लिखा गया है जिसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद अम्बेडकर नगर व अपर सचिव मा० शि० प० अर्दली बाजार, वाराणसी को भी भेजी गयी है? यदि हां, तो उक्त पत्र के आधार पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी हाँ।

संबंधित अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में संस्था प्रबन्धक को किया जाना है। संस्था प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 14 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं।

(एक सूचना श्री राम तेज यादव एडवोकेट तथा दूसरी सूचना श्री ओंकार सिंह व श्री राम खिलाड़ी की है, जो अनुपस्थित हैं)

चूँकि दो सूचनाओं से सम्बन्धित माननीय सदस्य अनुपस्थित है, इसलिये प्रतीक्षा सूची से श्री कृपा शंकर सिंह तथा श्री अजय कुमार पोइया की सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद देहरादून की तहसील विकास नगर में सम्मिलित कुछ गांवों को पूर्व की भांति तहसील सदर (देहरादून) में रखने की मांग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना चौहान–

[मान्यवर, देहरादून जनपद में ऋषिकेश व विकास नगर दो नई तहसीलों का सृजन हुआ है। तहसील विकास नगर में सम्पूर्ण विकास खण्ड विकास नगर तथा विकास खण्ड सहसपुर के अधिकांश ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। तहसील विकास नगर का सृजन जनता की मांग केअनुरूप है और इस तहसील के सृजन का उद्देश्य जनता को अधिक सुविधा देना था परन्तु इसमें कुछ विसंगतियां हो गयी। सहसपुर विकास खण्ड के उन तमाम ग्रामों को भी तहसील सदर से पृथक करके तहसील विकास नगर में सम्मिलित किया गया जिन्हें प्राकृतिक/भौगोलिक दृष्टि से विकास नगर तहसील मुख्यालय जाना अत्यंत असुविधाजनक है। ऐसे सभी ग्रामों की जनता जिन्हें तहसील विकास नगर असुविधाजनक है, निरन्तर मांग कर रही है कि उन्हें तहसील विकास नगर से पृथक करके तहसील सदर में पूर्व की भांति रखा जाय और धरना, प्रदर्शन करके, स्थानीय प्रशासन, राजस्व परिषद् व शासन की ज्ञापन दे चुकी हैं परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। क्षेत्र पंचायत सहसपुर ने भी प्रस्ताव किया है कि विकास नगर सुविधाजनक नहीं है उन सभी ग्रामों को पूर्व की भांति तहसील सदर में सम्मलित किया जाय और जिन ग्रामों को तहसील विकास नगर सुविधाजनक है उन्हें विकास नगर तहसील में रहने दिया जाय। शासन के निराशाजनक रवैये से जनता आंदोलित है।

विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः सदन में चर्चा करके शासन से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान्य गया।

आगरा नगर में पेयजल की गम्भीर समस्या के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल बघेल–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक नगरी आगरा में पेयजल की अत्यंत गम्भीर समस्या है जिसके कारण वहां के नागरिकों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ताज महल की नगरी आगरा में विश्व भर से पर्यटक आते हैं एवं पेयजल की समस्या के कारण पर्यटक व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है एवं विदेशी पर्यटकों के आने में कमी होने के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भी कमी हो रही है। पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु आगरा बैराज का विगत वर्षों में दो बार उद्घाटन किया गया परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। यदि यमुना नदी पर आगरा बैराज बन जाय तो आगरा नगर की पेयजल समस्या दूर हो जाएगी।

अतः मा० अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आगरा बैराज का निर्माण शीघ्र किए जाने के संबंध में सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों में लघु सिंचाई के अन्तर्गत फ्री बोरिंग में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेज भान सिंह–

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामों में लघु सिंचाई का लक्ष्य जिलों में प्रथम है यह तथ्य विगत जिला योजना में बताया गया है।

श्रीमान इस ब्लाक में लघु सिंचाई अन्तर्गत फ्री बोरिंग दो योजनाओं के द्वारा कराया एक तो लघु सिंचाई के द्वारा दूसरा सूखा सहायता कार्य के द्वारा। लघु सिंचाई के द्वारा कार्य कराया। सूखा सहायता का कार्यक्रम प्राइवेट एजेंसी द्वारा कराया गया। इन दोनों योजनाओं के द्वारा फर्जी बोरिंग दिखायी गयी है। किसी-किसी किसान को दान स्वरूप कुछ पाइपें दे दी गयी हैं और शेष का नाम फर्जी सूची में दर्ज कर पाइप हड़प कर ली गयी है। रामनाथ पुत्र जगेसर सरकारी व हरकरन पुर को चार पाइप देकर भगा दिया गया है। अभी तक इसकी बोरिंग नहीं हुई है। जिला योजना में दोनों कार्यक्रम की बोरिंग का शत-प्रतिशत जांच की मांग की गयी थी। लेकिन एम० आई०, लघु सिंचाई को बिना जांच किए निलम्बित कर दिया गया। सूखा सहायता कार्यक्रम में जो जिले सीधे-सीधे संचालित किए गये है। उसमें शत-प्रतिशत घपला व भ्रष्टाचार हुआ है। कोई जांच का कार्य नहीं किया गया है।

श्रीमान् इस तरह से कार्यक्रम में भ्रष्टाचार तो हुआ है वहीं इस ब्लाक की जनता का भारी शोषण हुआ है। फर्जी लक्ष्य पूरा कर लेने से आगे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इससे सिंचाई कार्यों में यह ब्लाक पीछे चला गया है। जिससे बड़ा असंतोष है।

अतः लोक महत्व के इस तथ्य को सदन के संज्ञान में लाकर इस ब्लाक की शत-प्रतिशत दोनों योजनाओं को सत्यापित कराके दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[महोदय, टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय न होने से अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तथा छात्रायें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। जिसमें आम जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग करता हूँ।]

निदेशालय महिला कल्याण में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी नाथ–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ यह विभाग समाज कल्याण विभाग की कतिपय योजनाओं को तोड़ कर बनाया गया है। अधिकांशतः स्टाफ समाज कल्याण विभाग से ही स्थानातंरित होकर आया है जिसमें कतिपय कर्मचारी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध समाज कल्याण विभाग से ही भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, वह भी आ गए है और यहां भी भ्रष्टाचार करना प्रारम्भ कर दिए है। जिला स्तरीय कर्मचारी निदेशक को स्काच व्हिस्की शराब देने के नाम पर प्रतिदिन हजारों रुपया डरा धमका कर उगाहा जाता है। महिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के गठन के समय शासन द्वारा साज-सज्जा फर्नीचर आलमारी आदि क्रय करने हेतु लाखों रुपया ओहरित किया गया था। जिससे ऊंचे दाम पर घटिया सामान क्रय किया गया संबंधित क्रयों का पैसा अब तक वसूल नहीं हुआ है जांच को विभागीय अधिकारियों ने गोड दिया है। निदेशक के कैम्प में उनका वरिष्ठ आशुलिपिक भी समाज कल्याण विभाग से स्थानान्तरित होकर आया है जिसके खिलाफ पूर्व से भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी उस जांच की भी लीपापोती कर दी गयी। जहां तक मुझे जानकारी है तत्कालीन सचिव, समाज कल्याण, उ० प्र० श्री एस० एस० पांगती ने इस आशुलिपिक का भ्रष्टाचार संबंधी विश्वसनीय शिकायतें प्राप्त होने पर तत्कालीन निदेशक, हरिजन समाज कल्याण, उ० प्र० (श्री राम रतन राम) को एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर इस आशुलिपिक को निदेशक के स्टाफ से हटाने का निर्देश दिया था तथा शिकायतों की जांच कराने के निर्देश दिये थे। अभी हाल में ही एक भूतपूर्व स्वर्गवासिनी को अनियमित नियुक्ति अयोध्या, फैजाबाद में कराई है।

मान्यवर निदेशालय से किराए का कम्प्यूटर जो चोरी चला गया एक नई जीप चोरी चली गयी क्या निदेशक को ऐसा नहीं लगता कि इसमें इन्हीं भ्रटाचारियों की साजिश है।

मान्यवर लोक महत्व के इस प्रश्न में व्यवस्था की मांग करता हूँ कि ताकि मामले की जांच कराकर जो भी दोषी है। उन्हें दण्डित किया जाय ताकि इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रुक सके।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत नील गाय एवं बन्दरों से फसलों को बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृपा शंकर सिंह--

[महोदय, भगवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नील गाय एवं बन्दरों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया हैं जिससे किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं। सम्पूर्ण तहसील बीघापुर एवं पुरवा के पूरे क्षेत्र में व्यापक तबाही आ गयी है। अधिकांश जनता खेती पर आश्रित है। किन्तु नील गाय किसानों की हरी भरी फसल को देखते-देखते बरबाद कर देती है। इतना ही नहीं बन्दरों के आतंक से फसले ही नष्ट नहीं हो रही है बल्कि बाग एवं पेड़ भी नष्ट हो रहे है। यदि अविलम्ब नीलगाय एवं बन्दरों से खेती एवं वृक्षों को न बचाया जायेगा तो क्षेत्रीय जनता अपने घर बार छोड़कर पलायन कर जायेगी। जिस तरह से वृक्षों एवं बागों में बन्दरों की विनाश लीला चल रही है उससे भविष्य में पर्यावरण के लिये भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

अतः लोक महत्व का विषय होने के कारण सम्मानित सदन के समक्ष उठाने की अनुमति प्रदान की जाये।]

पद्मा चतुर्वेदी सेवानिवृत सहायक अध्यापिका छिबरामऊ फर्रुखाबाद को अवशेष वेतन आदि लाभ दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया--

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूँ।

पद्मा चतुर्वेदी सहायक अध्यापिका छिबरामऊ फर्रुखाबाद द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या 11196 (ए) सन् 91 जो कि रिटायरमेंट एवं वेतन के सम्बंध में थी जिसमें 20-8-91 को आदेश भी जारी हो चुका है आर० आई० जी० एस०, कानपुर एवं प्रबंधक तथा प्रधानाध्यापिका छिबरामऊ गर्ल्स इंटर कालेज, छिबरामऊ द्वारा जानबूझ कर न्यायालय के आदेश को तब से क्रियान्वयन नहीं किया गया है जबकि उक्त पद्मा चतुर्वेदी सेवानिवृत्त भी हो गयी है और न ही अवशेष वेतन मिला अथवा अन्य जिसके लिए न्यायालय की शरण गये उसका अनुपालन ही आज तक हुआ यही नहीं आर० आई० जी० एस०, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक टी० के० 9536/38/89-90 दिनांक 4-12-89 द्वारा भी प्रबंधक छिबरामऊ गर्ल्स इंटर कालेज, छिबरामऊ को भी निर्देशित किया गया था।

अतः आपके माध्यम से शासन के मांग करता हूँ कि शासन मा० उच्च न्यायालय के आर० आई० जी० एस०, कानपुर एवं प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापिका छिबरामऊ इंटर कालेज, छिबरामऊ को आदेश पालन सुनिश्चित करते हुये पद्मा चतुर्वेदी सहायक अध्यापिका छिबरामऊ गर्ल्स इंटर कालेज, छिबरामऊ को न्याय प्रदान करते हुए तत्काल सम्पूर्ण अवशेष वेतन आदि जो भी है तत्काल दिलाया जाना सुनिश्चित करे।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 14–7–98 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, वह अनुपस्थित हैं। अगली सूचना श्री राम ललित चौधरी की टेम्पों चालकों की हड़ताल के बारे में है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः इसे अग्राह्य कर रहा हूँ। दूसरी सूचना श्री विजय पाल सिंह की है, उसके लिए दूसरा उपाय है। तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, यह भी नियम 300 में नहीं आती।

तृतीय सत्र 1998 के चौथे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के अनुसार सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मेरी सूचना निश्चित रूप से नियम 300 में आती है। आप स्वीकृति देंगे तो आयेगी, लेकिन जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कहां से आयेगी। इस घटना पर थोड़ा दृष्टिपात कर लें। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, तीन नवयुवक मारे गये, मारे जाने के बाद घटना की जांच कराई गई, कमिश्नर आगरा ने जांच की और उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया और उसके पश्चात् सरकार कार्यवाही न करे। यह सदन संविधान की विभिन्न धाराओं के अनुसार चलता है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन आहूत किया जाता है और उसका पालन न हो, तो क्या होगा। संविधान के अनुसार सभी को जीने का अधिकार है। श्री देवी मेला को देखने के लिए वह लोग गये थे। मान्यवर, अनुराग दुबे बहुत अच्छे वकील थे, होनेहार वकील थे उनके अलावा प्रेम प्रकाश पाण्डेय और श्री नौशाद को पुलिस ने जबरन मार दिया। जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें बताया गया है कि श्री विमल कुमार बाजपेयी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री वी० वी० अवस्थी, क्षेत्राधिकारी नगर एवं श्री आर० बी० सिंह उपनिरीक्षक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया एवं तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट तथा परगनाधिकारी श्री प्रेम शंकर शर्मा को अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन न करने का दोषी पाया गया। यह रिपोर्ट आयी है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब रिपोर्ट आ गयी तो उनके खिलाफ एफ० आई० आर० लाज हो जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए आप दूसरा प्रश्न कर लें। प्रश्न में पूछा था कि इस सामूहिक हत्याकाण्ड का कौन दोषी पाया गया। तो उत्तर आ गया कि इस घटना के लिए श्री विमल कुमार बाजपेयी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री बी० बी० अवस्थी, क्षेत्राधिकारी नगर एवं आर० बी० सिंह, उपनिरीक्षक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और फिर आपने प्रश्न पूछा कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी। इसके उत्तर में यह कहा गया कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है। तो आपको इसके बारे में दूसरा प्रश्न करना चाहिए। लेकिन यह सूचना 300 के अन्तर्गत कैसे आयेगी।

श्री बाबूराम यादव—

उसी दिन एफ० आई० आर० के निर्देश सरकार द्वारा हो जाने चाहिए थे वह अधिकारी अपने-अपने स्थान पर नियुक्त है। किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है आदमी को जिन्दा रहने का अधिकार है। मेरी प्रार्थना है कि नियम 300 में इसको स्वीकार कर लें और शासन को निर्देशित करें।

श्री अध्यक्ष—

आप अलग से प्रश्न कर लें।

श्री राम औतार शाक्य—

विधान सभा में मान लिया कि फलाँ–2 अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है हम आपका संरक्षण मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप संगत नियमों के तहत दूसरा प्रश्न कर लें।

श्री राम औतार शाक्य–

क्या क्या कार्यवाही हुई है, यह तो बता दें?

श्री अध्यक्ष–

श्री बाबूराम यादव को सुनने के पश्चात इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान की है। नियुक्ति हो या न हो इसका इस सदन की प्रक्रिया से क्या मतलब है? आप संगत नियमों में सूचना दें। मैं जरूर सुनूंगा।

अमरावती (महाराष्ट्र) से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन् आप सहमत हो, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है। प्रक्रिया नियमावली के किस नियम के अनुसार आता है बता दें?

श्री मुन्ना चौहान–

संविधान के अनुच्छेद 13 को देखें उसमें व्यवस्था की गयी है कि कोई भी कानून, कोई भी आदेश जो सरकार बनायें वह फन्डामेन्टल राइट्स के डिरोगेटरी होगा तो वह अपने आप में न होगा। (व्यवधान) आगे फिर अनुच्छेद 15 में कहा गया है। देश, वर्ग, धर्म के आधार पर यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है।

श्री अध्यक्ष–

यह कहीं भी आपके कथन में नहीं है जहां धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव किया गया हो।

श्री मुन्ना चौहान–

महाराष्ट्र से प्रशिक्षण लेकर आये है अमरावती से सी० पी० एड० में प्रशिक्षण लेकर आये उनमें से अधिकांश को उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में नियुक्ति दे दी गयी है। यह सरकार का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार है वह किसी पाठ्यक्रम को अमान्य कर दे लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में नियुक्ति दे दी गयी है और कुछ लोगों को नियुक्ति नहीं दी गयी है यह भेदभाव किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रथम दृष्टया भी नहीं आता है। मा० मुन्ना चौहान जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूँ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी। इस बीच में लाइब्रेरी गया था।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह अस्वीकार कर दी है। जिस समय मैंने आपका नाम पुकारा था, उस समय आप अनुपस्थित थे।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने बताया कि मैं लाइब्रेरी गया था।

श्री अध्यक्ष–

वह बात अलग है मैने व्यवस्था दे दी है और आपकी सूचना अग्राह्य कर दी है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज 14-7-98 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी है। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। प्रथम सूचना श्री अम्बरीष कुमार, कुँवर रेवती रमण सिंह, श्री मुन्ना चौहान व श्री बकार अहमद शाह की है और इसी से संबंधित श्री राम सिंह सैनी जी की है। इस पर आप जो तय करें वे मा० सदस्य अपने विचार व्यक्त कर लें।

श्री सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक आवश्यक सूचना मुझे आपको देनी थी। विधान सभा के समक्ष श्री राम नक्षत्र जी तीन दिन से भूख हड़ताल पर है उनकी स्थिति गंभीर है। मुझे अभी सूचना मिली तो मैं धरना स्थल पर भाग कर गया उसे मैं आपके संज्ञान में तत्काल लाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आज प्रातः काल ही कह दिया था।

श्री सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, उनकी स्थिति अत्यन्त खराब है।

श्री अध्यक्ष–

मैने प्रातः काल ही कह दिया है अब अनावश्यक कहने से कोई लाभ नहीं (व्यवधान) आप अनावश्यक व्यवधान डाल रहे है लिखा नहीं जायेगा। जैसा मैने पहले बताया मा० संसदीय कार्यमंत्री आप लोगों के साथ जिसमें मा० पाल जी है चले जायेंगे उनसे अनुरोध करेंगे। यह बात मैनें 10 बजे ही बता दी थी बाद में जो होगा वह आपको मालूम हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह जिस क्रम में सूचना होगी, उस वक्त ले लेंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ग्राह्यता पर अपनी बात कह रहा हूँ। हरिद्वार एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां की कुछ मर्यादायें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। इस शहर को पवित्र शहर बनाने की बात पर नगरपालिका परिषद् के उपनियमों में है और आनन्दपुर साहिब और अमृतसर से पवित्र नगर बनाने के संदर्भ में केन्द्र शासन ने मंगाकर देखा और इन उपनियमों के आधार पर हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यहां प्रारम्भ से ही मांस की बिक्री पर, मद्यपान पर, मद्य की बिक्री पर रोक लगी हुई है और हरिद्वार की पवित्रता अक्षुण है।

मान्यवर, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ चेयरमैन नगरपालिका परिषद् अधिकारियों और कुछ लोगों की साजिश से हरिद्वार की पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है। वहां 9 जुलाई से श्रावण मेला भी शुरू हो गया है जिसमें 20 लाख यात्री देश भर से आये हैं। वहां के एक होटल क्लासिक रेजीडेन्सी को 60/65 लाइसेन्स संख्या 2 जुलाई को जारी किये गये। जिसमें यह मांस पकाने, मास सर्व करने, मांस भक्षण करने का लाइसेन्स नगरपालिका परिषद् ने उपनियमों का उल्लंघन करके जारी किया है। मान्यवर, जो नगरपालिका परिषद् के उप नियम हैं उसमें लिखा है कि " किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी दुकान के लिए (अ) हकीमों वाली गली अथवा उक्त गली के पश्चिम वाली गली की ओर मुख करते हुये (ब) पीपलान से जटवाड़े के पुल तक जाने वाली सड़क की ओर मुख करते हुए (स) पीपलान को जाने वाली सड़क पर मदरसा नाली मुलइस्लाम के बाद आज्ञा नहीं दी जायेंगी।"

मान्यवर, यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है वहां की अखाड़ा परिषद् ने, गंगा सभा ने, सारे राजनीतिक दलों ने चेतावनी दी है जिसके आधार पर इसको रद्द किया गया है। वहां के नगरपालिका परिषद् के कुछ सभासद और चेयरमैन इस साजिश में शामिल हैं। होटल क्लासिक रेजीडेन्सी ने पांच मेम्बरों को उनके हिन्दुस्तान में जो अन्य होटल हैं उनमें ठहरने हेतु कार्ड दिये हैं। अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने हरिद्वार की पवित्रता को भंग करने का काम किया है और हिन्दुओं की भावनाओं पर आघात किया है और उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया है। एक साजिश और चल रही होटल की तरफ से एक मामला वहां के न्यायालय में दायर करवाया गया है क्योंकि अधिकारी मिले हैं इसलिए वह चाहते हैं कि लाइसेन्स तो निरस्त हो गया है लेकिन कोर्ट के जरिये लाइसेन्स बहाल हो जाय।

मैं कहना चाहता हूँ कि यदि उचित पैरोकारी, नहीं हुई, चेयरमैन और अधिकारी पैरवी नहीं करेंगे और लाइसेन्स बहाल हो गया तो हरिद्वार में ऐसा हो सकता है जो अयोध्या में हुआ था। उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। वहां 20 लाख कांवरिये हैं। 17 तारीख को जो डेट लगी है पैरोकारी नहीं हुई और स्टे मिला तो मैं कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार में बहुत भारी दंगे और अशान्ति की आशंका हो सकती है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि

नोट–| ×××| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में निकाल दिया गया।

इस पर चर्चा हो और सरकार सुनिश्चित करे और जिलाधिकारी हरिद्वार को आदेश दिये जायं कि वह पैरोकारी ठीक से करें और जिन अधिकारिगों और जनप्रतिनिधियों ने कानून का उल्लंघन किया यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो सरकार गम्भीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री राम सिंह सैनी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं उन सभी विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ जो भाई अम्बरीष जी ने सदन में रखे हैं। हरिद्वार में लाखों-लाख काँवरियाँ आते हैं। जो हरिद्वार–दिल्ली मुख्य मार्ग है वह पिछले दो-तीन दिनों से बन्द कर दिया गया है और यह बारह-तेरह दिनों के लिए बन्द रहेगा। ट्रान्सपोर्ट के नियन्त्रण के लिए वहां पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। 12 तारीख की रात को 3 काँवरिया कुचल कर मर गये और हर साल दर्जनों काँवरिये कुचल कर मर जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है सैकड़ों गांववासी मुख्यालय पर नहीं जा सकते हैं चिकित्सा की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके ट्रैक्टर-ट्राली जा नहीं सकते। मेरे क्षेत्र के लोग सब्जी का काम करते हैं और अपने वाहनों द्वारा सब्जियाँ दिल्ली ले जाते हैं इस समय उनका सारा कारोबार ठप हो गया है। सब्जी नहीं ले जा सकते, अपने मुकदमों की पैरवी करने नहीं जा सकते। इतना लोक महत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर मार्ग को 12 से 22 तारीख तक के लिए बन्द कर दिया गया है। मान्यवर यह कितना अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है, मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, यह जो विषय हरिद्वार के अन्दर होटल को मांस बिक्री का लाइसेन्स देने का प्रश्न है, यह सवाल कोई वाणिज्यिक विषय का प्रश्न नहीं है। जैसा कि हमारे सम्मानित साथियों ने कहा है यह अपने आपमें एक बुरा दृष्टान्त हरिद्वार के अन्दर कायम करने का काम किया गया है। यह सरकार जो हिन्दुत्व की बहुत बड़ी दुहाई देती है इस धार्मिक नगरी हरिद्वार के अन्दर यह पहला अवसर होगा कि इस तरह की परिपाटी कायम करने की कोशिश की गयी और आज इस बात की आशंका उत्पन्न हो गयी है कि इस घटना को दृष्टान्त बना करके कभी न कभी इस पवित्र नगरी की जो पवित्रता है उसके विरुद्ध काई न कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत भविष्य में भी हो सकती है लिहाजा मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो म्युनिसिपल बाई-लॉज था जिसमें यह निश्चित किया गया था कि इसमें न तो मदिरा व मांस की बिक्री हो सकती है लेकिन यह जो प्राविधान किया गया है उसकी अतिक्रमण करने का कार्य म्युनिसिपल बोर्ड ने या किसी अधिकारी ने किया है तो उसको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है।

इस समय कांवरियों की हजारों लाखों की संख्या है, जो हरिद्वार में हैं, यह सुलझे हुए लोगों की मध्यस्थता का परिणाम है कि यह प्रकरण दंगें का रूप नहीं धारण कर पाया। मैं कहना चाहता कि जिस तरीके से एक साजिश के तहत यह किया गया था जिससे पूरे देश और विश्व के अन्दर हिन्दू समाज को गहरा आघात पहुँचा है और इस सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि यह धार्मिक भावना के ऊपर भी विजनेस कर रही है। सरकार किसी होटल या व्यापारी का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विजनेस इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट करने की बात करें लेकिन एक तरफ पर्यटन विकास के नाम पर इस सम्मानित सदन के अन्दर माननीय पर्यटन विकास मंत्री का बयान आया कि हरिद्वार को एक लघु भारत बनाना चाहते हैं।

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

हरिद्वार जिसे लघु भारत बनाना चाहते हैं, जनता की मान्यताएं हैं, जनता की धार्मिक परम्पराएं हैं। उन परम्पराओं को तहस नहस करके वहाँ की जो कल्चरल हेरीटेज है उसको बरबाद करके गलत परम्पराओं को कायम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जाँच करके उसकी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखी जाए ताकि सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को पता चल सके कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ था और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री–(श्री हुकुम सिंह)

अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है कि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। वहाँ मांस मदिरा पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा हुआ है। होटल क्लासिक के बारे में जो जानकारी में आया है उसका तुरन्त लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किन परिस्थितियों में वह लाइसेंस दिया गया था। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कहीं कोई छिपाने की बात नहीं है। कोई आरोप लगाए लेकिन आरोप लगाना मेरा काम नहीं है। सरकार सजग है। प्रयास यह रहेगा कि हरिद्वार की पवित्रता ज्यों की त्यों बनी रहे। श्री राम सिंह जी ने कांवरियों की समस्याओं का उल्लेख किया। लाखों कांवरिया हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जाते हैं। वह सारा का सारा मार्ग हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ तक इस प्रकार आच्छादित हो जाता है जिससे वहाँ का सारा का सारा यातायात प्रशासन द्वारा बन्द करना पड़ता है। यातायात अगर बन्द न किया जाए तो जैसा कि एक दुर्घटना का उल्लेख आपने किया जबकि वह खुद कांवरियों द्वारा दुर्घटना की गई थी लेकिन अगर किसी दूसरे द्वारा दुर्घटना की जाती तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती।

यह शासन-प्रशासन के विवेक की बात है कि वह किस प्रकार यातायात संचालित करे। वहां पर यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। आप सहारनपुर से होकर, लक्सर होकर जाइए। इसमें सरकार द्वारा निर्देश जारी करना सम्भव नहीं है। इसलिए नहीं, क्योंकि इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण जो स्थिति बनी हुई है उसको अच्छी तरह का बनाने का प्रयास करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है। फिर भी आप आधा मिनट में अपनी बात रख दें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 17 जुलाई को न्यायालय में वाद है। उस दिन पैरोकारी नहीं हुई तो न्यायालय और आम लोगों के बीच संघर्ष हो सकता है। इसलिए जिलाधिकारी को सरकार निर्देशित करे कि वह सरकारी वकील से पैरोकारी कराए।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, पिछले वर्ष भी यह सवाल उठाया गया था कि गंगा केनाल के पटरी को पक्का करा दिया जाय ताकि कॉवरियों के चलने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाय। इस समय वहाँ पर लोगों में काफी रोष है और वे लोग हमें घेर लेते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले पर विचार करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पटरियों को पक्का कराने का काम तो 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। हमने इसका ऑकलन कराया था, इसमें लगभग 200 व ढाई सौ करोड़ का व्यय आयेगा। ये प्रयास आगे जाकर होने चाहिये परन्तु इस सम्बन्ध में मैं इस समय आगे कुछ नहीं कह सकता।

श्री अधिष्ठाता–

श्री चौहान जी को, श्री अम्बरीष कुमार जी को तथा श्री सैनी जी को सुनने के पश्चात् तथा इस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आवश्यक अर्हतायें यह सूचना नहीं रखती है, इसलिये इसे अस्वीकार किया जाता है।

*श्री विजय पाल सिंह–

मान्यवर, आज दूध का जो आज वितरण हो रहा है वह सिन्थेटिक दूध है। इसे सर्फ, यूरिया तथा रिफाइन्ड आयल को मिलाकर बनाया जाता है। एक प्रकार से जहर बनाया जा रहा है परन्तु आज तक शासन का इस ओर ध्यान नहीं गया।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य, विस्तार से अपनी बात इस पर नहीं कह पाये। इसलिये मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली और दिल्ली के आस-पास सिन्थेटिक दूध का व्यवसाय किया जा रहा है। इसमें यूरिया मिलाया जाता है सर्फ मिलाया जाता है, ग्रीस मिलाई जाती है और रिफाइन्ड मिलाया जाता है तब जाकर इस दूध की सप्लाई की जा रही है। इस दूध को पीने से आज भयंकर बीमारियां फैल रही है। एक प्रकार से वह स्लो प्वाइजन है जो आदमी व बच्चा इसे नियमित रूप से पिएगा, वह जल्दी ही स्वर्ग सिधार जायेगा। समाचार-पत्रों में भी यह गम्भीर मामला छप रहा है। स्थानीय नागरिक, गैर राजनैतिक संगठन व राजनैतिक संगठन सरकार और प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि इस प्रकार के दूध को रोका जाय और जो लोग इस प्रकार के सिन्थेटिक दूध के व्यवसाय में लगे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। परन्तु ऐसे व्यावसाय से जुड़े लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने का प्रयास नहीं कर रही है। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह सवाल है इसलिये इसे रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने का काम सरकार करे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो इस प्रकार के सिन्थेटिक दूध के निर्माण के काम में लगे हैं उनसे बड़ा शत्रु समाज का और कोई हो नहीं सकता। इससे केवल जान-माल का ही नुकसान नहीं होता अपितु आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। परन्तु मान्यवर, सरकार सजग है। इस बारे में कानून है और स्पष्ट निर्देश भी है। माननीय श्री समरपाल जी भी जानते हैं कि हमने मेरठ से बागपत तक 3-3 बार छापे मारे और बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को पकड़ा, जो दिल्ली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

और हरियाणा को इस दूध की आपूर्ति करती थी। एक ही दिन में करोड़पति बनने की इच्छा रखने वाले लोग इस तरह का पाप करते हैं।

इस समय मान्यवर, सारे समाज में एक चेतना होने की आवश्यकता है। एक सजगता पैदा होने की आवश्यकता है। सब लोग मिल कर प्रयास करे कि जो लोग पाप कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्यवाही की जाय। शासन का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी सूचना के पहले से इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिये हैं और आज भी कड़ाई के साथ प्रयास करेंगे कि जो लोग इस धन्धे में लगे हैं उन्हें बख्शा नहीं जायेगा।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, नियम हैं लेकिन फिर भी किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोई जेल में नहीं गया है। लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी जान जा रही है। यह लाखों लोगों के जीवन का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, सरकार ऐसे मुद्दे पर चुप है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार की इस नीति के खिलाफ हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री समरपाल सिंह व उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

श्री विजय पाल सिंह, श्री समर पाल सिंह और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि यह नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना आवश्यक मानक में नहीं आती इसलिये अग्राह्य की जाती है।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अति अविलम्बनीय प्रश्न पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान आज जिस तरीके से वर्तमान बी० जे० पी० के कार्य काल में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर 6-7-98 को ग्राम गगई खेड़ा-भजवा-बेलोरा थाना सोहरामऊ में दिन के साढ़े नौ बजे वहाँ पर कुछ अपराधियों ने जो पंचायत घर का निर्माण कराया जा रहा था, को गिराने का काम किया। उसको गिराने के बाद उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई। गोलियाँ चलाये जाने से वहाँ के प्रधान श्री राम यादव और उसके भतीजे को गोली लगी। वह घायल होकर बलरामपुर अस्पताल में भर्ती रहे। यह अपराधी बी० जे० पी० के थे और उन्हें बी० जे० पी० के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। थाना सोहरामऊ पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई कार्यवाही करें। इतना सब करने के बाद अपराधी गाँव में घूम रहे हैं और गाँव वालों को धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने गवाही दी तो मार दिये जाओगे। केवल यही घटना नहीं है इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बी० जे० पी० के लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है।

मैं पिछले दो-एक महीने की घटना उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। पुरवा कोतवाली के अन्तर्गत इश्तियाक को 23-5-98 को दिन-दहाड़े लूट लिया गया। लूट होने के बाद वह पुरवा कोतवाली जाता है कोतवाली में रिपोर्ट करता है उसकी एफ० आई० आर० दर्ज होती है और 323, 504, 394 जैसे अपराध दर्ज होने के बाद भी अपराधी घूम रहे हैं कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से और भी उदाहरण बताना चाहता हूँ जिससे साफ जाहिर है कि उन्नाव जनपद की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। 11-6-98 को उन्नाव मौरावा रोड पर दिलीप कुमार सिंह जिसकी उम्र 27/28 साल रही होगी दिन दहाड़े शाम को तीन बजे हत्या होती है और उसकी मोटर साइकिल भी हत्यारे ले जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना तक सीमित रखिये।

श्री उदय राज यादव–

उस सम्बन्ध में मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की उन्होंने कहा कि तह तक पहुँच चुके हैं अपराधियों का पता लगा लिया है लेकिन मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गये हैं। मेरी शंका है कि यह सरकार ऐसा न करे कि जिन्होंने हमला किया है, पंचायत घर गिराने का काम किया है।

वह सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं मुझे शंका है कि सरकार उसमें सी० बी० सी० आई० डी० की जाँच करा देंगे। ग्राम सभा समाधा में पंचायत घर गिराने की घटना घटी। उसमें सी० बी० सी० आई० डी० की जांच कराई। मैं आपसे माँग करता हूँ कि आप सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायें। अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बिल्लौर जनपद उन्नाव में यहां के ग्राम प्रधान श्री राम यादव के साथ में उस गांव के रहने वाले लोगों ने पंचायत घर के निर्माण के लिए कार्य किया। पंचायत घर का निर्माण हो चुका है, लिंटर भी पड़ चुका है। लेकिन जो लोग पंचायत घर न बने, यह कह रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, वह मौके पर पहुंचे और पंचायत घर के कुछ हिस्से को गिरा दिया। दोनों गुटों में विवाद बढ़ गया। फायरिंग की गयी जिसमें दो व्यक्ति जख्मी हो गये। इसमें 360 का मुकदमा कायम हुआ है। कभी-कभी कोई घटना होती है जिस घटना में कोई मुजरिम होता है उसको बहुत हल्के-फुल्के तरीके से यह आरोप लगा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। यह सोचना सही नहीं है। यह विवाद आपस में हुआ था। दो गुटों में झगड़ा हुआ और कह दिया भारतीतय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। मान्यवर, सूचना आपके पास है। कहीं किसी एक पंक्ति में भी नहीं लिखा है कि यह राजनीतिक मामला है। हर मामले को राजनैतिक रूप देना सही नहीं है। यह तो दो गुट का मामला था। एक गुट निर्माण करना चाह रहा था, एक निर्माण नहीं चाह रहा था। झगड़ा हुआ, दो जख्मी हो गये। आप अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाये बगैर भी प्रभावी ढंग से कह सकते हैं।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं दावे के साथ कहा रहा हूँ। मेरे क्षेत्र का मामला है। आप एक कमेटी बना दें जिसमें हर दल के विधायक हों। वह इसको देख ले कि हमलावार भारतीय जनता पार्टी के हैं या

नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसमें चले जायें। मान्यवर, एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही उक्त घटना में नहीं हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमलावर भारतीय जनता पार्टी के थे इसका उल्लेख इन्होंने अपनी सूचना में नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के थे तो उसका उल्लेख सूचना में होना चाहिए था। संबंधित मामले में गिरफ्तारी की गयी 307 का मुकदमा दायर किया गया है। थाने में दर्ज है, 82-83 की कार्यवाही चल रही है। आदमी फरार है, न्यायिक कार्यवाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर आप किसी को आरोपित न करें।

श्री उदयराज यादव—

मान्यवर, पंचायत घर गिराने का मुकदमा कायम नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप कृपया बैठ जायें। 307 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। 82, 83 हो रही है। आपने ग्राह्यता पर बोल लिया है और तथ्य भी रख दिये हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब भी आ गया है। माननीय मंत्री जी इसको देख लेगें। श्री उदयराज यादव और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह नियम–56के मानकों में नहीं आता है इसलिए इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं। पाल जी से अनुरोध है कि वे कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, पीठ से कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की पीड़ा को देखा है। तो मान्यवर, यह कोई दो गुटों का मामला नहीं है और न ही कोई दलगत राजनीति की बात है। मान्यवर, आज चाहे प्रतिपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में या सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रो में बाढ़ का प्रकोप है और कई क्षेत्र जलमग्न हो गये हैं। वहां पर प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत कार्य में उदासीनता बरती जा रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, यह अत्यंत ही लोक महत्व का प्रश्न है।

मान्यवर, एक सप्ताह के अंदर बाढ़ से और अतिवृष्टि से 30 लोगों की मृत्यु हो गयी है यह राहत आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेटों का बयान आ गया है। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया इनको तो स्वयं स्टेटमेंट देना चाहिए था मा० सिंचाई मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए था कि दैवी आपदा से 30 लोगों की मृत्यु हो गयी है और इतनी अनुदान राशि हमने दी है। मान्यवर, बाढ़ से एक करोड़ चौवन लाख लोग प्रभावित हैं और लगभग एक करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। यह बाढ़ राहत कार्य किस तरह से चला रहे हैं इसका स्टेटमेंट इनको देना चाहिए था।

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है और इसमें अविलम्बनीयता भी है। मान्यवर, आज गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल, देवी पाटन मण्डल, पीलीभीत मे मुजफ्फरनगर में 6 लोगों की मृत्यु हो गयी है, टिहरी में भू-स्खलन से 6 लोग मर गये हैं और उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ और अति वृष्टि से प्रभावित हैं। मान्यवर, आज किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सरकार का कोई भी मंत्री नहीं गया है। मान्यवर, पहले प्रदेश के मुख्य मंत्री प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं दौरा करते थे और जो इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता था उसमें वह उतरते भी थे। मान्यवर, आज सिद्धार्थनगर का सम्पर्क कट गया है। नैपाल से सम्पर्क कट गया है।

गोरखपुर सोनौली मार्ग, लखनऊ से गोरखपुर मार्ग यह भी कट गये हैं। मान्यवर, आज जनपद टापू हो गये हैं। मान्यवर, जब भी प्रदेश मे बाढ़ की स्थिति भयंकर होती थी तो फ्लड कंट्रोल रूम की स्थापना पहले की जाती थी लेकिन अभी तक इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितने जनधन की हानि हो रही है, कितने मवेशी मर गये हैं, कितने गांव डूब गये हैं इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है। कोई कंट्रोल रूम यहां पर अभी तक नहीं बना है। आज पूरे प्रदेश में सूचनाओं का संकलन नहीं हो रहा है। जिला स्तर पर पूरे जनपदों में जो बाढ़ से और अति वृष्टि से प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे फैजाबाद मण्डल, गोरखपुर मण्डल, देवी पाटन मण्डल, बस्ती मण्डल।

आज सिद्धार्थनगर में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए कितनी नावें लगाई गई हैं। बस्ती मण्डल के तीन जनपदों के लगभग एक हजार गांव आज महरूम हो गये हैं। 18 लोगों की मृत्यु हो गयी है। बस्ती सिद्धार्थनगर और सन्त कबीर नगर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की मृत्यु हो गयी है। देवरिया में 13 बांध कट गये हैं। सिद्धार्थ नगर में 5 बांध कट गये हैं मुजफ्फरनगर बांध कट गया है। मान्यवर, 15 जून तक सिंचाई विभाग—जिलाधिकारी को यह सर्टिफिकेट देना होता है कि बान्धों के रख-रखाव के लिए देख-भाल कर ली है देवी आपदा से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। मान्यवर, इसमें जो पैसा जाता है रिपेयर के लिए जाता है वह सब सिंचाई विभाग अभियन्ताओं के बीच में चला जाता है। बांधों के रख-रखाव के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। रीवर बैड ऊपर हो जाती है। आप बाराबंकी से गोरखपुर देवरिया तक चले जाएं लगेगा कि पूरा समुद्र एक टापू बन गया है। न कोई राहत के कार्य किए जा रहे हैं न राशन, नमक, दियासलाई वितरण की कोई व्यवस्था है छतों पर लोग बैठे हुए हैं पेड़ों पर हैं, पहाड़ों पर भी आज भूस्खलन हो रहा है। बहुत से लोगों की ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी जिनकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। कृपया इस पर चर्चा करा दें।

(श्री कौकब हमीद, श्री समर पाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, तीन दिन पहले यह सवाल उठाया था आप लोगों ने कि इनके यहां तो पानी ऊपर है अब बाढ़ वाली बात कैसे आ गयी?

* श्री कौकब हमीद—

मान्यवर, बाढ़ के विषय में सरकार को कुछ अपना वक्तव्य देना चाहिए कि वे क्या-क्या उपाय कर रहे हैं। 30 आदमी मर चुके हैं बाढ़ में। डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 6 लोग खुद मुजफ्फर नगर में—वहां भी मर चुके हैं। काँवर का मेला होने वाला है जहां से निकलेंगे पुल

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

टूट चुका है मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ए०पी०सी०, मुख्य सचिव बकायदा दौरे किया करते थे मीटिंग लेते थे क्या वह करने जा रहे हैं। राशन कहां से बाटेंगे राहत आयुक्त नियुक्त होते थे, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पारदर्शी सरकार शायद यह चाह रही है कि तबाही इस प्रदेश में मचे उसके बाद फिर कुछ काम करेंगे। गोरखपुर सोनौली मार्ग टूट चुका है। मान्यवर, सरकार को कोई चिन्ता नहीं है कोई उपाय इसने नहीं किया है, कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाय।

*श्री समर पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज हमारा उत्तर प्रदेश बाढ़ और अतिवृष्टि की चपेट में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गम्भीर स्थिति है यही नहीं आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में अतिवृष्टि के कारण तमाम मकान गिर गये हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे बाढ़ की भयंकर विभीषिका चल रही है लगभग एक हजार गांव बाढ़ की चपेट में हैं या बह गये हैं, या बहने वाले हैं। पानी तेजी से बह रहा है लोग अपने मकानों पर चढ़े हुए हैं या पेड़ पर चढ़े हुए हैं वह कब तक इस तरह से पेड़ पर बैठे रहेंगे। उनकी जान बचाई जाए। मान्यवर, उनकी जान बचाने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं हो रहा है और न ही उनका सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाया है। मेरी मांग है कि उनका सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और मवेशियों को मरने से बचाया जाए। आज तक 22 लोगो की मृत्यु पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है हजारों मवेशी बह गये हैं लाखों एकड़ कृषि भूमि बाढ़ के चपेट में है और किसान का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

मान्यवर मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि बाढ़ आ सकती है लेकिन कोई उपाय नहीं किए गये। बन्धों की रक्षा के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया गया जब बाढ़ आई तो सारे बन्धों के अन्दर दरारें पड़ गयीं और बंधे टूट गये। आज फैजाबाद से बस्ती, बस्ती से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया नहीं जा सकते हैं आवागमन बन्द है, गोरखपुर सोनौली मार्ग बन्द है। आज सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक की सारी की सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एलगिन ब्रिज में खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है तुर्ती पार में, अयोध्या मे पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और सरकार की तरफ से कोई राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है जो बाढ़ से घिरे हुए लोग है उनके खाने-पीने की समस्या पैदा हो गयी है सरकार की ओर से खाने के पैकेट नहीं गिराये जा रहे हैं। मान्यवर, फैजाबाद, देवरिया, गोण्डा, बस्ती आदि जनपदों में करोड़ों लोगों की जान का खतरा बना हुआ है अभी तो वर्षा की शुरुआत है अभी और भी गम्भीर स्थिति हो सकती है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह अति लोकमहत्व का विषय है। करोड़ों लोगों की जान-माल से सम्बन्धित है, अविलम्बनीय है क्योंकि इस समय बाढ़ का कहर चल रहा है जब बाढ़ खत्म होगी तो महामारी फैलेगी इसलिए यह अविलम्बनीय है मेरी मांग है कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री तौफीक अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के मसले पर बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय पाल जी ने, कौकव हमीद जी ने और सारे सदस्यों ने पूरे प्रदेश में कितनी तबाही हुई है, किताी जाने गयी हैं, कितनी जमीने बर्बाद हुई, किन-किन मुख्यालयों का रास्ता कट हो गया कितनी तबाहियां हुई हैं, उसका जिक्र किया है।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखता हूँ, इस वक्त वह बड़ी मुसीबत में है, 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मान्यवर, इस जिले की बदकिस्मती है कि नेपाल की एक दर्जन नदियों का पानी आकर सिद्धार्थ नगर जिले की नदियों में मिलता है और पिछले वर्षों में जो भी बढ़ राहत के उपाय वहाँ किये गये, सब बेकार साबित हुये हैं। हम लोग हमेशा इस सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा अधिकारियों को बार-बार यह कह चुके हैं कि बाढ़ आने से पूर्व सुरक्षा के सारे बन्दोबस्त कर लिये जायें, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है, तबाही हो जाती है, तब सबको याद आती है और फिर सब लोग दौड़ते हैं।

हमारा सिद्धार्थ नगर जनपद 9 तारीख से अन्य जिलों से कटा है, वहाँ सड़कों पर 3-4 फीट पानी भरा है, इन्सान के आने जाने का कोई साधन नहीं है, एक दर्जन बन्धे कट चुके हैं, हमारे जिले के 2-3 मंत्री हैं, पता नहीं वहाँ गये भी कि नहीं। सिंचाई मंत्री का प्रोग्राम मुझे जरूर मिला था, लिखा था कि जनपद में आ रहे है, पता नहीं गये तो कहाँ गये, क्या देखा? मैं किश्ती पर 4 घन्टे सवार होकर सिद्धार्थ नगर मुख्यालय पर गया, पूरा इलाका जलमग्न था, मैंने देखा कि मानपुर, इटवा, तेनुवा के बन्धे कट गये थे, नहरें और सड़कें जो बनाई गई, उसमें पानी निकलने का कोई इन्तजाम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि जब मैं सिद्धार्थ नगर हेडक्वार्टर पर गया, वहाँ जो किश्ती फिरोजाबाद, गोरखपुर से आने वाली थी, वहाँ से यह मेसेज आ रहा था कि पिछले दो तीन सालों में जो किश्तियाँ मंगवाई गई उसमे 2-3 लोगों की जानें चली गई, उसका मुआवजा भी नहीं मिला, किश्तियों के पैसे नहीं दिये गये, इसलिये किश्ती देना बंद कर दिया है।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि तमाम लोग मर चुके हैं, गांव के गांव ध्वस्त हो चुके हैं। मैंने देखा सड़कों के किनारे लोग नहा रहे थे, खाना बना रहे थे, वही पानी मवेशी पी रहे थे, उसी से वह लोग खाना बना रहे थे और सड़कों पर प्रभावित गाँवों के हजारों-हजार लोग आवाद हो चुके थे, उन लोगों के लिये आज तक कोई बन्दोवस्त नहीं किया गया। मैंने जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होनें बताया कि अभी तक एक भी पैसा नहीं भेजा गया। एस० डी० एम० लोगों के घरों से कर्जा माँग रहे थे कि लाई-चना मिल जाय तो बंटवा दूँ। मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि सिद्धार्थ नगर जनपद को बाढ़ से बचने के लिये, बन्धों की हिफाजत के लिये, नहरों के साइफन बनवाने के लिये तत्काल धन की व्यवस्था की जाय और मृतक के आश्रितों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाय। वहाँ आज भी वसूली जारी है और लोग तहसील के जेलों में बंद किये जा रहे हैं, अतः वसूली को रोका जाय।

सिद्धार्थ नगर जनपद के टिकरा, औरंगाबाद, भटवरिया बाजार, विशुनपुर आदि गाँव नदियों से घिर चुके हैं। साथ ही बस्ती जिला, संत कबीर नगर जिला, गोरखपुर जिला बरबादी के शिकार हैं।

अगर यह सरकार सो रही है तो मैं चाहता हूँ कि वह जागे और मंत्री जी को कहे कि वह देख लें। मैं उनको तलाशता हूँ लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री योगेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आयी हुई है पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री योगेन्द्र सिंह–

बाढ़ की चर्चा नहीं है, तो क्या है? हमारे यहाँ पर बाढ़ आयी है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आपके हस्ताक्षर हैं?

एक माननीय सदस्य–

इस पर चर्चा करवा दें।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा) –

चूँकि आपका क्षेत्र भी बाढ़ग्रस्त है। यहाँ की परम्परा रही, हमेशा निर्देशित किया जाता रहा है कि जब किसी मा० सदस्य से संबंधित मसला होता है या प्रभावित क्षेत्र होता है तो अनुमति दे दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भावनाओं का आदर किया जाता है। जिनके हस्ताक्षर होते हैं उनको सुना जाता है। नेता विरोधी दल की भावनाओं का सभी आदर करते हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूँ कि शलाका में भी दुर्भाग्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है और मेरी सूचना अन्त में आ गयी। यहाँ भी भाग्य ने मेरी मदद नहीं की। मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं और अब तक जो अतीत में बाढ़ से क्षति के आंकलन लगाये गये हैं, वह आंकड़े उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन समूचे इलाकों में 3/4 इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाढ़ से जितना प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में होता है उसका 3/4 हिस्सा अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है और 1/4 हिस्से में पूरे प्रदेश का शेष भाग रहता है। आज अतिवृष्टि से और नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि आ जाने से घाघरा, छोटी गण्डक, राप्ती, बूढ़ी गंडक, सरयू आदि नदियों में बाढ़ आ गयी है और उनका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात से अवगत है मौसम विभाग के लोगों ने चेतावनी दी थी कि इस साल खतरनाक बाढ़ आने वाली है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सूचना समय से प्राप्त होने के बाद भी पूर्वांचल में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई तैयारी नहीं की। मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रकृति भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। प्रकृति इस सरकार के क्रिया कलापों से नाखुश है जिसका परिणाम है कि आज पूर्वांचल की 7 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित है।

आज उत्तर प्रदेश की सरकार कान में तेल डाले बैठी है। हर बार इस बाढ़ के संबंध में सरकार को चेतावनी दी जाती है और इस वित्तीय वर्ष में भी सिंचाई विभाग और संबंधित विभाग के अभियन्ताओं ने सरकार से कहा था कि पूर्वांचल के जितने तटबन्ध है, कमजोर हो गये हैं,

नहरों के सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हुये लेकिन वास्तविकता यह है कि वह आज भी सिल्ट से भरी पड़ी है और उस सफाई की तथा बन्धों के मरम्मत की असलीयत की पोल इस बाढ़ ने खोल दी है। इस वर्ष पूर्वांचल में नहरों के टूटने से तटबन्धों के टूटने से देवरिया, बस्ती, पड़रौना, में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। विगत दिनों देवरिया जनपद में भी महत्वपूर्ण नहरें टूट गयी है, जिससे करीब ढाई सौ गाँव जलमग्न हो गये है।

इस वित्तीय वर्ष में सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं ने माँग की थी कि पूर्वांचल में बाढ़ की रोक-थाम हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपया दिया जाएं। लेकिन इस संवेदन हीन सरकार ने मात्र 13 करोड़ रुपया आवंटित किया तो इतनी भीषण बाढ़ की विभीषका का मुकाबला इतनें कम पैसे में वे कैसे कर सकेगें? आज देवरिया नगर जो जनपद का मुख्यालय भी है और उसके जो मोहल्ले है उनमें भारी जल-जमाव है। कुर्नानाला का पानी शहर के अधिकांश भाग में भर गया है। देवरिया से कुशीनगर को जो मार्ग जाता है, अवरुद्ध हो गया है और कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है, वहाँ इस समय सड़क मार्ग से नहीं पहुँचा जा सकता है क्योंकि यह मार्ग पूरा पानी से भरा हुआ है।

आज सैकड़ों गाँवों का देवरिया जिला मुख्यालय से संबंध कट गया है। छोटी गन्डक नदी की बाढ़ से दोनों तरफ के पाटों का तेजी से कटाव हो रहा है जिसके कारण देवरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हरपुर, सामीपट्टी, खार्डेहतुपर, कोटवा, काधेनवा, गौरयाघाट, भीखमपुरा, सिरवनिया, खजुरिया, बरियनपुर, बैलवनिया, बैकुण्ठपुर, मनझरिया, मदरापाली, मधवापुर आदि गाँवों के नदी में विलीन होने का खतरा उत्पन्न हो गया है लोग घर छोड़कर सड़कों पर आ गये हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रतिवर्ष सौ करोड़ रुपये से अधिक की क्षति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कार्य नहीं किया है आज सुबह मैंने फोन पर देवरिया से सम्पर्क किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ कोई बाढ़ राहत के कार्य नहीं हो रहे हैं। मैंने कल रात में जिलाधिकारी से सम्पर्क करने का प्रयास किया तो पता चला कि वह कई दिनों से बाहर गये हैं। अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से जानना चाहा लेकिन अभी तक फ्लड कन्ट्रोल के लिए वहां कोई कारगर तैयारी नहीं की गयी है।

पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने के लिए कई परियोजनाएं, जैसे-भालू बांध परियोजना, करनालीती परियोजना, पंचेश्वर परियोजना जो शासन के विचाराधीन है उनको क्रियान्वित करने का प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। उनको पूरा करने के लिए कोई वित्तीय प्राविधान इस वर्ष के बजट में नहीं किया गया है। यह सरकार बेरुखी से पूर्वांचल की सात करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है जिससे वहाँ की जनता में रोष और आक्रोश है। इसलिए इससे बड़ा तात्कालिक और लोक महत्व का दूसरा सवाल नहीं हो सकता है। इस ज्वलन्त समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं माँग करता हूँ कि इस पर तत्काल सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, वैसे तो बात पूरे प्रदेश में आई है लेकिन सबसे ज्यादा प्रकोप पूर्वान्चल में है। पूरा बस्ती जिला, पूरा सिद्धार्थ नगर जिला और देवरिया का 3/4 भाग गोरखपुर बाढ़ से डूब चुका है और शहरों में पानी आ चुका है। धान की जो फसल किसानों ने बोई थी बाढ़ के पानी से वह सड़ गई है बर्बाद हो गयी है। हजारों मकान ध्वस्त हो गये हैं। तमाम सड़कें टूट गई हैं और बन्धे कट गये हैं। सरकार की तरफ से राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चावल गेहूँ मिट्टी का

तेल, और नमक की व्यवस्था बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं की गई है। मत्स्य पालन विभाग को भी नुकसान हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री मो० मुकीम–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ वैसे तो पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में है लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़ से नुकसान सिद्धार्थ नगर जनपद के इटवा विधान सभा क्षेत्र को हुआ है। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों गांव अभी भी बाढ़ से डूबे हैं। एक सप्ताह बाढ़ आये हुये हुआ है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई गयी है। मेरा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। वहां पर जो बन्धें मदरहवा असेहवा और छविहवा मुहचुरवा है। यह क्षति ग्रस्त होकर टूट गये हैं और बन्धें की जगह बन्धी की शक्ल में हो गये हैं। अगर इसी की मरम्मत नहीं कराई गयी और इनको डेढ़ मीटर ऊंचा नहीं कराया गया तो बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है।

मान्यवर, पिछली रवी के सीजन में ओला वृष्टि से हमारे जिले में किसानों का नुकसान हुआ। हमारे क्षेत्र में किसान ने किसी तरह खाद और बीज का इंतजाम करके फसल बोई थी लेकिन बाढ़ से सारी फसल नष्ट हो गई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको बीज और खाद उपलब्ध कराई जाये और जो बन्धे टूट गये हैं उनकी मरम्मत कराई जाय। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही की रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री योगेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पूरा प्रदेश बाढ़ और वर्षा से तबाह है बाढ़ से 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है यह मौत सरकार की लापरवाही से हुई है मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, आजमगढ़, देवरिया, सिद्धार्थ नगर बलिया में जो बन्धे बनाये गये हैं वह अधूरे बने हैं उनको पूरा नहीं किया गया था. मैंने बार बार इस गूगीं सरकार को लिखकर दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में 80 किमी० बांध बना हुआ है लेकिन वह 10 किमी० बन्धा नहीं बना है। अगर यह बांध बना दिया जाय तो बाढ़ नहीं आती। मेरे पास चिठ्ठी का जवाब आया कि बांध बनाने का प्राविधान है बाढ़ से पहले बन जाएगा। लेकिन बन्धा नहीं बना। मेरे यहां भाटपार रानी में बिहार बार्डर पर नहरें बिहार से आती हैं।

उत्तर प्रदेश से नहरों को पानी नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार नहर नहीं खुदवा पाई है। बिहार की सरकार ने हमारे बार्डर पर नहर खोद दिया है। भाटपार रानी को उत्तर प्रदेश से पानी नहीं मिलने का कारण है कि इस क्षेत्र में कांफी नदियों नालों के कारण उत्तर प्रदेश को भाटपार रानी को बिहार उत्तर प्रदेश से एग्रीमेन्ट हुआ था कि यह पानी बिहार से दिया जाएगा परन्तु यह गूंगी, अन्धी सरकार भाटपार रानी में नदी नहीं खुदवायी और बिहार के नहरों तथा बरसात के पानी से पूरा भाटपार रानी क्षेत्र में जल भर जाता है।

वहाँ अब भैंसालोटन नहर से पानी निकलता है और हमारे विधान सभा क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, कोई सरकारी अधिकारी अफसर देखने भी नहीं गया न ही कोई राहत पहुचाई गई। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 400-500 नावें दी जाती थी इस बार अभी तक एक भी नाव नहीं दी गई है। यह गूंगी-बहरी सरकार एअरकंडीशन कमरों में बैठकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आराम कर रही है, हमारे इलाकें को इस तरह से तबाह करना है तो मेरा इस्तीफा ले लिया जाय वरना हमारे विधान सभा क्षेत्र की रक्षा की जायें। केहूनियों, सरया बिसनिया, मोतीपुर, रायवार्डा, भटनी, बलुवा, चौरिया, धर्मखोर, खैरादे, रानी घाट, फतेहपुर, घटिराव, पिपरा विठल, भहोचेरा आदि 100 गांव तबाही में बाढ़ से है अहिरौनी आदि गाँवों के लोग घर से नहीं निकल रहे हैं पेड़ पर चढ़े हुए हैं यहाँ हम लोग ए० सी० की हवा ले रहे हैं अगर उन लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था की जाती तो उनको राहत मिलती। मैं आप के माध्यम से आग्रह करूंगा कि भाटपार रानी क्षेत्र को प्रतिवर्ष बाढ़ से बचाना है तो कोई ठोस कदम उठाया जाये और हमारे यहाँ के जिलाधिकारी को खबर किया जाये कि वहाँ तत्काल राहत का काम करें।

श्रीराम प्यारे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे साथियों ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन किया है मैं आपसे आजमगढ़ जनपद से संगडी और गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। इसके एक तरफ टौंस नदी और दूसरी तरफ घाघरा नदी है कभी-कभी एक साथ इन दोनों नदियों में बाढ़ आती है तो पास में रहने वाले लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस वर्ष बरसात के प्रारम्भ में ही घाघरा में बाढ़ आ गई जिससे आस-पास के क्षेत्र की गन्ने की फसल बरबाद हो गई। यह बाढ़ पहले अगस्त के अन्त में या सितम्बर के महीने में आती थी तब तक गन्ने की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती थी जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता था लेकिन इस वर्ष शुरू में बाढ़ आने से गन्ने की फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया लेकिन जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। सरकारी स्तर पर कोई सहायता नहीं की गई न मिट्टी के तेल की व्यवस्था की गई जबकि इस तरह के इलाके में वहाँ का विद्युतीकरण भी नहीं है ऐसे समय में सरकार की तरफ से मुफ्त मिट्टी का तेल व अन्य सामग्रियों का वितरण होना चाहिये लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होने वाले इलाकें हैं उनके लिए ठोस कदम उठाये जाये ताकि यहाँ के लोग व्यवस्थित ढ़ग से रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाढ़ का प्रश्न आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और एक सप्ताह से बाढ़ से लोग तबाह हैं इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हमारे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि कारण कोई भी रहे हो लेकिन यह निश्चित है कि अगर उन कारणों का निराकरण कर दिया गया होता तो निश्चित तौर पर यह प्रलंयकारी दृश्य आज जो उपस्थिति हुआ है वह नहीं होता।

(समय 1 बजकर 45 मिनट)

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मनुष्य की जान जाये यह बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति में जिसे मानव रोक सकता है। मैं दो तीन बातों पर बल देते हुए यह आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार अविलम्ब बाढ़ पीड़ितों को सहायता घोषित करे और बाढ़ से पीड़ित परिवार और उनके संबंधी जो परिवार हैं उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाए। सरकार किन कारणों से ऐसा नहीं कर रही है उनमें से दो तीन बातें रखना चाहता हूँ। या तो सरकार के पास धन नहीं है। या फिर सरकार ने उन जनपदों के लिए जहाँ बाढ़ की विभीषिका उग्र रूप धारण किए हैं उनके जिलाधिकारियों को बाढ़ फंड से धन निकालने की अनुमति नहीं दी है।

मेरी निश्चित जानकारी है कि नव सृजित जनपद हैं उनमें से अधिकांश जनपदों के जिलाधिकारियों को धन निकालने की अनुमति नहीं है। जो ओला वृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हुई थी उसकी राहत आज तक नहीं मिली है। औरैया और कन्नौज नव सृजित जनपद हैं हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर और सन्त कबीर नगर जितने नवसृजित जनपद हैं उन जनपदों के जिलाधिकारियों को तेजी से धन निकालने की अनुमति नहीं दी गई हो जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों को सहायता नहीं मिल पा रही है। सरकार को हर पल की खबर रहती है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति क्या है उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर यह सरकार इस प्रदेश के करोड़ों लोगों के प्रति जो बाढ़ से पीड़ित हैं, के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की बाधा न डालें। इस प्रकरण पर चर्चा करवा ली जाए जिससे हमारे माननीय सदन के बहुत से सदस्यों के विचार भी आ जाएं। यह प्रश्न अविलम्बनीय है और लोक महत्व का भी है इस पर चर्चा करवाने की अनुमति दी जाए।

* बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–(श्री जयपाल सिंह)

मान्यवर, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हर साल बाढ़ की स्थिति से भारी जन और धन की हानि होती है। हम सभी माननीय सदस्य भी मिलकर उस परिस्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं।

मान्यवर, मैंने बहुत पहले ही सभी जिलाधिकारियों और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये थे कि जितने भी अति संवेदनशील स्थान हैं, वहां पर पहले से ही बाढ़ सुरक्षा के कार्य करने हेतु पूरे इंतजाम कर लिये जायं, वह कर भी लिये गये हैं। हमने 24 बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये हैं, 85 रेडियों केन्द्र स्थापित किये हैं, हमारे अधिकारी बराबर कैम्प कर रहे हैं और जहां-जहां से भी सूचना आती है तथा जलस्तर जहां भी बढ़ रहा है या फिर तटबंधों को खतरा उत्पन्न हो रहा है और जिन गांवों को भारी क्षति हुई है, वहां पर दियासलाई, मिट्टी का तेल, कुछ खाद्य सामग्री कुछ और जरुरी चीजें तथा कुछ दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं और उनका वितरण भी हो रहा है। हमारे अधिकारी भी 24 घंटे लगातार निगरानी रख रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय मंत्री जी बता दें कि पूर्वांचल के किस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में लोगों को माचिस मिली है? कहीं पर भी इनकी बाढ़ चौकियाँ काम नहीं कर रही हैं और कोई भी पूर्व तैयारी इनके द्वारा नहीं की गई है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

इतनी देर तक इस गम्भीर विषय पर माननीय सदस्यगण ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय नेता विरोधी दल ने भी गम्भीरतापूर्वक उस पर बल दिया। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप लोगों का यह कहना है कि माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह सत्य से परे है। आप पहले मंत्री जी की पूरी बात तो आने दीजिये।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, वहां स्थिति बहुत गम्भीर है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

एक सप्ताह से पूर्वांचल के लोगों का जीना दूभर हो गया है। कुशीनगर जनपद में पिपरासी बांध मंत्री जी ने देखा है कि नहीं? आज वह खतरे में है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को तो कृपया सुन लें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि काफी समय से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे लेकिन सत्ता पक्ष के किसी एक सदस्य ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। क्या यह सदन केवल एक पक्षीय है? सत्ता पक्ष के माननीय राज्यमंत्री अपनी बात कह रहे थे अभी पूरी भी नहीं हुई कि आप बोलने लगे। धैर्य होना चाहिए। आप बहुत जोर से बोल रहे हैं तो दूसरे को भी अधिकार है। माननीय सदस्य सुबाष जी बैठे हैं, बड़े सम्मानित हैं लेकिन हर एक मिनट में खड़े होकर हस्तक्षेप करने लगते हैं। सदन संयम और नियंत्रण से चलना चाहिए। इस बाढ़ की विभीषिका से आप ही नहीं यह पक्ष भी और पूरा प्रदेश प्रभावित है। जो कुछ हमने किया है, जो करने जा रहे हैं। अभी मंत्री जी बता रहे थे। पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर दक्षता के साथ अपना विभाग चला रहे हैं। आप बात सुन लें उसके बाद यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि चर्चा करा लें। मुझे उनका सुझाव स्वीकार है। कार्य स्थगन के रूप में इसे अस्वीकार करके चर्चा करा लें हमारे और आपके सबके विचार उसमें आ जायेंगे।

श्री जय पाल सिंह—

मान्यवर, मैंने बाढ़ से पूर्व में अति संवेदनशील स्थानों पर, अभी पाल साहब कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं गया। मान्यवर, मैंने जगह-जगह जाकर पैदल चलकर जिन-जिन स्थानों पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था, वहां स्वयं गया और एक-एक स्थान को देखा। 31 परियोजना धनाभाव के कारण पूर्वांचल में स्वीकृत नहीं की गई। जो हमारे पास 70 परसेन्ट धन उपलब्ध था वह हमने पहले ही वहां उपलब्ध करा दिया और उपलब्ध कराने के बाद अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह पहले से निश्चित व्यवस्था कर ली जाय ताकि बाढ़ आने पर भयंकर तबाही न हो।

हमारे अधिकारी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। अभी मैं मुजफ्फरनगर में गया, मेरठ में गया, गोण्डा गया, पूर्वांचल गया,कल आया हूँ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी सीधे संवाद न करें। मंत्री जी, आप उन स्थानों का नाम न लें जहां अतिवृष्टि नहीं हुई, बाढ़ नहीं आई। मेरठ में अतिवृष्टि नहीं हुई है, बाढ़ नहीं आई है आपने उसका नाम ले लिया। आप उन स्थानों का नाम लीजिये जिन स्थानों पर अतिवृष्टि हुई है। आप हाउस के मूड को समझें।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूँ जो वक्तव्य में दे दिया, वह जानकारी यह है कि एक हफ्ते से बाढ़ की विभीषिका चल रही है और यह तो पहले से कानून बना है कि बाढ़ से धन-जन का नुकसान होता है, आदमी मरता है, पशु मरता है तो प्रभावी परिवार के लोगों को राहत दी जाती है। तो क्या प्रभावित कुछ लोगों को कुछ धन दिया गया है? अगर धन दिया गया है तो कितना दिया गया है?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, जो माननीय नेता विरोधी दल ने बात कही है उसको ध्यान में रखते हुए आप उत्तर दें।

(व्यवधान)

और उन जगहों का नाम न लें जहां अतिवृष्टि हुई ही नहीं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर मैं 13-7-98 तक की सूचना बता रहा हूँ कल तक की सूचना प्राप्त हुई है। मैं उन जनपदों के नाम ले रहा हूँ जिनको जानमाल का नुकसान हुआ है। मैं गोरखपुर से शुरू करता हूँ गोरखपुर में मान्यवर 208 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब-करीब 1 लाख 36 हजार की जनसंख्या प्रभावित है। वहां एक के मरने की सूचना है। उसके आश्रितों को 25 हजार की अनुग्रह धनराशि दी गई है। जनपद बस्ती में 25,500 की धनराशि सहायता के रूप में दी गई है। 29,400 गृह अनुदान की राशि दी गई है। यहां सूचना मिली है कि चार व्यक्ति मरे हैं।

मान्यवर, कुशीनगर में तीन व्यक्तियों तथा दो पशुओं की मृत्यु हो गयी है। मान्यवर, 21 ग्रामों में छः हजार साठ की जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। राहत तथा बचाव कार्य में दो बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं तथा दो राहत केन्द्र खोले गये हैं। 12 देशी नाव व एक मोटरबोट राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाये गये हैं। सिद्धार्थनगर में 500 ग्राम प्रभावित हुए है। दो व्यक्ति तथा 1 पशु के मरने की सूचना है। 23 बाढ़ चौकियां स्थापित की गयी हैं 88 देशी नाव एवं दो मोटरबोट को लगाया गया है। 12 हजार दो सौ चालीस व्यक्तियों एवं 875 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 6 जुलाई को भारी वर्षा के कारण दो व्यक्तियों तथा 8 मवेशियों की मृत्यु हुई है तथा दो व्यक्ति घायल है। राहत हेतु जांच की जा रही है। जनपद सन्त कबीरनगर में दिनांक 6 व 7 जुलाई को भारी वर्षा के कारण

तहसील के 16 गांव एवं खलीलाबाद के 13 गांव गिर गये और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। लोगों को सुरक्षित आवागमन हेतु नावों की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद महाराजगंज में दिनांक 6 से 9 जुलाई तक अतिवृष्टि के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा 300 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 16 देशी नावों को राहत के लिए लगाया गया है। जनपद प्रतापगढ़ में 1 से 9 जुलाई तक जनपद में भारी वर्षा के कारण आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति तथा दीवार गिरने से तीन व्यक्ति तथा डूबने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। जनपद आजमगढ़ में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 12 घायल हो गये। मृतकों के आश्रितों को दो लाख पचहत्तर हजार का अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया है। मान्यवर, अब तक प्रभावित जिलों की सूची इस प्रकार है। प्रभावित जिलों की संख्या–7, प्रभावित ग्रामों की संख्या–378, प्रभावित जनसंख्या 5.15 लाख, प्रभावित कुछ क्षेत्रफल 207073 हेक्टेयर, प्रभावित क्षतिग्रस्त मकान आंशिक–2 तथा पूर्णतः 1, जीवन हानि मनुष्य की 30 तथा पशु की 11 राहत एवं बचाव कार्य का विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। स्थापित बाढ़ चौकियों की संख्या–73, खोले गये राहत केन्द्र 32, प्रयुक्त देशी नाव 219, प्रयुक्त मोटरबोट 3 है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, देवरिया का नाम इसमें बाढ़ प्रभावित जिलों की सूची में अब तक नहीं सम्मिलित किया गया है। जबकि आज देवरिया डूब रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को सुन लें। जो भी बाकी रहेगा वह बाद में हो जायेगा।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, बाढ़ राहत के बारे में क्या किया जा रहा है यह चिन्ता हर सदस्य ने की। मान्यवर, 12 लाख 10 हजार की धनराशि हर जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ दी गयी है। इसके बाद भी यह अधिकार दिये गये हैं कि ट्रेजरी के नियम–27 के अन्तर्गत धन आहरित कर पीड़ित परिवारों को वितरित कर सकते हैं। यहां की प्रत्याशा न करें। जलस्तर के बारे में बता दूँ। पर्वतीय क्षेत्र में अलकनन्दा नदी का जलस्तर जोशीमठ में खतरे के निशान से 1.85 मीटर ऊपर है परन्तु जल की प्रवृत्ति घटने की है। मैदानी क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर तुर्तीपार (बलिया) में खतरे के निशान से 9 सेमी०, बूढ़ीराप्ती का जलस्तर ककरही (सिद्धार्थनगर) में 1.72 मीटर, राप्ती नदी का जलस्तर गोरखपुर में 1.17 मीटर एवं गंगानदी नरौरा (बुलन्दशहर) में 0.04 मीटर खतरे के निशान से ऊपर है। जिलाधिकारियों को सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

मौसम संबंधी जो सूचना है, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 48 घंटे में है।

भारी वर्षा की जो चेतावनी है, प्रदेश के सभी मण्डलों में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना अगले 48 घंटे में है। समस्त जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। मान्यवर, माननीय सुबाष जी कह रहे थे, मैं उसका संज्ञान लेकर के उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है माननीय सदस्यों की भावनाओं का संज्ञान लेते हुए वह सूचना प्राप्त कर लेंगे, जहां कि सूचना उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है उस पर कार्यवाही कर ली जायेगी।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैंने यह अपेक्षा की थी कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए क्योंकि यह सारे प्रदेश की समस्या है न उन्नाव की अकेली है न किसी जनपद की है, इस पर चर्चा करा ली जाय। आशा हम यह करते हैं कि तब तक सहायता कार्य में भी तेजी होगी और इसके लिए आज शाम या कल कोई समय निश्चित कर लें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि नियम 56 में इसको अस्वीकार करते हुए आप सदन के कार्यक्रमानुसार आप एक घंटे की चर्चा इसमें करा लें माननीय राज्यमंत्री के लिए बता दूँ कि आज ही हेलीकाप्टर लेकर जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसका आपको संज्ञान लेना चाहिए।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, किसी जनपद में सरकार की तरफ से कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, सात दिन हो गये हैं देवरिया बाढ़ से घिरा हुआ है फिर की सरकार की इनकी सूची में देवरिया का नाम नहीं हैं मेरे वार-बार अनुनय-विनय करने के बाद भी यह सरकार गम्भीर नहीं है। पूर्वांचल के देवरिया जनपद का नाम की जब सरकार की सूची में नहीं है तो सरकार की माचिस की तीली और नमक कहां बट रहा है। मान्यवर, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कौकव हमीद—

मान्यवर, सरकार गम्भीर नहा है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का वहिर्गमन करता है।

(श्री कौकव हमीद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, सरकार के इस असम्वेदनशील रवैये के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही) –

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सम्वेदनशील है वह मैं बताना चाह रहा हूँ। मान्यवर, सारे प्रदेश में जहां भी बाढ़ की स्थिति खराब है सब जगह की व्यवस्था की जा रही है लेकिन विपक्ष के लोग कितने सम्वेदनशील हैं कि जब एक घण्टे की चर्चा स्वीकार हो गयी उसके बाद बहिर्गमन कर रहे हैं। मान्यवर इसकी कोई परवाह है, न कोई चिन्ता है, न इनसे कोई मतलब है केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। मान्यवर, सब लोग अपना सहयोग करें, सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जायं।

मान्यवर, अभी जब बाढ़ पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के लोग हँस रहे थे। मान्यवर, इतने गम्भीर विषय पर हमारा विपक्ष हँस रहा है, बहिर्गमन रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस सूचना पर हमने श्री जगदम्बिका पाल, श्री तौफीक अहमद, श्री मुहम्मद मुकीम, श्री समर पाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री योगेन्द्र सिंह आदि माननीय सदस्यों और अन्त में माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के बाद बाढ़ एवं राहत मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद नियम 56 में दी गयी सूचना चूँकि ग्राह्यता के मापदण्ड में नहीं आती है, इसे अग्राह्य किया जाता है लेकिन नेता विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो चर्चा के लिए अपनी सहमति दी है, मैं समझता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति से इसका समय भी नियत हो जायेगा और इसमें एक घंटे की चर्चा उपयुक्त रहेगी। इसके साथ ही इसका पटाक्षेप करता हूँ।

श्री सुधाकर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। हमारे विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर में फतेहपुर गांव है, वहां मुसलमान वर्ग का कब्रिस्तान है, कुछ दबंग किस्म के लोग एक महीना पहले उसको कब्जा करने गये, झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद वहां पी० ए० सी० लगा दी गई। इसी 9 तारीख को वहां के उप जिलाधिकारी और पूर्व उप जिलाधिकारी भारी पुलिस बल लेकर वहां गये और वहां 500 वर्ष पुराने कब्रिस्तान का सीमांकन कराया। पूरा भूखण्ड कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। वहां चारों तरफ कब्रिस्तान है, बीच में थोड़ी आबादी है, उसी आबादी के लोग कब्जा करने गये थे।

इस संबंध में समय-समय पर शासन की तरफ से शासनादेश भी जाते रहे हैं कि जिलाधिकारी नायब तहसीलदार से जांच कराकर भूलेख में नाम दर्ज करा लें, लेकिन यह काम आज तक नहीं हुआ। वहां कुछ सामंतवादी और बलशाली लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से तनाव है, यह एक वर्ग की भावनाओं का मामला है, वहां पी० ए० सी० पड़े होने से गांव में तनाव का वातावरण है। उप जिलाधिकारी ने वहां जाकर कब्रों को खुदवाकर लम्बा चौड़ा रास्ता बनाने का आदेश दिया, यदि वहां रास्ता बनता है तो कब्रें टूटेंगी, यह लोक महत्व का प्रश्न है यदि एक वर्ग की भावनाएं भटकेंगी तो पूरे पूर्वांचल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस मामले की मंडलायुक्त से जांच करा लें और कब्रिस्तान का इन्द्राज कराये तथा कब्र खुदवाकर रास्ता बनवाने से रोका जाय तथा इस मामले पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा किये जाने की आपसे मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री सुधाकर सिंह को सुनने के उपरान्त और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किसी टिप्पणी न किये जाने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है इस आदरणीय पीठ पर कौन बैठता है, इसका सवाल नहीं है सदन की पीठ की गरिमा रखना सभी का दायित्व है। जब माननीय सदस्य सुधाकर सिंह को सुन लिया गया और आपने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया लेकिन आपके, निर्देशों के उपरान्त भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उठे नहीं तो यह पीठ की अवमानना है और हम इस पर व्यवस्था चाहते हैं इसमें सदन की गरिमा रहेगी इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। उनकी तरफ से कोई टिप्पणी न करने की बात कही गयी तो इसका यह आशय नहीं है कि वह पीठ का अनादर कर रहे है।

*युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमर मणि)—

माननीय सुधाकर सिंह जी ने अपनी बात को रखा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसको संज्ञान में लें लिया फिर भी यह व्यवस्था का सवाल उठा रहे है क्या इन्हीं को संसदीय ज्ञान है और किसी को नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य—

ताकत से यह सदन नहीं चलेगा। यह ऐसा सवाल है कि कौन पीठ पर बैठा है सदन की पीठ की रक्षा करना पूरे सदन का दायित्व है जब आपने पुकार लिया है तो संसदीय कार्य मंत्री को उठना चाहिए था चाहे वह हां करते, या न करते।

*श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, शाक्य जी ने कहा, यह आपका अपमान नहीं है उस चेयर का अपमान है यह पूरे सदन की स्थापित राय है, जब संसदीय कार्य मंत्री को आपने पुकारा और उन्होंने आपकी बात को नोटिस नहीं लिया तो यह आपका अपमान नहीं है बल्कि चेयर का अपमान हुआ है इस चेयर को न जाने कितने महानुभावों ने सुशोभित किया है। यह चिन्ता का विषय है इसलिए मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मर्यादा है जो चेयर की मर्यादा है, उसको कायम करें नहीं तो इतिहास आपको किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य रहा है, मुझकों भी विधिवत् चुने जाने के बाद उस पीठ पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। अधिष्ठाता के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में मैं बैठा हूँ। इससे पहले भी संसदीय कार्यमंत्री के रूप में भी बैठा हूँ और विपक्ष में भी बैठा हूँ। आपने उधर से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को बोलने का अवसर दिया और नाम पुकारा उसका उन्होंने फायदा उठाया, उस पर मुझे टिप्पणी करने की कोई बात नहीं थी इसलिए स्वाभाविक है कि मै नहीं उठा। जिस विषय पर मुझे कुछ कहना है, मैं बिना नाम पुकारे भी उठता हूँ। पता नहीं यह परम्पराओं का कहां से अध्ययन कर लायें जब एक व्यवस्था पीठ से हो जाती है उसका मान सम्मान करना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी ने एक व्यवस्था दे दी। उस पर यह कहना कि यह नहीं यह व्यवस्था होनी चाहिए तो पीठ को यह इस प्रकार सम्मान दे रहें है यह उनके विवेक पर है। हम तो पीठ का सम्मान करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अगली सूचना माननीय शिवपाल सिंह जी की है, इटावा नगर में स्थित डा० बी० एस० गुप्ता अस्पताल में डकैती डालने के प्रयास करने के संबंध में तथा जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी व त्वरित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मै सिर्फ जानकारी के लिए चाहता हूँ कि कितनी सूचनाएं लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी की ओर से एक निश्चित संख्या बताई गई है जिन पर सुना जाता है, बाकी सूचना निर्देशित की जाती है। मै केवल जानकारी चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्वयं विज्ञ है, संसदीय ज्ञाता है। माननीय शिव पाल जी को समय दिया है।

श्री शिव पाल सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इटावा जनपद में हो रही लूटपाट की घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ यह पूरे उत्तर प्रदेश में सिलसिला चल रहा है और हमारे इटावा में भी शुरु हो गया है। दिनांक 13-6-98 को एक वरिष्ठ चिकित्सक डा० डी० एस० गुप्ता की क्लीनिक है। लगभग 8 बजे कुछ अपराधी जाते हैं और चाकू कट्टे और असलहों से लैस होकर खुले आम दुकान को लूट लेते हैं। इसके अलावा एक घटना और इसी तरह की दिनांक 23-6-98 को घटी जिसमें डा० डी० के० टण्डन के क्लीनिक में मय कट्टे, चाकू और असलहों के साथ लूटपाट करते हैं। पूरे जनपद इटावा में यह सिलसिला चल रहा है। चाहें वह व्यापारी हो या डाक्टर हो अपराधी लोग असलहों से लैस होकर लूट लेते हैं।

इस घटना पर वहां के मेडिकल एसोशियेशन आफ इण्डिया ने 30 तारीख को इटावा बन्द रखा। रोडवेज की बसें जाम रहीं, पूरा इटावा बन्द हो जाता है लेकिन शासन कोई कार्यवाही नहीं करता। इसकी सूचना वहां के वरिष्ठ कप्तान को भी दी जाती है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि सारी रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं। लेकिन इस घटना की रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी गयी। पूरा इटावा बन्द रखा, वहां 8 बज़े के बाद कोई मरीजों को देखने वाला नहीं है। डाक्टर अपने क्लीनिक बन्द कर देते हैं, दुकानदार और व्यापारी दुकानें बन्द कर देते हैं तो इससे मरीजों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 8 बजे के बाद डाक्टर मरीजों को देखना बन्द कर देते हैं। तब भी यह सरकार गंभीर नहीं हो रही है। आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी हैं और न अपराधी पकड़े गये हैं। ऐसी घटनायें बराबर हो रही हैं। जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं लिखी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा करायी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सरकार का प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करने का नैतिक दायित्व है। लेकिन डाक्टर जो समाज की, मरीजों की सुबह, शाम, रात उनके जीवन की रक्षा करता है अगर उनके मन में भय व्याप्त हो गया हो बड़ी कठिनाई हो जायेगी। मैं ज्यादा न कहकर अपने को माननीय शिवपाल जी से सम्बद्ध करता हूँ। यह मामला अविलम्बनीय इसलिये है कि यह जल्दी की घटना है और लोक महत्व की इसलिये है कि व्यापारियों और डाक्टरों से जुड़ी हुई है। इस घटना की रिपोर्ट न लिखी जाय इससे ज्यादा गम्भीर स्थिति और क्या हो सकती है। यह सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है और दम्भ के आधार पर काम करती है और प्रदेश की जनता तथा सदन को गुमराह कर रही है। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, चूँकि चारों तरफ इटावा ही छाया हुआ है, जो सूचना दी गई है उसमें कहा गया है–''कम्पाउन्डर को बांध कर डाक्टर के यहां असफल प्रयास डकैती डालने का'' आज सूचना दी गई है और पिछले हफ्ते की घटना बताई जाती है। इस सूचना में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किस तिथि की घटना है। इससे लगता है कि हम कितने गंभीर और संवेदनशील हैं किसी सूचना के बारे में। कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अमुख तिथि की घटना है। आपको तिथि का पता नहीं है, समय का पता नहीं है केवल सूचना दी गयी है। यह नियमावली है जो हमारी आपकी बनाई हुयी है। पिछले सप्ताह की घटना है नियम 56 में आ गई और तात्कालिक भी हो गई जबकि समय का पता नहीं है। माननीय शिवपाल जी को खड़े होने की जरूरत नहीं है आपका सम्मान वैसे भी हम करते हैं क्योंकि आप राजनीतिक परिवार से आते हैं इटावा में कोई घटना हो जाये तो शिवपाल जी को चिन्तित होने की जरूरत नहीं है वह चिन्ता का विषय हमारे लिए बन जाती है मान्यवर, इस घटना में कुछ नहीं है इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)—

माननीय अधिष्ठाता जी मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। नियम–56 के अन्तर्गत माननीय शिवपाल सिंह और श्री शाक्य जी ने सदन के सामने मामले को उठाया उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब देने की चेष्टा की उससे ऐसा लगा कि जो हम कह रहे हैं वह सच नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री जी जो कहते हैं वही सच है। शिवपाल सिंह जी वहां के नेता हैं उन्होंने इस ज्वलन्त सवाल को उठाया है लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती है सदन को गुमराह कर रही है। इसलिए इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट व उनके दल के माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

श्री अधिष्ठाता—

श्री शिवपाल सिंह यादव और श्री राम औतार शाक्य व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यह सूचना नियम–56 के आवश्यक मानकों के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री गोपाल कृष्ण—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आप के माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर पीलीभीत की ओर दिलाना चाहता हूँ। पूरनपुर पीलीभीत के ट्रान्स शारदा क्षेत्र में उपनिवेशन योजना के तहत लोगों को बसाया गया। शासनादेश संख्या–1695/12 (6)359/74 दिनांक 27 जुलाई, 1976 के चलते मृतक सभी आश्रित पुत्रों का नाम भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज न होने के कारण गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपस में सगे भाई में जमीन सम्बन्धी विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। शासनादेश के चलते मृतक के बड़े पुत्र का नाम ही दर्ज करने की व्यवस्था है अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। इस उपनिवेशन योजना के तहत 13 कालोनियाँ 1960 में बसाई गयी थीं लगभग 15 वर्षों से कोई विरासत का मामला दर्ज नहीं हो रहा है शारदा पार के क्षेत्र के कृषकों को सन् 1960 में उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटन हुआ था परन्तु लगभग 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन कृषकों को स्वामित्व के अधिकार नहीं मिले हैं।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कृषक की मृत्यु हो जाने पर विरासत में केवल बड़े लड़के का नाम दर्ज होता है। जिससे शेष भाई वंचित रह जाते हैं और उनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। जमीन नाम न होने के कारण गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से दूसरे की पर्चियों पर गन्ना सप्लाई करना पड़ रहा है, किसी भी सहकारी संस्था से खाद व बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिससे किसानों कि स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई वहीं दूसरी तरफ शारदा नदी की भीषण कटान से हजारों एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है। मैंने उस सम्बन्ध में पिछले सत्र में दिनांक 26–3–98 को माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं एक पत्र देकर स्थिति से अवगत कराया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, मैं आप के माध्यम से यह मांग करता हूँ। इस व्यवस्था को हटाया जाय।

(समय 2 बजकर 45 मिनट)

मैं आपसे मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस प्रकरण पर चर्चा करवा ली जाए। हजारों कृषकों की जमीन पर विरासत के नाम पर ऋण नहीं मिल रहे हैं। यह अविलम्बनीय लोक् महत्व का प्रश्न है। इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता—

श्री गोपाल कृष्ण जी को सुनने के उपरान्त यह सूचना नियम-56 के अपेक्षित मानकों के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ एवं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

आठवीं सूचना श्री राम शंकर पाल की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मुरादाबाद से बल्लापुर मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितताओं तथा अधूरे निर्माण कार्य को पूरा न कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना अग्राह्य की जाती है लेकिन शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री राम शंकर पाल—

मान्यवर, इस पर मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

यह सूचना सुनने के लिए मंजूर नहीं की गई है। यह केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

नवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम के कर्मचारियों को 10 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर खनिज विभाग का मसला है। कर्मचारियों को दस माह से वेतन नहीं मिला है। वह 26 दिन से विधान सभा के सामने धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है फिर भी आपकी बातों का संसदीय कार्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

सीमेन्ट का कर्मचारी धरना पर गया है, इसी प्रकार जब खनिज निगम का कोई कर्मचारी मर जाएगा तभी सरकार ध्यान देगी। यह सरकार मरने के बाद ही ध्यान देती है। खनिज निगम के आठ कर्मचारियों की मृत्यु वेतन न पाने, इलाज न करा पाने के कारण हो गई है। लेकिन मृतक आश्रित को कोई सहायता नहीं दी गई।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया विराजे। आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

इस गम्भीर प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के बाद मा० संसदीय कार्यमंत्री जी ने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है। कृपया बैठ जाएं।

(श्री दद्दू प्रसाद जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

आप व्यवस्था के नाम पर पीठ पर आक्षेप करना चाहते हैं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आप नियम-56 में 10 सूचनायें लेते हैं। पांच सूचनाओं को आप ग्राह्यता के लिये सुनते हैं और पांच सूचनाओं पर आप शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। इन पांच ध्यानाकर्षण वाली सूचनाओं में श्री राम शंकर पाल जी की भी सूचना थी, परन्तु आपने उनको सुना नहीं। आपका स्नेह हमें प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री दद्दू प्रसाद जी आप एक उदीयमान नौजवान हैं। अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उसका उल्लेख करना उचित नहीं होता है और न ही परम्परा है। आप यह कह सकते हैं कि आप उनको भी सुन लें। परन्तु इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम शंकर पाल–

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये 1993 में महामहिम राज्यपाल जी ने 43 लाख रुपये दिये थे। 1994-95 में उस पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया। चार पुलियों के खम्भे खड़े हैं। आज 50 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है। इसमें अनियमितता पाई गई और जाँच भी हुई परन्तु आज तक इसमें छत नहीं पड़ी है। गंगा जी के किनारे का यह क्षेत्र है। चार खम्भों पर छत न पड़ने के कारण आवागमन अवरुद्ध है। इसलिये जो धन शेष है, वह इस पर लगा दिया जाय। अन्यथा कई अकाल मौतें और हो जायेंगी। आवागमन न होने के कारण अभी दो बारातें वापस चली गई। इसलिये मैं माँग करता हूँ कि एक समयबद्ध तरीके से इसकी छत डलवा दी जाय। शेष कार्य पूरा करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम शंकर पाल जी को सुनने से पहले ही इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है। जिन तथ्यों को उन्होंने यहाँ पर बताया है, उनका संज्ञान माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने ले लिया है। अगली सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्रा व श्री अब्दुल मन्नान जी की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विशेषकर जनपद हरदोई में यूपिका कानपुर के ऊपर बुनकर समितियों का जनता वस्त्र की मजदूरी तथा सूत मूल्य के बकाये का भुगतान न किये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी इसकी गम्भीरता का संज्ञान ले लिया है।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, कभी ऐसी गम्भीर समस्या आई है, कोई गम्भीर प्रश्न आता है तो ऐसे समय में पूर्व में भी व्यवस्था थी कि उसके लिये समय दिया गया है। हमको भी इस प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया जाय। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या हो गई उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि सूचनाओं को शलाका के आधार पर चयनित किया जाता है जिसमें 10 सूचनाएं ली जाती हैं। पांच सूचनाएं सुनी जाती हैं और पाँच पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपकी सूचना जो है वह अस्वीकृत सूचनाओं में से हैं। उसके साथ और भी कई माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं जो अस्वीकृत हुई हैं।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, आज की सूचनाओं में सबसे गम्भीर और महत्वपूर्ण इसे ही होना चाहिए।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इतनी देर में तो यह कह दिये होते।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें। आपकी सूचना का संज्ञान माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी नहीं है। सूचनाएं किस तरह से स्वीकृत होती है उसकी टैक्नीकलटी आप जानते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी संज्ञान ले लेंगे। आप सुन तो लें। मंत्री जी बहुत उदार हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस सूचना के लिये कल के लिये माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर लें। यह कल जरूर आ जायेगी किसी न किसी में।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहले नियम 311 में सूचना लगती थी, नियम 56 में लगती थी।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 में माननीय अध्यक्ष जी ने अपने चैम्बर में ही इसको अग्राह्य कर दिया। अब यह परम्परा है कि यह प्रायः वहीं से अग्राह्य होने लगी हैं। शेष नियम 56 की सूचनाएं शलाका के अनुसार आती हैं।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, नियमावली में नियम 311 में सूचनाएं देने का अधिकार है। नियम 311 में सदन की कार्यवाही रोक कर नियमों को निलम्बित करके उस सूचना पर चर्चा कराई जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अध्यक्ष जी के अधिकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं मंत्रिमण्डल के सहयोगी सदस्य रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त नियम 56 में जो सूचनाएं अस्वीकृत की गई हैं वह श्री राम अचल राजभर, श्री लाल जी वर्मा, श्री आर० के० चौधरी, श्री वी० आर० वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री श्रीराम पाल, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना , श्री बाबूलाल, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री मानिक चन्द्र यादव, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री विभूति प्रसाद निषाद, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री दिलीप वर्मा, श्रीरामाधार सिंह, श्री समरपाल सिंह, श्री परवेज हलीम, श्री कौकब हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री विजेन्द्र सिंह इनकी सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है।

श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में गोवर्धन मार्ग में पड़ने वाले गांवों में लिए जा रहे आवागमन कर को समाप्त करने संबंधी, जनपद सिद्धार्थनगर में सिकटा ग्राम में दलित वर्गों के घर जलाये जाने संबंधी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की, प्रदेश के मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत मेडिकल छात्रों की फीस में पांच गुनी वृद्धि किये जाने विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि की तथा प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक श्री अवधेश प्रसाद आदि की सूचनाओं पर निर्धारित चर्चा का स्थगन—

श्री अध्यक्ष—

अब हम आते हैं मद संख्या–12 पर मद संख्या–8-9-10-11 को बाद में लिया जाएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग का बजट है। महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों को देने हैं इसलिए मद संख्या–12 को लेते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, मद संख्या—9 को अभी ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

बाद में ले लिया जाएगा।

(व्यवधान)

मद संख्या–8-9-10-11 स्थगित है आज ही ली जाएंगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

बजट जब प्रस्तुत होता है तो रात 11.00-12.00 बज जाते हैं इसमें पहले माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया था और बजट के पहले ले लिया था तो मान्यवर मद संख्या 9 ले लें।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मेरा आग्रह यह है कि आज इसको स्थगित नहीं करेंगे बजट के तुरन्त बाद इसको ले लेंगे। उस दिन भी चर्चा हमने स्थगित नहीं की थी आपने स्थगित की थी। स्वास्थ्य विभाग का बजट है। तीन माननीय मंत्रीगण हैं इसमें जो क्रम रहेगा वह मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं। मद संख्या–12 (1) और 12 (4) एक बार प्रस्तुत किया जाएगा। 12 (2) (3) (5) एक बार में प्रस्तुत किया जाएगा और 12 (6) उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह की व्यवस्था माननीय मंत्रीगण की सुविधा के लिए करने का आग्रह किया गया है, इससे आप सभी सहमत होंगे।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, पिछली बार भी अध्यक्ष जी से निवेदन किया गया था और उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा था कि बजट के पहले ले लेंगे। आज पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, चूंकि यह बजट से पहले लेने के लिए है इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आपने एक घंटे का समय दिया उससे पहले ही हम खत्म कर लेंगे। बजट चाहे रात के एक बजे तक चले हम लोग यहां पर बैठे रहेंगे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है इसलिए इसको पहले ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अनुरोध कर लिया कि तीन-तीन मंत्रीगण हैं जिनको बजट रखना है। हम यह समझते हैं कि यह चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है और माननीय अध्यक्ष ने इसको स्वीकार भी कर लिया है आपसे अनुरोध है कि यदि आप सहमत हों तो इसे बजट के बाद ले लें और या यदि आप सहमत हों तो किसी अन्य तिथि के लिए निर्धारित कर दें।

श्री जटाशंकर—

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि पीठ से यदि अगली मद बुला ली जाती है तो फिर पहली वाली मद नहीं ली जाती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, परम्परा केवल सत्ता पक्ष के साथियों को ही नहीं मालूम है यह विपक्ष के लोगों को भी मालूम है।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग एक दूसरे पर इस तरह के आक्षेप न लगायें। इस तरह की घींगा-मुश्ती न करें। आप इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, नेता हैं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, मैं कोई सुपरशीड नहीं पर रहा हूं। मैं तो मद के क्रम में चल रहा हूं। मैं कोई दया की भीख नहीं मांग रहा हूं। आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर हमेशा दलितों के साथ अन्याय क्यों होता है।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, मान्यवर, पीठ से जो निर्देश दिये जाते हैं वह शिरोधार्य होते हैं। परन्तु आग्रह करना हमारा कर्तव्य है। यह सिकटा का प्रकरण था और इसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इस समय हमारे पास पूरी सूचना नहीं है हम इसमें पूरी जानकारी कर लेंगे और तब इसमें जवाब दे सकेंगे अतः इसको चर्चा हेतु स्वीकार कर लिया गया था। आज आप समयाभाव के कारण नहीं ले पा रहे हैं। मान्यवर, कुछ दिन पहले यह व्यवस्था आपकी पीठ से दी गयी थी कि यह मंगलवार को ले लिया जायेगा। आपकी मजबूरी हो सकती है उसको हम स्वीकार करते हैं। परन्तु आगे यही अनुरोध करूंगा कि दो एक दिन में इसको ले लें। मान्यवर, दो दिन के अन्दर इसे ले लें लेकिन आय-व्ययक पर चर्चा होने से पहले लें। फिर स्थगित न हो।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो आपका सुझाव है बिल्कुल सही है।

श्री अधिष्ठाता—

यदि आपकी सहमति हो तो मद संख्या–8-9-10-11 अन्य किसी दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए।

ठीक है यह स्थगित की जाती है।

अब यह कार्य मंत्रणा में तय होंगी।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक

चिकित्सा), अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग, (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,00,45,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,55,82,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग जैसे अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपने को गौरान्वित भी अनुभव करता हूं। यह विभाग मनुष्य के जीवन में प्रत्येक स्तर से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, जब से व्यक्ति पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यन्त स्वास्थ्य विभाग से सीधे जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना और सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना यह स्वास्थ्य विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से काम करने लगा है हम प्रत्येक पहलू में संवेदनशील हैं जहां हमें उत्तर प्रदेश के 14-15 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की चिंता है वहीं स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य की भी चिंता है।

मान्यवर, मैं संक्षेप में जो नये कदम उठाये गये हैं उसका वर्णन करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास है। मान्यवर, हमारा जो मानक है उसमें 20 हजार की जनसंख्या के ऊपर पर्वतीय और बुन्देलखण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल सकते हैं, मैदानी क्षेत्र में 30 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। इसी तरह से हमारे जो आज तक के स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वह हैं 3897 इनमें से राजकीय भवनों में जो स्थापित हैं वह हैं 1353 और किराये के भवन में चल रहे हैं 2544 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । 1997-98 में निर्मित किये गये भवन 44 हैं और निर्माण की स्वीकृति 111 की दी है।

वर्ष 1998-99 में पूर्ण किये जाने वाले भवनों की संख्या 63 है और प्रस्तावित नये भवन का निर्माण हमारा 62 है। हम इसको पूरा करना चाहते हैं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका स्थापना मानक है एक लाख की जनसंख्या अथवा प्रति चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा प्रति विकास खण्ड क्षेत्र पर एक। हमारे जो अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं वह 307 हैं। वर्ष 1997-98 में निर्माण पूर्ण किये गये 10, नये भवन निर्माण स्वीकृति 30 और स्थापित 22 हैं। 1998-99 में पूर्ण किये जाने वाले भवन 28 हैं, प्रस्तावित नये भवन निर्माण 29 और स्थापना 33 हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से जनसमुदाय तक

स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की चिन्ता करते हैं तो उसके साथ-साथ हमें शहरी क्षेत्र की भी चिन्ता है।

मान्यवर, वर्ष 1997-98 की उपलब्धियां हैं---जनपद बस्ती चिकित्सालय में 300 शैय्याओं की स्थापना स्वीकृति की गयी है, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय स्थापित किया गया। जनपद आजमगढ़ में 100 शैय्यायुक्त महिला चिकित्सालय स्थापित किया गया, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ तथा जिला अस्पताल रायबरेली में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट की स्थापना की गयी, मलखान सिंह चिकित्सालय, अलीगढ़ में इमरजेंसी चिकित्सा ब्लाक एवं रोगी आश्रय स्थल निर्माण की स्वीकृति दी गयी, लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, वाराणसी के उपकरणों हेतु रु० 40.23 लाख स्वीकृत किया गया, खीरी एवं फैजाबाद में उपचारिका आवास तथा पांच स्थान मऊ, मछलीशहर, (जौनपुर), कानपुर देहात, हण्डिया (इलाहाबाद) तथा महराजगंज में चीरघर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी, जनपद मऊ, बलिया एवं शाहजहांपुर में जिला अस्पतालों के निर्माणाधीन भवनों के क्रमशः 100, 150 एवं 100 शैय्याओं हेतु भवन पूर्ण करने का लक्ष्य है, 31 रक्तकोष, 5 चीरघर तथा 3 उपचारिका आवासों के भवन पूर्ण किये जायेंगे।

मान्यवर, तमाम प्रकार के जो रोग फैल रहे थे, संचारी रोग जो इसी क्रम में फैलता है इसके लिये मैं संवेदनशील हूं और हमने प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 1 जून, 98 से 15 जून, 98 तक एक अभियान चलाया गया और अब उसके बाद से संचारी रोगों की स्थिति नियंत्रण में है। जनपदीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इस हेतु समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, इसके लिये हम रोज का रोज टिप्पणी मंगाकर अनुसरण कर रहे है तथा अपने अधिकारियों को समय-समय पर निर्देशित भी करते रहते हैं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक व्यवस्था बहुत खराब हो रही थी, वह राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में 22 लाख मोतियाबिंद के रोगी हैं, यदि इसके लिये ठीक से प्रयास किया जाय तो हम इसे समाप्त कर सकते हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, 50 साल तक राज्य करते रहे, लेकिन पिछली सरकारें संवेदनशील नहीं रहीं, अभी हमारे उधर के भाई जब कुछ बात कहना चाहेंगे, इन 22 लाख मरीजों के अतिरिक्त 3 लाख और मरीज प्रति वर्ष मोतियाबिंद के इसमें जुड़ जाते हैं, इसको समाप्त करने के लिये एक बढ़िया व्यवस्था की गई है और हम इसे स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकार की सहायता से समाप्त करना चाहते हैं। वर्ष 1995-96 में मोतियाबिंद के आपरेशनों का लक्ष्य 4 लाख 50 हजार का रखा गया था, लेकिन यह उसे पूरा नहीं कर पाये और केवल 3 लाख 50 हजार का लक्ष्य था और उपलब्धि 3 लाख 71 हजार 257 रही। हमने इसको काफी कन्ट्रोल किया है और 97-98 के 3 लाख 92 हजार के लक्ष्य के विपरीत 4 लाख 19 हजार 465 आपरेशन पूरे किये गये हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम इसे वर्ष 2002 तक इस बैकलाग को समाप्त करेगें। उसके बाद जो प्रतिवर्ष के मरीज होगें, उनका प्रतिवर्ष आपरेशन होता जायेगा, इसके लिये कई इकाइयों का सृजन किया गया है और 2 जिला चिकित्सालयों में इसके लिये व्यवस्था की गई है, 6 जिला सचल इकाइयों की स्थापना की गई है, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 40 प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर इसके लिये व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार मान्यवर, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हम क्षय रोग के नियंत्रण का कार्यक्रम चला रहे हैं। वर्ष 1997-98 में इस रोग के 2 लाख 85 हजार नये रोगियों की खोज की गई थी। इस वर्ष 2 लाख 47 हजार नये रोगियों को खोजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और ऐसा कोई रोग नहीं है, जिसे समाप्त न किया जा सकता हो। मान्यवर, कुष्ठ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुष्ठ रोग, रोग है, दैवी प्रकोप नहीं है। यह चर्म रोग है और इसको समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रकार से संवेदनशील है। हम इसका पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि इसको समाप्त किया जाये। अब तक कुष्ठ रोग की व्यवस्था दर प्रति 10 हजार व्यक्तियों में 52.7 थी। जब इसको घटाकर 4.59 पर लाया गया है और अगले साल तक इस लक्ष्य को हम पूरा करना चाहते हैं कि 10 हजार व्यक्तियों पर केवल एक रोगी रहे। सन् 2000 तक हम इसको पूरा करना चाहते हैं, इसलिये 50 से 60 हजार रोगी खोजने का अभियान चलाया गया है और इसके लिये रोगियों का परीक्षण कराया गया है। उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ्य बनाना है क्योंकि यह एक प्रकार का रोग है और इसको समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

अब राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम की बात आती है। हम इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं। यह ठीक है कि मलेरिया मच्छरों और गन्दगी से होता है और इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मान्यवर, इनमें कमी तो लाई जा सकती है और उसको करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिये मलेरिया को दूर करने के लिये दस हजार आठ सौ तिरसठ ज्वर उपचार केन्द्र तथा 45131 मलेरिया औषधि केन्द्र कार्यरत हैं। पंचायतों, डाकघरों, अध्यापकों तथा ग्राम्य सेवकों द्वारा मलेरिया की दवा दिये जाने की व्यवस्था है। स्वैच्छिक संगठनों का भी पूर्ण सहयोग किया जाता है। प्रदेश के कानपुर देहात, बदायूं, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, झांसी अधिक मलेरिया वाले जनपद हैं, यहां पर इस रोग का प्रभाव अधिक रहता है, इसलिये वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। हमारी व्यवस्था है कि हम सारे जनपदों को मलेरिया विहीन करें और हमारी सरकार इसमें संवेदनशील है।

मान्यवर, एक रोग और फैल रहा है, एड्स् यह एक संक्रामक बीमारी है, जिसका उपचार नहीं हो सकता है। इसका उपचार लोगों को इसके बारे में बताकर, संचार से और शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिये हम स्थायी प्रयास कर रहे हैं। एच०आई०वी० जांच के लिये उत्तर प्रदेश में कई केन्द्र खोले गये हैं, मेडिकल कालेज लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, जालपा (आगरा) और कमला नेहरू अस्पताल (इलाहाबाद) में खोले गये हैं। रक्त सुरक्षा के लिये 13 क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में 31 हैं। समस्त जिला स्तरीय कोषों में एच०आई०वी० की परीक्षण सुविधा है। मैं जानना चाहता हूं कि जांच किये गये व्यक्तियों की संख्या जो है वह 98,093 है जिनमें से 1092 लोगों में एच०आई०वी० पाजिटिव तथा एड्स ग्रसित रोग 19 में पाया गया और इससे जो मरे हैं वह 17 हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि ऐसे रोगों को समाप्त करने के लिए हमारी व्यवस्था चल रही है कि लोगों को कैसे इस रोग से छुटकारा पाने के लिए बताया जाए इसके उपचार की व्यवस्था, कैसे यह रोग ठीक हो? इसकी जिम्मेदारी सबकी है। केवल स्वास्थ्य विभाग अकेले यह कार्य पूरा नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है वह अपने से संबंधित लोगों को इसकी जानकारी दें। जहां सारा विश्व आज इस एड्स रोग से सशंकित है उत्तर प्रदेश में भी एड्स के मरीज बाहर से आते हैं जैसे–बम्बई, नेपाल या दूसरे प्रदेश हैं जहां से इसके बीमार आते हैं। इससे उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है। हमारी सरकार इसके लिए संवेदनशील हैं इस बीमारी को कैसे रोका जाएं।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का भी मैंने जिक्र किया इसके अलावा कुछ रोग ऐसे हैं जिसकी कम लोगों को जानकारी होती है। जैसे–डेंगू रोग है उसके नियंत्रण का कार्य भी चलाया जा रहा है। इसके लिए जो प्रभावित जनपद हैं जैसे–लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, नैनीताल आदि तमाम क्षेत्र हैं जहां अधिक पैमाने में यह रोग पाया जाता है, इसे कैसे व्यवस्थित करें? सरकार ने अधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया है। लोगों को इसके लक्षण बताने का प्रयास किया है कि मस्तिष्क ज्वर में क्या होता है? उसके उपचार की भी हमने रणनीति तैयार कर रखी है और उसके उपचार हेतु उपचार केन्द्र स्थापित किये हैं और रोगियों को अतिशीघ्र निकटतम उपचार केन्द्र पर पहुंचाने की व्यवस्था की है।

मस्तिष्क ज्वर जो 5 से 10 साल के बच्चों को होता है उनके उपचार हेतु टीकाकरण की व्यवस्था की है। इस रोग के परीक्षण हेतु सेंटीनियल परीक्षण केन्द्र पूना में लैब है और इसकी एक शाखा गोरखपुर में है जहां पर सर्वे कराकर इसके उपचार की व्यवस्था कराते हैं। लखनऊ में के०जी०एम०सी० अस्पताल में इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा जनपदों के चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उपचार की व्यवस्था की है। इसके टीकाकरण की भी व्यवस्था की है और 14,91,254 लोगों का टीकाकरण किया गया है और हम प्रयासरत हैं कि इस रोग पर काबू पाया जाए। एक और रोग आता है जो कालाजार है यह बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे–देवरिया, कुशीनगर, गोण्डा, भदोही, अयोध्या एवं वाराणसी आदि है, में फैलता है। उसके लक्षण हैं कि तीन सप्ताह तक तेज बुखार आता है मरीज को भूख नहीं लगती, सारे शरीर में काले दाग पड़ जाते हैं। इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। इसके लिए भी हमारी सरकार संवेदनशील है। इसके उपचार की भी तमाम व्यवस्था हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गयी है। इन कार्यों में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काफी धन की आवश्यकता होती है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मामले में अच्छा काम कर रही है लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारा बजट है उसके अन्तर्गत हम जितना कार्य हो सकता है, कर रहे हैं। सरकार इस कदम में निरन्तर आगे बढ़ रही है।

मान्यवर, 1996-97 में 6 अरब, 65 करोड़ 23 लाख 87 हजार का प्राविधान किया गया था। 1997-98 में हमने 8 अरब, 48 करोड़, 70 लाख, 38 हजार की व्यवस्था की है। इस प्रकार 1998-99 में इसको बढ़ाकर 8 अरब, 54 करोड़ 36 लाख, 69 हजार की व्यवस्था की है। यह हमेशा के बजट से 5 करोड़, 66 लाख, 33 हजार रुपये अधिक है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के साथ उत्तरांचल की व्यवस्था भी जुड़ी है। यह सरकार उत्तरांचल के लिये संवेदनशील है। पहले की सरकारें उत्तरांचल के प्रति संवेदनशील नहीं थी। मान्यवर, उत्तरांचल के लिये 1997-98 में 8 करोड़, 88 लाख, 58 हजार की व्यवस्था थी। अब हमने इसको बढ़ाकर 25 करोड़, 9 लाख, 7 हजार कर दिया है। इस तरह से 16 करोड़ 20 लाख, 49 हजार अधिक व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, अब तक औषधियों की मद में व्यवस्था कम की जाती थी। जो अब तक की सरकारें थीं वह इतनी संवेदनशील थीं कि केवल 2 रुपये की दवा मुहैय्या करायी जाती थी लेकिन 1996-97 में 33 करोड़ 18 लाख, 80 हजार की व्यवस्था थी। 1997-98 में हमने इसको बढ़ाकर 36 करोड़, 57 लाख, 80 हजार रुपये कर दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये पहली बार औषधियों की मद में 71 करोड़ 86 लाख 14 हजार की व्यवस्था की है। यह 35 करोड़, 28 लाख, 74 हजार रुपये अधिक है। मान्यवर, जब हमारे अस्पतालों में मरीज आते हैं तो गरीब मरीजों को जनरल वार्ड में भोजन की व्यवस्था करानी होती है।

हमारी सरकार संवेदनशील है। 1996-97 में 3 करोड़, 73 लाख 84 हजार रुपये की व्यवस्था थी। हमने इसको बढ़ाकर 4 करोड़ 33 लाख 79 हजार रुपया कर दिया। मान्यवर, इसी तरह से हमारे कर्मचारी जो काम करते हैं वह यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा भत्ता न मिलने के कारण उनको परेशानी होती है। 1996-97 में 2 करोड़ 28 लाख, 65 हजार रुपये की इसके लिये व्यवस्था थी। हमने इसको बढ़ाकर 5 करोड़ 51 लाख, 83 हजार रुपये कर दिया है। यह 1 करोड़, 62 लाख, 62 हजार रुपये पहले से अधिक है।

मान्यवर, अस्पतालों में उपकरणों की देख-रेख के लिये, वार्डों में प्रकाश के लिए बिजली की मद में व्यवस्था नहीं हो पाती थी। हमारी सरकार ने बिजली की व्यवस्था ठीक ढंग से हो, वार्डों में प्रकाश रहे और उपकरण ठीक से चलें इसके लिये विद्युत की मद में बढ़ोत्तरी की है। पहले 8 करोड़, 4 लाख, 44 हजार की व्यवस्था इस संबंध में थी। हमारी सरकार ने 8 करोड़ 82 लाख, 16 हजार की व्यवस्था की है जो 17 लाख, 78 हजार रुपये अधिक है। इस प्रकार से हम व्यवस्था करना चाहते है मैं आप से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए चिन्तित है और इसीलिए हम यह कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चिद दुःख भाग भवेत। मैं इस कल्पना को साकार करना चाहता हूँ। एक घटना आप को सुना रहा हूँ महाभारत की लड़ाई हो रही थी कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं अर्जुन ने कृष्ण से कहा की हम दोनों सेनाओं की सैन्य व्यवस्था देखना चाहते हैं इसलिए रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। उस समय अर्जुन ने देखा कि यह तो हमारे बन्धु-बान्धव हैं मैं किससे लड़ाई लड़ूँगा। अर्जुन ने कहा कि–

" न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गम् न पुनर्भवम्।"

लेकिन कृष्ण ने अन्त में कहा कि–

"कामये दुःख तप्तानाम्, प्राणिनाम् आर्तनाशनम्।"

मान्यवर, मैंने कहा था कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात को रखा है मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी एकजुट होकर इस बजट को पास करें यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए हम इस बजट को पास करायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 62,22,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,63,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 81,03,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(समय 3 बजकर 45 मिनट)

मान्यवर, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का बजट रखने की आपने स्वीकृति प्रदान की, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वर्तमान सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील और जागरूक है वह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसने अलग से यह विभाग बनाया और उसका कैबिनेट एवं राज्यमंत्री बनाकर इस बात को निश्चित किया जो विगत कई वर्षों से चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इससे स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो सकती है। इन लोगों को चिन्ता नहीं थी। श्री कल्याण सिंह जी ने इस बात को महसूस किया कि जब तक चिकित्सा शिक्षा सुव्यस्थित नहीं हो सकेंगी तब तक स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस पर ध्यान दिया। चिकित्सा शिक्षा के बारे में हम सबसे पहले अपने मेडिकल कालेज के बारे में विचार रखना चाहते हैं। मेडिकल कालेजज में भी एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, यूनानी मेडिकल कालेज और होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं। विगत कई वर्षों से हमारे मेडिकल कालेज की स्थिति बड़ी दयनीय रही। उनकी व्यवस्था के निमित्त पैसे का खर्च बहुत सीमित था। यदि हमने मेडिकल कालेज की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया होता तो आज जो नर्सिंग होम दिखाई देते हैं इस रूप में इतने नर्सिंग होम न दिखाई देते। जिससे गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। यह नहीं हो पाता।

हमारी सरकार ने निश्चय किया कि जितने मेडिकल कालेज हमारे हैं उनकी व्यवस्था को हम दुरुस्त करें। उनकी साज-सज्जा को दुरुस्त करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व में मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को छोटी-छोटी अनुदान के लिए शासन में गिड़गिड़ाना पड़ता था जिससे मेडिकल कालेज की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं हो पाती थी। इसका सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता था कि इसको स्वायत्तशासी संस्था बनाएं। हमने यह तय किया कि मेडिकल कालेज को स्वायत्तशासी संस्था बनाएंगे, किंग जार्ज मेडिकल कालेज को छोड़कर उनको इतने अधिकार प्रदान करेंगे कि दिन-प्रतिदिन की शासन में दौड़ से उनको मुक्ति मिले। इसलिए 6 मेडिकल कालेजों को स्वायत्तशासी संस्था बनाने का फैसला किया है।

मेरा अपना विश्वास है कि स्वायत्तता देने से यह तीन परिस्थितियों में आत्मनिर्भर होंगे। जो 8–9 वर्षों से हमारे अपने मेडिकल कालेज में 43 प्रतिशत रिक्तियाँ हैं उनको चयनित करने के लिए जब लोक सेवा आयोग को मामला भेजा जाता था तो किन्हीं कारणों से वह नियुक्तियां लम्बित हो जाती थी। इस सम्बन्ध में निश्चय किया गया है कि मेडिकल कालेजों द्वारा डाक्टर, लेक्चरर आदि की चयन प्रक्रिया तय की जाए। जो मानक के अनुरूप योग्यता रखते होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। मानदेय के अन्तर्गत डाक्टर को समायोजित किया जाएगा जिससे हमारी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो सके और हमारे मेडिकल कालेज अच्छे ढंग से चल सकें। कुछ स्थानों पर नियुक्ति हो चुकी है कुछ स्थानों पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया जारी है।

मेडिकल कालेजों को ठीक करने के लिए हमने दूसरा बड़ा फैसला लिया है। आज इनमें उपकरणों का अभाव है, छात्रावासों का अभाव है, बेड्स का अभाव है–इन सबको ठीक करने के लिए, जो वर्ष बीत रहा है। प्लान बजट एवं लाटरी फण्ड से 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने

की, जो विगत वर्षों से ढाई गुना ज्यादा है। मेडिकल कालेजों के बारे में एक आम शिकायत थी हम भी उसे स्वीकार करते हैं कि इनके उपकरण जरजर हो गये हैं या फिर करीब-करीब नहीं के बराबर हैं, जिस कारण ये कालेज ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इनमें अवैध टैक्सी स्टैण्ड बना दिये गये थे, जिन पर अराजकतत्वों का कब्जा हो गया था। यहां तक कि मान्यवर, यदि कोई मर जाता था तो जब इन गुण्डों को गुण्डा टैक्स नहीं दे दिया जाता था तब वह लाश को नहीं लाने देते थे परन्तु हमने इस गुण्डा टैक्स को समाप्त किया। हमने और हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया कि चाहे वह कितना ही बड़ा गुण्डा क्यों न हो, मेडिकल कालेजों से वह गुण्डा टैक्स अब नहीं ले सकता है।

मान्यवर, छात्रावास नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी की समस्या है। इसलिए विभिन्न मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत छात्रावासों के लिए भी हमने पैसे की व्यवस्था की, बिजली के लिए अलग से ट्रान्सफार्मर लगे, इसके लिए पैसों की व्यवस्था की जाय, बाउन्ड्रीज ठीक हो जायं, इसके लिए पैसे की व्यवस्था की, कानपुर में हृदय रोग का अस्पताल हमारा व्यवस्थित हो इसके लिए हमने पैसे की व्यवस्था की। इस प्रकार हम मेडिकल शिक्षा को एक नया स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं ताकि हमारे मेडिकल कालेजों की हैसियत अन्य मेडिकल कालेजों के बराबर हो जाय। इसे हम सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे प्रदेश में संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट है। हमारी सरकार की मंशा है कि इसे एशिया का सबसे अच्छा मेडिकल इन्स्टीट्यूट बनाया जाय। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि विगत 6 महीने में इसकी व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है।

आज इसमें सम्पूर्ण देश के मरीज तो आते ही हैं साथ ही साथ विदेशों के मरीज भी यहां आकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मेरे पास कुछ बंगलादेश व पाकिस्तान से भी मरीज आये थे उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे बंगलादेश में पी० जी० आई० जैसी कोई अच्छी संस्था नहीं है। अपने यहां हम यहां की अपेक्षा दवाइयों पर 10–12 गुना खर्च करके भी ऐसा इलाज नहीं करवा पाते हैं, इसलिए हम हमको बधाई देना चाहते हैं कि आमने एक अच्छी संस्था बनाई है। सरकार का संकल्प भी है कि हम इसे एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल इन्स्टीट्यूट बनायेंगे। इसी क्रम में हमने फ्रांस के साथ माडर्न मेडिकल इन्स्ट्रूमेंट्स लेने का समझौता आधुनिक अन्तर्गत 24 करोड़ रुपये का समझौता है। डाइलिसस जैसे उपकरण हेतु जो हमें या हमारे प्रदेश के इर्द-गिर्द के प्रदेशवासियों को दिल्ली तथा अपोलों इन्स्टीट्यूट जाना पड़ता था, उससे उनकी बचत हो जायेगी और भी आगे हमने संजय गांधी इन्स्टीट्यूट की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का कार्य किया है। हमारे जो आयुर्वेदिक कालेज हैं, यूनानी कालेज हैं और होम्योपैथिक कालेज हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है। मुझे कहते हुए कष्ट होता है कि बहुत से हमारे मित्र बैठे हैं बहुत ढिढोरा पीटा करते थे लेकिन किया कुछ नहीं। लखनऊ के अन्दर एक प्रसिद्ध यूनानी कालेज हैं उसके प्रिंसिपल बार-बार इन लोगों से आग्रह करते रहे कि इसको ठीक कर दीजिए। यह लोग वायदा करते रहे थे लेकिन निभाया नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष का नारा देते हैं लेकिन मेरे लिये जीवन जीने का एक तरीका है यह हमने तय किया कि जो यूनानी कालेज है उसके भवन की, चिकित्सा व्यवस्था हम चुस्त-दुरुस्त करेंगे इसलिए हमने इस यूनानी कालेज के लिए 50 लाख रुपये भवन निर्माण के लिए प्रारम्भ में दिये और 16 करोड़ की व्यवस्था की। इसके लिए 36 लाख की जमीन खरीद ली गई है।

देश के सम्मानित लोक प्रिय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी से आग्रह किया है कि आकर इस कालेज का शिलान्यास करें। सरकार ने इस अस्पताल के भवन निर्माण उसकी साज-सज्जा का कार्य अपने स्तर से करने का फैसला लिया है जिससे किसी को यह कहने का मौका न प्राप्त हो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश और देश के अन्दर कोई यह न कह सके कि बी० जे० पी० की सरकार किसी सम्प्रदाय के आधार पर व्यवस्था के आधार पर अन्तर स्थापित कर रही है। सबको बराबरी के आधार पर समानता के आधार पर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जो यह लोग नहीं कर सके थे वह हम करने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक कालेज के बारे में भी कहा जाता है। कभी-कभी स्वदेशी का भी नारा यह लोग देते हैं लेकिन आयुर्वेद के लिये इन्होंने क्या किया है। आयुर्वेद कालेज के लिए, उनके भवन के लिए, उपकरणों के लिए, छात्रावास के लिए कहीं कुछ किया नहीं है।

हमने पहली बार 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा आयुर्वेद कालेज के भवन निर्माण, छात्रावास और उपकरणों आदि की व्यवस्था के लिए तय किया है और सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार की यह मंशा है, यह साफ सोच है कि आज सारी दुनिया में आयुर्वेद के प्रति आकर्षण हो रहा है उत्तर प्रदेश के अन्दर अगर आयुर्वेद शिक्षा प्रदान करने वाले, आयुर्वेद चिकित्सा प्रदान करने वाले कालेज के लिए व्यवस्था नहीं कर सके तो पूरी दुनिया में जो आकर्षण आयुर्वेद के प्रति पैदा हो रहा है उसमें अपने आप को पीछे पायेंगे। इसलिए तय किया है कि आयुर्वेद शिक्षा देने वाले, आयुर्वेद चिकित्सा देने वाले कालेज के लिए व्यवस्था करें।

मुझे कहते हुए कष्ट होता है कि मैं देखने के लिए गया और यह स्वीकार करता हूँ मुझे मन से कि कुछ ऐसे कालेज हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह कालेज नहीं पशुशालाएं हैं। छतें टपकती हैं पानी चूता है। खिड़कियों से हवा नहीं सीधे इन्सान कूदकर अन्दर आ जाये। सी० पी० एम० टी० से चुने हुए अच्छे-अच्छे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। बेटियाँ वहां शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं उनके रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है वह कहां और कैसी स्थिति में रहेगी। कभी इन लोगों ने सोचा नहीं। अगर इनकी बेटिया जायं तो उनकी क्या हालत होगी। हमने उनको अपनी बेटियों को, उनकी परेशानियों को समझा है और प्रत्येक कालेज के अन्दर महिलाओं के छात्रावास की सुविधा पैसा देकर सुनिश्चित कराई है।

मान्यवर, इतना ही नहीं आयुर्वेदिक कालेज के लिए आप जानते हैं आयुर्वेदिक फार्मेसीज विगत कई वर्षों से बन्द हैं कोई उत्पादन नहीं है वर्षों से उसके नवीनीकरण और पुनरोद्धार की कोई योजना नहीं है। इसके लिए हमने साढ़े पांच लाख रुपया दिया है ताकि मशीनें जो बेकार पड़ी हैं उनका रख-रखाव हो सके और वह चालू हो सकें और उनको दवा उत्पादन के काम में ला सकें। मुझे प्रसन्नता हो रही है मान्यवर विगत चार-पांच वर्षों से आयुर्वेदिक दवा नहीं मिल पाती हैं लेकिन आने वाले दिनों में मैं जानकारी देना चाहूँगा, आने वाले चार-पांच दिनों से उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश की सरकारी फार्मेसियों को दवायें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सब जगह दवायें उपलब्ध रहेंगी।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, होम्योपैथिक कालेज के बारे में कहना चाहूँगा आज होम्योपैथिक कालेजेज की बड़ी दुर्दशा है, इनकी दुर्दशा का शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बिजनौर में एक होम्योपैथिक कालेज है जिसको लोग हंसी-मजाक में कहते हैं कि कालेज है या सराय है। फैजाबाद में एक होम्योपैथिक कालेज है इसकी भी यही दुर्दशा है विभिन्न स्थानों पर जो होम्योपैथिक कालेज हैं उनके भवन, उनके छात्रावास, उनके उपकरण, उनके औषधालय की व्यवस्था दयनीय है। हमने तय किया है हमने तीन कालेज छांटे हैं इलाहाबाद, कानपुर लखनऊ के, इन तीनों में भवन, औषधालय, उपकरण, छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। 8 करोड़ की योजना हमने बनाई है। 16 करोड़ रुपया तीनों कालेजेज को व्यवस्थित करने के लिए निर्गत किया है।

बंगाल में कोई होम्योपैथिक कालेज अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई होम्योपैथिक कालेज अच्छा नहीं है इसलिए हमने व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त चार कालेजेज को और लिया है उसमें 54 लाख भवन, छात्रावास आदि चीजों के लिए दिया है। गाजीपुर, मुजफ्फरनगर में छात्रावासों के लिए भवन के लिए, आजादी के पचास साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। होम्योपैथिक कालेजेज के लेक्चरार के लिए एम० डी० होना जरूरी है पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कोई भी कालेज ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया जा सके। हमने उत्तर प्रदेश के पांच-पांच कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट करने का निश्चय किया है। आने वाले सत्र के अन्तर्गत पांच होम्योपैथिक मेडिकल कालेजेज के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। इस तरह हम रीडर, लेक्चरर बनने का मौका प्रदान करेंगे।

(मेजें थपथपाई)

मान्यवर हम एक विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आगामी शैक्षिक सत्र आ रहा है उसमें एक मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी हम मेडिकल कालेज किस निमित्त बना रहे हैं। इसका मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, मेडिकल विश्वविद्यालय तीन चार कारणों से बना रहे हैं। हमारे मेडिकल कालेज में जो प्री टेस्ट होते हैं उसमें एकरूपता नहीं है तो एक रूपता स्थापित करने के लिए हम यह महसूस कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के स्टूडेंट की सी० पी० एम० टी० के साथ परीक्षा करना कहां तक उचित है। यह एक गंभीर मामला है। जो आयुर्वेदिक मेडिकल में पढ़ने वाला छात्र है, उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है जो कि सी० पी० एम० टी० में पढ़ायी नहीं जाती है इसलिए हमने एकरूपता लाने के लिए हमारे जो विभिन्न मेडिकल कालेज हैं, इन मेडिकल कालेज में प्रोसपेक्टस एक हो। इनके समय में नहीं होता था। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेडिकल एजूकेशन के लिए फैकलीटी इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए।

मुझे बड़ा दुख हुआ कि कानपुर विश्वविद्यालय में व्यवहारतः इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। हम केवल पोस्ट ग्रेजुएट नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि हम उसके अन्दर एक अच्छा टीचर बनाने के लिए, एक अच्छा प्रोफेसर बनाने के लिए, एक अच्छा रीडर बनाने के लिए ही काम नहीं कर रहे है बल्कि उसके साथ-साथ एक नयी खोज भी उनको करनी चाहिए। नयी खोज कैसे हो इसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी बनायी जाय। उसकी अलग-अलग फैकलिटी बनायी जाय जैसे होम्योपैथिक फैकलिटी, आयुर्वेदिक फैकलिटी, यूनानी फैकलिटी और इसके अतिरिक्त एक और फैकलिटी हम बनाने जा रहे हैं वह है योग और प्राकृतिक चिकित्सा फैकलिटी। जो हमारे देश की आबादी है उसके अन्तर्गत जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग है उनकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वह दवा कर सकें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें।

इसलिए हमने उनको योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि हमारी प्राचीन पद्धति रही और हम उससे दूर भागते जा रहे हैं उसको जीवन्त कर सकें और केवल जीवन्त ही नहीं बल्कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब है और जो बड़े-बड़े लोग हैं जो दवा से मर्ज पैदा कर रहे हैं वह भी प्राकृतिक चिकित्सा और योग से स्वास्थ्य लाभ कर सकें इसलिए हम यह नयी पद्धति लाने जा रहे हैं। मान्यवर, 16, 17 साल बाद पहली बार सी० पी० एम० टी० की परीक्षाओं के पेपर आउट नहीं हुए हैं। इससे पहले जो परीक्षाएं हुआ करती थीं उनके पेपर आउट हो जाया करते थे और यह आम शिकायत हुआ करती थी कि बड़े-बड़े लोगों ने पेपर खरीदकर अपनी सीट सुरक्षित कर ली हैं और जो बेचारा गरीब छात्र था जो मेरिट पर आता था वह उसमें नहीं आ पाता था। इसलिए हमने यह तय किया कि सी० पी० एम० टी० की परीक्षा कराने के लिए रूड़की इंजीनियरिंग जो कि एशिया में सबसे अच्छी संस्था मानी जाती है उसको यह कार्य सौंपा गया और यही कारण है कि आज किसी भी स्थान पर सी० पी०-एम० टी० का पेपर आउट नहीं हुआ, जो हमारा ऊसूल था कि हम पेपर आउट नहीं होने देंगे वह पूरा हुआ। पैसे के बल पर कोई अपनी

भागीदार सी०पी०एम०टी० में सुनिश्चित नहीं करा सकता है (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, औषधालयों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहूंगा कि 1991-92 में जब माननीय कल्याण सिंह जी के नेतत्व में सरकार थी उस समय 100 आयुर्वेदिक और 75 होम्योपैथिक औषधालय खोले गये थे। आज जब माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी है हमने तय किया है कि सस्ती दवा लोगों को मिल सके। सस्ते औषधालय खोले गये थे। सस्ते औषधालय लोगों को उपलब्ध हो सकें। मान्यवर, 97-98 में 250 आयुर्वेदिक अस्पताल खुले जिनमें 105 दलित बस्ती में खुले। मान्यवर, होम्योपैथिक हास्पिटल 205 खुले जिनमें 75 दलित बस्ती में खुले। हमारी अवधारणा है कि गांव के अन्दर औषधालय खोले जाएं। हम लोगों के जीवन की सुरक्षा की गारन्टी देना चाहते हैं हमरी सरकार देना चाहती है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, शहरों के अन्दर हम 40 होम्योपैथिक हास्पिटल खोलने जा रहे हैं।

मान्यवर, आज होम्योपैथिक का आकर्षण बढ़ रहा है हमें लखनऊ ऐलोपैथिक के ऐसे विशेषज्ञ मिलें हैं जो ऐलोपैथिक का ट्रीटमेंट सजेस्ट न करके होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करने की सलाह देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐलोपैथिक कहीं कोई रिएक्शन पैदा करता है। मान्यवर, इसके अलावा जो हमारे औषधालय हैं उनमें डा० रहें, ओ०पी०डी० हमारी चले और आयुर्वेदिक में इन्डोर भी चले इसमें कड़ाई की व्यवस्था की है। कभी-कभी कड़ाई होती है तो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं लेकिन हमें परवाह नहीं है हम जनता के हित के लिए यहां आये हैं। जनता के स्वास्थ्य की रक्षा यह हमारी नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी है विगत 6 महीने के अन्दर 36 होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डा० को सस्पेंड किया है। उनकी लापरवाही के कारण क्योंकि वह औषधालय में नहीं आये थे। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो सेवा में रहना चाहते हैं वह सेवाओं के अनुरूप काम करें और अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं जब सेवा में रहेंगे जनता की सेवा नियमों के अनुकूल मंजूर करनी होगी। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, चिकित्सकों का अभाव है हमारे आयुर्वेद में भी और होम्योपैथ में भी। हमने आयोग से आग्रह किया है कि डाक्टर की नियुक्ति करें। आयुर्वेद के अन्तर्गत 154 ऐसे डाक्टर हैं जिनकी नियुक्ति आयोग ने किया है अब हम उनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं अब हमने आयोग को फिर अधियाचन भेजा है कि हमारे अस्पतालों में डाक्टर को नियुक्त कर दें जिससे कि अस्पतालों को चलने से उनको खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अस्पतालों में डाक्टर हों, अस्पतालों में दवायें हों, अस्पताल समय के अनुरूप खुले, समय के अनुसार बन्द हों तब तो अस्पताल खोलने की उपयोगिता है अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं है सिर्फ पैसे का दुरुपयोग है और जनता के साथ मखौल है।

इसलिए मैंने तय किया कि प्राथमिकता के आधार पर दवाएं उपलब्ध करायें, हमने तय किया कि अस्पतालों में डाक्टर्स नियुक्त करें और यह भी तय किया है कि अस्पतालों में रहने वाले डाक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ यह सब के सब समय सीमा के अन्दर रहकर जनता की सेवा करें इसके लिए हमने कड़े से कड़े कदम उठाने का निश्चय किया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना और आपका धैर्य साबित करता है कि हमारी सरकार की जो नीति है उससे आप सहमत हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिना कटौती का प्रस्ताव लाये ध्वनिमत से इसको पारित करें।

परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,80,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आज देश के लिए और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रित करने हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1951 में प्रारम्भ किया गया था। प्रारम्भ में इसका स्वरूप पूर्णतया जनाकिकीय था, इसलिए महिला एवं पुरुष नसबन्दी पर विशेष बल दिया गया। कालान्तर में कार्यक्रम परिवार परिसीमन की अस्थायी विधियों जैसे निरोध, खाने की गर्भ निरोधक गोलियां, लूप निवेशन आदि को भी उसके साथ जोड़ा गया और उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्रम को लक्ष्य परक रखा गया। 70वें के दशक में नसबन्दी के लक्ष्यों की प्राप्ति की दौड़ में, कार्यक्रम में जोर जबरदस्ती का पुट आ जाने के कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल कर परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया तथा कार्यक्रम को और व्यापक एवं जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से उसमें परिवार परिसीमन के साथ-साथ गर्भवती माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के नये आयाम जैसे प्रसव से पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसवोत्तर सेवायें, प्रतिरक्षण, अन्धता से बचाव, रक्त अल्पता से बचाव तथा दस्त उपचार सेवायें आदि कार्यक्रम में जोड़ी गयी और कार्यक्रम का स्वरूप पूर्णतया स्वैच्छिक रखा गया परन्तु कार्यक्रम पूर्ववत लक्ष्य आधारित ही रहा। उपर्युक्त रणनीति के फलस्वरूप जन्म दर में तो कुछ कमी अवश्य आई परन्तु जनसंख्या वृद्धि पर आशातीत नियंत्रण परिलक्षित नहीं हुआ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में कार्यान्वयन की रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इसे लक्ष्य मुक्त किया गया तथा उसके स्थान पर सेवा प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं के कार्यभार का निर्धारण समुदाय की आवश्यकताओं एवं उनकी परिवार कल्याण संबंधी अभिरुचि पर आधारित किया गया। अक्टूबर, 1997 से भारत सरकार ने पुनः रणनीति में परिवर्तन करते हुये प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसके अन्तर्गत परिवार परिसीमन के साथ-साथ माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण, प्रजनन तंत्र संक्रमण तथा यौन जनित रोग नियंत्रण सेवाओं को समेकित कर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए लाभार्थी केन्द्रित किया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में अब तक अलग-अलग दी जा रही सेवाओं को एकीकृत करने का उद्देश्य यह भी है कि महिला के प्रजनन, स्वास्थ्य एवं गर्भधारण के समय से लेकर प्रसवकाल, प्रसवोत्तर एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लक्षित करते हुये छोटे परिवार की अवधारणा जनमानस तक पहुंचाई जाय और समुदाय की सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम में प्राप्त की जाय। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये बिना चीरा एवं टांका के नसबन्दी शुरू की गई है जिसमें कुछ चुने हुये जनपदों में चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। इस विधि में बगैर चीरे के पुरुष नसबन्दी की जाती है। इसे और अधिक ग्राह्य बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें जनमानस को उपलब्ध कराकर मातृ एवं शिशु दर में कमी लाना तथा माता पिता और परिवार के सदस्यों में बच्चों के जीवन सुरक्षा के संबंध में विश्वास उत्पन्न करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा विश्वास उत्पन्न होने के फलस्वरूप दम्पत्ति बच्चों के जन्म में अन्तराल व छोटे परिवार के दृष्टिकोण को स्वतः अपनायेगें, जो अन्ततः जनसंख्या नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती माताओं के प्रसव पूर्व परीक्षण, टिटनेस से बचाव के टीके, खून की कमी को पूरा करने के लिये आयरन

फोलिक एसिड की गोलियां, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवायें तथा बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके, अन्धता से बचाव के लिये विटामिन "ए" का घोल तथा दस्त व निमोनिया जैसी बीमारियों का उपचार दिया जाता है। यह कार्यक्रम प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवायें, उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

मान्यवर, समाज में यह विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया गया कि जैसा लोगों में भय रहता था कि 1-2 बच्चे होने पर किसी कारण से या दैवी आपदा से बच्चा खत्म हो जायेगा, इसके लिये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उस भय को दूर करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1997-98 से कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 49 लाख गर्भवती माताओं को पूर्व प्रसव सेवायें प्रदान की गईं और टिटनेस से बचाव के टीके लगाये गये, 686000 प्रसव संस्थाओं में तथा 2386812 प्रसव घरों पर कराये गये तथा लगभग 48 लाख बच्चों को विटामिन "ए" का घोल दिया गया। वर्ष 1998-99 में लगभग 59 लाख गर्भवती माताओं को प्रसव पूर्व सेवायें एवं टिटनेस से बचाव हेतु टीकाकरण तथा रक्त अल्पता से बचाव हेतु आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण एवं लगभग 54 लाख बच्चों को विटामिन "ए" का घोल दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के 9 जनपदों में स्वास्थ्य सखी योजना प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 289 सखियों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 1997-98 में 18 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वर्ष 1998-99 में इस योजना के अन्तर्गत 90 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षणोपरान्त प्रत्येक सखी को 500 रुपये प्रति माह की दर से मान देय दिया जायेगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ शिशु कल्याण, प्रशिक्षण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम अभी तक अलग-अलग चलाये जा रहे थे। सांख्यकीय रूप से आशातीत उपलब्धियों के बावजूद, जन्म दर में विशेष कमी परिलक्षित नहीं हो सकी। कार्यक्रमों का प्रभावी अनुश्रवण भी नहीं हो पा रहा था, अतः लक्ष्यमुक्त पद्धति को आधार मानते हुए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 97 से सभी सेवाओं का एकीकरण इस उद्देश्य से किया गया है, ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिला के प्रजनन, स्वास्थ्य एवं गर्भधारण के समय से लेकर प्रसवकाल, प्रसवोत्तर एवं शिशु स्वास्थ्य को लक्षित करते हुए सीमित परिवार की अवधारणा जनमानस तक पहुंचाई जाय।

कार्यक्रम में सामूहिक भागीदारी सुदृढ़ करते हुए लाभार्थी केन्द्रित गुणवत्ता परख सेवाएं प्रदान की जायेंगी। इसमें प्रजनन तंत्र संक्रमण एवं यौन जनित रोगों की जानकारी, जटिल प्रसव के मामले का संदर्भन तथा उपचार को भी सम्मिलित किया गया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए हमने यह भी निर्णय लिया है कि हमारे जो अधिकारी/कर्मचारी इस कार्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

यह कार्यक्रम पूर्णतया केन्द्र पोषित है। इनके अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में लगभग 120000 महिला स्वास्थ्य कार्यकत्रियों तथा पर्यवेक्षकों को छः दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है अन्य कार्यकर्ताओं तथा महिला व पुरुष चिकित्सकों के बड़े वर्ग को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सन् 2001-2002 तक प्रशिक्षण कलैण्डर बनाया गया है जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक "इम्पावर्ड कमेटी फार आर०सी०एच० का गठन किया गया है, जिसका पंजीकरण भी करा लिया गया है। इस कमेटी की शाखयें जनपदों में भी खोली जा रही हैं। भारत सरकार से "प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता इसी

कमेटी के माध्यम से प्राप्त होगी तथा आवश्यकतानुसार जनपदों में वितरित की जायेगी। यह कार्यक्रम तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू किया जायगा। प्रथम वर्ष में 17 जनपद आच्छादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 2 उप परियोजनायें क्रमशः रायबरेली व फिरोजाबाद में अलग से चलाई जायेंगी। नवीं योजनाकाल में परियोजना हेतु कुल रुपये 673.67 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में रुपया 65.26 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख योजनायें प्रस्तावित हैं –

अनिवार्य सेवा हेतु जनपद इटावा, सीतापुर, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, आजमगढ़, बस्ती, ललितपुर तथा पड़रौना जनपदों में 137 स्टाफ नर्स तथा 983 बी० एच० डब्लू० महिला की संविदा पर तैनाती।

कार्यक्षेत्र में भ्रमण क्षमता बढ़ाने हेतु 17 जनपदों के 25 प्रतिशत, 1383 दूरस्थ उपकेन्द्रों की बी० एच० डब्लू० महिला मोपेड क्रय हेतु ब्याज मुक्त ऋण।

आकस्मिक प्रसव सेवा की व्यवस्था हेतु 17 जनपदों में 34 लैब टैक्नीशियनों की संविदा पर तैनाती तथा एनेथेटिस्ट की व्यवस्था।

24 घण्टे प्रसव सेवा हेतु उन्नाव, कानपुर देहात, देहरादून, प्रतापगढ़ के 4-4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 22 स्टाफ नर्स तथा 16 सफाई कर्मचारियों की संविदा पर तैनाती व चिकित्सकों को मानदेय की व्यवस्था।

प्रसव के जटिल मामले के संदर्भत हेतु 9 जनपदों के 25 प्रतिशत उपकेन्द्रों के 2772 ग्राम पंचायतों को रुपया 5000 प्रति ग्राम।

पंचायत की दर से धन की व्यवस्था है। यह धन ग्राम पंचायतों के निस्तारण पर रखा जायेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला महिला अस्पताल आदि में अतिरिक्त निर्माण, मरम्मत, जीर्णोद्धार हेतु रुपया 10 लाख प्रति इकाई की दर से धन की व्यवस्था है। कोल्ड चेन उपकरणों की मरम्मत व रख-रखाव हेतु रेफ्रीजरेटर मैकेनिक के रिक्त 21 पदों पर संविदा पर तैनाती है। विसंक्रमण हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मिट्टी के तेल के लिए रुपया 5000 की व्यवस्था है। जो पहले 3000 थी उसे बड़ाकर 5000 की है। घरेलू सुरक्षित जीवन हेतु पूरे प्रदेश के लिए लगभग 47 लाख डिसपोजेबल डिलीवरी किट की आपूर्ति की व्यवस्था है।

दाई प्रशिक्षण हेतु आज भी प्रदेश में 70 प्रतिशत प्रसव अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा कराये जा रहे है, परन्तु उन्हें सुरक्षित प्रसव कराने की विधि, नवजात शिशु की उचित देखभाल तथा जटिल प्रसवों की पहचान की जानकारी न होने के कारण प्रत्येक लाख गर्भवती माताओं में लगभग 500 मातायें व प्रथम जन्म दिन से पूर्व लगभग 8500 बच्चे काल ग्रस्त हो जाते हैं। इन मृत्युओं को रोकने हेतु प्रदेश में अप्रशिक्षित दाइयों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 1,12,800 दाइयों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिनमें विगत 2 वर्षों में 6000 दाइयों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, शेष दाइयों को आगामी 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

डिसपोजेवल डिलीवरी किट हेतु माताओं एवं नवजात शिशुओं की टिटनेस से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए वर्ष 1996-97 से गर्भवती माताओं को डिसपोजेवल डिलीवरी किट दिये जाने की योजना प्रारम्भ की है। वर्ष 1997-98 में 10 लाख ऐसे किट वितरित किये गये हैं, वर्ष 1998-99 में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 47 लाख डिसपोजेबल डिलीवरी किट गर्भवती महिलाओं को वितरित किये जायेंगे।

नगरीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु शहरी आबादी को परिवार कल्याण संबंधी सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 72 जिला स्तरीय तथा 149 उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिनमें से 9 जिला स्तरीय तथा 2 उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है। इन केन्द्रों पर प्रसवकाल तथा प्रसवोत्तर काल में परिवार कल्याण तथा मातृ शिशु कल्याण संबंधी सभी सेवायें एक ही स्थान पर लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों की संख्या 149 है, जो अधिकांशतः तहसील स्तरीय महिला चिकित्सालयों में स्थापित है, उनमें से 2 प्रसवोत्तर केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे है। इसके अतिरिक्त 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में 81 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 50 राज्य सरकार द्वारा तथा 31 केन्द्र स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश के 17 शहरों में, जहां की आबादी 2 लाख या उसे अधिक है, वहां कुल मिलाकर 150 हेल्थ पोस्ट स्थापित है, जिसमें से 6 हेल्थ पोस्ट स्वैच्छिक संस्थायें संचालित कर रही है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के ही अन्तर्गत वर्ष 1978 में वृहत् प्रतिरक्षण कार्यक्रम (ई० पी० आई०) प्रदेश में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य नवजात शिशुओं को छः जान लेवा बीमारियों (क्षय रोग/डिपथिरिया/काली खांसी/टिटनेस/मीजिल्स तथा पोलियो) से बचाना था। वर्ष 1985 में कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीन के सुरक्षित रख-रखाव के लिए विभिन्न स्तरों पर कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराये गये तथा कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू० आई० पी०) रखा गया। इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं को टिटनेस के बचाव हेतु 2 टीके तथा 0-1 वर्ष के बच्चों को बी० सी० जी०, डी० पी० टी० तथा खसरे के टीके के साथ पोलियो ड्राप पिलाये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रतिरक्षण के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में लगभग 51 लाख शिशुओं को प्रतिरक्षण टीके दिये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मंत्री जी काफी विस्तार से बात आ गयी है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह–

वर्ष 1998-99 में लगभग 54 लाख बच्चों को टीका दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश को पोलियो मुक्त करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त 0-5 साल के बच्चों को वर्ष 1995-96 से प्रतिवर्ष भारत सरकार की सहायता से "पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान" चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत हर वर्ष 7 दिसम्बर व 18 जनवरी को 0-5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दो अतिरिक्त खुराक दी जाती है। वर्ष 1997-98 में लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवाई गई। वर्ष 1998-99 में भी पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 0-5 वर्ष वाले सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी जायेगी। सामान्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम एवं पल्स पोलियो अभियान के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हुई है।

वर्ष 1987 में शिशु मृत्यु दर 127 प्रति हजार से घट कर वर्ष 1996 में 85 प्रति हजार हो गई है। इस प्रकार इस अवधि में 42 अंकों की गिरावट हुई जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर 22 अंकों की गिरावट आई और अधिक सुधार करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरुष) का जनपदीय संवर्ग से मण्डलीय संवर्ग बनाये जाने के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं जिससे कार्यशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं उधर बैठे लोगों से भी अपील करुंगा कि परिवार कल्याण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसको हम दलगत भावना से ऊपर उठकर चलाना चाहते है। आज गांव में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए महिलाओं में विश्वास जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं अभी इस कार्यक्रम को अपनाने में आगे नहीं आ पा रही है। मैं सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश आबादी में सबसे अधिक है जैसे हम गांव की समस्या का निपटारा पंचायतों के माध्यम से करते हैं। उसी तरह यह हमारी सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा है। आप लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग सब मिलकर इस योजना को सफल बनाये ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है।

आज जो जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उसका एक कारण शिक्षा का अभाव भी है, हमारी महिलाओं के अन्दर यह विश्वास है। दो से ज्यादा बच्चे न पैदा करें। मैं एक चीज के बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे देश में लोग लड़कियों की अपेक्षा लड़का पैदा होने की ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जब से पश्चिमी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है उसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा उपयोगी साबित हुई हैं। हम दो हमारे दो, बच्चा बच्ची एक समान हमें इस नारे में विश्वास करना चाहिए। मान्यवर आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उनको हम निश्चित रूप से नोट करेंगे और विचार करने की कोशिश करेंगे।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनदान सख्या—32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा). के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञासे प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान—34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण), के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण और बड़े विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखने का आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, भारत सरकार ने एक नीति घोषित की है और उसके अनुपालन में पूरे देश के सभी प्रदेशों में, प्रदेशों के सभी विभाग काम कर रहे हैं। भारत सरकार की जो नीति है। वह दो हजार तक सभी के लिए स्वास्थ्य की योजना है। आज मैं उम्मीद कर रहा था कि इसी सिलसिले में हमारे तीनों माननीय मंत्रीगण ने स्वास्थ्य विभाग का अपना-अपना बजट प्रस्तुत करते समय अनुदान की मांग रखते हुए ऐसी कुछ बातें कहेगें, लेकिन तीनों मंत्रियों का भाषण कुछ इस तरह था, उससे स्पष्ट होता है कि सारी बातें हवा में कह डाली और विभाग के अधिकारियों ने जो उन्हें तैयार कर दिया, वह उसे ले आये और यहां पढ़ दिया। इससे उत्तर प्रदेश की साढ़े सोलह करोड़ जनता का भला होने वाला नहीं है।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बिगड़ा हुआ है और इन तीनों मंत्रियों के रहते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं यह सोचकर आया था और उम्मीद कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्रीगण और भा०ज०पा० सरकार कारगर कदम उठायेगी और सन् 2000 तक पूरे देश के सारे अवाम को एक अच्छा दिन देखने को मिल जायेगा, सभी लोग स्वस्थ हो जायेंगे, उत्तर प्रदेश की एरिया के अन्दर रहने वाले सभी लोगों को रोग से मुक्ति मिल जायेगी । अपने बजट के संबंध में माननीय मंत्रियों द्वारा जो बातें कही गयी उससे बड़ी निराशा पैदा हुई। मान्यवर, मैं एक-एक करके कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य मिलकर समीक्षा कर लें। एक बात बड़े जोर से कही गयी कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनायी जायेगी।

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण पढ़ा उसमें यह बातें कही गयी हैं और आज माननीय मंत्री जी ने भी यही बात कही है। 21 साल से लगातार यह बात कह रहे हैं। 23 सितम्बर, 1977 को श्री कल्याण सिंह जी इसी सदन में बोल रहे थे, उस समय वह स्वास्थ्य मंत्री थे। तब इस सदन में कहा था कि अभी तक प्रदेश के अन्दर चिकित्सा सम्बन्धी कोई विश्वविद्यालय नहीं है और शासन इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रहा है कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाये, जिसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं नेचरौपैथी संकाय हों और वह अलग से स्वतंत्र रूप से इन सभी पद्धतियों के विकास को आगे बढ़ा सके।

मान्यवर, 21 साल बाद आज फिर विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने यह बात दोहराई है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जायेगी। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने इसी सदन में कहा था कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार लाने हेतु मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी। यह 21 साल से लगातार घोषणायें करते जा रहे हैं, दृढ़ संकल्प लिये जां रहे हैं। यह 1977 से बना रहे हैं, श्री कल्याण सिंह जी पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी तक बन नहीं पायी है। यह जो घोषणायें हैं। उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने वाली नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा है।

(समय 4 बजकर 45 मिनट)

पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में मरीजों के साथ जो व्यवहार देखने को मिलता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बेहद दुखित होने वाली बात है। अरसे से कहा जाता है कि डाक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है लेकिन डाक्टर का व्यवहार दो तरह का होता है। सरकारी अस्पताल में डाक्टर का आचरण अत्यंत खराब होता है। सरकारी अस्पताल में डाक्टर मरीजों को देखते ही लाल पीला होने लगता है और कहता है कि यहां कहां टहल रहे हो, यहां कोई भला होने वाला नहीं है। उसी डाक्टर की क्लीनिक में जब मरीज जाता है। तो उसका व्यवहार दूसरा होता है। वहां वह अच्छा व्यवहार करता है। वहां मरीजों का ठीक से ध्यान देते हैं। वहां हर सुविधाएं देते हैं। इस तरह के डाक्टर का बहुरुपिया जैसा आचरण है। मान्यवर जब तक सरकारी डाक्टरों की सेवा के दौरान प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक नहीं लगेगी तब तक जनता का भला होने वाला नहीं है। जब तक उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा तब तक उत्तर प्रदेश की जनता को सही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकेगी। इसके लिए अरसे से प्रयास हुए हैं। वर्ष 1945-46 में खेर कमेटी बनी थी। उसने रिपोर्ट दी थी कि जो सरकारी सेवा में डाक्टर हैं। उनके प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। वर्ष 1961 में मुदालियर कमेटी बनी थी उसने भी रिपोर्ट दी कि सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगना चाहिए। वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश वेतन और नवीनीकरण कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। दिनांक 24-3-76 को मेडिकल कांउसिल आफ इंडिया ने प्रस्ताव पास किया कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। वर्ष 1978 में एक कांफ्रेस हुई थी। मेडिकल हेल्थ कांउसिल आफ इंडिया की जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य निदेशक ने भाग लिया था। यह कांफ्रेस दिल्ली में हुई थी। इस कांफ्रेस में फैसला लिया गया कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगना चाहिए। लेकिन आज तक सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध नहीं लग सका।

भाजपा सरकार में मंत्रीगण और मुख्यमंत्री बराबर यह कहते हैं कि हम प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाएंगे लेकिन यह सक्षम नहीं है। इस सरकार में एक काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। डाक्टरों का स्थानान्तरण एक उद्योग बन गया है। स्वास्थ्य विभाग का स्थानान्तरण उद्योग की तरह काम कर रहा है। सी० एम० हाउस से एक लिस्ट चली जाती है मंत्रीगण के यहां स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं। उनके यहां लिस्ट जाती है और उसी के अनुरूप ट्रांसफर हो जाता है। यह विभाग उद्योग की तरह काम कर रहा है। जब तक इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में होंगे, स्वास्थ्य विभाग उद्योग विभाग की तरह काम करेगा तब तक पूरे प्रदेश में कोई भी डाक्टर इनके आदेश को मानने को तैयार नहीं होगा।

इसलिये मेरी मंत्री जी को सलाह है कि वह डाक्टरों से पैसा लेकर स्थानान्तरण न करें यदि उनसे काम लेना है, तो तमाम डाक्टर एक ही जगह पर 10-10 व 15-15 साल से पड़े हुए हैं और वहां पर वह अपनी क्लीनिक खोले हुए हैं, उनका स्थानान्तरण इस लिये नहीं किया जाता है क्योंकि वह ज्यादा पैसा देते हैं और जो कम पैसा देता है, उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। आज चाहे देहात के अस्पताल हों या बाहर के चाहे वह एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, अधिकतर अस्पतालों में ताला लगा मिलता है। यदि महीने में खुला भी तो एक दो दिन के लिये। वहां डाक्टर नहीं होता है और न कम्पाउन्डर। एक दो दिन जो खुलता भी है, तो उन अस्पतालों को स्वीपर व वार्डन चलाते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग चौपट है। आज तीनों मंत्रियों से धनराशि की मांग की है, मेरा कहना है कि विगत वर्ष में जो धन दिया गया था, यदि उसका सदुपयोग हुआ है, तो आपको इस वर्ष मांगने का अधिकार है, यदि दुरुपयोग हुआ है, तो आपको मांगने का अधिकार नहीं है।

मान्यवर, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती, रुई पट्टी नहीं मिलती। ये छोटी-छोटी चीजें नहीं मिलती, तो फिर वह अस्पताल किस बात के लिये हैं? अब मैं आपका ध्यान नकली दवाइयों की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसी लखनऊ शहर में नकली दवाइयों को खरीदने का मामला प्रकाश में आया, उसकी जांच हुई, परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से इस घोटाले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे उस भ्रष्ट अधिकारी का मनोबल बढ़ गया। उस वरिष्ठ अधिकारी ने उस दवा को किसी पी०एच०सी० व सब सेन्टर में नहीं बांटा बल्कि इसी लखनऊ में महिला प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगंज (वी० एस० डब्लू०) के परिसर में गड्ढा खोद करके डलवा दिया। इस प्रकार पिछले वर्ष स्वीकृत धनराशि का यूटिलाइजेशन हो गया। गोण्डा में तो आज मुझे जानकारी मिली है कि मंत्री जी के आस-पास एक रैकेट भी बना दिया गया है, जो वहां पर सरकारी अस्पतालों में जाकर डाक्टरों पर दबाव डालता है।

माननीय मंत्री जी का नाम लेता है और नाम लेकर लोकल परचेज की जाती है। मान्यवर, एक टीम बनी है, उसका नाम है बी०ओ०एच०एम० "ब्रदर आफ हेल्थ मिनिस्टर" यह गोण्डा में घूमती है और कभी-कभी लखनऊ भी आती है। यह ऐसा रैकेट है, जो ट्रांसफर के लिये ठेका लेता है। गोण्डा में या उसके आसपास के जनपदों में गरीबों को दवा न मिल सके। लोकल परचेज के नाम पर सारा पैसा खर्च हो रहा है। अगर मंत्री जी के आस-पास ऐसे रैकेट बनेगें तो पूरे प्रदेश के मरीजों का क्या होगा, यह सोचने वाली बात है?

मान्यवर, सन् 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी, यह संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यही संकल्प है और रात दिन इस दिशा कार्य कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो इन्हें करना चाहिए। लेकिन यह किसके भरोसे यह संकल्प कर रहे हैं? आज प्रदेश के कोने-कोने में ऐसे डाक्टर हैं, ऐसे कर्मचारी हैं। जो आठवाँ आश्चर्य पैदा कर रहे हैं और उन्हीं के भरोसे हमारी सरकार दम भरती है कि सन् 2000 तक सब को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा देंगे लोग अमन चैन से रहेंगे। सीतापुर की बात है, एक डाक्टर ने आपरेशन किया, आपरेशन के बाद पेट सिल दिया। कैंची, गौज, पट्टी अन्दर डाल दी। बाहर निकाली ही नहीं। ऐसे डाक्टर हैं, उनके भरोसे सन् 2000 तक सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा देंगे। फैजाबाद में एक हड्डी के डाक्टर ने एक लड़के को चोट लग गयी थी। प्लास्टर उसके बायें हाथ में बांध दिया जबकि चोट दाहिने हाथ में लगी थी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपया नोट करें।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, वह लड़का रात में खाना खाने के लिये मेज पर पहुंच गया। वह खाना नहीं खा रहा था। लड़के की माँ ने पूछा खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अपने हाथ से खाओ एक हाथ तो खाली है। लड़का बोला माँ दाहिना हाथ टूटा था? डाक्टर ने प्लास्टर बायें हाथ में बांध दिया है। ऐसे डाक्टरों के भरोसे आप यह बात कह रहे हैं। जिला अस्पताल सीतापुर में श्री आशा राम मौर्य की पत्नी को बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होते ही गायब हो गया। ऐसे स्टाफ के जरिये उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प लेती है कि सन् 2000 तक सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा देंगे, लोग अमन चैन से रहेगें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में टीका टिप्पणी न करें।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, डाक्टरों के प्रैक्टिस करने के लिये रजिस्ट्रेशन होता है।

किसका रजिस्ट्रेशन होना है। ऐसा कोई मानक नहीं है। चाहे कोई एम० बी० बी० एस० हो, चाहे एम० डी० हो चाहे एम० एस० हो चाहे बी० एम० एस० हो वह डाक्टर लिखता है। चाहे पढ़ा लिखा हो या न हो डाक्टर लिखता है। उसे डाक्टर लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। मान्यवर, इसी तरह से रजिस्टर्ड डाक्टर एक गोसाईगंज में हैं, उनकी यह खासियत है कि वह एक बार सिरिंज भर लेते हैं फिर पांच-छः लोगों को एक साथ लगा देते हैं एक ही बार में कपड़ा, भी नहीं हटाने देते हैं और मरीज जो कपड़ा पहने रहता है उसी के ऊपर से इंजेक्शन लगा देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो आपका ही क्षेत्र आता है। (हंसी)

श्री आर० के चौधरी–

मान्यवर, इसी तरह से एक डाक्टर मिश्रा हैं इनके पास जागेश्वर प्रसाद नाम का एक आदमी एक मरीज को लेकर गया डाक्टर ने जागेश्वर प्रसाद के भी इंजेक्शन लगा दिया (हंसी) यह कहते हैं कि प्रदेश की साढ़े सोलह करोड़ जनता को चिकित्सा उपलब्ध करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

जितने धीरज के साथ माननीय सदस्य ने सहयोग किया माननीय मंत्री जी को सुना कृपया आप लोग भी उन्हें सुने।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में माननीय मंत्री जी ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का बखान किया है। मलेरिया का उन्मूलन हुआ नहीं, मलेरिया विभाग का उन्मूलन हो गया। पिछले साल भी इसमें काफी धन लगाया गया था 1997-98 में 8,856.80 लाख रुपया गया था। इस बार मान्यवर, 1998-99 के बजट में जो मांग की गयी है वह 9,435.90 रुपये की मांग की गई है लेकिन सब सिफर का सिफर, उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन होता दिखाई नहीं दे रहा है, जितनी योजना हैं। यह भाजपा के कार्यकाल में फर्जी चलाई जा रही हैं, स्कीम सही है लेकिन क्रियान्वयन नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक स्वास्थ्य निदेशालय है, वह पूरी तरह से चारागाह बना है और एक भी फाइल आप उठाकर देख लीजिये किसी भी डाक्टर या कर्मचारी की व्यक्तिगत फाइल में कोई पन्ना नहीं मिलेगा, कोई सीनियरिटी लिस्ट नहीं है। कब किसका प्रमोशन हो जाय किसका न हो यह पता नहीं है। वहाँ धाँधली होती है और पूरे प्रदेश के डाक्टर और कर्मचारी तीन-तीन, चार-चार दिन अटैची में पैसा लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, 1997 में एक सीनियरिटी लिस्ट बनी डाक्टर्स की पी० एम० एस० डाक्टर संवर्ग की लिस्ट बनी इसमें घोर अनियमितता हुई है।

फरवरी, 98 में 30 डिप्टी सी० एम० ओ० रैंक के डाक्टर को प्रमोट कर दिया और उन्हें सीधा डायरेक्टर बना दिया। उससे ऊपर के लागों को उनका मातहत बना दिया। बड़े पैमाने पर घोर अनियमितता का कार्य वहाँ पर हो रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे डाक्टर्स का प्रमोशन किया गया। जो तदर्थ रूप से भर्ती हुए थे और लोक सेवा आयोग से नियमित भी नहीं

थे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेडिकल कालेज का गुणगान किया। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में डा० मिश्रा को प्रधानाचार्य बना दिया गया है। वे लोक सेवा आयोग से चयनित नहीं हैं। उनसे सीनियर लोग पड़े हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया गया तो जो सीनियर डाक्टर्स हैं कैसे उनका मन लगेगा? तो इस तरह से आप सन् दो हजार तक प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे।

मान्यवर, इसी तरह लखनऊ में के० जी० एम० सी० है, वहाँ पर लगभग सभी विभागों में जितने डाक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं। जितने डाक्टर्स स्वीकृत हैं, उसके आधे भी होते तो काम चल जाता। मान्यवर, वहाँ पर ट्यूबरकलोसिस और चेस्ट डिपार्टमेंट में आवश्यकता है 13 डाक्टर्स की। सृजित पद हैं 8 और स्वीकृत पद हैं 5 नियुक्ति हैं, केवल दो डाक्टर्स की और दो में से एक प्रो० पी० के० मुकर्जी वह एक साल पहले रिटायर हो गये हैं और उनको सेवा विस्तार दिया है और वह कार्यरत हैं।तो 13 डाक्टर्स में से दो डाक्टर्स आपके हैं, तो इस आधार पर आप सन् दो हजार तक प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा देने जा रहे हैं। यह संभव प्रतीत नहीं होता है।

मान्यवर, परिवार कल्याण के बारे में माननीय मंत्री जी ने बड़े लम्बे चौड़े भाषण दिये। परिवार कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश के सारे विभागों में से ज्यादा पैसा मिलता है और पहले भी वह लेता था। आज भी ले रहे हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं। मान्यवर, 1993-94 में परिवार कल्याण विभाग में जो धन खर्च हुआ था 192.94 करोड़ नकद खर्च हुआ था और 62 करोड़ रुपया सामग्री के लिए दिया गया था तब जनसंख्या थी 14.28 करोड़। वर्ष 1994-95 में धन दिया गया 165.62 करोड़ रु०, 72 करोड़ रु० की सामग्री दी गयी, जनसंख्या बढ़ गयी 14.88 करोड़। 1995-96 में धन दिया गया 140.06 करोड़ रु०, सामग्री दी गयी 69.05 करोड़, जनसंख्या बढ़ गयी 15.55 करोड़ रु०, 1996-97 में 215 करोड़ रु० सामग्री दी गयी 72.21 करोड़ की, जनसंख्या बढ़ गयी 16.12 करोड़, 1997-98 में 293 करोड़ रु० सामग्री दी गयी 75.80 करोड़ रु० की जनसंख्या बढ़ गयी 16.55 करोड़। जैसे-जैसे धन लेते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बड़ा सही सदुपयोग कर रहे हैं? भाजपा सरकार के रहते हुए कंट्रोल नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या का अनुपात अगर दूसरे प्रदेशों में लगाया जाय तो हम बर्थ रेट में टाप पर हैं। उत्तर प्रदेश में 34 परसेंट बर्थ रेट है, मध्य प्रदेश में 32.4, बिहार 32.1, राजस्थान 32.3, उड़ीसा 26.8 केरल 17.8, आंध्र प्रदेश 22.7 तमिलनाडु में 19.2, पश्चिम बंगाल में 22.8, महाराष्ट्र 23.2, गुजरात 25.5, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि बर्थ रेट कंट्रोल किया जाय, लेकिन असफल हैं। यही स्थिति डेथ रेट में है। उत्तर प्रदेश में 10.2 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 11.1, बिहार में 10.2, राजस्थान में 9.1, उड़ीसा में 10.7, केरल में 6.2, आंध्र प्रदेश में 8.3, तमिलनाडु में 7.9, पश्चिम बंगाल में 7.8, महाराष्ट्र में 7.4, गुजरात में 7.6, प्रति वर्ष धन लेते जा रहे हैं। 1997-98 में परिवार कल्याण के लिए जो धन उठाया गया 2 अरब 59 करोड़ 99 लाख 99 हजार, परिणाम जीरो। इस वर्ष भी 2 अरब 76 करोड़ 21 लाख 10 हजार रुपये की मांग की जा रही है।

लेकिन फायदा कुछ नहीं प्रदेश को मिल रहा है। हर साल औषाधालयों में नसबंदी का अभियान चलता है, 50 फीसदी से ज्यादा फर्जी नसबंदी होती है, यह फर्जी नसबंदी का सिस्टम बरकरार रहते हुए परिवार कल्याण सफल होने वाला नहीं है। जो दवायें विभाग की ओर से दी

जाती हैं उसमें कागज पर चढ़ा दी जाती है मौके पर नहीं दी जाती है, जो भी आपकी चिकित्सीय पद्धतियां हैं एलोपैथिक, होम्यौथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, पद्धति है।

मान्यवर, यह बड़े लम्बे अर्से से घोटाला चला आ रहा है और भाजपा सरकार के समय में इस पर कोई नियंत्रण नही है। हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी अस्पताल अधिकांश अस्पताल कारगर नहीं हैं, दवाएं नहीं मिल रही है, मरीजों को फायदा नहीं हो रहा है। ऐसी आलोचना और समालोचना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अगर बिगड़ा है, तो अनियमितता के चलते और करेप्शन के चलते बिगड़ा है। माननीय मंत्रीगण और उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसी कार्य योजना बनाये कि उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में वरिष्ठ अधिकारी जायें और नाजायज पैसा कमाने वालों पर शिकन्जा कसें तो लोग नाजायज पैसा कमाना बन्द करेंगे और सेवा की भावना से डाक्टर्स, कम्पाउण्डर और दूसरे अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे और स्वास्थ्य विभाग की योजना सफल होगी।

मान्यवर, एलोपैथिक की जगह पर दूसरी पद्धतियां जैसे यूनानी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी है। इस पर हमारी सरकार भाषण तो करती है, लेकिन कोई कार्ययोजना नहीं है, अगर इस पर बल दिया जाय, धन दिया जाय, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मरीजों को आवाम को सही सस्ती चिकित्सा उपलब्ध करा सकते हैं। प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए मैंने बनाया है कि भाषण नहीं दृढ़ता के साथ लगना पड़ेगा और एक कार्ययोजना बनानी पड़ेगी और सरकार यह तय कर लें कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी होगी या प्राइवेट प्रेक्टिस करनी है। अगर सरकारी नौकरी करनी है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस न करें और प्राइवेट प्रेक्टिस करनी है तो नौकरी से त्याग-पत्र दे दें। मैं माननीय मंत्रियों को सुझाव देना चाहता हूं कि एक अलग से सेक्शन खोल दे सचिवालय में और डाइरेक्टोरेट में भी कि अगर कोई डाक्टर इस्तीफा देना चाहे और प्राइवेट प्रेक्टिस करना चाहे, तो इस्तीफा स्वीकार करने में विलम्ब न होना चाहिए। अक्सर यह होता है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है। जिससे अराजकता की स्थिति बनी रहती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राजधारी

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रतिशत है वह राष्ट्रीय स्तर के प्रतिशत से बहुत कम है। हमारे यहां की जनसंख्या, हमारे यहां शिक्षा का प्रतिशत, इन सारी चुनौतियों से हमारा प्रदेश भरा है। मैं बजट के पक्ष में अपनी बात कहते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या बहुत कम है।

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी और यह सरकार प्राथमिकता के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी डाक्टर्स की रिक्तियां हैं, उनकी पूर्ति करे, जिससे जनमानस को अस्पतालों में उचित सेवा सुलभ कराई जा सके।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में देहातों में अस्पतालों की बिल्डिगें हैं, सारी चीजें हैं, डाक्टर भी हैं लेकिन डाक्टर नियमित नहीं रहते हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोगियों को, गरीब लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। मैं चाहूंगा कि अस्पतालों के अन्तर्गत डाक्टरों के रुकने व रहने का मुकम्मल इन्तजाम माननीय मंत्री जी करायें। मान्यवर, दवाओं के संबंध में शासन की तरफ से काफी प्रयास हुआ है। लेकिन दवायें जितनी अस्पतालों में सुलभ होनी चाहिये, उतनी नहीं हैं, अतः मेरा सुझाव* है कि ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों को सुलभ कराने के लिये और अधिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिव्यय की व्यवस्था की जाय। कुत्ता काटने की तथा अन्य जो आवश्यक दवाइयां हैं, वह अस्पतालों में उपलब्ध नहीं रहती है, इस ओर भी समुचित ध्यान दिया जाय।

पिछली सरकारों के समय में यह देखा गया कि दवाओं की गुणवत्ता को लेकर तमाम बातें होती रही, मेरा निवेदन है कि अस्पतालों में जो भी दवा सप्लाई हो, वह दवा सही हो, इस तरह का इन्तजाम अस्पतालों की तरफ से होना चाहिये। मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आयुर्वेदिक दवाइयों, प्राकृतिक चिकित्सा तथा यौगिक क्रिया के बारे में संकल्प लिये हैं। निश्चित रूप से एलोपैथी के युग में उससे होने वाले साइड इफेक्ट की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी का संकल्प सराहनीय है। लेकिन इसके लिये बहुत काम करने की जरुरत है।

जैसा कि अभी हमारे माननीय चौधरी साहब ने कहा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, यह हमारे लिये दुर्भाग्य है। मैं चाहूंगा कि इसका जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ विशेष अभियान के रूप में चलाने की स्वास्थ्य विभाग पहल करे, जिससे हम बढ़ती जनसंख्या को रोककर विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

मान्यवर, गांवों में एक यह भी कठिनाई आती है कि वहां के लोग जिला मुख्यालय पर नहीं जा पाते हैं, इसलिये देहात के इलाकों में स्वास्थ्य मेले अथवा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके और विभिन्न बीमारियों के स्पेशलिस्ट डाक्टरों को वहां बुलवाकर ग्रामीण लोगों को जानकारी दिलाई जाय तथा उनके रोगों का वहीं निदान कराया जाय। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज पिछले 15 साल से बना हुआ है, अखबारों के माध्यम से सूचना मिली कि आल इन्डिया मेडिकल बोर्ड ने उसकी निर्धारित शर्तों को पूरा न करने की वजह से उसकी मान्यता रद्द करने के लिये लिखा है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन मान्यता की निर्धारित शर्तों की पूरा कराकर इस मेडिकल कालेज को चलाने का काम करे।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि नीति यह है कि दवा की दुकान वहीं खोल सकेगा जो फार्मासिस्ट हो लेकिन अनुभव हीन लोग बिना फार्मासिस्ट हुये दवा की दुकान खोल लेते हैं और कभी कभी गलत दवा रोगियों को मिल जाती है, जिसकी वजह से आम जनता को बड़ा नुकसान होता है। इसलिये जब शासन की नीति भी है और उसका व्यवहारिक पक्ष भी है, अतः दवा की दुकान का लाइसेंस देने में नियमों का पूर्णतः पालन किया जाय।

मान्यवर, अभी पिछले दिनों सवाल उठा था, महिला नर्सिंग केन्द्रों के बारे में। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि वह काफी दिनों से बन्द पड़े हैं और ट्रेन्ड नर्सें हैं उनकी नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि जनता के स्वास्थ्य को देखते हुये नर्सों की नियुक्ति के मामले को और डाक्टरों की नियुक्ति के मामले को विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में अस्पतालों के भवन बनते हैं, उनमें लाखों रुपया सरकार का खर्च हो जाता है। लेकिन वह पूर्णरूप से नहीं बनते हैं। उनमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। मैं बलिया जिले की बात कहना चाहता हूँ। बलिया जिला अस्पताल का भवन बन गया है। लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया है। जिससे उसका लाभ रोगियों को नहीं मिल पा रहा है। जो उसमें उपकरण लगे हैं। बिजली न होने के कारण वह काम नहीं करते हैं। काफी दिनों से बिना उपयोग के पड़ा हुआ है मैं चाहूंगा कि उसमें बिजली का कनेक्शन जल्दी दिया जाये और उस भवन को उपयोग में लाया जाये।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। मैं तीन मिनट में लाल बत्ती जला दूंगा।

डा० वकार अहमद शाह

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़े विन्दुओं को अपने बजट भाषण में छोड़ दिया है। आप जानते होंगे ए०आर०बी० की उपलब्धता पर इसी सदन में काफी सवाल हुए थे। यह दवा केवल जिला अस्पतालों में उपलब्ध होती है। पटवा डांगर से यह दवा आती है। इसके अतिरिक्त दूसरी दवा विरोख जो आती है। वह बहुत कीमती है। उसका दाम 1000 रुपया है और गरीब जनता इसको खरीद नहीं पाती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ए०आर०बी० नहीं उपलब्ध होती है, तो उसके स्थान पर जो दूसरी दवा है विरोख वह उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, आज के वैज्ञानिक युग में सी० टी० स्कैन बहुत ही आवश्यक मशीन है। इसकी एक मशीन मेडिकल कालेज में है। जो खराब रहती है और एक मशीन संजय गांधी अस्पताल में है। वह भी खराब रहती है। मान्यवर, 1995 में बलरामपुर और देहरादून में इस मशीन के लगाने की स्वीकृति हुई थी। एम०एस०बी०, डी० जी० दोनों की मीटिंग हो गयी है। उनकी रिपोर्ट आ गयी है और हाई पावर कमेटी की भी रिपोर्ट आ गयी सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी है। लेकिन 3 कम्पनी की स्वीकृति हुई स्पेशलाइजड कमेटी ने कम्पनी को स्वीकृति नहीं दिया। जिसके कारण मशीन उपलब्ध नहीं हो पायी है और उसका परिणाम यह हुआ है कि उस मशीन का दाम बहुत बढ़ गया है। मान्यवर पी० एम० एस० सेवा में सुपर स्पेशलाइजड कैडर का प्राविधान है डाक्टरों को सुपर ग्रेड मिलना चाहिए उसके बदले उनको केवल 200 रुपये दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि हर डिवीजन पर सुपर स्पेशलाइजड सेंटर खोले जाये और उनको वही सुविधाएं दी जाये जो केन्द्र सरकार देती है।

मान्यवर जो सुपर स्पेशलिस्ट है। वह दूसरी जगह बड़े अस्पताल में चले जाते है। सरकार का हाल यह है कि उनको दो सौ रुपया देकर उनकी योग्यता का ह्रास कर रही है जबकि केन्द्र में ऐसे डाक्टरों के लिए स्पेशल ग्रेड बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा प्राप्त डाक्टर है। उनको सी०एम०एस० सेवा में रखने के लिए वही ग्रेड दिये जाएं जो केन्द्र सरकार अपने सुपर स्पेशलिस्ट लोगों को देती है ताकि ऐसे लोग हमारे अस्पतालों में टिक सके और उसका लाभ गरीव लोगों को मिल सके। हमारे जिला अस्पताल वहराइच एन्टीवेरम सिरम नहीं था। वहां एक मरीज को सांप ने काट लिया था। एन्टीवेरम सिरम न मिलने से मरीज की मृत्यु हो गयी मैं सी० एम० ओ० से मिला और डाक्टर ने कहा वह मेरे पी०एच० शो गिलौला में रखा है जब तक वहां से वह दवा आये तब तक वह मरीज दम तोड़ चुका था।

आज अस्पतालों में डाक्टरों और दवाओं की कमी है ही लेकिन दुख की बात है कि हमारे जिले के बगल में माननीय मंत्री जी का जिला है। आज अस्पतालों में डाक्टर जहां चाहते है ट्रान्सफर करा लेते हैं चाहें जैसे भी कराये मैं नहीं जानता लेकिन उसका नतीजा यह है कि गरीब और पिछड़े इलाकों में डाक्टर नहीं रहते हैं। तव लखनऊ आ गये हैं। लखनऊ में जहां बड़े अस्पताल भी है मेडिकल कालेज भी है और प्राइवेट नर्सिंग होम भी बहुत है। लेकिन जहां गरीब जनता रहती है, किसान भी रहते हैं। जहां डाक्टरों की संख्या नगण्य है। पता नहीं वह कैसे ट्रान्सफर करा लेते हैं? मंत्री जी आसानी से ट्रान्सफर कर देते हैं। 1995 में हमारे यहां वहराइच जिला अस्पताल एक अल्ट्रासाउन्ड मशीन लगाई गयी थी। लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ है और वह मशीन बेकार पड़ी है। इसी तरह आई०सी०यू० में ए० सी० लगा है। लेकिन वह चलता नहीं है। लम्बे चौड़े भाषण करने से लोगों का इलाज नहीं होने वाला है। जो आपकी कमियां है। उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

करोड़ों रुपये की मशीनें पी०जी०आई० में लगी हैं। लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। एक एम०आर०आई मशीन है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसके एक वक्त के इलाज में 10,000 रुपया आदमी को देना पड़ता है। गरीब आदमी अपना इलाज आज नहीं करा पा रहा है। और यहां पी०जी०आई० में मशीन खराब पड़ी है। इसको देखने वाला कोई नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे विद्वान सदस्य आर०के० चौधरी साहब ने बताया कि आबादी किस दर से बढ़ रही है। उसमें मेरा सुझाव है कि आप जो इंसेन्टिव देते हैं डाक्टरों को और लोगों को उसको आप बन्द कर दीजिए फर्जी केस बन्द हो जायेंगे। जो लोग आपेरशन कराते हैं। उनको 150 रुपया इंसेन्टिव देते हैं। उसको फर्जी तरीके डाक्टर और अधिकारी और मंत्री जी कुछ आपके साथी ले लेते इसलिए आबादी बढ़ रही है।

मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे जिला अस्पताल बहराइच में स्किन स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन बी०डी० क्लीनिक नहीं हैं। इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट का कोई उपयोग नहीं है। हमारे यहां सर्जन दो हैं और फिजिशियन एक है। हमारा जिला नेपाल से लगा हुआ है वहां पर ठाकुर हुकुम सिंह ने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया था, लेकिन उस अस्पताल में डाक्टरों की कमी है। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था और मैंने प्रमुख सचिव से कहा लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं। क्या गरीब जनता ने वोट इसलिए दिया है कि वह इसलिए मर जाय कि वहां डाक्टर नहीं हैं। आप दवायें नहीं दे सकते हैं कम से कम डाक्टर की व्यवस्था करायें अगर डाक्टर होगा तो दवाई लिखने पर मरीज़ बाजार से दवाई तो ले सकता है।

आज बहराइच के अस्पताल में कोई योग्य डाक्टर नहीं है। वहां पी० एच० सी० पर जो डाक्टर हैं। वह शहरों में मकान लेकर नर्सिंग होम चला रहे हैं। मंत्री जी लखनऊ के सारे नर्सिंग होम और उत्तर प्रदेश सारे नर्सिंग होम का आप सर्वे करा लें। वह सब पी० एम० एस० डाक्टरों और मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा चलाये जा रहे हैं। यह डाक्टर मरीजों को नर्सिंग होम भेजते हैं और धन पैदा करते हैं और उस पैसे से जहां चाहते हैं। वहां पोस्टिंग करा लेते हैं। 20-20 साल से लखनऊ में डाक्टर कार्यरत है। किसी सरकार की खास तौर से आप की हिम्मत नहीं है हटा सके, इन शब्दों के साथ मैं माननीय आर० के० चौधरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, श्री आर० के० चौधरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं मान्यवर, जो विभाग की तरफ से बजट पुस्तिका हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है। उसको देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। माननीय मंत्रीगण का भाषण सुनकर उसके साथ तारतम्यता मिलाने की कोशिश कर रहा था कि माननीय मंत्री जी ने बड़े जोश और बड़े एलानिया तौर पर जो बातें कह रहे हैं। सचमुच उसमें और उनके द्वारा दी गई बजट पुस्तिका में कितना तारतम्य है, अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने चाहे आयुर्वेदिक कालेज हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, या चाहें एलोपैथिक हो, उस पर उन्होंने काफी कुछ कहा है। उसको मैं दोहराना नहीं चाहता।

मान्यवर, पिछले साल का जो रिवाइज्ड इस्टीमेट है। वर्ष 1997-98 में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्लान साइड में 16 करोड़ 37 लाख 8 हजार रुपये था और अब की बार जब माननीय मंत्री जी चमत्कार करना चाहते हैं। आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। तो केवल 6 करोड़ 85 लाख 4 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले यह 9 करोड़ 48 लाख 4 हजार रुपया कम है। इससे मंत्री जी क्या आमूल चूल परिवर्तन चिकित्सा शिक्षा में करेंगे? मान्यवर, इसी तरह से नान प्लान साइड में 122 करोड़ 36 लाख 43 हजार वर्ष 1997-98 का रिवाइज्ड इस्टीमेट था।

इस साल जो इन्होंने मांग की है 1998-99में 111 करोड़ 88 लाख, 88 हजार है जो कि पिछले साल की अपेक्षाकृत कम है। मान्यवर, नान प्लान में 10 करोड़ 47 लाख 55 हजार प्लान साइड और नान प्लान साइड में पैसा कम करके माननीय मंत्री जी कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी बना देंगे, कैसे मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण कर देंगे, कैसे रिक्त पदों को भर देगें? अगर उनके पास नान प्लान और प्लान साइड में विगत वर्ष की अपेक्षा पैसा कम है। यह तो माननीय मंत्री जी समझ सकते हैं। हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी रही हो जिसके नाते इनका बजट कम हुआ है परन्तु मुझे इससे उत्तर प्रदेश का भला होते हुए नजर नहीं आ रहा है। दूसरे आयुर्वेद के बारे में जो भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। जिसे दुनिया के लोगों ने हिन्दुस्तान से सीखा है। उसका बजट 1997-98 का रिवाइज्ड इस्टीमेंट 16 करोड़ 64 लाख 17 हजार था इस बार प्लान साइड में 3 करोड़, 96 लाख 97 हजार रुपया रखे हैं और प्लान साइड में 12 करोड़ 67 लाख 74 हजार रुपये की कमी हुई है। विगत वर्षों से तो यह कैसे आयुर्वेद को गांव-गांव तक पहुंचायेंगे। कौन सी जादुई छडी घुमायेंगे, कैसे डाक्टरों की भर्ती करेंगे और कैसे नए चिकित्सालय खोलेंगे जबकि पिछले वर्ष की अपेक्षा कम पैसा मांग रहे हैं अगर यह ऐसा करते हैं तो यह 7वां, 8 वां नहीं बल्कि 10वां व 12वां आश्चर्य होगा और माननीय मंत्री जी एक अनोखे मंत्री जी के रूप में जाने जायेंगे।

मान्यवर दुख की बात है कि आज उत्तर प्रदेश का जो आयुर्वेद विभाग है उसमें एक भी डाक्टर इस लायक नहीं हैं कि वह विभाग का डायरेक्टर बन सके इस बात को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक विभाग में जितने भी प्रधानाचार्य हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी चूंकि वह योग्य नहीं है। इसलिए वह डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सके हैं। आज वहां पर आई०ए०एस० और पी०सी०एस० अफसरों को बिठाकर काम चलाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी को इस पर सोचना पड़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे प्राचीन विधा रही है। उसकी यह हालत है।

होम्योपैथी के क्षेत्र में पिछले साल 1997-98 में जो पैसा खर्च किया है। उसका रिवाइज्ड स्टीमेंट 37 करोड़ 75 लाख 9 हजार रुपये है। अबकी बार 33 करोड़ 5 लाख 94 हजार रुपये रखा है और 17 करोड़ 9 लाख 68 हजार रुपये विगत वर्ष के अपेक्षाकृत कम रखा है। इसी तरीके से एलोपैथिक का पिछले साल का जो बजट था। उससे इस वर्ष 23 करोड़ 96 लाख 71 हजार रुपये प्लान साइज में कम किया है। इस प्रकार आप पिछले साल से कम पैसा मांगकर बढ़ी हुई जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधा देने जा रहे हैं यह चमत्कार बी०जे०पी० के ही बस का है। पापुलेशन और पोल्यूशन दो बड़ी समस्याएं हैं। हमारे परिवार कल्याण मंत्री जी पापुलेशन के नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन जो पिछले साल का रिवाइज्ड इस्टीमेट था।

(समय 5 बजकर 45 मिनट)

इस साल का आपने बजट रखा है। इसमें प्लान साइज में 42 करोड़ 17 लाख 36 हजार रुपये कम रखा है। कैसे आप परिवार कल्याण कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाएंगें, जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करेंगे? पैसा कम रखकर करेंगे यह भी एक चमत्कार होगा। पब्लिक हेल्थ में पिछले वर्ष रिवाइज इस्टीमेट 6 करोड़ 49 लाख 13 हजार रुपये कम रखा है। प्लान साइज्ड में और नान प्लान में 30 करोड़ 93 लाख 30 हजार पिछले साल के रिवाइज इस्टीमेट के सापेक्ष कम रखा है। पर्वतीय क्षेत्र में जो आयोजनागत व्यय है। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के लिए पिछले साल की तुलना में इस साल 493 लाख 42 हजार रुपये कम रखा गया है। जिस के बल पर मंत्री जी बहुत सारे चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं। सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण करने जा रहे हैं। जाने कौन-कौन सी योजनाएं लागू कर रहे हैं। पिछले साल जो पैसा खर्च किया है। पूंजीगत निर्माण

कार्यों के लिए वह 93 करोड़ 63 लाख 72 हजार इस्टीमेटेड 1997-98 में इन्होंने किया है। इस साल रखा है 91 करोड़ 24 लाख 5 हजार पिछले साल के सापेक्ष में दो करोड़ 39 लाख 67 हजार रुपये कम रखा है। जबकि महंगाई बढ़ी है। इसमें मंत्री जी अस्पतालों का उच्चीकरण करेंगे, सुदृढ़ीकरण करेंगे यह कैसे सम्भव होगा? मेरे भेजे में तो यह नहीं घुस रहा है। टोटल स्वास्थ्य विभाग से कम किया है वह है 217 करोड़ 35 लाख 16 हजार रुपये। इस तरह से इतना पैसा कम रखकर दो हजार तक सबको स्वास्थ्य सुविधा कैसे आप दे सकेंगे? जबकि इस दौरान महंगाई बढ़ेगी। हर चीजों की कीमतें बढ़ेंगी आप कैसे सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे? यह समझ में नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सहयोग करें।

श्री वी० आर० वर्मा–

यही नहीं इनके यहां पर निदेशक पुरुष के स्वीकृत पद 53 कार्यरत 19 रिक्त पड़े 34। संयुक्त निदेशक पुरुष 350 पद स्वीकृत 304 कार्यरत बाकी 46 रिक्त पद पड़े हैं। वरिष्ठ ग्रेड पुरुष स्वीकृत 1744 कार्यरत 1669 बाकी 75 पद रिक्त। साधारण ग्रेड पुरुष स्वीकृत पद 8808 तथा कार्यरत 6215 तथा 2593 पद खाली पड़े हैं। इसी से यह सबको सुविधाएं देंगे। हर जगह डाक्टर उपलब्ध करा देंगे। अपर निदेशक महिला 8 पद स्वीकृत एक भी पद भरा नहीं गया। संयुक्त नि॰ क महिला 82 पद स्वीकृत 44 कार्यरत बाकी 38 रिक्त पड़े हैं। साधारण ग्रेड महिला में 1505 पदों में 1289 पद पर कार्यरत बाकी 116 पद रिक्त। दंत संवर्ग में सीनियर कंसल्टेंट के 5 पद हैं। पांचों खाली हैं। संयुक्त निदेशक के दो पद हैं। दोनों रिक्त हैं। एक भी आदमी नहीं है। वरिष्ठ शल्यक के 36 पद हैं। सभी खाली हैं। इसी तरह से साधारण शल्यक के 357 पद स्वीकृत इसमें 244 पदों पर कार्यरत 113 पद रिक्त। इतनी कमी के बावजूद यह हर जगह पर डाक्टर की तैनाती करेंगे। हर रोगों का इलाज कर लेंगे। एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करुंगा।

मान्यवर, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी चैलेन्ज कर रहे थे कि हमने अबकी बार सी० पी० एम० टी० के एक्जामिनेशन में महारत हासिल की है, यदि आपने ऐसा किया है, तो आपको बधाई। परन्तु अबकी बार आयुर्वेद में जो एम० डी० की परीक्षा हुई और जिसकी देख-रेख में हुई, जिसको सस्पेन्ड करने की बात कही गई, जिसके कारण उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, उस व्यक्ति को आपने एडीसनल डाइरेक्टर बना दिया। ऐसी स्थिति में आप कैसे महारत हासिल कर पायेंगे? इस पर भी आपको सोचना होगा। जो वैद्य व होम्योपैथ के डाक्टर्स होते हैं, जो अपने निजी अनुभव के आधार पर ज्ञानार्जन करते हैं और जो अपनी रिसर्च करते हैं। रोगों के बारे में, उनकी यह खोज लिपिबद्ध होनी चाहिए ताकि उनकी खोज का फायदा आने वाली पीढ़ी को मिल सके।

इसके लिए आपको एक योजना बनानी चाहिये ताकि उन वैद्यों व डाक्टरों द्वारा जो रोगों के बारे में खोज की गई है। वह उनके मरने के साथ ही न चली जाय अपितु लिपिबद्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चौधरी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर जोर देते हुए, जैसा कि स्वयं मंत्री जी ने विभाग के बजट में कटौती कर दी है और बिना पैसे के ही यह सुधार लाना चाहते हैं, इस विभाग को एक रुपया दे दिया जाय क्योंकि यह चमत्कारी सरकार है और चमत्कार के द्वारा ही यह सुधार कर सकती है और जादुई छड़ी घुमाने मात्र से ही यह सरकार स्वास्थ्य सुविधायें सबको दे देगी। धन्यवाद।

* डाक्टर लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, आपने मौका दिया, इसके लिए आभारी हूँ। मंत्रिगण द्वारा प्रस्तुत बजटों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने सीमित संसाधनों के साथ, जैसा कि अभी श्री बी० आर० वर्मा जी ने कहा कि पहले की मुकाबले कप राशि का प्राविधान करते हुए कुछ अधिक बातें इस क्षेत्र में करने को कही हैं, मैं समझता हूँ कि वह निश्चय ही उनका क्रियान्वयन यह सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त, कुशलता को बढ़ाकर तथा मितव्ययिता लेकर पूरा करेगी। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, आर० बी० इंजेक्शन का समावेश माननीय मंत्री जी को अपने भाषण में करना चाहिये था। कुत्ते काटे का यह एक ऐसा रोग है जिसका प्रभाव 30-30 साल के बाद पड़ता है परन्तु आज आर० बी० के इंजेक्शन गरीब आदमियों को उपलब्ध नहीं हैं परन्तु डेढ़ सौ रुपये देकर वह अस्पताल में उपलब्ध हो जाते हैं।

मेरे मेरठ शहर में भी यही स्थिति है। गरीब आदमी पर्ची बनाकर जब पैसा देता है। तो यह इंजेक्शन मिल जाता है अन्यथा नहीं। आज बिना पैसे के मेडिको लीगल भी अस्पतालों में नहीं मिल पा रही है, दवाइयां निम्नस्तर की हैं, अस्पतालों में सफाई होनी चाहिए क्योंकि वार्डो में गन्दगी रहती है। शौचालयों की सफाई होनी चाहिए, गद्दे फटे हुए हैं और पलंग टूटे हुए हैं। अस्पतालों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिससे इमरजेन्सी वार्ड में काफी कठिनाई होती है। इस ओर ध्यान देने की जरुरत है। मान्यवर, मैं पूर्वांचल की एक गम्भीर समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से एक कैंसर अस्पताल की स्थापना हुई है। यह अस्पताल पूर्वांचल के 15 जिलों को कैंसर की चिकित्सा में निरोग होने के लिए मदद दे रहा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान जो पूर्वांचल के 15 जिलों का है इसमें रेडियेशन, सर्जरी और कीमोथिरेपी की व्यवस्था है। प्रतिदिन 120 रोगी रेडियोथिरेपी लेते हैं और लगभग 2500 नये रोगी प्रति वर्ष आते हैं। यह 60 शैय्या का अस्पताल है। 1991-92 के आधार पर वर्ष 94 में 10 लाख का अनुदान शासन ने दिया है। माननीय मंत्री जी स्वयं इस अस्पताल को देख आये हैं। वहां से सी० एम० ओ० और डी० एम० द्वारा अग्रसारित होकर महंगाई के आधार पर इसको 30 लाख करने का प्रस्ताव आया है। शासन को इसके लिए 30 लाख रुपये का अनुदान देना चाहिए।

मान्यवर, 1989 से डी० पी० सी० नहीं हुई। निदेशालय में 2 ऐडिशनल डायरेक्टर के पद रिक्त हैं, पांच डिप्टी डायरेक्टर के पद रिक्त हैं,। 1 शोध अधिकारी का पद रिक्त है। क्षेत्रीय आयुर्वेद, यूनानी अधिकारी के 97 में से 56 पद रिक्त हैं। जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी पिछले साल प्रशासनिक आधार पर हटाये गये थे। इस स्थानान्तरण सत्र में वह वापस आ गये हैं जबकि कार्मिक का आदेश है कि 5 वर्ष तक उसी स्थान पर वापस नहीं होंगे। प्रधानाचार्य चार्ज शीटेड है, आरोप पत्र मिले हैं फिर भी पद पर बने हैं। मृत और रिटायर्ड लोगों के पदों पर नयी नियुक्तियां की जानी चाहिए फरवरी से मई तक चार महीने में निदेशक और महानिदेशक की तीन डी० पी० सी० विभाग ने की है। जनवरी, 98 में निदेशक के 4 पद रिक्त थे। फरवरी, 98 में पहली डी० पी० सी० हुई जिसमें दो सेवारत लोग प्रोन्नति पाकर पद भरे गये। एक मृत्यु और एक सेवानिवृत्त के पद पर प्रतीकात्मक प्रोन्नति देकर पेंशनरी और सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया।

अप्रैल, 98 में महा निदेशक के तीन पद की डी० पी० सी० हुई जिसमें से 2 पद उस समय कार्यरत निदेशकों से भरे गये। दूसरे वह हैं। तो जनवरी, 98 में संयुक्त निदेशक थे। पहला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतीकात्मक प्रमोशन देकर अपर निदेशक दूसरा प्रतीकात्मक प्रमोशन देकर निदेशक और तीसरा प्रतीकात्मक प्रमोशन देकर महानिदेशक बनाये गये। मई, 98 में 2 पद रिक्त हुए, वह महानिदेशक बनने के कारण रिक्त हुए। पांच की डी० पी० सी० हुई। तीन गुना मँगाने चाहिए थे लेकिन नहीं माँगायें गये और कार्मिक के आदेश का उल्लंघन किया। प्रतीक्षा सूची एक बननी चाहिए थी इनकी चार प्रतीक्षा सूची बनाई गई। ए० सी० श्रीवास्तव और आर० बी० सिंह फरवरी को निदेशक डी० पी० सी० में रिजेक्ट हुए और मई, 98 में वही सुपात्र हो गये। 3 गुना मँगानी चाहिए थी कार्मिक के आदेश 13-11-86 और 24-4-87 का उल्लंघन हुआ। श्रेष्ठता के आधार पर चयन हुआ।

नोशनल प्रमोशन के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अप्रैल, 95 का उल्लंघन हुआ। पहाड़ पर 2 निदेशक के पद थे। जिसमें से एक आरक्षित करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो कि सिविल अपील 4482-42/1995 अप्रैल, 95 का है। मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि अभिलेखों से यह विदित होता है कि तदर्थ रूप में नियुक्त चिकित्सकों में से कुछ चिकित्सक अधिवर्षता (रिट परमेट) की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस सन्दर्भ में यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे चिकित्सकों को संगत नियमों के अधीन पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले लाभ के लिये उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से उनको प्रतीक रूप में नोशनली नियमित सेवा में माना जायेगा। अस्थाई तथा तदर्थ रूप से सेवारत् चिकित्सकों की आपसी ज्येष्ठा हेतु यह रीति नहीं अपनाई जानी चाहिए।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का उल्लेख किया है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मंत्री जी या तो यूनिवर्सिटी आफ इण्डियन मेडिसीन बनाये अथवा आयुर्वेदिक यूनानी को यथावत क्षेत्रीय विश्व विद्यालय से सम्बन्ध रखे।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें। सहयोग करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

सिर्फ पांच मिनट और लूँगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं दूसरे माननीय सदस्यों के साथ मानक कैसे रख पाऊँगा आप स्वयं समझने हैं आप संक्षिप्त कर दें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, मेडिकल यूनीवर्सिटी में आयुर्वेदिक और यूनानी की हत्या करने के लिए शामिल न किया जाए। बी० एच० यू० में इंस्टीट्यूट आफ मेडिसीन को इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस में परिवर्तित कर दिया गया है। आज सिमटते-सिमटते आयुर्वेद विभाग की क्या दशा हो गई है? यह अपने आप में स्पष्ट है। मान्यवर, माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी से सी० पी० एम० टी० की बात हम लोगों ने तय की थी सी० पी० एम० टी० में आयुर्वेद को शामिल कर दिया गया है। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि चार वर्ष तक जीरो सेशन हुआ एक भी छात्र नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, बाद में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु छात्र उपलब्ध हो पाए। मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति अपने मूल स्थान से अंग्रेजो की तरह से औपनिवेशिक विस्तार की तरह से आयुर्वेद को खा जाएगी। मंत्री जी ने मेडिकल कालेज को आटोनामस किया है। जिसका मैं विरोध करता हूँ।

समाप्त करें।

श्री अधिष्ठाता—

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, जो मेडिकल कालेज को आटोनामस किया है। जिसकी वजह से स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी, निरंकुशता बढ़ेगी। प्राइवेट प्रैक्टिस बढ़ेगी और शासन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं रोक पाएगा। अगर आटोनामस इतना अच्छा है, तो आयुर्वेदिक कालेज को यूनानी कालेज को आटोनामस क्यों नहीं कर देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर ड्रग लाइसेंस के बारे में कहना चाहूँगा। ड्रग लाइसेंस देने का अधिकार टैक्निकल अधिकारी को होना चाहिए न कि आई० ए० एस०, पी० सी० एस० को, जिस तरह से एलोपैथिक में ड्रग लाइसेंस देने का अधिकार डी० जी० और निदेशक को होता है, टैक्निकल को होता है। आयुर्वेद निदेशालय में 350 फाइलें अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा में पड़ी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, अगर भर नहीं सकेंगे तो विभाग का कार्य इससे प्रभावित हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। आपने अधिक समय ले लिया है। आप जैसे व्यक्ति के लिए यह कहा जाय कि लिखा नहीं जायेगा तो यह उचित नहीं प्रतीत हो रहा है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथी चिकित्सा के अतिरिक्त एक और चिकित्सा को हम शुरू करने जा रहे हैं और वह है प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग चिकित्सा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जो को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का प्रयास किया जायेगा तो मनुष्य मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेगा। एक श्लोक कहना चाहूँगा–

"समदोषी समागिनश्य समधाम मलः क्रिया, प्रसन्नात इन्द्रिय मनः, स्वस्थ इत्यमिधीयते।"

अर्थात् जो मनुष्य मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेगा उसका शरीर स्वस्थ्य रहेगा और उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग एक बेहतर पद्धति है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

डा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी ऐलोपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा की तरफ से होम्योपैथिक चिकित्सा की तरफ से ध्यान हटाकर प्राकृतिक और योग चिकित्सा की तरफ ध्यान देंगे तो जो हमारे बजट की मंशा है उससे हमको मदद मिलेगी। इसी के साथ जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, आपने मुझे माननीय आर० के० चौधरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हमारे तीन-तीन माननीय मंत्रियों ने काफी विस्तार से स्वास्थ्य के बारे में कहा कि इस प्रदेश की 16 करोड़ लोगों को स्वस्थ्य बनाने में वह संकल्पशील है। अभी माननीय बी० आर० वर्मा जी ने विस्तार से बताया कि जो पद रिक्त हैं वह भरे नहीं हैं, पैसा घटा दिया तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को जिन्दा रखा जा सकता है। वैसे जितना भ्रष्टाचार का मामला स्वास्थ्य विभाग में है उतना किसी और विभाग में नहीं है और जितनी तरह के भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हैं वह सारे भ्रष्टाचार में लिप्त स्वास्थ्य विभाग है।

मान्यवर, गांव की बात कही। डाक्टर की बात तो छोड़िये वहां पर ए० एन० एम० तक नहीं पहुंच पा रही हैं। गांव में डाक्टर पहुंचाने और सुविधा देने के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। दवाओं की बात कही गयी। दवाओं का बजट कम कर दिया गया है। मैं चाहूँगा कि दवाओं का अस्पताल में वितरण होना चाहिए और जो गरीब लोग 50 पैसे देकर पर्ची बनाकर आते हैं। उनको दवा नहीं मिल पाती है और जो पत्रकार हैं जो अफसर हैं या नेता है उनके यहां तथा जो बड़े-बड़े लोग है उनके घरों में उनको खुश करने के लिए डाक्टर दवायें पहुंचाते हैं।

मान्यवर, जो डाक्टर्स को समय से बैठने के लिए वेतन दिया जाता है। तो वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी निश्चित जानकारी है, वह अस्पताल में बैठकर पैसा लेते हैं और जिस समय का उन्हें वेतन दिया जाता है उस समय में वह प्राइवेट प्रैक्टिस करके पैसा कमा रहे हैं उनका इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। जो दवाएं होती हैं वह अपात लोगों के घरों में पहुंचा देते हैं। दस-दस टानिक पत्रकारों, नेताओं या दूसरे अफसरों के घरों में पहुंचा देते हैं। यदि यही दवाएं गरीब लोगों को उपलब्ध होती, तो आधे परसेन्ट लोगों का भला हो सकता है। तो इस तरह से व्यवस्था ऐसी बनायी जाय कि अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस की प्रक्रिया रोकी जा सके।

जहां तक मेडिको लीगल की बात है, डाक्टर आज न्याय को भी बाधित कर रहे हैं, कहीं भी फौजदारी हो जाती है 307 का सिर फटा हुआ आदमी आता है, पैसा दे दिया, 323-324 बना देते हैं, 323 की बात है, 5 हजार रु० दे दिया, 307 लिख दिया, मामूली विवाद में आदमी सजा पा जाता है और जिसको सजा मिलनी चाहिए छूट जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर सजा दिलाने का प्राविधान यहां होना चाहिए। जब आदमी को पता चलता तो पुलिस वाले लीगल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेडिको निकालकर दिखा देते हैं कि इसके आधार पर मुकदमा लिख दिया गया और उसमें झूठी 2 गवाही भी हो जाती हैं गलत लीगल मेडिको संज्ञान में आये तो उन्हें नौकरी से निकालने का और सजा देने का प्राविधान किया जाना चाहिए। जहां तक प्राइवेट नर्सिंग होम की बात है जो इतनी भारी लूट वहां देखने को मिलती है। वह कहीं और नहीं मिलती। उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए कुछ न कुछ।

नोएडा में गुर्दा कांड विख्यात रहा। कई सालों से प्राइवेट नर्सिंग होम वाले मरीजों को गुर्दा निकाल-निकाल कर बेच रहे थे। सारे डाक्टर्स की बेल नहीं हुई है, जेल में हैं। चोरी, अपहरण, डकैती से भी जघन्य अपराध शरीर का कीमती अंग निकालकर बेचने का काम सरकारी तंत्र की आंख के नीचे यह लोग कर रहे थे। आपने प्राइवेट नर्सिंग होम को करोड़ों रु० का सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया है, प्राधिकरण उनको सस्ती जमीन मुहैया कराता है, वे लोगों के कीमती अंग लाखों-लाखों में बेच देते हैं। प्रदेश में इस पर अभियान चलाया जाना चाहिए और उससे जुड़े लोगों को दंडित करने का प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, जिंदा लोगों के साथ अत्याचार और शोषण तो हो ही रहा है, लेकिन यह स्वास्थ्य विभाग तो मरे लोगों को भी न्याय नहीं दे पा रहा है। उनका बिना पैसा दिये पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। बाल्मिकी जो वहां तैनात हैं, उनको वहां से गायब कर देते हैं। इस सरकार में पोस्टमार्टम हाउस में मुझे सबसे ज्यादा जाना पड़ रहा है। ढाई सौ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खास कर इस सरकार में मारे गये हैं। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राम ललित चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अभी जब माननीय मंत्री जी भाषण कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इतनी दवा अस्पतालों में चली जा रही है कि अब बाजार में किसी को जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। 71. करोड़ की दवा की बात बताई लेकिन अगर हम जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या 16 साढ़े 16 करोड़ है इसके हिसाब से एक आदमी पर एक वर्ष में साढ़े चार रुपये पड़ेगा और यह एक दिन में एक आदमी पर एक पैसा पड़ेगा इससे कहां कल्याण होने वाला है। जब कोई आदमी अस्पताल में जायेगा तो उसको पर्चा कटवाना पड़ेगा 2 रुपये का तो उसके हिसाब से 2 रुपया आप लेंगे और एक पैसे की एक दिन में दवा देंगे, तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि शहरों में कुल बेडों की संख्या 35,000 है और गांवों में कुल मिलाकर 22-23 हजार है। शहर की आबादी 20 प्रतिशत है उस 20 प्रतिशत पर बेड 35000 और गांव की आबादी 80 प्रतिशत पर बेड 22 हजार है, तो गांव शहर के इस अन्तर को खत्म करना होगा।

मान्यवर, गांवों में लोग नीम, इमली, कोयले का मंजन करते हैं और शहरों में लोग पेस्ट करते हैं, तो जहां पेस्ट का प्रयोग होता है। वहां डेन्टल कालेज खुल रहे हैं और जहां कोयला से दांत साफ किया जा रहा है। वहां कुछ नहीं है। मान्यवर, 1977 में माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि दवाओं पर कुछ ऐसा नमूना बना दिया जाय कि अगर दवा चोरी होकर बिक्री के लिए जाय, तो वह पहचान में आ जाय लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है। मान्यवर, अस्पतालों में सफाई का हाल यह है कि अच्छा खासा आदमी चला जाय, तो उसको उल्टी हो जाय इतनी गंदगी रहती है, तो इसे देखने की जरुरत है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार का हाल यह है कि डाक्टर से लेकर नर्स और वार्डब्वाय तक मरीज को चूसते हैं। पूरे 24 घंट में तीन लोगों के द्वारा हर शिफ्ट में मरीजों की चुसाई होती है। पहले

डाक्टर और बाद में नर्स और बार्डव्वाय चूसने का काम करते हैं, तो इसे सुधारें इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विभाग का बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूँ। मानव जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। मनुष्य अगर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ वातावरण में कोई भी काम सही तरीके से कर सकता है, इसलिये स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत महत्व है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार की जो व्यवस्था की है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री के सम्मुख रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है, जितने होने चाहिये, उतने नहीं हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि नया अस्पताल खोलने के लिये जो मानक है, उसका शिथिलीकरण किया जाय और नये अस्पताल खोले जायें। मुझे बड़ी खुशी होती यदि प्रत्येक माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में एक-एक नया अस्पताल खोलने की घोषणा मंत्री जी इस सदन में करें तो हम लोग बहुत ही गदगद होते।

महोदय, मैं आपका ध्यान बलिया जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस जनपद में डाक्टरों की अत्यन्त कमी है, लगभग 80-85 डाक्टर्स वहाँ कम है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। बलिया में महिला डाक्टरों की कमी को भी पूरा कराये जो डाक्टर वहाँ ज्वाइन करते भी हैं, वह उसके बाद भाग जाते हैं, अतः वहाँ डाक्टरों की कमी को तत्काल पूरा करायें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बलिया जनपद में 100 बेड का एक अस्पताल काफी समय से बन रहा है, उसको तत्काल चालू कराया जाय और जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को सुधारा जाय।

हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदरसा, जो हमारे क्षेत्र का मुख्य अस्पताल है, जो वैसे तो काफी बढ़िया चल रहा है लेकिन वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफारमर के लिये पैसा जमा है, लेकिन आज तक वह नहीं लगा। एक्सरे की मशीन भी नहीं चल रही है। मेरी यह मांग है कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कुत्ते काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाया जाता है, वह रखने की व्यवस्था की जाय, जिससे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, जैसा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने सुझाव दिया, मैं उससे सहमत हूँ। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का जो बी० एच० यू० अस्पताल है, वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पूर्वांचल के तथा पश्चिमी बिहार के गरीब लोगों को सुविधा मिलती है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य किसी भी अस्पताल में नहीं मिलती।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बी० एच० यू० का अस्पताल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अन्दर आता है। यहाँ पर पूर्वांचल के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं मैं मांग करता हूँ कि बी० एच० यू० अस्पताल की जो अवनति है, जो दुर्दशा है उसको ठीक किया जाये। सरकार अपनी ओर से कोई समुचित व्यवस्था करे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान टी० बी०, कुष्ठ रोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कुष्ठ रोग और टी० बी० एक अभिशाप हैं। टी० बी० के लिए निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था है और कुष्ठ रोग के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, लेकिन उनके रोगियों को नियमित दवा न मिलने के कारण वह ठीक नहीं हो पाते हैं। दवाएं गरीबों को सही तरीके से नहीं मिल रही है इसलिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

दवाओं में जो कमी हो और जो लूट खसोट हो रही है उसको समाप्त करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाये जायें। मान्यवर, मैं आयुर्वेद और योग चिकित्सा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की तारीफ करुंगा कि उन्होंने आयुर्वेद की ओर ध्यान दिया है। इनके पहले जो मंत्री रहे उन्होंने पूरे प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के पैसे को लूटने का प्रयास किया है। मान्यवर, आयुर्वेद और यूनानी दवाएं कराने अमीर आदमी नहीं जाता है इनकी दवाएं किसान और मजदूर वर्ग के लोग ही करते हैं। पिछली सरकारों ने आयुर्वेद की दवाओं को लूटने का काम किया है। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उनकी लूट खसोट की है उनके चेहरे सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। उन्होंने इस बजट में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अच्छी-अच्छी बातों का समावेश किया है जिससे भविष्य में अवश्य ही हमारे चिकित्सकों का योग्यता स्तर बढ़ेगा।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। पहला तो यह कि डाक्टरी के लिये बिना किसी भेदभाव के छात्रों को चयन किया जाय। आज हमारी चिकित्सा शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिये मेडिकल कालेज की शिक्षा से उच्च शिक्षा तक योग्य छात्रों को लिया जाय ताकि अच्छे डाक्टर बन कर निकल सके, उनकी योग्यता में दाखिले के समय, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कोई कमी लेते वक्त नहीं होनी चाहिये। मैंने 1966 में एम० बी० बी०-एस० पास किया था लेकिन अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जो एम० एस० और एम० डी० हैं उनकी डाइग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी पुराने एक साधारण एम० बी० बी०-एस० की होती है। हमें शर्म आती है जब अभी पास हुये डाक्टर गलत डाइग्नोसिस करते हैं शैक्षणिक स्तर लगातार गिरता जा रहा है इसका निदान अब करना ही चाहिए डिग्री होल्डर से लेकर किसी को देख ले पुराने एम० बी० बी० एस० से वह टक्कर नहीं ले पाते हैं।

I—इसमें इसके लिए चाहे कुछ भी हो राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिये क्योंकि इस प्रोफेसन का संबंध सीधा आदमी के जीवन से है। योग्य चिकित्सक न होने से ही आज स्तर गिरने से हमें खामयाजा भुगतना पड़ रहा है और जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में राजनीति को छोड़ कर देश की जनता की भलाई को सामने रखना होगा और कठोर कदम उठाना पड़ेगा योग्यता हो उन्हीं को इसमें लिया जाय।

II—मेडिकल कालेजेज और अस्पतालों में आपरेशन के लिये अच्छे मानक के इंस्ट्रूमेंन्ट्स और आपरेशन थियेटर होने चाहिये, एक्सरे तथा डाइग्नोसिस की अच्छी सुविधायें होनी चाहिये। कालांतर में घटिया किस्म के उपकरण दिये जाते थे जिसके कारण आपरेशन सफल नहीं हो पाते हैं।

III—मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में योग्य शिक्षक प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार होने चाहिये। इनकी नियुक्ति के समय किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होनी चाहिये।

एक अभी विपक्ष की ओर उधर से जब भाई साहब बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कहीं। उसमें हंसने की कोई बात नहीं है, वाकई में ऐसा होता है डाक्टरों की लापरवाही के कारण दांई आंख का आपरेशन होना था तो बांई का हो जाता है। इसका मुख्य कारण आज कल हाउस सर्जन की कार्य प्रणाली है। पुरानी पद्धति भी 10 या 15 शैय्या एक डाक्टर को नामित की जाती थी डाक्टर को और उस शैय्या पर अपने वाले मरीज का पूरा उत्तरदायित्व हाउस सर्जन का होता था लेकिन जो हाउस सर्जन की ड्यूटी लगाई जाती है उसमें एक डाक्टर को 10 बेड दी जाती है जबकि वह एक डाक्टर का उत्तरदायित्व होता है कि वह एक-मरीज को जिम्मेदारी से देखेगा। आज होता क्या है एक डाक्टर की 8 घंटे ड्यूटी रहती है।

पूरा वार्ड उसको देखना होता है। तो वह करता क्या है कि जब ड्यूटी बदलती है तो वह अनेको काम दूसरे को सौंप जाता है और वह अपनी जिम्मेदारी वहीं पर समाप्त समझ लेता है नया डाक्टर जो ड्यूटी लेता है वह भी अपना टाइम होने पर उसी तरह ड्यूटी को आगे बढ़ा देता है क्योंकि कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेता है। आज डाक्टरों की मानसिकता यह हो गयी है कि वह पूरा उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है। उसका कारण भी यह है उसको पूरे वार्ड के मरीज सौंप दिये जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें।

डा० ज्ञानवती सिंह–

तो इस तरह से केसेज़ वाकई में होते हैं जैसे पहले पद्धति थी कि दस-दस बेड डाक्टर को बॉट दिया जाता था वह अच्छी तरह से उसको देखता था। मेरे विचार से पुरानी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आयुर्वेदिक दवाओं के सम्बंध में हमारे देश और प्रदेश में अनेकों जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं लेकिन अभी विदेशों में भी पद्धति ठीक थी। आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचार तेजी से हो रहा है और जड़ी-बूटियों की कमी हो रही है जिनको असानी से रक्षित उद्यानों में उगाया जा सकता है या आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी इनको उगाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिये जिससे कुछ तो इनकी कमी पूरी हो सके।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में जो कैंसर के मरीज होते हैं उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है लोगों को मद्रास और मुम्बई जाना पड़ता है इस बीच उनका कैंसर इतना बढ़ जाता है कि वह इलाज से ठीक नहीं होता इसलिए कैंसर के इलाज के लिए यहां रेडिएशन ट्रीटमेन्ट की पूरी सुविधा होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

डा० ज्ञानवती सिंह—

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि जो दवायें खरीदी जायें उनकी गुणवत्ता की परख होनी चाहिए मेरे क्षेत्र में ऐसी अनेक दवायें दी गई हैं जो आउटडेटेड हो गयी थी इसलिए ऐसी दवाइयां खरीदी जायं जो गुणवत्ता वाली हो ताकि गरीब के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। मान्यवर, मैं परिवार नियोजन के लिए सुझाव देना चाहती हूँ कि स्त्रियों की नसबन्दी हेतु जो उनका चयन किया जाय वह गंभीरता से किया जाय और उनके नसबन्दी के पहले यह देख लिया जाय कि उनको कोई लोकल डीजीज या अन्य कोई बीमारी तो नहीं है अगर उनका चयन ठीक से

होगा तभी स्टरलाइजेशन सफल होगा। नहीं तो इसका गलत प्रचार होता है कि आपरेशन के बाद भी व्यक्ति अधिक बीमार रहने लगा।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

डा० ज्ञानवती सिंह—

इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करती हूँ। परिवार नियोजन की और सी प्रक्रिया अपनाई जाय वह भी व्यक्ति की आयु वैवाहिक जीवन का स्तर, बच्चों की संख्या आदि जानकर ही तय की जानी चाहिये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

मान्यवर, आपने जो मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मान्यवर, इस बजट में बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही गई हैं। माननीय मंत्री जी बजट भाषण में आजमगढ़ का नाम लिया है वहां राहुल सांस्कृतायन महिला अस्पताल बना हुआ है । माननीय मुलायम सिंह यादव के शासन काल में यह स्वीकृत हुआ था। मगर आज भी अधूरा है। मान्यवर, आजमगढ़ मण्डल घोषित हो गया है। और मुख्यालय है इसमें मऊ, बलिया, आजमगढ़ तीन जिले आते हैं मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के लिए जो डाक्टर नर्से बार्डव्याय की नई स्वीकृति हुई थी उनकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। आपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए बजट में व्यवस्था की है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ लेकिन वहां के जिला संयुक्त महिला अस्पताल आजमगढ़ को ट्रान्सफर करके राहुल सांस्कृतायन अस्पताल में मिला दिया गया है। मान्यवर, आज जिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर नहीं बैठती हैं जिससे मरीजों को दिक्कते होती हैं। वहां पर जो मरीज जिला अस्पताल में आते हैं। वे वगैर इलाज के वापस चले जाते हैं।

माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगा कि जो राहुल सांस्कृतायन महिला अस्पताल आजमगढ़ की नई स्वीकृति हुई है उसके तहत उनमें भर्ती की जाय और जो ट्रान्सफर हुआ है उस महिला अस्पताल को जिला संयुक्त चिकित्सालय आजमगढ़ में ट्रान्सफर कर दिया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जिला चिकित्सालय, में आर० बी० इन्जेक्शन की बहुत कमी है और हमारा जनपद बहुत बड़ा है। मऊ, बलिया तक के लोग भी चले आते हैं। इन्जेक्शन की, बहुत कमी है लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी तथा सी० एम० एस० ने कोटा बढ़ाने के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय जी से कहना चाहूँगा कि आर० बी० इन्जेक्शन का कोटा बढ़ायें। संयुक्त चिकित्सालय की हालत इतनी बदतर हो गई है कि वार्ड के अन्दर बहुत गन्दगी है बल्ब व ट्यूबलाइट की व्यवस्था नहीं है जो बेड है वह टूटा है, चादरें फटी हैं विस्तर बहुत खराब हालत में हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसकी नई व्यवस्था कराकर जिला अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। हमारे जिला अस्पताल में जो अल्ट्रासाउण्ड की मशीन है, वह एक वर्ष से खराब पड़ी हुई है जो गरीब मरीज अल्ट्रासाउण्ड के लिए आते है उन्हें प्राइवेट तौर पर अल्ट्रासाउण्ड कराना पड़ता है और बाहर उनसे मनमाने तरीके से पैसा लेते हैं। एक साल से मशीन खराब है लेकिन उसे बनवाने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई, मेरा सुझाव है कि तत्काल उसकी व्यवस्था की जाए। इसी तरह से जिला चिकित्सालय में एक्स-रे की मशीन विगत् एक वर्ष से खराब पड़ी हुई थी अब जाकर ठीक हुई है तो वहां पर एक्स-रे प्लेटों की कमी

है विगत 6 महीने से वहां एक्स-रे प्लेट नहीं हैं। वहां के कर्मचारी और डाक्टर मरीजों से यह कहते है कि एक्स-रे प्लेट बाहर से खरीद कर लाइये तब एक्स-रे करेंगे। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक्स-रे प्लेट की व्यवस्था कराई जाए।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ के ब्लाक तहवरपुर में 10 बेड का अस्पताल है जबकि वहां की आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पर 30 बेड का अस्पताल बनवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही तहवरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एच० आई० केदार नाथ यादव है, जो कर्मचारियों को तंग करता है और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है उसके खिलाफ लिखित रूप से शिकायत वहां के डाक्टरों ने सी० एम० ओ० से की लेकिन आज तक सी० एम० ओ० ने उसके खिलाफ न तो कोई कारवाई की और न ही उसका ट्रान्सफर किया। दूसरी बात हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इमरजेन्सी में जब मुआयना होता है तो जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनसे 100–200 रुपया लेकर मुआयना किया जाता है और खरोच को गहरी चोट लिखा जाता है।

(समय 6 बजकर 45 मिनट)

अगर गोली की चोट दिखानी हो और खरोच की चोट लगी हो तो इसके लिए रिश्वत देने से गोली की चोट दिखा दी जाएगी। वहीं पर चोट बढ़ाने का काम किया जाता है जो स्वास्थ्य बिभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको कम करने का प्रयास करें। जिला चिकित्सालय में दवा नहीं मिलती है। मरीज दवा बाहर से खरीदते हैं। वहां पर दवाई की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, गोलागंज अस्पताल में फंगस युक्त ग्लूकोस पाया गया था। इसके विरोध में वहां के कर्मचारियों ने एक महीने अस्पताल भी बंद किया था। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वहां की मुख्य अधीक्षिका के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विधायक श्री मुरादलारी ने उसमें से एक फंगसयुक्त बोतल को सील करके मुख्य सचिव को भेजा था।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर मंत्री जी को दे दें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मेरी मांग है कि उक्त डफरिन अस्पताल (अवन्तीबाई चिकित्सालय की मुख्य अधीक्षिका को हटाकर सम्पूर्ण मामले की जांच कराई जाए तथा वहां पर प्रमुख अधिक्षिका के रिक्त पद को भरा जाए। शासन ने महानिदेशालय को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा तथा 9 अनुस्मारक भेजने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले में कठोर कार्यवाही की जाए। अतः श्री आर० के० चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लाल मणि प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने पूर्व निर्धारित परम्पराओं का ही पालन किया है। मंत्री जी भले आदमी हैं यह बात सही है। लेकिन जो बजट स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसे जैसा अधिकारियों ने लिखकर दिया है वैसा ही पढ़कर सुना दिया है। स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य दिमाग रहता है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है। तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यह सरकार वास्तव में स्वस्थ परम्पराओं के आधार पर बनी ही नहीं है। यही कारण है कि सरकार दबाव में चल रही है।

स्वास्थ्य मंत्री जी अलग आदेश करते हैं दूसरा मंत्री दूसरा आदेश करता है, तीसरा मंत्री अलग आदेश करता है इस तरह से इनमें तारतम्यता नहीं है। यह दबाव में काम कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकारी अस्पतालों में कहीं दवा नहीं मिल रही है अत्यंत भयावह स्थिति है। जैसा कि बताया गया कि यह दो हजार तक सबको स्वास्थ्य सुविधा देंगे लेकिन इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज अस्पतालों में कहीं सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, हर वार्डो में गन्दगी मिलेगी। बस्ती सदर अस्पताल है उसमें चले जाइए हर जगह आपको गन्दगी मिलेगी।

सफाई की व्यवस्था नहीं है। गांवों में अस्पताल बनने चाहिये क्योंकि वहां पर अस्पताल नहीं है। ट्रांसफर को अनिवार्य कर देना चाहिये। चाहे विभागाध्यक्ष हो, प्रोफेसर हो, रीडर हो या डाक्टर हो तीन साल के बाद उनका ट्रांसफर हो जायेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाहर से जो लोग आते हैं वह एड्स लेकर आते हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के कई मंत्री विदेश गये थे, इस लिये पहले इनकी जांच करायी जानी चाहिये, हो सकता है ये लोग उस रोग को ले आये हों और फिर यहां फैलाने का काम करेंगे आज कुछ डाक्टरों को तनख्वाह लेने की ही फुरसत नहीं है। मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बस्ती मंडल मुख्यालय पर मेडिकल कालेज सन्त कबीर नगर मुख्यालय पर बड़ा अस्पताल तहसील धनकटा तहसील मेंहदावल, तहसील शोहरत गढ़ पर बड़ा अस्पताल ब्लाक पाली ब्लाक बेलहरकला ब्लाक दवैलिया पर स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। आज गरीब लोगों के पास धनाभाव होता है विशेषकर वही लोग होम्योपैथ के अस्पतालों में जाते हैं। जिला मुख्यालयों में जो अस्पताल है वहां पर कोई होम्योपैथी का कोई डाक्टर नहीं रहता है, जिससे इलाज करवाने में काफी दिक्कत होती है। होम्योपैथी के चिकित्सालयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाय। आजमगढ़ में एक जिला आयुर्वेदिक अस्पताल स्वीकृत है उसके लिए धन और जमीन दोनों उपलब्ध हैं, परन्तु सरकार के संवेदनशील न होने के कारण उस पर कार्य नहीं हो पा रही है। मान्यवर, यह भी आप जानते हैं कि जब किसी चीज का निर्माण कार्य रुक जाता है तो विलम्ब से शुरू होने पर उसकी कास्ट बढ़ जाती है। इसलिये उस पर कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करा दिया जाय। मान्यवर, आजमगढ़ इस समय मण्डल है। सी० टी० स्कैन की व्यवस्था जनपदों पर होनी चाहिये।

लेकिन यदि किन्हीं परिस्थितियों में जनपद पर नहीं हो पाता है तो कम से कम मण्डल स्तरीय जो जिले हैं वहां सी० टी० स्कैन की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे आम गरीब आदमी को सहयोग मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ में इस समय कम से कम 140 डाक्टर एलोपैथिक के कम हैं। मेरे खुद अपने विधान सभा क्षेत्र में इस समय अस्पतालों की संख्या मैं आपको बता देना चाहता हूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोअमपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आजमगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पारनकुन्डा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायन पुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छपरा सुल्तानपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धरैया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाजीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैदराबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमबर यह बारह अस्पताल हैं और डाक्टर कुल कितने हैं? आठ जबकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां तक मैं समझता हूं कि एक में पांच डाक्टर होने चाहिए। दो

सामुदायिक केन्द्र तो मेरे यहां हैं जिसमें 10 डाक्टर होने चाहिए और इन बारह में कुल 8 डाक्टर हैं। मैं इस सम्वेदनशील सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता कि गरीब लोगों का कैसे इलाज होगा। आप उनको दवाई उपलब्ध कराने के लिये कौन सी व्यवस्था करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, अस्पताल खोलना आसान है। आप अस्पताल कहीं भी खोल लें लेकिन इसके साथ साथ दवा और डाक्टर की भी व्यवस्था करें नही तो मैं समझता हूं कि यह सरकार लोगों के जीवन के प्रति कतई सम्वेदनशील नहीं है। अभी जिक्र हो रहा था कुत्ते के इन्जेक्शन का आपको बताना चाहता हूं हमने देखा भी है। पहले किसी को कुत्ता काटने पर 14 इन्जेक्शन लगते थे। अब शायद 10 लग रहे हैं। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है और वह पांच इन्जेक्शन लगवा लेता है उसके बाद वह जब आगे के इन्जेक्शन लगवाने जाता है तो पता चलता है कि अस्पताल में इन्जेक्शन नहीं है। वह इसी चक्कर में 3-4 महीने दौड़ता रह जाता है। गरीब होने के कारण बाजार से वह नहीं खरीद पाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्यारे–

स्वाभाविक है कि मान्यवर, इन्जेक्शन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जायेगी। यह सरकार जान लेने पर उतारु है। अभी मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र हुआ था। जब कभी मेडिकल जांच के लिये आदमी जाता है तो डाक्टर कहते हैं कि जब आपके साथ पुलिस आयेगी तब मेडिकल रिपोर्ट देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति अगर जेब से चुपके से पैसे निकालकर दे देता है तो उसे मेडिकल रिपोर्ट तुरन्त दे दी जाती है। यह कौन सा औचित्य है। सरकार बैठी सब देख रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। अभी चौधरी नरेन्द्र सिंह जो बोल रहे थे वे भी आजमगढ़ के हैं लेकिन इस मामले पर गम्भीर नहीं हैं। मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव पर जो कि श्री आर० के० चौधरी जी ने रखा है उस पर बल देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, वर्तमान बजट दवाओं के लिए 70 करोड़ का प्राविधान करने, मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, 1 लाख कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा मेडिकल विश्वविद्यालय खोलने के लिए सरकार के निर्णय की प्रसंशा करता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ। यह संयोग की बात है कि लखनऊ के जिस विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वहां किंग जार्ज मेडिकल कालेज, क्वीनमेरी, बलरामपुर अस्पताल, डफरिन

अस्पताल, आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय मोहन होम्योपैथिक कालेज, कालरा अस्पताल, आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर तथा स्वास्थ्य निदेशालय आदि के डाक्टरों एवं मरीजों से मिलने का अवसर मिलता है वे अपना सुख-दुख व्यक्त करते हैं । महोदय मैं कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूँ । मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा लोगों को उपलब्ध कराई जाए । प्रत्येक ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर समस्त चिकित्सीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए । जो एक लाख के ऊपर की जनसंख्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उन पर पूर्व की भांति एक एम० ओ० थर्ड आयुर्वेद पद्धित के चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। महोदय, 30 हजार के आबादी वाले नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को योजनाबद्ध तरीके से भवन निर्माण उपकरण एवं औषधी से सुदृढ़ किया जाए । वहां पर तैनात चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को सीनियारटी के आधार पर कार्य सौंपे जाएं । मान्यवर, उपकेन्द्र जहां पर ए०एन०एम० की नियुक्ति तो कर दी जाती है अभी 75 प्रतिशत उपकेन्द्रों का निर्माण सरकार द्वारा नहीं किया गया है ।

उपकेन्द्रों के अभाव में ए०एन०एम० अपने क्षेत्र में नहीं रहती है जिससे ग्रामीण जनता को जच्चा-बच्चा की सुरक्षा, डिलीवरी टीकाकरण आदि कार्यों का सम्पादन जो है वह न के बराबर है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं जैसे परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कुष्ठ प्रोग्राम, राष्ट्रीय टी०बी० प्रोग्राम आदि की मानीटरी एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए, बनाई जाए । मान्यवर, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो भी खोले गये हैं जहां पर 30 शैय्या का प्राविधान है उसे मानक नहीं प्रदान किया जा रहा है । अधिकतर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे, बालरोग विशेषज्ञ, दन्तरोग के डाक्टर नहीं बैठते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ इन्होंने कई अवसरों पर भाषण देते हुए आयुर्वेदिक शिक्षकों की समस्याओं पर कहा है कि इनके वेतनमानों पर टिक्कू व बजाज समिति की सिफारिशें लागू की जायेगी । उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक, जयपुर व बनारस हिन्दू युनीवर्सिटी में लागू वेतन रिपोर्ट को भी विचार-विमर्श कर लागू करने की बात कही ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

महोदय, राज्य शासन ने आयुर्वेदिक कालेजों में शिक्षकों के अतिरिक्त चिकित्साधिकारी, लैब टैक्नीशियन, नर्सेज, एम०डी० के छात्रों आदि के सभी के वेतन के०जी०एम०सी० के बराबर कर दिया है लेकिन शिक्षकों का नहीं किया है उन्हें छात्रों से कम वेतन मिल रहा है शिक्षको को भी इसी तरह वेतन दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

महोदय, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की तरह लखनऊ में स्टेट हौम्योपैथिक कालेज खोला जाए तथा हौम्योपैथिक छात्रों की एम०डी० की सुविधा प्रदान की जाय। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा .....

श्री अधिष्ठाता–

लालजी वर्मा जो कुछ कह रहे हैं आप जरा बैठ जाएं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है तीन मंत्रियों ने एक साथ बजट रखा और तीनों मंत्रियों ने तीन घंटे लिए, उसके बाद चौधरी साहब ने अकेले लिए 45 मिनट कटौती के प्रस्ताव के लिए। उधर तीन घंटे हो गये इधर एक घंटा पूरा नहीं हुआ इसलिए इधर कम से कम दो घंटा दें। इधर के चार सदस्यों को बुलवायें और उधर से एक सदस्य को बुलवायें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इधर के माननीय सदस्यों को दो मिनट और विपक्ष के सदस्यों को चार-पांच मिनट दे रहा हूँ।

श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है स्वस्थ्य बजट रखा है, अनेक कार्यक्रम दिये हैं इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मान्यवर, उत्तरांचल में अस्पताल खोलने के लिए जो मानक रखे गये हैं वह ठीक नहीं हैं। जनसंख्या के आधार पर न रखकर क्षेत्र की आवश्यकताओं पर अस्पताल खोले जाने चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि श्रीनगर में जो बेस अस्पताल है वह दो सौ शैय्याओं का था 100 शैय्या का भवन बना दिया गया है उसको पूरा 200 शैय्याओं का भवन बनाया जाय और समुचित व्यवस्था की जाय। मान्यवर, एच०एन० बहुगुणा जी जो कि प्रदेश के गौरव रहे हैं पौड़ी गढ़वाल के बुधाणी गांव में उनके मकान पर अस्पताल चल रहा है वह टूट रहा है वहां पर जमीन है वहां पर अस्पताल बनाया जाय। जहां अस्पतालों के लिए भवन नहीं है तो वह अस्पताल भवन बनाये जाने चाहिये। पहाड़ों में जो किराये के भवन पर अस्पताल चल रहे हैं तो किराया नहीं दिया जा रहा है और जो आज के हिसाब से किराया दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है तो इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, ए०एन०एम० की ट्रेनिंग करने वाली अनेक महिलायें हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है उनको नियुक्ति दी जाय। जो हौम्योपैथिक अस्पताल हैं वहां पर डाक्टर काम कर रहे हैं, वह कुंठित हैं। उनके लिए दवाओं की व्यवस्था नहीं है, आयुर्वेदिक अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था नहीं है, दवाओं का कोटा बढ़ाया जाय और पौड़ी के अस्पताल में जो मुख्यालय है वहां पर डाक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए मैं अपने क्षेत्र ऐकेंश्वर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वहाँ पर एक अस्पताल की आवश्यकता है, एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के हित में बहुत अच्छा बजट रखा है।

श्री राम पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय चौधरी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्रीगणों ने जो बजट रखा है उसका विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माननीय मंत्रीगणों ने कोई भ्रष्टाचार मिटाने की बात अपने संबोधन में नहीं की। बजट उनको दे दिया गया लेकिन उसका उपयोग हो, दुरूपयोग न हो इस सम्बन्ध में कोई बात उन्होंने नहीं कही। मान्यवर, माननीय शास्त्री जी हमारे जिले के हैं। मैं 1959 से वहां पर वकालत कर रहा हूँ मुझे दुख है कि जो रूप वहां का है वह बदला नहीं है और यह कहते हैं कि यह संवेदनशील सरकार है। अगर कल्याण सिंह जी 1991 में थे तो क्या वह संवेदनशील नहीं थे, 1977 में जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्या वे संदेदनशील नहीं थे, शास्त्री जी आ गये तो क्या वह संवेदनशील हो गये।

मान्यवर, वहां पर कुत्ता काटने की दवाई नहीं है तो धन्यवाद दिया जा रहा है, सांप काटने की कोई दवा नहीं है तो धन्यवाद दिया जा रहा है तो माननीय मंत्री जी कम से कम यह दवा तो उपलब्ध कराइये। इसकी व्यवस्था तो अपने जनपद में कराइये। दूसरे यह कि वहां पर एक डफरिन महिला अस्पताल है वहां पर कोई भी सी०एम०एस० नहीं है। एक कोई दीक्षित महिला थी वह सी०एम०एस० का काम देख रही थी उनपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। उनका ट्रान्सफर कर दिया। फिर एक साल के लिए दूसरा डाक्टर आया वह भी लौट गया और अब फिर वही सी०एम०एस० का काम देख रहीं हैं .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम पाल सिंह–

मान्यवर, वहां पर लेवर रूम का क्या हाल है यह मैं आपको बता दूँ। हमारी विधान सभा की अभी इस्टीमेट्स कमेटी गयी थी तो जब वहां का निरीक्षण किया गया तो लेवर रूम में कुत्ता टहल रहा था।

देवी पाटन मण्डल है वह मुख्यालय है वहां पर हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सी०टी०स्केन होना चाहिए वहां डा० तुरन्त लिख देते हैं प्राइवेट करा लें क्योंकि कमीशन मिलता है। पहले आप डाक्टरों का करप्शन रोकिए। आपने हमारे यहां पर मुजहैना में धानेपुर में अस्पताल जो है वहां के दो डाक्टर का ट्रान्सफर कर दिया कोई नहीं दिया। आपके पीछे कोई भूत-प्रेत लगें हुए हैं, शास्त्री जी तो शरीफ हैं, लेकिन वे लोग अपनी जेबों को भर रखे हैं। जो होम्योपैथिक अस्पताल वहां पर स्वीकृत हुए हैं वे भूत-प्रेत खोलने नहीं दे रहे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन है तो भी उनका दबाव है कि आगे न बने, शास्त्री जी ने उसको किसी तरह से चालू कराया है। अगर आपको भगवान ने मौका दिया है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो 2001 तक जो कुछ मरने की तादाद है उसमें कमी करायें। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री बाबू राम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय रमापति शास्त्री जी बजट पढ़ रहे थे ऐसा लगा कि किसी ने लिखकर दे दिया है उसे पढ़ा नहीं देखा नहीं, आपको कम से कम बजट को देखना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

चाहिए था । माननीय मुख्यमंत्री जी इनके कार्यकलापों से असंतुष्ट हैं इसलिए इनका बजट भी कम कर दिया । लगभग ढाई सौ करोड़ रु० कम हुआ है पिछले साल से । अगर आप तीनों मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते और कहते कि हमें स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए धन की आवश्यकता है तो शायद पिछले साल के बराबर ही धन मिल जाता । इस साल कटौती उसमें न होती । रमापति जी तो मान्यवर बड़े सरल व्यक्तित्व के हैं । लेकिन इतने बड़े रैकेट में फंसे हुए हैं कि निकलना उससे मुश्किल दिखाई देता है । विभाग आपका आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया है, इस बजट में अगर पैसा नहीं था तो सुधार की ही कुछ घोषणा होती जो पिछले तमाम सालों से डा० गैरहाजिर हैं उनके बारे में जो नकली दवायें प्रचलित हैं, उनके बारे मे कुछ कहा होता ।

उनको समाप्त करने के लिए कोई नीति की घोषणा होनी चाहिए । चिकित्सा स्वास्थ्य वाले मंत्री ऐसे बोल रहे थे कि उनको मालुम ही नहीं था कि बजट में बोल रहे हैं या किसी नुक्कड़ सभा में बोल रहे हैं । मेरा तात्पर्य यह है कि आज स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा है । डाक्टर को मनुष्य दूसरा भगवान समझता है और चिकित्सा सुविधाओं को लोग समझते हैं कि ईश्वर प्रदत्त चीज है जिससे मनुष्य की जिन्दगी बचती है लेकिन जो आज बजट प्रस्तुत है उसको देखकर साबित हो गया है । मान्यवर, इस विभाग के 3 मंत्री हैं और तीनों ऐसे हैं कि जिन्होंने न मुख्यमंत्री से सवाल किया और न ही बजट पर दृष्टिपात किया इसको कम क्यों किया गया । मान्यवर, जहां तक पालिसी कार्यान्वयन का सवाल है, डाक्टर हाजिर नहीं रहते हैं और डाक्टर हाजिर इसलिए नहीं रहते हैं कि सी०एम०ओ० के ट्रान्सफर का 5 लाख लगता था रिश्वत का, ट्रान्सफर के अब वह 7 लाख हो गया और डाक्टर का पिछले सीजन में स्थानान्तरण कर 10 हजार रुपया लगता था और अब 15 हजार हो गया तो इसको कंट्रोल कीजिए । इससे जनता का भला होने वाला नहीं है ।

जिस उद्देश्य से हम यहां चुनकर आये हैं वह तभी पूरा होगा जब इस नीति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जायेगा तभी स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो सकता है । मेरा आरोप मंत्री जी पर नहीं है । माननीय रमापति जी हैं, प्रमुख सचिव हैं ईमानदार हैं लेकिन जो रैकेट है डायरेक्टर का वह न प्रमुख सचिव की चलने देता है और न मंत्री जी को चलने देता है । मेरे पास एक डाक्टर साहब आये और मुझसे कहने लगे कि मेरे स्थानान्तरण के लिए कह दें, मैंने कहा कि मैं तो किसी से ट्रान्सफर के लिए कहता नहीं तो उन्होंने कहा कि मेरा 15 हजार रुपया चला जायेगा । वह सुबह रुपया लेकर गये और शाम को आर्डर लेकर आ गये । तो ऐसे हरामजादों को जेल भेज दिया जाय तो स्वास्थ्य विभाग सुधर सकता है ।

मान्यवर, यह अखबार में आया कि तीन माह में डेढ़ लाख की दवा खा गये स्वास्थ्य मंत्री के 40 भाई, इसमें कहीं क्वैश्चन मार्क भी नहीं है । मान्यवर, मैं कहता हूँ कि यह सभी की जिम्मेदारी है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए सरकार कह रही है, नीति बनी है, निर्णय है लेकिन मैं देखता हूँ कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं कि वह लखनऊ में हैं और जो नहीं करते हैं उन्हें लखनऊ से बाहर दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो यह हो रहा है । मान्यवर, मेडिकल कालेज इनको रोशनी दिखाता है जो पहले दिन यों आया था वह आज भी वहां बैठा है और जो नियुक्तियां हो रही है वह उन्हीं के रिश्तेदारों की हो रही हैं । इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । बड़े शहरों में मानक से ज्यादा डाक्टर हैं लेकिन देहात में कोई नहीं है ।

मेरी जानकारी है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें अस्पताल खुलने के बाद कोई डाक्टर गया ही नहीं। डाक्टर कम संख्या में हैं, यह तो सही है लेकिन जो हैं, उनका वितरण सही नहीं

है, इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरुरत है। जो एप्रोचेबिल हैं वह शहरों के किनारे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं हैं, वह देहात में कर दिये जाते हैं। मेरे यहां करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 8 डाक्टर अनुमन्य हैं, लेकिन कभी 1-2 से ज्यादा नहीं रहे। वहां 5-5 लाख की एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउन्ड की मशीन है, पैथालोजी का सब कुछ है लेकिन न एक एक्सरे मशीन का डाक्टर है न पैथालोजी का कोई आदमी है, बार-बार लिखने पर भी वहां कोई नहीं आता एक बार एक डाक्टर साहब को तैयार भी किया, वह बोले कि स्थानान्तरण के 15 हजार लगते हैं, मैं दे नहीं पाऊंगा।

दवाईयां अस्पतलों में घटिया मिलती हैं, इसका मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने सिविल अस्पताल से दवा ली, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मैंने वह दवा खा ली थोड़ी देर बाद मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ गया, जब मैं पुनः डाक्टर के पास गया और कहा तो बोले कि आप बाजार से दवा ले लो, वह दवा नकली है, यह हाल इस लखनऊ का है। अंधता निवारण के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कही, बड़े भारी आंकड़े दे डाले। हमारे यहां मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के दो लोग आपस में लड़ गये उनके पास डिग्री थी नहीं, वैसे तो एकसाल के लिये प्रोग्राम अधिकारी की होती है, लेकिन बाद में 3-3 महीने के लिये उनको किया गया। अंधता निवारण के संबंध में कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को प्रोग्राम आफीसर बनाया जाता है, वह ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो मरीजों की आंख फोड़ देगें, आंख निकाल लेगें लेकिन भला नहीं कर सकते। स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक श्लोक चरितार्थ हो रहा है—बैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणांनांवैद्यः प्राणां धनानि च।

यानि इनके डाक्टर धन भी ले लेते हैं और प्राण भी ले लेते हैं। इसी प्रकार कहना चाहूंगा कि मलेरिया उन्मूलन में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है आरक्षण कोटा जो शासन द्वारा निर्धारित है, वह इस विभाग में पूरा नहीं है, खासतौर से पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह वक्त है, इसमें आप कुछ कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मै माननीय चौधरी साहब द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री आर० के० सिंह पटेल—

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि छत्रपति शाहू जी महराज नगर में दवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है।

जो चांदी का जूता लेकर आता है, वह दवा करा ले जाता है।

जो हाथ जोड़कर आता है, वह लाश उठा ले जाता है॥

मेरे जनपद में प्राथमिक सामुदायिक केन्द्र है उसको जिला अस्पताल का दर्जा दिया जाये, उसमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है एम्बूलेंस नहीं है आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे मशीन की हालत सही नहीं है, आपरेशन रूम में बिजली नहीं है बेड नहीं है और जो हैं वह गद्दे विहीन है। मान्यवर, अभी हाल ही में सी० एम० ओ० की तैनाती की गयी है लेकिन उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उन्होंने चार्ज लिया है और चार्ज लेकर चले गये हैं। अस्पताल में काई डाक्टर मौजूद नहीं रहते हैं।

बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस भी ठीक नहीं, आक्सीजन डाक्टर लेकर चले गये, एक्सरे मशीन भी ठीक नहीं, आपरेशन रूम में बल्ब नहीं बेड पर गद्दों में खटमल है। पर मंत्री बैठे देख रहे, नैतिकता इन पर जरा नहीं।

अस्पताल में हमारे यहां दवाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है, गरीब को दवा नहीं मिलती है।

गरीब कराहकर मर जाता है।
अमीर दहाड़कर दवा ले जाता है॥

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो पहाड़ी इलाका है वहां पर डाक्टर तो दूर कम्पाउण्डर भी जाने से डरता है। आवागमन के साधन नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज अस्पताल की हालत दयनीय है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मा० मंत्री जी इसके बारे में कुछ न कुछ करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा० स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बजट में चिकित्सा पद्धति में अनेकों सुधार की योजनाएं की गयी हैं। यूनानी पद्धति और आयुर्वेदिक पद्धति में विकास करने की बात कही गयी है वह प्रशसंनीय है। मैं केवल दो-तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गोरखपुर अस्पताल है उसमें जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उनके वेतन के लिए धन नहीं है 64 कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे हैं, उसके लिए पांच लाख रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। और 22 लाख रुपया अन्य उपकरणों के लिए होना चाहिए वहां के सी० एम० ओ० ने और डी० एम० ने अपनी संस्तुति भेजी है लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल शिक्षा में योग्य व्यक्तियों को रखा जाये।

यदि ऐसे लोगों को पढ़ाया जायेगा जो उसके काबिल नहीं है तो यह अव्यवस्था आयेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विभागीय जो प्रमोशन हुये हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका उलंघन किया गया है। अनियमित तरीके से प्रोन्नतियां की गयी है और उन्हें महानिदेहाक और निदेशक के पदों पर बैठाया गया है जो वरिष्ठता में नहीं आते थे। उनको प्रमोशन दिया गया है मैं मांग करता हूं कि उनकी पदावनति की जाय। जो 1996 की सूची है उसमें परिवर्तन किस आधार पर किया गया इसकी जांच होनी चाहिये। इस बार डी० पी० सी० में चार वरिष्ठता सूची बनाई गयी कुछ सामान्य की, अनुसूचित जाति की, महिलाओं की और उत्तरांचल की। तो जो 93 में लिस्ट बनाई गयी थी उसमें यह व्यवस्था नहीं थी इस बार यह क्यों बनाई थी। जो प्रमोशन के योग्य है, जो नियमावली में आते हैं, जिनको हक मिलना चाहिये वह उन्हें दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करायें। मान्यवर, जो हमारी चिकित्सा पद्धति है वह मानवीय मूल्यों पर आधारित है उसका और अधिक विकास किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, हमारा सहयोग करें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

इस पद्धति का विकास किया जाय और अच्छी व्यवस्था की जाय ताकि लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है वहां पर आज भी जिला अस्पताल नहीं है, वहां पर सी०एम०ओ० ने प्रपोजल भेजा है। वहां पर शीघ्र जिला अस्पताल की व्यवस्था की जाय और उसके लिये धन आवंटित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे चिकित्सा विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मान्यवर, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक शिक्षा बहुत पुरानी और उपयोगी है इसको सब लोग जानते हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पूर्व सरकारों द्वारा इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया और आयुर्वेदिक विभाग को पूरी तरह से नकार दिया। आयुर्वेदिक घोटाले के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं अपनी लोकप्रिय सरकार से और माननीय ओझा जी एवं शास्त्री से कहना चाहती हूं उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है जिसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने इसमें गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने इस विभाग की तरक्की के लिये प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की है। मैं अपनी लोक प्रिय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूं ताकि लोग इसे आदर भाव से देखें।

मान्यवर, पहला सुझाव यह है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि एम० डी० और एम० एस० चिकित्सकों को महाविद्यालयों में सम्बद्ध करके अध्यापन कार्य लिया जाय। यह व्यवस्था तो ठीक है लेकिन पिछले 10-11 साल से आयुर्वेदिक कालेजों में चिकित्सकों की नियुक्तियां नहीं हुई है तमाम एम०डी०, एम०एस० बेरोजगार हैं। पहले उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जो सेवा कर रहे हैं उनको इसमें अवसर नहीं मिलना चाहिए दूसरा सुझाव यह है कि आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिससे पठन-पाठन में असुविधा हो रही है। मान्यवर, पूर्व की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए विभिन्न पदों पर गलत तरीके से नियुक्तियां कर दी थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया जितनी गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको रद्द कर दिया जाय। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो स्थान रिक्त हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाय क्योंकि अगर लोक सेवा आयोग से नियुक्ति करते हैं तो आठ-दस साल लग जायेंगे। इसलिये जो वर्तमान में जो बेरोजगार युवक हैं उनको आप रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियुक्त करें। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के प्रति बहुत आभारी हूं। मैं बजट का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

*श्री जयप्रकाश निषाद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में कम संसाधन होते हुये भी अच्छी व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 912 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से उत्तरांचल में 7 प्राथमिक केन्द्रों का प्राविधान किया गया है। इसी तरह से मैदानी क्षेत्रों में 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित हैं। इसी तरह से उत्तरांचल में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित हैं। लोगों की जीवन रक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है हर आदमी समर्थ और स्वस्थ रहे यह स्वास्थ्य विभाग की गारंटी होती है। इस विभाग द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को चिकित्सा मिले। मान्यवर, यहां पर स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठें हैं और पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधि बैठे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विभाग पर जिस प्रकार से गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कराने की आवश्यकता है। इस विभाग में सुधार भ्रष्टाचार की समाप्ति से ही हो सकता है आज जो भी अधिकारी आते हैं वह पहले अपनी जेबें भरते हैं और जनता की सेवा करने में काफी कोताही होती हैं। अभी कई माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि देवरिया जनपद में आर० बी० इन्जेक्शन की बहुत कमी है और पूरे प्रदेश में इसका अभाव है। इस बजट में उसका ज्यादा से ज्यादा प्राविधान होना चाहिए और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला केन्द्र पर भी उपलब्धता होनी चाहिए।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1994-95 में रुद्रपुर विकास खण्ड के एच०आई० और 15 श्रमिक वी०जी०सी० की छिड़काव के लिए लगाये गये थे इन श्रमिकों ने 3 माह तक काम किया लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और वहां के बाबू व एच०आई० मिलकर पैसा खा गये। उन्होंने कहा कि जब वह पैसा ला रहे थे तो किसी बदमाश ने छीन लिया इस बात की झूठी एफ०आई०आर० भी करा दी। अभी तक उन मजदूरों को पैसा नहीं मिल सका है मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मजदूरों को पैसा दिलायें रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद है लेकिन महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से वहां पर डाक्टरों का भी अभाव है 5 डाक्टर होने चाहिए जिसमें मात्र 2 ही हैं इसके नाते काफी असुविधा हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश निषाद—

मान्यवर, समय का अभाव है तो मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी है अभी माननीय मंत्री जी ने के०जी० मेडिकल कालेज की बात की, यहां के न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट में केवल एक ही डाक्टर है और अगर वह अवकाश पर चला जाए तो न्यूरोलोजी वार्ड में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं रहता है। यह स्थिति लखनऊ में मेडिकल कालेज की है, इसे ठीक कराया जाये। जब तक इस बारे में संवेदनशील नहीं होंगे तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं हो पायेगी। गोरखपुर मेडिकल कालेज में कार्डियोलाजी वार्ड है लेकिन न तो साधन है और न डाक्टर ही उपलब्ध है। वहां पर डाक्टर की व्यवस्था कराई जाए क्योंकि गोरखपुर मेडिकल कालेज पूर्वांचल का एक मात्र मेडिकल कालेज है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० कौशल किशोर—

मान्यवर, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुदान संख्या 32, 33, 34, 36, 35 व 31 पर जो श्री आर० के० चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चिकित्सा विभाग में सौतेला व्यवहार चल रहा है।

(समय 7 बजकर 45 मिनट)

जो चिकित्सा शिक्षा है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक तीनों पहले जो चिकित्सा शास्त्र हैं इनके कालेजेज बहुत ही रद्दी किस्म के हैं। वहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । उनके साथ पूरा का पूरा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल आफीसर हैं उनकी तरक्की का कोई प्राविधान नहीं है। यह भी सौतेला

व्यवहार किया जा रहा है जो आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक मेडिकल आफीसर हैं उनकी तरक्की का कोई प्राविधान नहीं है। यह भी सौतेला व्यवहार है। इन तीनों पद्धतियों के जो अस्पताल खुले हैं वह अस्पताल भवन हैं ही नहीं। लखीमपुर में जिला चिकित्सालय के कोने में एक जो पहले पेशाबघर था वहां होम्योपैथिक चिकित्सालय खोल दिया गया।

हमारे जिला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलाजिस्ट, न्यूरोलाजिस्ट, गाइनाकालोजिस्ट के पदों पर डाक्टरों की नियुक्तियां की जाएं और सभी मरीजों की विशेष चिकित्सा व्यवस्था की जांय, छोटे-छोटे मरीज को भी लखनऊ रेफर कर देते हैं। डेढ़ लाख की आबादी वाले शहर में कोई चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है। वहां पर जिला अस्पताल में गन्दगी बहुत है कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां खीरी कस्बा है तीस हजार की आबादी है। वहां पर एलोपैथिक अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल खुले हैं परन्तु इनकी बिल्डिंग नहीं है डाक्टर कहां बैठें। वहां पर बीस शैया के अस्पताल की बहुत सख्त आवश्यकता है। ओयल में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल खुले हैं परन्तु डाक्टरों के बैठने की जगह नहीं है। वहां पर जिले में पी० एच० सी० जितनी भी हैं वह सब किराए के भवन में चल रही हैं। जो भी पी० एच० सी० हैं उनमें कहीं भी डाक्टर व कम्पाउन्डर नहीं हैं वार्ड व्वाय अस्पताल चला रहा है। दवाई भी ऐसी मिलती हैं कि खा लो तो और बीमारी हो जाए। परिवार कल्याण के लिए पूरा विश्व चिन्तित है, पूरा भारत चिन्तित है।

आज पढ़े-लिखे जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं धनवान हैं उनके सीमित परिवार हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे लोग हैं उनके इन्टरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं है इसलिए वह बच्चे पैदा करते रहते हैं। परिवार कल्याण लागू करना हो तो इस देश के लोगों को धनवान बनाना होगा। सबको शिक्षित करना होगा। सरकार ने प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की है जिसे 50 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है तथा एलोपैथिक दवाओं का किट भी दिया जाता है। यह स्वास्थ्य रक्षक बहुत कम पढ़े हैं उन्हें दवा के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। फिर भी इन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त है लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिन्होंने किसी न किसी डाक्टर के यहां काम सीखा है तथा जन सेवा पर रहे हैं इन्हें विभाग परेशान करता है यही लोग वक्त बेवक्त लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। मेरा सुझाव है ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन्हें प्रेक्टिस करने की मान्यता दे दी जावे। इन्हीं शब्दों के साथ में जो चौधरी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं।

श्री जगदीश सिंह राणा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। हमारे सहारनपुर जनपद में जो कमिश्नरी बन चुका है वहां पर मेरा क्षेत्र मुजफ्फराबाद है वहां एक गांव रडोल है जिसमें 20 बेड का अस्पताल है। वहां एक डाक्टर है जो कमरे हैं उनमें भूसा भरा हुआ है। उसमें गोबर के उपले पड़े हुए हैं। डाक्टर की जगह कमरों में भूसा भरा हुआ है। दवाइयां नहीं हैं। यह हालत प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की है। दूसरा फतेहपुर है जहां बीस बेड का अस्पताल है लेकिन एक डाक्टर है। दवाइयां अगर कुत्ता भी काट ले तो नहीं मिलेगी। सहारनपुर के अस्पताल में भी दवाई नहीं है। तीसरे मिर्जापुर गांव में जो तीन साल से अस्पताल बना है वहां डाक्टर मौजूद नहीं है। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या सहारनपुर जनपद में शाकुम्बरी देवी के नाम से एक मंदिर है जहां साल भर में 10 लाख से लेकर 15 लाख तक लोग मां का दर्शन करने के लिये आते हैं परन्तु यहां पर दवाई तथा चिकित्सा के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। हर साल यहां पर मेला लगता है कभी हैजे के कारण तो कभी

पेचिस के कारण तथा कभी दवाई न मिलने के कारण कई दुर्घटनायें हो जाती हैं। यह मंदिर पहाड़ी गुफा में है। इसलिये मेरी मांग है कि यहां पर 6 बेड का अस्पताल बनाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री फरीद महफूज किदवई का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। हमारे यहां 1991-92 में 30 बेड का एक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था परन्तु वह अभी तक बना नहीं है, इसलिये इसे अविलम्ब बनाया जाय। सिराथू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर सर्जन डाक्टर नहीं है, इसलिये यहां पर डाक्टर उपलब्ध कराये जांय। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू कड़ा में स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है। कड़ा ब्लाक के अन्तर्गत कोरियां गांव है। चार दिन पहले हैजे के कारण कई गरीब मारे गये, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर डाक्टर उपलब्ध कराये जांय जिससे गरीबों के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकें क्योंकि गर्मियों तथा बरसात में तमाम बीमारियां फैलती हैं, इसलिये डाक्टर रहना जरूरी है। अब हमारा जिला कौशाम्बी हो गया है। कई जिलों के बारे में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है, इसलिये जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अन्य जिलों के लिये घोषणा की है, उसी तरह से जिला कौशाम्बी के लिये भी घोषणा की जाये। चीर घर बनाये जाने की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है, इसी तरह चीर घर जिला कौशाम्बी में भी खोले जाने की घोषणा माननीय मंत्री जी करने की कृपा करें।

* श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इस सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी तथा मैं स्वयं अभी अनसन स्थल पर गये और राम नक्षत्र जी का अनसन समाप्त करवा दिया गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और उन्हें घर भेज दिया गया है। इसके लिये माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बधाई।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को, माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी को और श्री अम्बिका चौधरी जी को माननीय सदस्यगण की ओर से तथा सदन के ओर से साधुवाद और बधाई। माननीय श्री राम नक्षत्र जी के यहां आने पर उनको भी बधाई देंगे। इस सूचना के लिए एक बार पुनः आप सभी लोगों को बधाई।

श्री मतेश चन्द्र सोनकर–

हमारे यहां सिराथू में जो स्वास्थ्य केन्द्र है, उसकी बाउन्ड्री को कम्पाउन्डर तथा वार्ड ब्वायों ने तोड़कर वहां से वह मरीजों को ले जाते हैं और सिराथू पी० एच० सी० के सामने नर्सिंग होम प्राइवेट लोग चला रहे हैं, वहां पर उनको भर्ती कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर डाक्टर चौबीसों घंटे रहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य था, मैंने वहां पर भी इस संबंध में लिखकर दिया था परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये वहां की बाउन्ड्री को ठीक कराया जाय और इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाय। मान्यवर, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि देवीगंज बाजार में बहुत बड़ा कस्बा है उसकी आबादी 30 हजार है वहां पर एक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री आर० के० चौधरी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीराम पाल—

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग को बजट जैसा कि हमारे माननीय वी० आर० वर्मा जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहा कि जो बजट 97-98 में स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था इस समय 98-99 के लिये अनुदान की मांग कम कर दी है। मान्यवर, आप ने न तो होम्योपैथी न एलोपैथी किसी पर अपने बजट में सही प्राविधान किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य सुविधाएं तो आप मरीज को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं कम से कम उन्हें सहानुभूति तो उपलब्ध करा दें। आपके डाक्टर्स मरीजों को सहानुभूतिपूर्वक देखने लग जाएं तो इससे आधी समस्या हल हो जायेगी लेकिन नर्सिंग होम चलाने के चक्कर में डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में रहते हैं।

दवा तो मिलती नहीं है बाजार से लिखी जाती है लेकिन कम से कम सहानुभूति तो मरीज के साथ होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि झोला छाप डाक्टर हैं, फर्जी डाक्टर हैं वे बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं । वे हेल्थ कैपसूल के नाम से पूरे प्रदेश में उरई में दो फार्मेसी हैं एक 'देव फार्मेसी' और एक 'सन इंडिया फार्मेसी' है। मैंने 91 में इस सदन में एक प्रश्न उठाया था कि यह है जो हेल्थ कैपसूल है इसमें कारटोसोल नाम का प्वाइजन है। इन फार्मेसी की एजेन्सियां पूरे प्रदेश और देश में इस कैपसूलों की बिक्री का काम कर रही हैं।

मान्यवर, इन कैपसूल के सेवन से होता है पहले तो छः महीने तक आदमी की सेहत बनती है लेकिन उसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है वह रोगी होने लगता है। यह एजेन्सियां एक समय तक एक क्षेत्र में इन दवाइयों को बेचकर कुछ समय बाद दूसरे क्षेत्र में निकल जाती हैं। 91 में मैंने जब यह प्रश्न उठाया था 'सन इंडिया फार्मेसी' ने दो मेटाडोर भरकर कैपसूल नाली में बहा दिया था उस समय के तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी को मैंने इस संबंध में अवगत कराया था। उस फार्मेसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ .....

श्री अधिष्ठाता—

निर्माता के बारे में क्या निकला।

*श्री श्रीराम पाल—

मान्यवर, जो कम्पनी इन जान लेवा कैप्सूल का निर्माण कर रही थी उसको न तो जेल भेजा न आज तक वह फार्मेसी बन्द हुई। आप पत्रिकाओं में देखें इन फार्मेसी के विज्ञापन भी निकलते हैं।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

श्रीराम पाल जी का अनुभव बहुत ज्यादा है कैपसूल खाने का। आपने उनका सदुपयोग किया है उससे क्या फायदा हुआ हम लोगों को भी बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी

मान्यवर, इनके सेवन से छः महीने तक तो स्वास्थ्य बनता है वह आप देख रहे हैं उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ता है इसमें सबूत की आवश्यकता नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीराम पाल—

प्रदेश के तमाम जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोतियाबिन्द के आपरेशन के कैम्प लगते हैं। कहीं सीतापुर के डाक्टर कहीं खैरागढ़ के डाक्टरों का नाम आता है।

श्री अधिष्ठाता–

बात आ गई है।

श्री श्रीराम पाल —

मान्यवर, पिछले महीने रामपुरा में 11 लोगों को अन्धा कर दिया गया है। एन० के० जैन का ट्रांसफर कर दिया गया और अन्धे आदमियों को एक पैसा नहीं दिया गया। 11 लोगों को अंधा करने वाले का ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया और अंधे लोगों को एक पैसा नहीं दिया गया है। सीतापुर और खैरागढ़ के डाक्टर के नाम पर झोलाछाप डाक्टरों द्वारा आपरेशन कर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता —

बात आ गई है।

श्री श्रीराम पाल —

सुझाव तो देने दें। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक केन्द्र हैं वहां पर डाक्टरों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं अगर नियुक्त भी हैं तो डिप्टी सी० एम० ओ०.....

श्री अधिष्ठाता —

समाप्त करें। समय की सीमा है आपकी तैयारी बहुत ज्यादा होती है।

श्री श्रीराम पाल—

डिप्टी सी० एम० ओ० हजार, पांच सौ रुपया लेती है। मान्यवर, बाढ़ से आज आधा प्रदेश प्रभावित है। इसके बाद गम्भीर बीमारियां फैलती हैं। इसमें अलग से धनराशि की घोषणा नहीं हुई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियां फैलने की समस्या है। वहां के लिए अलग से टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।

(व्यवधान)

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में डी० डी० टी० का छिड़काव नहीं हुआ है दवा के छिड़काव का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता —

पीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल —

रामपुरा में 10 एड्स के मरीजों की पहचान हुई है।

श्री अम्बिका चौधरी —

एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में हल्के से न लिया जाए। मान्यवर इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी विदेश गई थी। यूरोप तथा अन्य देशों में जो सदस्य गये हैं उनकी जांच होना आवश्यक है। उनमें से तो कोई एड्स लेकर नहीं लौटा है यह संसदीय कार्य मंत्री पता लगा लें।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय अम्बिका जी यह जनहित में चिंता करना स्वाभाविक है। जिस समय माननीय मंत्री अपना बजट भाषण कर रहे थे तो उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक इसका उल्लेख किया था उस समय उन सभी माननीय सदस्य जो विदेश गये थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय खन्ना जी, माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी, माननीय डा० लक्ष्मीकांत बाजपेई जी उन सभी का जब वह यहां से गये थे तब और जब वह वहां से आये हैं परीक्षण हो चुका है। आप निश्चित रहे।

एक सदस्य —

मान्यवर, चरित्रवान व्यक्ति को कभी एड्स हो ही नहीं सकता है।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी —

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि हम तो धोबी के द्वारा आरोप लगाने के बाद की अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं। अब आप अपना ख्याल रखें।

श्री अम्बिका चौधरी —

मान्यवर, ऐसी सीता को तो स्वीकार करना होगा।

आवास राज्यमंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना) —,

लेकिन यह सीता राम के साथ ही जायेगी।

श्री अधिष्ठाता —

माननीय खन्ना जी आपको तो किसी सीता का अनुभव है नहीं।

श्री मोती लाल पैलवी —

मान्यवर, उस धोबी ने मर्यादित बात कही थी। आज किसी की पत्नी, किसी की बहन बेटी बगैर कहे बाहर चली जाय तो गुस्सा हो जायेंगे। जब धोबी ने कहा था तो राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए भेजा था। राम कोई ऐसे वैसे नहीं थे।

एक सदस्य —

मान्यवर, जांच के नाम पर जो आरोप धोबी समाज के ऊपर लगाये जा रहे हैं उसमें नैतिकता नहीं है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह लोग अनैतिकता वाले हैं।

श्री अधिष्ठाता —

अगर इसी तरह से सवाल जवाब होता रहेगा तो धोबी का कुत्ता न घर का रहेगा और न घाट का।

श्री नरेन्द्र सिंह —

मान्यवर, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने आज सदन में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि यह सरकार स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण के प्रति संवेदनशील नहीं है। सन् 1996-97 में दवाओं के परचेज का बजट 37करोड़ रु० था, 1997-98 में इनकी नेत्री मुख्यमंत्री थीं तब भी 37 करोड़ था आज जानकर सुखद लगा कि माननीय मंत्री जी इसका बजट 37 करोड़ से बढ़ाकर 71 करोड़ कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय आर० के० चौधरी जी ने मेडिकल यूनिवर्सिटी की चर्चा की यह प्रस्ताव तो माननीय कल्याण सिंह जी ने 1977-78 में रखा था,

1977-78 में रखा वह प्रस्ताव आज फिर माननीय ओझा जी ने रखा है। अगर कोई षडयंत्र न करे सरकार गिराने का प्रयास न करे, सहयोग करें तो 2 वर्ष में यह प्रस्ताव मूर्त रूप धारण कर लेगा। हम जो कहते हैं वह करते हैं। आप अवसर दें, इसे बनाकर दिखा देंगे। मान्यवर, लखनऊ स्थित पी० जी० आई० को सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है। 24 करोड़ का कान्ट्रेक्ट फ्रांस के साथ किया गया इस इंस्टीट्यूट को और अति आधुनिकतम बनाने के लिए। पिछले साल 30 सामुदायिक विकास केन्द्र खोले गये, इस साल 33 खोलने जा रहे हैं। कुष्ठ रोग के बारे में बताया कि उसमें कमी ला रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता —

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह —

मोतिया बिन्द के बारे में मंत्री जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है वे वैकलाग को समाप्त करना चाहते हैं जो 22 लाख का है, क्योंकि अंधता बढ़ रही है, सन् 2000 तक इसे पूरा कर लेंगे। यह सारी घोषणा जो सरकार कर रही है आप विश्वास करें हम कुछ करना चाहते हैं। मेडिकल कालेज से आपने गुंडा राज समाप्त कर दिया गया, इसका आपने जिक्र किया भाषण में जिला केन्द्रों पर भी जो ठेकोदारी की व्यवस्था है भोजन दूध की सप्लाई की जो व्यवस्था है उसमें ठेकेदारों का वर्चस्व है उसमें भ्रष्टाचार है गुंडा तत्व शामिल है, उसको भी समाप्त करने की कोशिश की जाय। मेरे यहां लालगंज अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है सामुदायिक विकास केन्द्र है, महिला चिकित्सक की नियुक्ति करें। इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री विद्या सागर —

श्री अधिष्ठाता, महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मान्यवर, कैंसर एक ऐसा मर्ज है कि अगर किसी को हो जाता है तो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं पिछले वर्षों से कैंसर की तरफ और उसकी रोकथाम के लिए कोई सुचारू रूप से काम नहीं किया गया है मेरी मांग है कि पूरे प्रदेश में कम से कम 10 स्थानों पर कैंसर के अस्पताल खोले जाय और वहां पर रेडियोथिरैपी और कीमोथिरैपी का पूरा-पूरा इलाज किया जाय अभी तक यह है कि मरीज को बम्बई जाना पड़ता है लेकिन साधन न होने के कारण मरीज यहीं पर दम तोड़ देता है।

मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि मेडिकल स्टुडेन्ट की फीस तीस गुना बढ़ा दी गयी है इससे वह काफी परेशान है आपसे निवेदन है कि उसकी फीस कम की जाय।

मान्यवर, तीसरी चीज यह है कि आयुर्वेदिक कालेजों से जो इन्टर्नशिप के लिए डाक्टर जाते हैं तो उनको 1500 रुपया स्कालरशिप दी जाती है जबकि एम० बी० बी० एस० को 10 हजार रुपया दिया जाता है तो उनका वेतनमान भी एम० बी० बी० एस० डाक्टर के बराबर होना चाहिए।

मान्यवर, चौथी बात यह है कि बरसात के दिनों में महामारी फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। सरकारी अस्पताल इतने हैं नहीं कि इसकी रोकथाम कर सकें। मेरा सुझाव है कि हर जिले में 5-5 धर्मार्थ अस्पताल चयनित किये जांय और वहां पर हैजा की दवाएं उपलब्ध करा दें जिससे महामारी को रोका जा सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री इन्द्र देव—

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दियी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी हमारे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात कही थी कि बजट में कम धन का प्राविधान किया गया है, अगर ऐसा है भी तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम बजट का भी नियोजन उचित प्रकार से किया जायेगा, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किया जायेगा तो लाभ प्राप्त हो सकता है। मान्यवर, किसी अंग्रेज कवि ने कहा है–

इट इज नाट दी गन दैट फाइट्स इट इज दी मैन बीहाइण्ड दी गन दैट फाइट्स इट इज नाट दी मैन दैट फाइट्स इट इज दी स्प्रिट इनसाइड दी मैन दैट फाइट्स।

इसके कहने का तात्पर्य यह है कि बन्दूक नहीं लड़ती है, आदमी लड़ता है जो बन्दूक को चलाने वाला है। आगे कहा है कि आदमी नहीं लड़ता है उस आदमी को जो भावना है, प्रबल इच्छा शक्ति है, वह लड़ती है।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय मंत्री जी के पीछे जो भावना है वह किस गली में रहती है?

श्री इन्द्रदेव—

मंत्री जी के पीछे जो प्रबल इच्छा शक्ति है, भावना है, वह भ्रष्टाचार समाप्त करना है। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के द्वारा कम खर्च में अच्छी स्थिति, अच्छा साधन उपलब्ध करा सकता है। मान्यवर, 6 मेडिकल कालेजों को स्वायत्तशासी बना दिया गया है इसका मतलब है कि अपने खर्च को स्वयं वहन करेंगे। आयुर्वेद विभाग के अन्दर इतने बड़े घोटाले हुये हैं लेकिन तब कोई बोलने वाला नहीं था, माननीय मंत्री जी ने इस पर अंकुश लगाया है और इस प्रकार घोटालों को रोककर, कम खर्च में हम अच्छे साधन और सुविधायें उपलब्ध करा सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय परिवार कल्याण मंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत कारगर और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए इस बार कोशिश की है, वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। शिशु मृत्यु दर को भी उन्होंने घटाने की कोशिश की है, वह इसके लिये साधुवाद के पात्र हैं, पोलियों की दवा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए भी वह बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ सरकारें जो अब तक अपने को अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करती रही हैं, चाहे वह कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, लेकिन उन्होंने उनके हितों के लिए क्या किया है, यह मैं बताना चाहता हूँ। हमारे संविधान के अन्दर अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थायें चलाने की स्वतंत्रता है, उसी के अन्तर्गत कुछ अल्पसंख्यक बन्धु यूनानी की संस्थायें चला रहे थे, हाईकोर्ट ने भी इसकी परमीशन दी थी, लेकिन 1982 से आज तक इन शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा यह लोग उपलब्ध नहीं करा पाये, अब यह सेहरा भी हमारे माननीय मंत्री जी के सिर बंधना चाहिए, अब इन छात्रों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

मान्यवर, आयुर्वेद के विकास और उत्थान के लिए अपने माननीय मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। आयुर्वेद हमारी प्राचीन स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद हमारे भारतीय जीवन दर्शन के अनुकूल है। गांव में जो गरीब, किसान रहता है, उसकी गरीबी के तहत भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अच्छे तरीके से उसको आयुर्वेद के अन्तर्गत चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है। एलोपैथ शिक्षा के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, फिर भी वह डाक्टर गांव में नहीं जाना चाहता, और जाता भी है, तो वह पहले दहेज में लड़की वाले से रकम वसूल करता है, फिर उसके बाद गरीबों से, मजदूरों से उसका ब्याज वसूल करता है, लेकिन आज हमारा गरीब आदमी उस ब्याज को नहीं दे सकता। हमारे कुछ साथियों ने गांव में झोलाछाप डाक्टरों की समस्या उठाई और कहा कि इन्हें बाहर कर देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम इन्हें बाहर कर देंगे, तो गांव में जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलायें हैं, उनका इलाज कौन करेगा, किसके भरोसे उन्हें छोड़ेंगे। यह सोचने का विषय है।

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आयुर्वेद का 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाया जाय और उसके साथ यह शर्त हो कि यह लोग सरकारी नौकरी में नहीं जायेंगे, केवल गांव में जायेंगे, तो उससे हमारी बेरोजगारी पर भी अंकुश लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तथा गांव के वृद्धों, बच्चों, महिलाओं को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम विशुन आजाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में गरीबों के लिये, बच्चों के लिये, महिलाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं रखी है, इसलिए मैं बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम गरीबों के लिये दवा देंगे, सन् 2000 तक उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे, लेकिन मेरी समझ से इस सरकार ने गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसी लखनऊ के अन्दर महानिदेशालय में नकली दवाओं को बेचने का ऐसा रैकेट है, गरीबों को दवा नहीं मिल पाती।

मान्यवर, महिलाओं को और बच्चों को दवा नहीं मिल पाती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बेसिक हेल्थ स्वास्थ्य कार्यकत्री महिला प्रशिक्षण अलीगंज, लखनऊ के परिसर में एक बड़ा गड्ढा खुदवाकर उसमें 100 से अधिक बोरी दवाएं डलवा दी गयीं लेकिन गरीबों को दवाएं नहीं मिलती हैं। लाखों रुपये की दवाएं उसमें दफनायी गयी है। इस विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। डाक्टर बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। मैं मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वह गोण्डा जिला अस्पताल को सुधार दे, तो मैं समझूँगा कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को सुधार दिया है। मनकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर एक्स-रे मशीन लगी हुई है, लेकिन वहां के स्थानीय डाक्टरों से मिलकर वह एक्स-रे मशीन नहीं चलायी जाती है और प्राइवेट तौर पर एक्स-रे कराने के लिए कहा जाता है। गरीब लोगों को मजबूरी में बाहर से एक्स-रे कराने पड़ते हैं। मेरा मा० मंत्री जी से आग्रह है कि 5000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें जिससे गरीब महिलाओं और बच्चों को दवा मिल सके।

मान्यवर, लखनऊ में डफरिन अस्पताल में जुलाई, 1996 में फंगसयुक्त ग्लूकोज के इंजेक्शन से कई जाने चली गयीं। इस पर विधायक श्री मुराद लारी ने फंगसयुक्त ग्लूकोज की बोतल को सील करके मुख्य सचिव को भेजा और वहां की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को हटाकर जांच कराने एवं कार्यवाही करने की मांग की, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, जिस तरह से भ्रष्टाचार अस्पतालों में व्याप्त है उसको खत्म करने के लिए कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी। मैं कहना चाहूँगा कि आज जनसंख्या को लेकर लोगों ने अपनी-

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अपनी बातें रखी हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिस पर विश्व चिन्ता कर रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगायी गयी, तो हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो जायेगी। मैं कहना चाहूँगा कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम सबसे पहले हमारे देश में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जब तक प्रभावी ढंग से योजनाओं को लागू नहीं किया जायेगा, तब तक जनसंख्या की वृद्धि को रोका नहीं जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह—

मैं एक बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, अधिक से अधिक सदस्य इस बजट पर भाग लें और अपने विचार रख लें, लेकिन एक व्यवहारिक कठिनाई है। कल आपने सदन को 12.00 बजे तक चलाया और कल इसी विभाग के प्रश्न भी लगे हैं। सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनको और माननीय मंत्रियों को प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए कुछ समय चाहिए। दोनों पक्षों को देखकर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं किसी के अधिकार पर पावन्दी नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरा आग्रह है कि 3.00 बजे इस पर चर्चा शुरू हुई थी। साढ़े पांच घंटे इस पर चर्चा हो चुकी है, तो इसमें आप देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेतागण 20-20 माननीय सदस्यों के नाम की लिस्ट भेज देते हैं, तो इस बात का प्रेसर रहता है। जो लिस्ट में नाम हैं उसको समअप करता हूँ।

श्री वसीम अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ बाजपेयी जी को जो कटौती का प्रस्ताव हमको रखना चाहिए सत्ता पक्ष के बावजूद वह उन्होंने रख दिया। मैं बड़े गौर से भाई नरेन्द्र सिंह जी को सुन रहा था, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको इस तरह से सरकार की लीपा पोती नहीं करनी चाहिए। माननीय वर्मा जी ने सब कुछ बोल दिया है। आजमगढ़ की कुछ मजबूरियां थी उन पर आपको परिवर्तन कर काम करना चाहिए। इससे पहले कि जो सरकारें आयी उनके कामों को यहां पर उजागर किया गया कहा कि उन्होंने लूटने का काम किया है। मैं माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार को बधाई दूँगा जब उनकी सरकार आयी थी, तो सबसे पहले अल्पसंख्यक आयुर्वेदिक विद्यालयों में देवबन्द और बीनापारा आजमगढ़ को मान्यता देने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया था और वहां के आयुर्वेदिक विद्यालय को कानपुर विश्वविद्यालय से मान्यता दिलायी थी।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसको लिख कर भिजवा दें।

श्री वसीम अहमद—

बात तो पूरी हो जाने दीजिए मैं आजमगढ़ की चन्द बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारे मंत्री जी द्वारा आयुर्वेदिक हास्पिटल की बात कहीं है मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो आजमगढ़ के आयुर्वेदिक हास्पिटल की बुनियाद रखी थी, उसके लिए 20 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था, जो आज भी पी० एल० ए० में पड़ा हुआ है लेकिन उसे बनाने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए मैं अपने भाई नरेन्द्र सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि इस बात के लिए आपको कहना चाहिए था क्यों नहीं वह अस्पताल बन रहा है ? इसी तरह जो राहुल सांस्कृत्यायन हास्पिटल है। उसमें महिला हास्पिटल के ऊपर एक चिल्ड्रन वार्ड

बनाने के लिए 3 करोड़ रुपया अलग से देने की बात थी लेकिन उसको भी इस सरकार ने वापस ले लिया।

बार-बार यहां पर बात कहीं जाती है कि डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को मत रोकिये सिर्फ इतना कर दीजिए कि जो डाक्टर हास्पिटल में ड्यूटी में है कम से कम वह टाइम पर आ जाएं और हास्पिटल पर बैठ कर फीस न ले। इतना ही आप कर देंगे तो काफी होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप हास्पिटल में डाक्टरों को ठीक से काम करने के लिए कह दें तो काफी सुधार हो जायेगा। हमारे आजमगढ़ में अल्ट्रासाउण्ड तथा इन्टेसिव केयर की व्यवस्था हेतु मशीन भेजने की बात थी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अगर वहां पर अस्पताल में यह सुविधाएं दिलवा दें तो बहुत बड़ा काम होगा। हमारी विधान सभा गोपालपुर इलाका बाढ़ से पीड़ित है। उसमें हर साल सगड़ी तहसील में बाढ़ आती और हजारों लोगों की तबाही हो जाती है। बाढ़ के बाद अनेक बीमारियां फैलती है उनके लिए दवाओं की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है और इस क्षेत्र में कोई अस्पताल 20 कि० मी० तक नहीं है। यही स्थिति बाढ़ की पूरे प्रदेश में है जिससे लोग परेशान होते हैं, तो उन बाढ़ पीड़ितों के लिए अलग से दवा की व्यवस्था कर दे, तो बहुत बड़ा काम होगा। इन शब्दों के साथ मै कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

* श्री राजाराम पाल–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। सत्तापक्ष के लोगों ने इस बजट पर काफी लम्बी चौड़ी बातें की उससे ऐसा लगता है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में सुधार आया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बजट 37 करोड़ से 71 करोड़ किया गया है मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि आप एक अभियान चलायें पूरे प्रदेश में कि वर्ष में एक दिन प्रदेश में पूरे अस्पतालों में डाक्टर मौजूद रहेंगे। अस्पतालों में दवायें मिलेंगी अस्पतालों में सफाई रहेगी। इसके लिए यदि केवल एक दिन निश्चित कर दें तो विपक्ष भी आपको साधुवाद देगा। मान्यवर, अस्पतालों में दवाओं की बात दूर रही, काटन मौजूद नहीं है, पट्टी मौजूद नहीं है, कम्पाउडर मौजूद नहीं है। कानपुर महानगर जिसकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है वहां के अस्पतालों में दवा मिलना तो दूर वहां अस्पतालों की हालत यह है कि अस्पताल में पांच मिनट भी ठहर नहीं सकते हैं ऐसी दुर्दशा है। मान्यवर, मैं घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां एक स्थान कुइनी है जिसके आस-पास 20 कि०मी० तक पी० एच० सी० की सुविधा नहीं है। बरसात के दिनों में दूसरे मौसम में जब कोई मरीज बीमार होता है तो 20 किमी० दूर होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा प्राप्त करने के लिए मोहताज रहता है। मेरी मांग है कि वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय।

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, मैं आप को धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उन्नाव जनपद में मेरा विधान सभा क्षेत्र 70 किमी० कटरी के किनारे है अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 10 हजार की आबादी पर अस्पताल खोलेंगे। मेरे यहां 50 हजार की आबादी है, लेकिन स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। मान्यवर, गरीब की बात बहुत कही जाती है यदि बजट में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए तो फतेहपुर चौरासी में एक पी०एच०सी० अस्पताल [illegible] की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, परिवार नियोजन के बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा, हमारे विधान सभा क्षेत्र के सभी ब्लाक में जितने प्रमाण-पत्र हर साल दिये गये हैं। आप किसी एक ब्लाक के आंकड़े परिवार नियोजन के ले लें और अगर 5 साल के आंकड़े उस ब्लाक के ज्यादा होंगे। मान्यवर, इसके पहले इस प्रश्न को हृदय नारायण दीक्षित जी ने भी रखा था, उसकी जांच हुई थी।.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी है।

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, इसकी जांच हो गयी है। उन्नाव के पूर्व सी०एम०ओ० की जांच पेन्डिग पड़ी है, मैं चाहूंगा कि जो जांच रुकी है, उसे पूर्ण करा लें। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से फर्जी आंकड़े दिये गये हैं, इसलिए आंकड़ों में न पड़े। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए चाहूंगा कि उसकी जांच करायें।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता जी, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए इतनी बात कहना चाहता हूं कि यह बजट किसानों के, गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के हित में लाया गया है फिर भी हमारे विपक्ष के भाई इसकी बुराई करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि–

किसी-किसी को अच्छाई भी बुरी लगती है,
कभी-कभी अपनी परछाई भी बुरी लगती है।
इस जमाने में कुछ ऐसे भी लोग हैं यारो,
देखों शराबी को मिठाई भी बुरी लगती है॥

मान्यवर, यह गरीबों की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं–
कभी गरीबों की हालत पर गर सोचा होता,
कभी नजदीक से गांवों में जा देखा होता,
आज यह प्रदेश की दशा न होती,
कुछ किया होता तो क्या से क्या होता॥

मैं कहना चाहता हूं कि–
अस्पताल है नहीं दवा का है पता,
मिलते न थे डाक्टर कभी रहते थे लापता,
पिछली सरकारों ने दी थी हमें ऐसी व्यवस्था
विस्तर पर ही मरीज मर जाता था तड़पता॥

यह सब पिछली सरकारों से हमको मिला विरासत में,
गांवों के लोग जीने को मजबूर रहे सांसत में,
मरीजों की जगह मच्छरों का था जमावड़ा,
घुसता जो अस्पताल में लगता है फंसा आफत में॥

यह बजट प्रदेश को खुशहाल करेगा,
सब लोगों की सेहत का सही ख्याल करेगा,
छोटे-बड़े, गरीब, बाल-वृद्ध, नर-नारी,
सबका हर ढंग से मदद अब अस्पताल करेगा।।

स्वस्थ नागरिक समृद्धि का आधार है,
घातक बीमारियों को मिटाने का प्रचार है,
मस्तिष्क ज्वर, अतिसार, हैजा, कुष्ठ, पोलियो,
करके नियंत्रण सुरक्षित करना परिवार है।।

अस्पतालों का करेगा, अब सुधार यह बजट,
जीवन सभी का करेगा, गुलजार यह बजट,
सबको स्वास्थ्य सुविधा बिन प्रयास मिलेगी,
लाई है जन हितैषी जो सरकार यह बजट।।

मरीजों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं अच्छा,
अस्पतालों का यूं बन जाना कबाड़ नहीं अच्छा
घर पर करें प्रैक्टिस रहे अस्पताल से गायब
पहले रहा होगा अब यह जुगाड़ नहीं अच्छा।
अस्पंतालों की संख्या अब बढ़ायी जा रही,
डॉक्टरों की काफी भर्ती है करायी जा रही
अस्पताल में हैं डाक्टर दवा की व्यवस्था,
गरीबों में मुफ्त प्रतिदिन बंटवाई जा रही।
हल्ला मचाने वालों अपना काम देखिए
कर आए जो घोटाला उसका अंजाम देखिए,
खंडहर बना दिया सारे ही विभाग को,
कुछ हो रहा तो कर रहे बदनाम देखिये।।

आयुर्वेद के ऊपर तो था पाला पड़ा हुआ
टूटे भवन पर आज भी ताला पड़ा हुआ,
सब जांच करा कर के जेल भेजिए उन्हें,
चिल्लाने वालों के समय घोटाला बड़ा हुआ।
प्रदेश में परिवार नियोजन हो रहा।
हम दो हमारे दो का आयोजन हो रहा।
जनसंख्या पर अंकुश लगाने की भी व्यवस्था।
नए-नए तरीकों का संशोधन है हो रहा।
सबका हो उत्थान अब संकल्प यही है।
छेड़ा है जो अभियान समय अल्प नहीं है।
कोई कितनी कोशिश करे सफल नहीं होगा।
अब भाजपा का यू०पी० में कोई विकल्प नहीं है।
विरोधी तो थे जनता की ही दुर्गति कर रहे।
पूर्णमासी पंकज कल्याण बजट वृद्धि की अनुमति कर रहे।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
अब सबके स्वास्थ्य की चिन्ता रमापति कर रहे।
दुर्गागंज में हमें अस्पताल दीजिए, सुरियावां
सामुदायिक केन्द्र बने ख्याल कीजिए।
भदोही एम०वी०एस० की व्यवस्था सुदृढ़ हो।
आयुर्वेद अस्पतालों का पुरसाहाल कीजिए।।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अफजाल अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दिलों में आग लगी है, जख्म के घाव भरे नहीं, जमी लहू लुहान है, जमी के घाव भरे नहीं। तिजोरी खाली है।

(समय 8 बजकर 45 मिनट)

मैं अपने क्षेत्र जौनपुर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर 300 बेड का अस्पताल मंजूर हुआ था लेकिन आज तक वह बना नहीं है। जौनपुर शहर में पुराना अस्पताल है वह सारा जर्जर हो रहा है। महिलाओं को प्राइवेट वार्ड में जगह नहीं मिल रही है। पूरी इमारत टपक रही है। यह जनपद की 35 लाख की जनता के साथ आपका व्यवहार है। दो लाख, पांच लाख की तरफ आपकी निगाह है, लेकिन 35 लाख की तरफ आपकी निगाह नहीं है। इस 35 लाख की आबादी के बारे में मंत्री जी ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। मैं यही कहना चाहता हूं मा० आर० के० चौधरी के द्वारा रखा गया कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे पूरनपुर जो तराई क्षेत्र है, वहां चिकित्सा सुविधा का अत्यंत अभाव है। यहां का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां मात्र एक महिला चिकित्सालय है। वहां पर गरीबों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। समाजवादी युवजन सभा के जुराफल अली, वहीद खाँ, जहीद खाँ, रंजीत कौर, रजत सक्सेना, राजीव दीक्षित, शिवराम ने वहां के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ आन्दोलन भी किया, वहां के सुपरिटेन्डैंट के खिलाफ जनता में आक्रोश है। परन्तु वह खुला कह रहा है कि मैं उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश शासन को पैसा देता हूं। उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे यहां एक्स-रे मशीन है, लेकिन प्लेटें नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देने वाली सरकार का नारा खोखला है। हमारा इलाका तराई का है और बाढ़ग्रस्त है, वहां पर कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में डाक्टर नहीं है। जबकि वहां पर कवीरगंज में एक डाक्टर है। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है, उसके प्रभारी चिकित्सक ने लखनऊ अथवा बाराबंकी के स्थानान्तरण का अनुरोध किया है। जबकि वहां की जनता चाहती है कि यह वहीं पर तैनात रहें। हमारे क्षेत्र पूरनपुर में कोई डाक्टर नहीं है। वहाँ के डाक्टर शहर में जाना चाह रहे हैं। वहाँ पर डाक्टर का रहना अनिवार्य है। मान्यवर हमारे क्षेत्र में जमुनिया शिवनगर पचपेड़ा तराई निमरा तथा घुघघाई आदि ग्रामों में चिकित्सालय खोले जांय।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कोई महिला चिकित्सक नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पोस्ट मार्टम चार बजे से होता है, उससे जनता को परेशानी होती है क्योंकि जनता दूर-दूर से आती है। इसलिए अनुरोध है कि पोस्ट मार्टम दस बजे से शुरू किया जाय व दो शिफ्टों में किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं श्री आर० के० चौधरी जी ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूं।

श्री मुहर सिंह अम्बाड़ी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री आर० के० चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं जनपद इटावा के 302-अजीतमल क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं जहां से कभी आपका निर्वाचन क्षेत्र होता था अब इटावा से काट कर औरैया नया जनपद बना दिया गया है, हमारे यहां औरैया में पोस्टमार्टम हाउस की महती आवश्यकता है। दूसरे मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में पांच हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का मानक है और 3000 की आबादी पर पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तराखण्ड व बुन्देल खण्ड) में लेकिन कहीं-कहीं दुर्गम शब्द का उल्लेख है। हमारा क्षेत्र यमुना, चम्बल, क्वारी व सेंगर नदियों के बीच का दुर्गम क्षेत्र है। जहां बाढ़ के बाद अक्सर संक्रामक रोग फैलते रहते हैं इसलिए इस दुर्गम क्षेत्र में 3000 की आवादी के मामले के अनुसार ही प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य केन्द्र और खोले जांए और समय न होने के कारण इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री आर० के० चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे कटौती प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के विचार आए। अधिकांश सदस्यों के विचार बजट के विरोध में आए हैं। कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आये हैं। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग में कमीशन, अनियमितताएं, चोरी, अव्यवस्था का खुलासा किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सम्मानित विधायकों को जिन्होंने आज खुलकर पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुंह तोड़ जबाब दिया है। अगर आपको जीतेजी नर्क देखना है तो उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में चले जाइये आपको नर्क दिखाई पड़ेगा।

एक कहावत है कि अस्पताल में कोई अच्छा भला आदमी चार बार जाये तो वह बिना बीमारी के बीमार होकर लौटेगा। यही हाल सभी अस्पतालों का है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कैसे इसमें सुधार किया जाय ? अगर भ्रष्ट अधिकारियों व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाय, जिनके चलते स्वास्थ्य विभाग बेकार हो गया है, तभी यह ठीक हो सकता है। 15-15 साल से तथा 20-20 साल से कई डाक्टर एक ही जगह पर तैनात हैं, एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि जितने बड़े अस्पताल हैं चाहे वह लखनऊ में हों या अन्य बड़े शहरों में 10 डाक्टरों के पदों के विरुद्ध 30-30 डाक्टर्स अटैच किये गये हैं। इसलिए कम से कम स्थानान्तरण की कोई नीति तो बनानी पड़ेगी। इस शासनकाल में जिसकी पहुँच है या जो पैसा देने वाला है वह जहां चाहे जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है और जहां चाहे रूक सकता है । जो कर्मचारी भ्रष्टाचार से मुक्त है और पैसा नहीं दे सकता है, उसको जेल का डाक्टर बना दिया जाता है या पहाड़ो तथा दूर दराज के देहात में भेज दिया जाता है । इसलिए मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और स्थानान्तरण नीति बनायें ।

मान्यवर पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में धन की कमी की गई है परन्तु कुछ मदों में धन बढ़ाया गया है । माननीय मंत्री जी ने पहले ही धन की कटौती कर दी है । दवाइयों पर धन बढ़ाया गया है । वैसी ही नकली दवाइयाँ खरीदी जायेंगी जिस प्रकार विगत वर्ष खरीद कर गड्ढे में डाल दी गई थी । सी०एस०सी०, पी०एच०सी०, सब-सेन्टर आदि खोलने जैसे कई घोषणायें तो मंत्री जी ने कर दी परन्तु धन कम कर दिया । बिना धन के इन घोषणाओं को ये कैसे पूरा करेंगे, मैं नहीं, समझ पा रहा हूँ ? बगैर जादुई छड़ी के यह सम्भव है नहीं । बिना धन के यह काम हो नहीं सकता है । इन्हीं सब बातों को रखते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य है और श्री चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। मैं समझ रहा था कि श्री चौधरी जी बड़ी सूझ-बूझ के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव को रखेंगे परन्तु उन्होंने बहुत हल्के ढंग से प्रस्ताव को रखा । उन्होंने कई चीजें कही । स्वास्थ्य केन्द्र खराब हैं, डाक्टर खराब हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और स्थानान्तरण अनायास किया जा रहा है ।

दवाइयों की खरीद में कमी है, नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं और चिकित्सकों की नियुक्ति गलत की है । मैं पूरे बिन्दुओं पर बताना चाहता हूँ कि प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर 132 डाक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । इस वर्ष स्थानान्तरण के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे थे खूब ट्रान्सफर हो रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में 12 हजार चिकित्सकों की संख्या है जिसमें से कुल मिलाकर 500 डाक्टर्स का ट्रान्सफर किया गया जो कि 4 परसेन्ट है । दवाइयों का बजट दो गुना कर दिया गया, लेकिन आपकी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है । नकली दवाई बनाने वालों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1997-98 में गलत दवाई बनाने के आरोप में 50 नाम आये थे जिसमें 35 के सम्बन्ध में प्रथम सूचना दर्ज कराकर उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है और 15 पर विवेचना के अन्दर व्यवस्था है। उन पर भी हम कार्यवाही करने जा रहे हैं । प्रमोशन सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठता सूची के अनुसार किया है । कुछ लोग फिर भी कोर्ट गये हैं जैसा भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

निरीक्षण की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डाक्टर हैं, उच्च अधिकारी हैं । हमारे शासन के स्तर के लोग अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी होती है । डाक्टर नहीं आते हैं इस बार में भी हम गम्भीर हैं । हमने वर्ष 1997-98 में 9573 निरीक्षण कराये 1650 अनुपस्थिति पाये गये उनके ऊपर कार्यवाही की गई । 9 चिकित्सकों की सेवायें समाप्त कर दी गई । 101 को निलम्बित कर दिया गया और 62 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया । इस प्रकार से हम गम्भीर हैं अपने अपने विभाग के प्रति। चौधरी साहब स्वास्थ्य मंत्री रह चुके है काश आपने हमें इसे अच्छे हाल में दिया होता, तो आपको कहने का मौका मिलता कि आपके द्वारा किये गये कार्यों को हम खराब कर रहे हैं । लेकिन हमको विरासत में यह विभाग अच्छी हाल में नहीं मिला । एक बात चौधरी साहब ने कही कि आज के पेपर में भी कुछ निकला है, जनपद गोण्डा के बारे में बी०एच०एम० करके ।

मान्यवर, अक्सर होता है अब चौधरी साहब ही है अगर अस्पताल जायेंगे तो केयर आफ रमापति शास्त्री लिखा जायेगा । मान्यवर, इस तरह से कोई व्यक्ति कर रहा होगा । लेकिन मैं

सदन मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे या मेरे भाई के या मेरे परिवार के केयर आफ कोई इस तरह से आता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए अधिकारी ही दोषी पाये जायेंगे क्योंकि मैं स्वयं यहां पर इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लोगों को व्यक्तिगत जीवन में परेशानी हो रही है ? बी० आर० वर्मा जी बोल रहे थे। वैद्य घोषणा बड़े जोरदार शब्द में किया। उन्होंने कहा कि हमने बजट में कमी कर दी है।

मान्यवर, वर्मा जी हैं, नहीं चले गये हैं, उनको बैठना चाहिए था। यह जो बजट में लिखा है इसको उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं अनुदान संख्या-32 और 36 में 71 करोड़ 86 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है। 97-98 में आपने कहा कि ज्यादा बजट था। वह इस कारण से अधिक था क्योंकि उस समय नये वेतनमान के लिए एरियर दिया गया था, इसलिए ज्यादा हो गया था। इस साल एरियर की कोई बात नहीं है, इसलिए कम लग रहा है। इस साल का बजट 5 करोड़ 66 लाख रुपये अधिक है। अभी अनुपूरक अनुदान आयेगा तो और बढ़ जायेगा। हमारी सरकार बजट में बढ़ोत्तरी कर रही है आप बढ़ोत्तरी की घटोत्तरी किस तरह से देख रहे हैं। प्रोन्नति की बात कही गई 423 साधारण किये गये हैं 175 अनुसूचित जाति जनजाति 124 सीनियर ग्रेड चिकित्साधिकारी संयुक्त निदेशक वेतनमान में प्रोन्नत किये गये हैं।

27 संयुक्त निदेशक, अपर ग्रेड निदेशक पर, नौ पर निदेशक पद पर प्रोन्नति तीन महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति देकर सर्वोच्च मानक के अनुसार प्रोन्नति श्रेणी की वरिष्ठता सूची बनाई है।

(व्यवधान)

इसी प्रकार से मान्यवर, भ्रष्टाचार समाप्त करने का कदम उठाया गया है। एक चर्चा आई कुत्ता काटने की बात सबने कही, कुत्ता कितने लोगों को काट रहा है। मान्यवर, कुत्ता काटने की दवाइयां हमारे पास कम नहीं हैं हो सकता है कि किसी मंडल में कम गई हों लेकिन आज की तारीख में 2 लाख मिली लीटर वैक्सीन उपलब्ध है। 50,000 मिली लीटर कसौली से प्राप्त किया जा रहा है। पटवाड़ाग की निर्माण कैपिसिटी बढ़ाई जा रही है। इस वर्ष 20 से 22 लाख मिली लीटर वैक्सीन बनाई जाएगी। बहराइच के बारे में कहा गया तो बहराइच में सांप काटने की दवाई की कमी नहीं है इसकी जांच की जाएगी। डिलवरी सिस्टम में सुधार किया जाएगा। जिन चिकित्सा इकाईयों पर चिकित्सक/पैरामेडिकल अधिसंख्य हैं, उनको रिक्त स्थानों पर समायोजित किया जा रहा है। उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जहां दो चिकित्सक हैं, एक को चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की नई भर्ती होने तक के लिए पदास्थापित किया जा रहा है। मान्यवर, इसी तरह से आर०डी०एम०ओ० का समायोजन उनकी विशेषज्ञतानुसार रिक्त पदों पर किया जा रहा है। अधिकारियों/कर्मचारियों की सम्बद्धता समाप्त कर मूल स्थान पर कार्य करने के आदेश पारित किए गए हैं। चिकित्साधिकारियों कर्मचारियों की कार्य स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार सघन निरीक्षण किए जा रहे हैं। चिकित्सालयों के भवनों का रख-रखाव स्वच्छता प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। चिकित्सालयों के समस्त उपकरणों को लगातार क्रियाशील बनाये रखने पर बल दिया जा रहा है। प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर औषधियों विशेष रूप से जीवन रक्षक औषधियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। दवाओं की उपलब्धता की सूची इकाई पर प्रदर्शित की जायेगी। अधिकारी/कर्मचारी यूनीफार्म में नाम, पदनाम की पट्टिका सहित ड्यूटी पर रहेंगे। विभागीय निष्प्रयोज्य सामग्री का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। चिकित्सालयों के रख-रखाव के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया गया है।

सितम्बर 1997 से अब तक 504 पुरुष 72 महिला तथा 27दन्त चिकित्सक को नियुक्त किया गया है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए 1692 पुरुष तथा 30 महिला चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। इसी प्रकार से मान्यवर तमाम विपक्ष के मित्रों ने सुझाव दिए हैं। अच्छे सुझाव आए हैं, उन सुझाव पर विचार करेंगे। 50 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग टूटी-फूटी और जर्जर अवस्था में मिला एक प्रश्न करके मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं विपक्ष के मित्रों से जानना चाहता हूं कि ब्लेड से अगर चीरा लगाया जाए तो कितना समय लगेगा चन्द सेकेन्ड लगेंगे। और उस चीरे को ठीक होने में हफ्तों का समय लग जाएगा। तो जिस विभाग को 50 साल तक चीरा लगाया गया है वह एक दिन में कैसे ठीक हो सकता है।

हम कृत संकल्प हैं। यह घबड़ा रहे होंगे कि इस टूटी-फूटी जर्जर व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार कृत संकल्प है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने एक महामंत्र दिया था कि "चरेति-चरैवेति" अर्थात् चलते रहो, चलते रहो। जो व्यक्ति जितना चलता है उसका मुकद्दर उतना ही चलता है। हमने इस महामंत्र को आत्मसात किया है। हम चलते-चलते सारी व्यवस्था को ठीक करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय आर० के० चौधरी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनसे आग्रह करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। यह लोक प्रिय सरकार स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहती है।

श्री शिवाकान्त ओझा–

मान्यवर, मेरे सम्मानित मंत्रियों ने जो सुझाव दिये हैं और कटौती का प्रस्ताव रखते समय मेरे विभाग के बारे में बहुत सी बातें कहीं गयी। शुरुआत मेरे विभाग से हुई। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने मेडिकल विश्वविद्यालय बनाने की कल्पना की थी। वह कल्पना साकार होगी जब इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो मैं चौधरी साहब से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि विचार के बिना क्रियान्वयन नहीं होता है और दिमाग है, तो विचार आयेगा, जिसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास विचार नहीं आयेगा और जब विचार नहीं आयेगा तो क्रियान्वयन कैसे होगा? तो हमारे माननीय कल्याण सिंह जी ने विचार किया और उसको क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं।

मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक कमेटी बनी थी वह 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। वह मद्रास हो आयी है और बंगलौर जा रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वह 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी और अगले सत्र में जब आप यहां पर मिलेंगे तो मेडिकल विश्वविद्यालय के साथ मिलेगें। मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने एक प्रश्न उठाया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा है ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मुख्य मंत्री जी ने मेरे अपने विभाग में एक भी पत्र ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नहीं लिखा है। जो पहले यहां पर मुख्य मंत्री हुआ करते थे आज उनके फाइलों में देख लें ट्रांसफर और पोस्टिंग सीधे हुआ करते थे। आप जो भी बाते कहें वह पूरी संज्ञान की बातें हो तो ज्यादा अच्छा लगता है।

इसके अतिरिक्त अटैचमेंट की बात कही गयी। अटैचमेंट पालिसी के तहत कितने अटैच किये गये। आपने सुविधानुसार अपने लोगों की तुष्टीकरण करने के लिए अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए या अन्य तरीके से डाक्टर विभिन्न स्थानों पर अटैच कर दिये हैं। यहां 10, 20 थे वहां पर 20, 30 हो गये। मेरे अपने विभाग में एक भी डा० कहीं अटैच नहीं है। उस पालिसी को

हमने ठीक कर दिया। (मेजों की थपथपाहट) कुछ अंशकालिक डा० का सवाल उठा, सन् 1985 से लेकर आज तक कई मुख्यमंत्री सदन में रहे आंसू बहुत बहाये, मुझे इस बात का कष्ट है कि चौधरी साहब जिस दल में हैं, उनकी नेता सदन की नेता थी। उनके आदेश फाइलों में दर्ज हैं। जब अंशकालिक डा० न्यायालय से जीत कर आये तो एस० एल० पी० दाखिल करने के लिए दो बार आदेश पारित किये, उनको नियुक्त न करने के लिए एस० एल० पी० दाखिल किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एस० एल० पी० वापस लेने की बात कही, 60 अंशकालिक डा० की नियुक्ति करने का आदेश कर दिया गया है। हफ्ते भर में नियुक्तियां हो जायेंगी। (मेजों की थपथपाहट) हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते हैं हम उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं जो आप शोषण करते रहे हैं। गाजियाबाद में मानव अंगों के अवैध व्यापार की बात उठी इस प्रदेश में बड़ी तेजी से वह व्यापार चला बहुत से निरीह लोग पैसे की लालच में आकर उनको ब्लेक में अंगों के प्रत्यारोपण का काम हुआ।

आज भी कई डा० जेल में हैं। हमारी सरकार मानती है कि यह अमानवीय है। अनुचित है। हमने इसकी संवेदनशीलता को महसूस करते हुए एक अधिनियम-अध्यादेश के रूप में जारी किया इसको दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। मानव अंगों के लिए मापदण्ड बनाया है, समिति बनी है। भविष्य में अवैध व्यापार लोग न कर सकें। अगर करेंगे तो जेल के सीखचों में रहे (मेजों की थपथपाहट) गांवों में बहुत से वैद्य हैं, उस दिशा में हमने प्रयत्न शुरू किया है, जो किसी मर्ज विशेष के विशेषज्ञ हैं, उनके पास डिग्री नहीं है परम्परागत रूप से ज्ञान है उस ज्ञान को हम लेना चाहते हैं देहरादून में हमने सम्मेलन बुलाया था। 200 से ज्यादा वैद्य उनको हमने आमंत्रित किया था, हम उनके ज्ञान को संकलित करना चाहते हैं, उसका सदुयोग आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उनका ज्ञान धरोहर के रूप में मानवता की सेवा कर सके। ड्रग लाइसेंस की बात उठी, डा० बाजपेयी ने कहा कि ड्रग लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसी विशेषज्ञ को होना चाहिए। यह व्यवस्था हम करेंगे बी० आर० वर्मा जी ने कहा कि बजट कम है, धन के बिना चिकित्सा शिक्षा कैसे चलेगी? जो योजनायें बनी हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी?

मान्यवर, उन्होंने जो सवाल उठाया वह मेन बजट और सप्लीमेंटरी बजट दोनों को जोड़कर उठाया। अभी हमने मेन बजट प्रस्तुत किया है, सप्लीमेन्टरी बजट रिवाइज बजट के रूप में होगा। वह बजट सामान्य बजट से ज्यादा होगा। मान्यवर, अगर नियोजन व्यवस्थित होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो काम होगा। मान्यवर, जो हमने कहा है, उसको कर दिखाने की मेरी आदत है, उसको मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने दें।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह—

मान्यवर, हमारा आग्रह है आदरणीय चौधरी साहब हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आग्रह है कि जहां बढ़ती हुई आबादी समाज के लिए खतरनांक है, अगर उनके परिवार में आबादी बढ़ गयी, तो सम्भवतः उन्हें विचार करना होगा, इसलिए उनसे आग्रह है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है उनको धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, अभी परिवार कल्याण मंत्री ने कहा तो चौधरी साहब इतना एलर्ट हैं। आपको सोचना चाहिए। उनके परिवार में वृद्धि नहीं हो सकती। उनकी गलती से आपके यहां वृद्धि हो जाय तो माफ कीजिएगा। आप दूसरे मंत्रियों से पूंछ लें आपको बिना कटौती के कटौती नजर आ रही है।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

मान्यवर, भोले सिंह तो भोले नाथ हैं वह सर्वज्ञ हैं जो मांगता है वह दे देते हैं। चौधरी साहब जो भी मांग लेंगे वह देने को तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता—

चौधरी साहब, आप कटौती वापस ले रहे हैं।

श्री आर० के० चौधरी—

नहीं, मान्यवर, मैं बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,00,45,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,22,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 25,63,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,55,82,12,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 81,03,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,20,80,75,000 रुपये से अधिक स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 14–7–98 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी श्री अजय कुमार पोइया की वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री श्याम सुन्दर भारतीय की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री दिलीप कुमार की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री तेजभान सिंह की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री अफजाल अहमद की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना डा० रामबादू हरित की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेरहवीं सूचना श्री उदयराज यादव की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई है।

श्री कृपा शंकर सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, डा० वकार अहमद शाह, श्री ओंकार सिंह यादव, श्री बाबूलाल, श्री रामतेज यादव एडवोकेट श्री कमलेश सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री राम ललित चौधरी, श्री बिन्दू लाल, श्री श्याम किशोर की सूचनायें अस्वीकृत की गई।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या–14, 15 और 16 पर संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

मथुरा जनपद में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर ईंट भट्ठा उद्योग एवं अन्य छोटे-छोटे उद्योगों के बन्द किये जाने से लाखों व्यक्तियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

[मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में यमुनोत्री नामक स्थान से निकलकर हरियाणा एवं दिल्ली प्रदेश होते हुए जनपद मथुरा के कोसी कलां के पास पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी का जल उदगम स्थल पर स्वच्छ रहता है परन्तु जब हरियाणा, दिल्ली प्रदेश आदि स्थानों से होकर पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका जल प्रदूषित रहता है। इसके मुख्य कारण निम्नवत् है :–

1—यमुना नदी के किनारे स्थित गांवों, कस्बों व शहरों का घरेलू जल मल जो बिना शुद्धिकरण के यमुना नदी में मिलता है।

2—नदी में बिना शुद्धिकरण के सीधे निस्तारित होने वाले औद्योगिक उत्प्रवाह।

3—यमुना नदी में उसकी सहायक नदियों व नालों के माध्यम से आने वाला प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह व घरेलू जल, मल जिसमें हरियाणा राज्य व दिल्ली नगर से आने वाला औद्योगिक प्रदूषित उत्प्रवाह व घरेलू जल मल सम्मिलित है।

4—दिल्ली तथा अन्य जगहों पर यमुना नदी के जल के घरेलू व सिंचाई में प्रयोग के उद्देश्य से निर्मित बैराज जिससे डाउनस्ट्रीम में यमुना नदी का प्रवाह कम हो जाता है जिससे यमुना नदी की प्राकृतिक रूप से स्वयं शुद्ध करने की क्षमता कम हो गयी है।

यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के आशय से मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी द्वारा एक जनहित याचिका संख्या 1644/98 दायर की गई तथा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य को पक्षकार बनाया गया। प्रश्नगत रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दिनांक 6 अप्रैल, 1998 को प्रति शपथ-पत्र दाखिल किया गया जिसमें यमुना प्रदूषण नियंत्रण हेतु मथुरा व मथुरा अपस्ट्रीम में स्थित उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण का विवरण प्रस्तुत किया गया।

प्रश्नगत रिट याचिका के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 1998 को पारित आदेश के अनुक्रम में श्री ए० डी० गिरी, सीनियर एडवोकेट तथा श्री दिलीप कुमार एडवोकेट द्वारा मथुरा, वृन्दावन में सर्वेक्षण किया गया तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट मा० उच्च न्यायालय में दाखिल की गई।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 मई, 1998 को यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के आशय से विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अलग-अलग आदेश पारित किये गये। उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा को जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा के साथ, मथुरा स्थित साड़ी इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण कर दिनांक 12 मई, 1998 तक रिपोर्ट मा० उच्च न्यायालय में जमा करने तथा साथ ही मथुरा जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक कार्यालय खोलकर दो सप्ताह के भीतर चालू करने के आदेश भी दिये गये थे।

मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में बोर्ड द्वारा मथुरा स्थित समस्त 136 साड़ी उद्योगों का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या के साथ शपथ-पत्र दिनांक 12 मई, 1998 को मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके आधार पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मई, 1998 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये :–

'सभी साड़ी इकाइयाँ जो यमुना नदी में उत्प्रवाह निस्तारित कर रही है, को बन्द कर दिया जाये। इन इकाइयों में से जो इकाई यह प्रार्थना-पत्र मथुरा स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में प्रस्तुत करती है कि उनकी इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, ऐसी इकाइयों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तुरन्त निरीक्षण किया जाये और स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र उचित पाये जाने पर ट्रायल हेतु अनुमति प्रदान कर दी जाये तथा ट्रायल के दौरान स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र उत्प्रवाह को मानको के अनुरूप शुद्ध करने में सक्षम पाये जाने पर बोर्ड द्वारा उन इकाइयों को संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाये। किसी भी इकाई को बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।'

मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा दिनांक 15 मई, 1998 को मथुरा में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया तथा दिनांक 18 मई, 1998 को पूर्व से बन्द 48 साड़ी उद्योगों को पुनः संचालन बोर्ड से अनापत्ति /सहमति प्राप्त किये बिना न करने की नोटिस दी गई। 37 उद्योग जिनका उत्प्रवाह सोलर इवापोरेशन टैंक में एकत्रित होता है। इन्हें बोर्ड से सहमति /अनापत्ति लिये बिना उत्प्रवाह का निस्तारण न करने की नोटिस दी गई तथा शेष 51 उद्योगों को उद्योग का संचालन बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक बन्द करने के आदेश जारी किये गये। मा० उच्च न्यायालय को, बोर्ड द्वारा दिनांक 21 मई, 1998 को शपथ-पत्र दाखिल कर उक्त कार्यवाही से सूचित किया गया।

बोर्ड में 136 उद्योगों में से 59 उद्योगों द्वारा ट्रायल सहमति हेतु आवेदन किया गया जिसमें से 31 उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रथम दृष्टया उचित पाये जाने पर उनको 6 सप्ताह/ 8 सप्ताह के लिये ट्रायल हेतु संचालन की अनुमति प्रदान की गई। 6 सप्ताह बाद स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकरण के पश्चात् उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप पाये जाने पर जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सहमति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

इसी अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई, 1998 को आदेश दिये गये कि 136 के अतिरिक्त अन्य जल प्रदूषण कारी उद्योग जिनके द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से यमुना नदी में प्रदूषित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकरण के निस्तारित किया जा रहा है, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्द कर दिया जाये। उक्त के अनुपालन में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग विभाग के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर प्रदूषण फैलाने वाली 33 इकाइयाँ चिन्हित कर बन्दी आदेश जारी किये। अधिकांश चिन्हित इकाइयां चांदी गिलेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग व एसिड फिकलिंग, साड़ी प्रिंटिंग आदि की इकाइयाँ है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि टोटी चांदी गिलेट आदि के उद्योग हालांकि लघुत्तर स्तर के हैं परन्तु यह सघन आवासीय क्षेत्र में स्थित है एवं यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के उद्योग, प्रदूषणकारी /हैजाईस प्रकृति के होते हैं।

मा० सदस्य की सूचना में वर्णित पांच हार्स पावर वाले उद्योगों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21 मई, 1998 के अनुक्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जो इस प्रकरण के नोडल अधिकारी नामित है, द्वारा बिजली विभाग से ऐसी सूची प्राप्त की गई है जिनका विद्युत भार पाँच हार्स पावर या उससे अधिक हो। परन्तु उक्त सूची के आधार पर कार्यवाही नहीं की गई जैसा कि सूची में केवल धारक का नाम व पता ही अंकित था, व उद्योग के उत्पाद का नाम नहीं। बोर्ड द्वारा केवल उन उद्योगों को बन्दी आदेश जारी किये गये हैं जो जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा तथा बोर्ड द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान यमुना को प्रदूषित करने वाले पाये गये थे।

मा० सदस्य की सूचना में उल्लिखित चाँदी, गिलेट सुपारी उद्योगों के संबंध में अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21 मई, 1998 के अनुपालन में जो अन्य जल प्रदूषणकारी उद्योग चिन्हित कर बन्द कराये गये है, उनमें चाँदी गिलेट, सुपारी, वाशिंग, साड़ी प्रिंटिंग आदि उद्योग भी सम्मिलित है। चांदी गिलट के उद्योग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया की जाती है। जिसके कारण प्रदूषित उत्प्रवाह जनित होता है। यह उद्योग अधिकंशतया घनी आबादी में स्थित है हैजार्डस प्रकृति के भी है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों के अुनक्रम में की गई है। मा० सदस्य की सूचना में उल्लिखित ईंट भट्टों के संबंध में अवगत कराना है किं ताजमहल को प्रदूषण मुक्त करने के उददेश्य सेल मा० उच्चतम न्यायाल्य में एक जनहित रिट याचिका संख्या 13381/84 एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार व अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में ताजमहल तथा अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के चारों ओर बीस किमी० त्रिज्या क्षेत्र में स्थित लाइसेन्स शुदा भट्टों को ताज प्रतिबन्धित क्षेत्र से स्थानान्तरित करने तथा बिना लाइसेन्सशुदा ईंट भट्टों को तत्काल बन्द करने आदेश दिये गये थे। इन आदेशों के विरूद्ध एक रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) पंचायती राज विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दायर की जा रही है।।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन तथा छात्रवृत्ति वितरण में कथित रुप से की जा रही धांधली व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री तेजभान सिंह स०वि०स० द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

समाज कल्याण, अनसूचित जाति, अनसूचित जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")--

[जनपद सुल्तानपुर में समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन तथा छात्रवृत्ति वितरण में धांधली और भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत श्री तेजभान सिंह, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा सन्दर्भित विषय पर ध्यानाकर्षक करते हुए इसका उल्लेख किया गया है कि जनपद सुल्तानपुर में उक्त विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर के पद नाम से प्रधान डाकघर में बचत खाता संख्या 369990 खुला है। जिसमें उनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं में छात्रवृत्ति वितरण हेतु खुले खातों में धन स्थानान्तरित करने के निमित्त उप डाकपालों तथा पोस्ट मास्टर के नाम से चेक जारी किए जाते हैं। उक्त बचत खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी की माँग पर दिनांक 6-4-98 एवं 1-5-98में दि० 6-4-98/610381 से 610400 व 1-5-98 में 610421 से 610440 तथा 610441 से 610460 की प्रदान की गई जिसमें 96 उप डाकपालों के नाम रु० 5 लाख 75 हजार का चेक काटा गया।

मा० सदस्य द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि उक्त चेक बुकों में दिनांक 6-4-98, 1-5-98, 31-3-98 को जारी की गई है जबकि समाज कल्याण को चेकबुक प्राप्त करने के पूर्व तारीखों 30-4-98 की पूर्व तारीख में चेक काटा गया है जो घोर आपत्तिजनक, अपराधिक, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, घपलेबाजी की बेमिसाल घटना है। यह सभी चेकें उप डाकपालों के द्वारा फर्जी तरीके से शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उप डाकपालों से फर्जी आहरण करने की योजना के तहत किया गया है। इस घपलेबाजी की सूचना डाक विभाग द्वारा पत्रांक-पी एम० कार/जनरल/98-99 दिनांक 2-6-98 द्वारा जिलाधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण को भी करायी गयी है परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई जाँच की कार्यवाही नहीं की गयी है। इसमें उच्च स्तर पर भी अधिकारियों के लिप्त होने का संदेह है।

इसी तरह वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशनों की स्वीकृति में भारी अनियमितता, मनमानी कमीशनबाजी की शिकायत है विधवा पेंशन के जो भी प्रार्थना-पत्र पहले से रजिस्टर में दर्ज है, उनको न निस्तारण कर कमीशन लेकर चाहे जब चेक दे दिये जाते हैं। यहाँ किसान वृद्धावस्था पेंशन में भी जो प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण में प्राप्त हुए और उप जिलाधिकारियों को स्वीकृति हेतु भेजे गये, उन्हें तहसील में लेखपाल, कानूनगों दबाये रहते हैं। वहाँ भी लेखपाल, कानूनगों बगैर सुविधाशुल्क लिए स्वीकृति हेतु वापस नहीं करते हैं। तहसील गौरीगंज में अम्बेडकर गाँव बरौलिया, टुरामऊ, बर्नाटोकर, आदि के सैकड़ों प्रार्थना-पत्र अभी लेखपालों के कब्जे में वर्षों से हैं। वहीं मुसाफिरखाना के उप जिलाधिकारी को समाज कल्याण अधिकारी पत्रांक 1723-24 स० क० वृद्धावस्था पेंशन-2-96-97 दिनांक 10-7-96 द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र को 2 वर्ष हो गये कहीं अता-पता नहीं है जिससे वे गरीब पात्र सुविधा शुल्क नहीं दे पाने के कारण आज भी पेंशन सुविधा से वंचित हैं। वहीं नोडाड, मघूपुर, उत्तरगांव आदि के बहुत से प्रार्थना-पत्र वर्षों से लेखपालों के कब्जों में हैं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा० सदस्य ने इसका भी उल्लेख किया है कि इस विभाग में जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहीं पात्र लोगों को पेंशन का लाभ न मिलने, छात्रों को सही समय से सही विद्यालयों की छात्रवृत्ति न मिलने की निराशा से असंतोष व्याप्त है। जनता काफी परेशान है। वहीं कर्मचारी मनमानी रुप से सरकार की आँख में धूल झोंक रहे हैं।

उक्त संदर्भ में शासन के संज्ञान में संदर्भित तथ्य आते ही शासन के संदर्भ संख्या 4027 /पी०एस०एस० डब्लू० /98 दिनांक 7-7-98 द्वारा इस मामले की जाँच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सौंपते हुए उनसे वस्तुस्थिति तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त संदर्भ में जिलाधिकारी से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि यह जॉच उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है जाँच प्रगति पर हैं किन्तु डाक तार विभाग में हड़ताल होने के कारण इसे अन्तिम रुप नहीं दिया जा सका है। जैसे ही यह हड़ताल समाप्त होगी वैसे ही जाँच पूर्ण करके जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया जायेगा जाँच के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में तद्नुसार वांछित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की तहसील कर्बी के ग्राम छेछरिहा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि का नियम विरुद्ध पट्टा किये जाने के संबंध में श्री दद्दू प्रसाद स०वि०स० द्वारा दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री अशोक यादव)—

[श्री दद्दू प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने सदन में दिनांक 6-7-1998 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई अपनी सूचना में सदन को सूचित किया था कि ग्राम छेछरिहा खुर्द, तहसील कर्बी, जिला—छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि गाटा संख्या—178, 651, 816, 964, 985, 741, 742, 223, व 871 में गांव के एक असरदार सामन्त दबंग ने कब्जा कर रखा है। उपरोक्त नम्बरानों में से कुछ को अनियमित तरीके से अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अपने नाम दर्ज करा लिया है, तथा सार्वजनिक उपयोगिता की कुछ भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से पट्टा कर दिया गया हैं। उसी गांव के श्री कुंजलवा पुत्र मुरलिया ने सूचित किया है कि उसकी भूमि पर गांव के पूर्व प्रधान ने कब्जा कर रखा है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा कर लेने से पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त है।

2—इस सूचना पर शासन द्वारा जिलाधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के माध्यम से मामले की जांच करायी गई। जिला प्रशासन द्वारा करायी गई जांच में ग्राम छेछरिहा खुर्द के उपर्युक्त भूखण्डों पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया तथा गांव में किसी प्रकार का आक्रोश भी व्याप्त नहीं हैं।

3—वस्तुतः उक्त ग्राम के गाटा संख्या–170 पर श्री मइयादीन व रामगरीब, जाति–पाल व गाटा संख्या–223 पर श्री बाबूलाल, पुत्र श्री जग्गू, जाति–मुराई, गाटा सं०–985 पर श्री जगदीश प्रसाद व महेश प्रसाद तथा गाटा सं०–816 के जुज रकबे पर श्री श्रीकान्त, पुत्र–रामकृपाल का नाम दर्ज है तथा उक्त व्यक्तियों का ही भूमि पर कब्जा है।

4—इसी प्रकार गाटा सं०–659, 741, 742, 816 तथा 964 में परगनाधिकारी द्वारा वर्ष 1988 में ही पट्टे किये गये थे। इन सभी भूखण्डों पर भूमि के पट्टेदार काबिज हैं तथा गाटा सं०–816 के जून रकबा 0.502 हे० एवं गाटा संख्या–964 रकबा–0.126 हे० खलिहान दर्ज है तथा उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5—भू-अभिलेखों में गाटा सं०-871 में खाद के गड्ढे अंकित हैं। इस पर 5-6 वर्षों से मंगू लोहार व छोटे लाल मुराई का आवासीय मकान बना है, जिसके संबंध में बेदखली की कार्यवाही धारा-122 (बी) उ०प्र० जमीं० विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

6—जहां तक कुंजलवा, पुत्र-मुरलिया की भूमि पर पूर्व प्रधान द्वारा कब्जा किये जाने की शिकायत का संबंध है, यह शिकायत भी सही नहीं है। वास्तव में कुंजलवा, पुत्र-मुरलिया, ग्राम छेछरिहा खुर्द का नहीं, बल्कि बक्टा बुजुर्ग गांव का निवासी है। इनकी ग्राम छेछरिहा-खुर्द में दो गाटे की जमीन है, लेकिन उस पर भूतपूर्व ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने की शिकायत सही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

14 जुलाई, 1998।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० स०—30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

सूची

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 का संलग्नक

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	विवादित व वरिष्ठता
1	कोआपरेटिव इंटर कालेज, पिपराइच, गोरखपुर	प्रवक्ता (अंग्रेजी)
2	श्री कृष्ण उद्योग उ०मा०वि० नईयापार, गोरखपुर	प्रधानाध्यापक
3	नीनाथापा इ०का० गोरखपुर	एल० टी०
4	दयानन्द इण्टर कालेज, गोरखपुर	प्रवक्ता
5	प०दीन दयाल उ० मा० वि०, गोरखपुर	एल० टी०
6	राजकीय इ० का० बैलिया, रेलवे कालोनी, गोरखपुर	एल० टी०
7	उ० मा० विद्यालय, अराव जगदीश, गोरखपुर	एल० टी०
8	गंगा प्रसाद स्मारक इ० का०, चौरी चौरा, गोरखपुर	एल० टी०
9	पंडित ज०एल०इ० का० जयंतपुर, गोरखपुर	एल० टी०
10	स्वावलम्बि इण्टर कालेज, किशुनपुरा, गोरखपुर	प्रवक्ता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० स०—117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के 4थे मंगलवार के लिये निर्धारित मा० श्री रामऔतार शाक्य, विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–117 की अनुपूरक सूचना (कार्यों की सूची)

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	सन् 97-98 में आवंटन (रुपये लाख में)
जिला योजना (सामान्य)		
1	मैनपुरी भावत किशनी मार्ग से द्वारिका पुर	0.20
2	करहल मैनपुरी मार्ग से कुतुबपुर होती हुई एमनपुर तक	0.20
3	खन्नूखेड़ा से लहरा वाया मरहरी नगला हिम्मत	0.10
4	मानपुरहारी मार्ग से वागपुर वाया बिलसड़ा	0.10
5	घिरोर कुरावली मार्ग से गुलाबपुर वाया कुकामई	0.20
6	मैनपुरी ओछा मार्ग से देवपुरा	0.10
7	मैनपुरी सिरसागंज मार्ग का छूटा भाग	0.10
जिला योजना (एस०सी०पी०)		
1	केशोपुर से वरनाहल चंदीकरा मार्ग पर फूलापुर तक	3.00
2	सर्खरऊ पुल से वासक का अवशेष भाग	0.80
3	देवली बरनाहल से कनकपुर सादा	0.05
4	सिरसागंज किशनी मार्ग से बिरथुआ	0.05
5	त्रिलोकपुर सैफई मार्ग से पिण्डारी	0.05
6	लिपुलेक भिण्ड मार्ग से जटपुरा	0.50
7	कुशमरा इस्लामाबाद मार्ग से गुलरियापुर	0.37
8	नवीगंज कैथोली जासमई मार्ग से भदेई का शेष भाग	0.05
9	चितायन मनगवां मार्ग से कमलपुर	0.05
10	तिपुलेक मार्ग से दाऊदपुर	0.05
11	नवीगंज कैथोली जासमई मार्ग से पटना टिलुआ	0.05
12	शिकोहाबाद भौगांव मार्ग से जरामई	0.15
13	सिरसागंज मैनपुरी मार्ग से भरौली	0.05
14	मैनपुरी कुरावली मार्ग से नवादा	0.05

क्रम - संख्या	मार्ग का नाम	सन् 97-98 में आवंटन (रुपये लाख में)
15	जसरऊ सैदपुर भरौली से बडेरी	0.05
16	घिरोर शाहजहांपुर मार्ग से बादशाहपुर	0.20
17	औछा जसराना मार्ग से औरंगाबाद	0.40
18	जी०टी० मार्ग से अम्हेरा	0.05
19	छाछा अलीपुर खेड़ा मार्ग से सुलखनपुर	0.05
20	शिकोहाबाद भौगांव मार्ग से मोहनपुर	0.05
21	जी०टी० मार्ग से विनोदपुर	0.05
जिला योजना अम्बेडकर		
1	सिरसागंज किशनी से तकरऊ मार्ग	1.20
2	कुशमरा ऊंचा इस्लामाबाद मार्ग से खिरौली	1.60
3	माइनर सौजपट्टी मार्ग से गदनपुर	0.55
4	बनराल से अराव मार्ग से फूलापुर	0.85
5	इटावा मैनपुरी मार्ग से मोहम्मदपुर नगरिया	6.70
6	किशनी रामनगर रठेह मार्ग से सिपुर	11.80
7	नवीगंज जासमई मार्ग से अर्जुनपुर	2.90
8	जी०टी० मार्ग से मेरपुर छदामी	8.45
9	ऊंचा इस्लामा मार्ग से किताह	8.10
राज्य योजना (सामान्य)		
1	भिलाअनूपुर से सहनतक मार्ग तथा माइनर पर पुलिया	3.95
2	अजीतगंज से विटुकपुर मार्ग	0.73
3	मैनपुरी कुरावली मार्ग से सोनई से गोपालपुर	1.68
4	जोती औछा मार्ग के उदयतपुर परमकुटी मार्ग	0.03
पं० दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना		
1	मैनपुरी ज्योति मार्ग से कुमरउआ	0.42
2	गढ़िया गोविन्दपुर मार्ग से जसरथपुर	6.67
3	शिकोहाबाद भोगांव मार्ग से उदमपुर नरैनी	0.05
4	बरनाहल कीरथपुर मार्ग से तालिवपुर	2.66
5	एन० एच० 2 से खेड़ा मार्ग	0.05

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	सन् 97-98 में आवंटन (रुपये लाख में)
6	बुझिया उर्थान से नितावली मार्ग	0.05
7	कैथोलो विशनगढ़ से इन्दरपुर सुजानपुर	0.05
8	लिपुलेक भिण्ड मार्ग से नुनहारी	0.05
9	शिकोहाबाद भोगांव मार्ग से नोनेर	0.05
10	विछिया जौराई मार्ग से अगोथा	0.05
11	मैनपुरी कुशमरा मार्ग से सकरा	1.90
12	इटावा मैनपुरी मार्ग से काकड	0.05
13	गांगसी ग्राम से ग्रागसी ब्रिज तक	2.52
14	ऊंचा इस्लामा मार्ग से तरिहा	1.14
15	गोला बाजार से सिकन्दरपुर वाया हसनपुर	2.66
16	मैनपुरी सिरसागंज मार्ग से अलपुरा	0.05
17	मैनपुरी ज्योति मार्ग से गढेरी	3.80
18	मैनपुरी ज्योति मार्ग से इकरा मार्ग	0.12

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 357 विधान सभा (514) 1998–813 (डी०टी०पी०) ।